

तरावीह

और रोज़ो के

मसाएल

<http://salfibooks.blogspot.com>

क्या वह अपने देश के साथ रोज़ा रखे या किसी  
भी देश के साथ जिसने नया चाँद देखा है?

﴿هل يصوم مع أهل بلده أو أي بلد رأى الهلال؟﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندی ]

मुहम्मद सालेह अल-मुनजिद

अनुवाद: अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

# هل يصوم مع أهل بلده أو أي بلد رأى الهلال؟

« باللغة الهندية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

**क्या वह अपने देश के साथ रोज़ा रखे या किसी भी देश के साथ जिसने नया चाँद देखा है**

### प्रश्न:

मैं क्या करूँ यदि कुछ इस्लामी देशों में नया चाँद देखा गया है, किन्तु मैं जिस देश में काम कर रहा हूँ वह शाबान और रमज़ान के महीने के तीस दिन पूरा करता है ? रमज़ान के विषय में लोगों के बीच मतभेद का कारण क्या है ?

### उत्तर:

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

“आप अपने देश के लोगों के साथ रहें। अगर वे रोज़ा रखें तो आप उनके साथ रोज़ा रखें, और अगर वे रोज़ा तोड़ दें (रोज़ा रखना बंद कर दें) तो आप भी उनके साथ रोज़ा तोड़ दें; क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “रोज़ा का दिन वह है जिस दिन तुम रोज़ा रखते हो, और रोज़ा तोड़ने (रोज़ा रखना बंद कर देने) का दिन वह है जिस दिन तुम रोज़ा तोड़ देते हो, और कुरबानी का दिन वह है जिस दिन तुम कुरबानी करते हो।”

तथा इसलिए भी कि मतभेद और विवाद (इख़िलाफ़) करना बुरा है। अतः आपके लिए अनिवार्य है कि अपने देश वालों के साथ रहें। जब आपके देश में मुसलमान रोज़ा तोड़ दें तो आप उनके साथ रोज़ा तोड़ दें, और जब वे रोज़ा रखें तो आप उनके साथ रोज़ा रखें।

जहाँ तक मतभेद के कारण का प्रश्न है तो उसका कारण यह है कि कुछ लोग चाँद देखते हैं, और कुछ लोग चाँद नहीं देखते हैं। फिर जो लोग चाँद देखते हैं उनपर कभी तो दूसरे लोग भरोसा (विश्वास) करते हैं, उनसे संतुष्ट होते हैं और उनके चाँद देखने पर अमल करते हैं, और कभी उनपर दूसरे लोग भरोसा नहीं करते हैं और उनके चाँद देखने पर अमल नहीं करते हैं। इसी कारण मतभेद और विवाद पैदा होता है। तथा कभी कोई देश नया चाँद देखता है और उसका फैसला करता है और उसके अनुसार रोज़ा रखता है या रोज़ा तोड़ देता है। जबकि दूसरा देश इससे आश्वस्त नहीं होता है और उस देश पर भरोसा नहीं करता है ; जिसके बहुत से राजनीतिक और अन्य कारण हो सकते हैं।

अतः मुसलमानों पर अनिवार्य है कि जब वे नया चाँद देखें तो सब के सब रोज़ा रखें, और उसे देखने पर रोज़ा तोड़ें (रोज़ा रखना बंद कर दें),

क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान का अर्थ सामान्य है : “जब तुम नया चाँद देख लो तो रोज़ा रखो, और जब तुम नया चाँद देख लो तो रोज़ा तोड़ दो, अगर तुम पर बदली हो जाये तो तीस दिन पूरे करो।”

अगर सभी लोग चाँद के देखे जाने की यथार्थता (प्रामाणिकता) से आश्वस्त हैं और इस बात से कि यह एक ठोस और साबित हकीकत है तो उसके अनुसार रोज़ा रखना और इफतार करना (अर्थात् रोज़ा तोड़ देना) अनिवार्य है। किन्तु यदि लोग वस्तुस्थिति के बारे में मतभेद कर बैठें और एक दूसरे पर भरोसा न करें, तो आपको चाहिए कि अपने देश में मुसलमानों के साथ रोज़ा रखें, और उनके साथ ही रोज़ा रखना बंद करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान पर अमल करते हुये : “रोज़ा का दिन वह है जिस दिन तुम रोज़ा रखते हो, और रोज़ा तोड़ने (रोज़ा रखना बंद कर देने) का दिन वह है जिस दिन तुम रोज़ा तोड़ देते हो, और कुरबानी का दिन वह है जिस दिन तुम कुरबानी करते हो।”

तथा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से साबित है कि जब कुरैब ने उन्हें सूचित किया कि सीरिया (शाम) के लोगों ने जुमुआ के दिन रोज़ा रखा है, तो इब्ने अब्बास ने कहा : हमने उसे शनिवार के दिन देखा है, इसलिए हम रोज़ा रखते रहेंगे यहाँ तक कि नया चाँद देख लें, या तीस दिन पूरे कर लें। और उन्होंने ने सीरिया के लोगों के चाँद देखने पर अमल नहीं किया क्योंकि सीरिया, मदीना से दूर है, और उन दोनों के मताले (चाँद के उदय होने के स्थलों) में भिन्नता है। और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह विचार किया कि इसमें इजतिहाद की गुंजाइश है। इस प्रकार अपने देश वालों के साथ रोज़ा रखने और उनके साथ ही

रोज़ा तोड़ने में, इब्ने अब्बास और उनके कथन का पालन करने वाले विद्वान आप के लिए नमूना हैं। और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ देने वाला (शक्ति का स्रोत) है।”

फज़ीलतुश़ैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

“मजमूओ फतावा व मक़ालात मुतनव्विअ़ा” (15/100 – 102)

**इस्लाम प्रश्न और उत्तर**

# बीमार और मुसाफिर के रोजे का हुक्म

﴿ حکم صیام المریض والمسافر ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندي ]

मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

**अनुवाद:** अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com



# ﴿ حكم صيام المريض والمسافر ﴾

« باللغة الهندية »

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिरिमल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

तीसरा अध्याय

## बीमार और मुसाफिर के रोजे के हुकम का उल्लेख

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقرة: 185)

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे, अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है।” (सूरतुल-बकरा: 185)

बीमार के दो प्रकार हैं :

**प्रथम :** वह बीमार जिसकी बीमारी स्थायी हो, उसके समाप्त होने की आशा न हो, उदाहरण स्वरूप कैंसर की बीमारी, ऐसी स्थिति में उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है जिस में उसके रोज़ा पर सक्षम होने की आशा की जा सके। किन्तु वह हर दिन के रोज़ा के बदले एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलायेगा। इस का तरीका यह है कि वह या तो रमज़ान (रोज़ा) के दिनों की संख्या के अनुसार गरीबों और मिसकीनों को एकत्र करे और उन्हें रात या दुपहर का खाना खिलाये, जैसाकि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बूढ़ा होने पर किया करते थे। और दूसरा तरीका यह है कि वह रोज़ा के दिनों की संख्या में गरीबों और मिसकीनों पर, प्रति व्यक्ति एक चौथाई सा'अ नबवी के हिसाब से खाना (अनाज) वितरित कर दे, एक चौथाई सा'अ नबवी का वज़न अच्छे क्वालिटी के गेहूँ से आधा किलो दस ग्राम (510 ग्राम) होता है, श्रेष्ठ यह है कि खाना (गल्ला, राशन) के साथ सालन जैसे गोश्त या तेल आदि भी सम्मिलित कर दे।

यही हुक्म उस बूढ़े और वयोवृद्ध आदमी का भी है जो रोज़ा रखने से असमर्थ और बेबस है, अतः वह भी हर दिन के बदले एक गरीब आदमी को खाना खिलाये गा।

**द्वितीय :** जिस आदमी की बीमारी आपातकालीन (अस्थायी और सामयिक) हो उसका समाप्त होना असंभव न हो, जैसेकि बुखार और इसके समान अन्य रोग, इसकी तीन हालतें हैं :

**पहली हालत :** उसके लिए रोज़ा रखने में कोई कष्ट और कठिनाई न हो और न ही उसे रोज़ा रखने से कोई नुकसान पहुँचता हो। ऐसी स्थिति में उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य है, इस लिए कि उसके पास कोई उज़्र (शरई कारण) नहीं है।

**दूसरी हालत** : उसके लिए रोज़ा रखने में कष्ट और कठिनाई हो, किन्तु इस से उसे कोई नुक़सान न पहुँचता हो। ऐसी हालत में उसके लिए रोज़ा रखना मक्रूह (अनेच्छक) है, इसलिए कि इस में उसके ऊपर कष्ट और कठिनाई के साथ-साथ अल्लाह तआला की रूख़सत (छूट) को अपनाने से उपेक्षा पाया जाता है।

**तीसरी हालत** : उसके लिए रोज़ा रखना हानिकारक हो। इस हालत में उसके लिए रोज़ा रखना हराम (निषिद्ध) है, इसलिए कि इस तरह वह अपने आप को हानि और नुक़सान से पीड़ित कर रहा है, जबकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (البقرة: १९०)

“और अपने हाथों कष्ट में न पड़ो।” (सूरतुल बकरा :195)

तथा हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है :

«لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ»

(أخرجه ابن ماجه، والحاكم، قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضاً)

“न तो हानि जाइज़ है और न ही हानि पहुँचाना।”

इस हदीस को इब्ने माजा और हाकिम ने रिवायत किया है, और नववी ने कहा है कि इस हदीस के कई तरीक़े (सनदें) हैं जो एक दूसरे को मज़बूत करते हैं।

बीमार पर रोज़ा के हानिकारक होने का पता या तो बीमार के स्वयं अपने ऊपर हानि के अनुभव (एहसास) या किसी विश्वसनीय चिकित्सक की सूचना के द्वारा लगाया जा सकता है। जब भी इस प्रकार का रोगी रोज़ा तोड़ देता है, तो स्वस्थ होने के बाद उन दिनों की संख्या में रोज़ा रखेगा

जिनका रोज़ा तोड़ दिया था, और अगर वह स्वस्थ होने से पहले मर गया तो उस से क़ज़ा माफ़ हो जायेगा, क्योंकि उस पर अनिवार्य यह है कि वह दूसरे दिनों में उसी संख्या में रोज़े रखे और उस ने उन दूसरे दिनों को पाया ही नहीं।

### **मुसाफिर के दो प्रकार हैं :**

**प्रथम :** वह मुसाफिर जिसका उद्देश्य अपने सफ़र के द्वारा रोज़ा तोड़ने के लिए उपाय (हीला व बहाना) ढूँढ़ना है, ऐसे व्यक्ति के लिए रोज़ा तोड़ना जाइज़ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के फ़राइज़ के लिए हीला व बहाना बनाने से वह फ़रीज़ा (कर्तव्य) समाप्त नहीं हो जाता है।

**द्वितीय :** वह मुसाफिर जिसका मक़सद यह नहीं है, उसकी तीन हालतें हैं:  
**पहली हालत :** उसके लिए रोज़ा रखना कठोर कष्ट और कठिनाई का कारण हो, ऐसी स्थिति में उसके लिए रोज़ा रखना हराम है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम “मक्का के विजय की युद्ध में रोज़ा से थे तो आप को सूचना मिली कि लोगों पर रोज़ा कठिन पड़ रहा है और वह प्रतीक्ष कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, चुनाँचि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अस्त्र के बाद पानी का एक प्याला मंगाया और उसे पी लिया, इस हाल में कि लोग आप को देख रहे थे। (यह देख कर लोगों ने भी रोज़ा तोड़ दिया।) फिर आप से कहा गया कि : कुछ लोग (अभी भी) रोज़े से हैं, तो आप ने फ़रमाया : “**वो लोग ना—फ़रमान हैं, वो लोग ना—फ़रमान हैं।**” (सहीह मुस्लिम)

**दूसरी हालत :** उस पर रोज़ा रखना कठिन हो, किन्तु कठोर कष्ट का कारण न हो, ऐसी स्थिति में उसके लिए रोज़ा रखना मक्रूह है, इसलिए कि वह अपने नफ़स को कष्ट से पीड़ित करने के साथ—साथ अल्लाह की रूख़सत से उपेक्षा कर रहा है।

**तीसरी हालत :** उसके लिए रोज़ा रखने में कोई कष्ट और कठिनाई न हो, ऐसी स्थिति में रोज़ा रखने और तोड़ने में से जो चीज़ उसके लिये अधिक आसान हो उस को अपनाये (अर्थात् यदि रोज़ा रखना अधिक आसान हो तो रोज़ा रखे, और अगर रोज़ा तोड़ने में अधिक आसानी हो तो रोज़ा तोड़ दे।) इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقرة: 185)

“अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है।” (सूरतुल-बकरा: 185)

यहाँ पर इरादा (चाहना) महब्बत (पसंद करने ) के अर्थ में है।

और यदि दोनों पक्ष (अर्थात् सफर में रोज़ा रखना और न रखना) बराबर हैं, तो रोज़ा रखना ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अमल (कृत्य) यही है, जैसाकि सहीह मुस्लिम में अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा :

“हम रमज़ान के महीना में सख्त गरमी के मौसम में (सफर पर) निकले, यहाँ तक कि हम में से एक आदमी गरमी की व्यापकता के कारण अपने हाथ को अपने सिर पर रख लिया करता था, और हमारे बीच रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा कोई भी रोज़ा से नहीं था।”

मुसाफिर जिस समय अपने नगर से यात्रा पर निकलता है उसी समय से ले कर फिर वहीं वापस लौटने तक सफर में होता है, यद्यपि वह जिस नगर की ओर सफर किया है, वहाँ एक अवधि तक ठहरता है। क्योंकि जब तक उसकी नीयत यह है कि जिस उद्देश्य के लिए उसने सफर किया है उसके पूरा होने के बाद वह वहाँ नहीं ठहरे गा, तो वह सफर ही पर है। चुनाँचि वह सफर की रूख्सतों को अपनाये गा, अगरचि उसके ठहरने

की अवधि लंबी हो जाये, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उस अवधि की सीमा निश्चित करना प्रमाणित नहीं है जिस पर सफर समाप्त हो जाता है, और असल तो सफर का बाकी रहना और उसके अहकाम का साबित होना है यहाँ तक कि इस बात की दलील आ जाये कि सफर समाप्त हो गया और उसके अहकाम बाकी नहीं रह गये।

वह सफर जिसकी रूख्सत है उस में स्थायी सफर जैसे हज्ज व उम्रा, किसी रिश्तेदार की ज़ियारत और व्यापार आदि का सफर, तथा स्थायी सफर जैसे किराया की गाड़ियाँ (टैक्सी) चलाने वालों या इसके अलावा बड़ी गाड़ियाँ चलाने वालों के सफर के बीच कोई अंतर नहीं है। वे जब भी शहर से बाहर निकलें तो वे मुसाफिर हैं, उनके लिए वह सभी चीज़ें जाइज़ हैं जो अन्य मुसाफिरों के लिए जाइज़ हैं, जैसे रमज़ान के महीना में रोज़ा न रखना, चार रक्अत वाली नमाज़ों को क़स्र करके दो रक्अत पढ़ना, आवश्यकता पड़ने पर जुहर और अस्त्र की नमाज़ों को एक साथ तथा मग़िब और इशा की नमाज़ों को एक साथ एकत्र कर के पढ़ना। उनके लिए रोज़ा न रखना ही सर्वश्रेष्ठ है यदि उनके लिए यही अधिक आसान है और फिर वह सर्दी के मौसम में इसकी क़ज़ा करेंगे, इस लिए कि इन गाड़ियाँ चलाने वालों का एक शहर होता है जिस से वह संबंध रखते हैं। अतः जब भी वे अपने शहर में मुक़ीम होंगे, तो वे मुक़ीम समझे जायेंगे और उनके लिए वह चीज़ें जाइज़ होंगी जो अन्य मुक़ीम लोगों के लिए हैं, और उन पर वह चीज़ें जारी होंगी जो अन्य मुक़ीम लोगों पर जारी होती हैं, और जब भी वे सफर करेंगे, तो वे मुसाफिर समझे जायेंगे, उनके लिए वह सभी चीज़े होंगी जो मुसाफिरों के लिए हैं, और उन पर वह चीज़ें जारी होंगी जो मुसाफिरों पर जारी होती हैं।

# रमज़ान के दिन में फिल्मों और टीवी देखाने तथा पत्ते खोलने का हुक़म

﴿ حكم مشاهدة الأفلام والتلفاز ولعب الورق في نهار رمضان ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندي ]

अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

**अनुवाद:** अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com



# ﴿ حكم مشاهدة الأفلام والتلفاز ولعب الورق في نهار رمضان ﴾

« باللغة الهندية »

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

## रमज़ान के दिन में फिल्मों और टीवी देखाने तथा पत्ते खोलने का हुक्म

**प्रश्न:**

कुछ रोज़ेदार रमज़ान के दिन का अधिकतर समय वीडियो और टीवी पर फिल्मों और धारावाहिकों (सीरियल) के देखने और कार्ड (ताश, पत्ते) खेलने में गुज़ारते हैं, तो इसका क्या हुक्म है ?

**उत्तर:**

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

रोज़ेदार तथा अन्य मुसलमान पर अनिवार्य है कि वह सभी समयों में जो कुछ करता और जो कुछ छोड़ता है, उस में अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरता रहे, तथा वह अल्लाह तआला की हराम की हुई (निषिध) चीज़ को देखने से बचे, जैसे कि अश्लील फिल्में जिन में अल्लाह तआला की वर्जित की हुई चीज़ें; नग्न और अर्द्ध नग्न छवियाँ (तस्वीरें), और बुरी और घृणित बातें प्रस्तुत की जाती हैं। इसी प्रकार जो टीवी पर अल्लाह तआला की शरीअत के विरुद्ध छवियाँ, गाने, संगीत, गाने-बजाने के यंत्र (वाद्ययंत्र) और भ्रामक विज्ञापन और भ्रष्ट दावे प्रकाशित किये जाते हैं। इसी तरह प्रत्येक मुसलमान पर, चाहे वह रोज़ेदार हो या कोई अन्य, यह अनिवार्य है कि वह खेल (लहव व लईब) के यंत्रों से खेलने, जैसे कार्ड (पत्ते, ताश) इत्यादि खेलने से बचे। क्योंकि इस में बुराई (निषिध चीज़) का देखना और बुराई का करना पाया जाता है, तथा इस में दिल की कठोरता, उसकी बीमारी, उसके अल्लाह की शरीअत का अपमान करने (उसे तुच्छ समझने) और अल्लाह तआला की अनिवार्य की हुई चीज़ों जैसे जमाअत के साथ नमाज़ से उपेक्षा करने या अन्य कर्तव्यों के छोड़ने और बहुत सी हराम चीज़ों में पड़ने का कारण बनना है।

अल्लाह सर्वशक्तिमान का फरमान है :

﴿ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا

هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ

يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي آذَانِهِ وَقْرًا فَنَسُوهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾ [لقمان: ٦-٧]

“और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेकार (लगव) बातों को मोल लेते हैं कि अज्ञानता के साथ लोगों को अल्लाह के मार्ग से बहकायें और उसे हँसी

(मज़ाक, उपहास) बनायें, यही वे लोग हैं जिनके लिए अपमानजनक अज़ाब (यातना) है। जब उसके समाने हमारी आयतों का पाठ किया जाता है तो घमंड करते हुए इस तरह मुँह फेर लेता है मानो कि उस ने उन्हें सुना ही नहीं गया कि उस के दोनों कानों में डाट लगे हुए हैं, आप उसे कष्टदायक यातना की सूचना दे दीजिये।” (सुरत लुक़मान : 6-7)

तथा अल्लाह तआला सुरत अल-फ़ुरक़ान के अंदर अपने बंदों के गुणों का उल्लेख करते हुए फरमाता है :

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ७२]

“और जो लोग झूठ (बुरी बात) पर उपस्थित नहीं होते और जब किसी बेकार चीज़ पर उनका गुज़र होता है तो सज्जनता के साथ गुज़र जाते हैं।” (सूरतुल फ़ुरक़ान : 72)

आयत में “अज़्ज़ूर” (अर्थात् झूठ) का शब्द सभी प्रकार की बुराई को सम्मिलित है, और “ला यशहदूना” का अर्थ उपस्थित नहीं होते (हाज़िर नहीं होते) के है।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं :

« لِيَكُونَ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحَرْ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ »

“मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो व्यभिचार, रेशम, शराब और गाने बजाने के यंत्र (वाद्ययंत्र) को हलाल ठहरा लेंगे।”

इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सहीह में सुदृढ़ शब्दों के साथ ‘तालीक़न’ रिवायत किया है।

तथा इसलिए भी कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने मुसलमानों पर हराम (निषेध) में पड़ने के साधनों (कारणों) को वर्जित ठहराया है, और इस में कोई संदेह नहीं कि बुरी फिल्मों और टीवी पर प्रकाशित की जाने वाली

बुराईयों को देखना, उन बुराईयों में पड़ने या उन को नकारने में लापरवाही करने या लचीला होने के साधनों (कारणों) में से है। और अल्लाह तआला ही से सहायता मांगी जा सकती है।

समाहृतुशैख अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की किताब "मजमूअ फतावा व मक़ालात मुतनौविआ" ९५/३१६.

रमज़ान के महीने के दिन में संभोग करने  
से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

﴿ أسئلة مهمة عن الجماع في نهار رمضان ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندی ]

हफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवाद: अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

# ﴿ أسئلة مهمة عن الجماع في نهار رمضان ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

## रमज़ान के महीने के दिन में संभोग करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

**प्रश्न:**

यह बात किसी पर रहस्य नहीं कि जिस व्यक्ति ने रमज़ान के दिन में अपनी पत्नी से संभोग कर लिया उस पर एक गुलाम आज़ाद करना, या लगातार दो महीने रोज़े रखना, या साठ मिस्कीनों (गरीबों) को खाना खिलाना अनिवार्य है। प्रश्न यह है कि :

1. अगर आदमी अपनी पत्नी से एक से अधिक बार और विभिन्न दिनों में संभोग कर ले, तो क्या वह प्रत्येक दिन के बदले दो महीना रोज़ा



रखे गा, या केवल दो महीने का रोज़ा रख लेना उन सभी दिनों के लिए काफी जिनमें उसने संभोग किया है ?

2. यदि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस ने अपनी पत्नी से संभोग किया है, उस पर उपर्युक्त हुक्म लागू होता है, बल्कि वह यह समझता था कि जितने दिन उस ने अपनी पत्नी से संभोग किया है उस के बदले एक दिन कज़ा करना होगा। तो इस का क्या हुक्म होगा ?
3. क्या पत्नी पर भी उसी तरह कफ़ारा अनिवार्य है जिस तरह पति पर अनिवार्य है ?
4. क्या खाने के बदले पैसा भुगतान कर देना जाइज़ है ?
5. क्या अपनी तरफ से और पत्नी की तरफ से एक ही मिस्कीन को खाना खिलाना जाइज़ है ?
6. यदि कसी को खाना खिलाने के लिए न पाये तो किसी खैराती संस्था, उदाहरण के तौर पर रियाज़ में स्थित जमईयतुल बिर् या किसी अन्य संस्था को देना जाइज़ है ?

## उत्तर:

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

**जिस व्यक्ति पर रोज़ा अनिवार्य है :**

**प्रथम :** यदि उस ने अपनी पत्नी से समज़ान के दिन में एक बार या एक से अधिक बार एक ही दिन में संभोग किया है, तो उस पर एक ही कफ़ारा अनिवार्य है यदि उस ने पहले संभोग का कफ़ारा नहीं दिया है। और यदि उस ने रमज़ान के दिन में कई दिनों में संभोग किया है, तो उस पर उन सभी दिनों के अनुसार कफ़ारा अनिवार्य है जिन में उसने संभोग किया है।

**दूसरा** : उस पर संभोग करने से कफ़ारा अनिवार्य हुआ है, चाहे वह जाहिल (हुक्म से अनभिज्ञ) ही क्यों न हो उस पर संभोग के कारण कफ़ारा अनिवार्य है।

**तीसरा** : पत्नी पर भी संभोग के कारण कफ़ारा अनिवार्य है यदि वह इस मामले में अपने पति की बात मानने वाली थी। किन्तु जिसे बाध्य (मजबूर) किया गया हो उस पर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

**चौथा** : खाना खिलाने के बदले पैसा देना जाइज़ नहीं है, और ऐसा करना उसके लिए क़िफ़ायत नहीं करेगा (पर्याप्त नहीं होगा)।

**पाँचवाँ** : एक ही मिसकीन को आधा साअ अपनी ओर से और आधा साअ अपनी पत्नी की तरफ से खाना खिलाना जाइज़ है। और इसे उन दोनों की तरफ से साठ मिसकीनों में से एक मिसकीन को खाना खिलाना समझा जाये गा।

**छठा** : उसे एक ही मिसकीन को देना जाइज़ नहीं है, और न ही खैराती संस्था या अन्य किसी को देना जाइज़ है, क्योंकि हो सकता है कि वह उसे साठ मिसकीनों पर वितरित न करे। मोमिन पर अनिवार्य यह है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी को कफ़ारों और अन्य वाजिब चीज़ों से बरी करने का अभिलाषी और लालायित हो।

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ देने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, उनकी संतान और उनके साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।

**इफ़ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति के फ़तावा (10/320) से।**

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

**हुकम न जानने के कारण रमज़ान के दिन में पत्नी से कई बार संभोग कर लेने वाले का हुकम**

**प्रश्न:**

उस आदमी का क्या हुकम है जिसने हुकम से अनभिज्ञ होने के कारण रमज़ान के दिन में अपनी पत्नी से कई बार संभोग कर लिया ?

**उत्तर:**

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि अल्लाह तआला ने रमज़ान के दिन में अपने बन्दों पर खाना, पीना, संभोग करना और प्रत्येक रोज़ा तोड़ने वाली



चीज़ को हराम (वर्जित) कर दिया है। तथा रमज़ान के दिन में संभोग करने वाले आदमी पर, यदि वह स्वस्थ और मुक़ीम मुकल्लफ (बालिग और बुद्धि वाला) है, बीमार और यात्रा पर नहीं है तो (उसके ऊपर) कफ़ारा अनिवार्य किया है। और वह कफ़ारा एक गुलाम मुक्त करना है, यदि गुलाम न मिले तो लगातार दो महीने रोज़ा रखना, यदि इस पर सक्षम नहीं है तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना। प्रत्येक मिस्कीन को खिलाने की मात्रा शहर के ख़ूराक से आधा साज़् (लगभग 1.5 किलो ग्राम) है। किन्तु जिस आदमी ने रमज़ान के दिन में हुक्म से अनभिज्ञ होने के कारण संभोग कर लिया और वह ऐसे लोगों में से है जिस पर उसके बालिग, स्वस्थ और मुक़ीम (निवासी) होने के कारण रोज़ा रखना अनिवार्य है, तो विद्वानों ने उसके मामले में मतभेद किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उस पर कफ़ारा अनिवार्य है क्योंकि वह प्रश्न न करने और दीन के बारे में समझबूझ और जानकारी प्राप्त करने में लापरवाही और कोताही करने वाला है। जबकि अन्य विद्वानों का कहना है कि : उस पर कफ़ारा अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि वह जाहिल और अनजाना (अनभिज्ञ) है।

इस से आप को ज्ञात हो जाता है कि आप के लिए एहतियात (सावधानी) इसी में है कि आप पर कफ़ारा है ; क्योंकि आप ने कोताही की है और आप पर जो चीज़ हराम है उसके बारे में, उसको करने से पहले, प्रश्न नहीं किया। यदि आप गुलाम आज़ाद करने और रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते हैं, तो जितने दिन आपने संभोग किया है हर दिन के बदले साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना काफी है। यदि आप ने दो दिन संभोग किया है तो आप पर दो कफ़ारा अनिवार्य है, और यदि आप ने तीन दिन संभोग किया है तो आप पर तीन कफ़ारा अनिवार्य है। इस तरह हर दिन के संभोग के बदले एक कफ़ारा हैं। जहाँ तक एक ही दिन में कई एक

बार संभोग का प्रश्न है तो उनकी तरफ से एक ही कफ़ारा काफी है। इसी में आप के लिए अधिक सावधानी है और अपने ज़िम्मा को बरी करने, विद्वानों के मतभेद से निकलने और अपने रोज़े की छतिपूर्ति करने के लिए यही आप के लिए सब से अच्छा है।

यदि आप को उन दिनों की संख्या याद नहीं जिन में आप ने संभोग किया है तो आप सावधानी (एहतियात) पर अमल करें ; और वह अधिक संख्या को अपनाना है। यदि आप को सन्देह है कि ये तीन दिन हैं या चार दिन? तो आप इन्हें चार दिन मानें, और इसी प्रकार आप करें, किन्तु आपके लिए वही चीज़ करनी ज़रूरी है जिसे आप सुदृढ़ रूप से जानते हैं। अल्लाह तआला हमें और आप को उस चीज़ की तौफ़ीक़ (शक्ति) दे जिसमें उसकी प्रसन्नता और ज़िम्मेदारी से मुक्ति है।

समाहतुशैख़ अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की किताब "मजमूअ फ़तावा व मक़ालात मुतनौविआ" ९५/३०४.

**क्या रमज़ान में रोज़े और नमाज़ की पाबंदी  
करने और उसके बाद नमाज़ छोड़ देने वाले  
का रोज़ा मान्य है ?**

﴿ إذا اجتهد في صيام رمضان ثم ترك الصلاة بعد رمضان فهل له صيام؟ ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندي ]

**इफ़ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति**

**अनुवाद: अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2010 - 1431

Islamhouse.com

﴿ إذا اجتهد في صيام رمضان ثم ترك الصلاة بعد رمضان فهل له صيام؟ ﴾  
« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्हीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

**क्या रमज़ान में रोज़े और नमाज़ की पाबंदी करने और उसके बाद नमाज़ छोड़ देने वाले का रोज़ा मान्य है ?**

**प्रश्न:**

यदि मनुष्य रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने और रमज़ान में नमाज़ पढ़ने का बहुत लालायित है, किन्तु रमज़ान समाप्त होते ही नमाज़ छोड़ देता है, तो क्या उसका रोज़ा शुद्ध (मान्य) है ?

**उत्तर:**



नमाज़ इस्लाम के स्तंभों में से एक स्तंभ है, यह शहादतैन (ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की शहादत) के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, और 'फर्जे ऐन' में से है (जो प्रत्येक व्यक्ति पर अनिवार्य होता है)। और जिस आदमी ने उसकी अनिवार्यता का इनकार करते हुए उसे छोड़ दिया, या लापरवाही और सुस्ती करते हुए छोड़ दिया, तो वह काफिर है। किन्तु जो लोग केवल रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते और नमाज़ पढ़ते हैं तो यह अल्लाह को धोख देना है। वे लोग कितने बुरे हैं जो अल्लाह को केवल रमज़ान में पहचानते हैं। रमज़ान के अलावा अन्य दिनों में नमाज़ छोड़ने के कारण उनका रोज़ा सही नहीं होगा, बल्कि वे इसके कारण कुफ़्र अक्बर (बड़े-कुफ़्र) के करने वाले हैं, यद्यपि उन्होंने ने नमाज़ की अनिवार्यता का इनकार नहीं किया है। विद्वानों के दो कथनों में से सबसे शुद्ध कथन यही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر »

“हमारे बीच और इन (काफिरों और मुशिरकों) के बीच अहद व पैमान (प्रतिज्ञा) नमाज़ है। अतः जिस ने नमाज़ छोड़ दिया उसने कुफ़्र किया।”

इसे इमाम अहमद (हदीस संख्या : 22428), तिर्मिजी (हदीस संख्या : 2621) और इब्ने माजा (हदीस संख्या : 1079) ने सहीह इसनाद के साथ बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

« رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله »

“धर्म का मूल और सिर इस्लाम (शहादतैन का इकरार) है, और उसका खम्भा (स्तंभ) नमाज़ है, और उसकी ऊंचायी और शान अल्लाह के मार्ग में जिहाद है।”

इसे तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 2616) ने सहीह सनद के साथ मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

« بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة »

“आदमी (मुसलमान) के बीच और कुफ़ व शिर्क के बीच अंतर नमाज़ का छोड़ देना है।” इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह (हदीस संख्या : 82) में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। इस अर्थ की हदीसे बहुत अधिक हैं।

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ देने वाला है। तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दया और शांति अवतरित करे।

देखिये : फतावा इफ़ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति (10 / 140).

# रमज़ान से संबंधित महिलाओं के लिए फत्वे

[ हिन्दी – Hindi – هندی ]

दारुल कासिम

*अनुवाद* : अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2012 - 1433

IslamHouse.com

# ﴿ فتاوى نسائية رمضانية ﴾

« باللغة الهندية »

دار القاسم

ترجمة : عطاء الرحمن ضياء الله

2012 - 1433

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،  
وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान करदे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

## रमज़ान से संबंधित महिलाओं के लिए फत्वे

**प्रश्न 1 :** अगले रमज़ान के बाद तक रोज़े की क़ज़ा को विलंब करने का क्या हुक्म है ?

**उत्तर 1 :** जिस व्यक्ति ने रमज़ान के महीने में यात्रा या बीमारी या ऐसे ही किसी अन्य कारण से रोज़ा तोड़ दिया तो उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह अगला रमज़ान आने से पहले उसकी क़ज़ा कर ले। दो रमज़ान के बीच की अवधि हमारे सर्वशक्तिमान पालनहार की ओर से विस्तार का स्थान है, यदि उसने अगले रमज़ान के बाद तक उसे विलंब कर दिया तो उसके ऊपर क़ज़ा अनिवार्य है और क़ज़ा के साथ हर दिन के बदले एक मिसकीन को खाना खिलाना भी अनिवार्य है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा के एक समूह ने इसका फत्वा दिया है, और खाना खिलाना देश के खादपदार्थों से आधा साअ है और वह लगभग देढ़ किलो खजूर, या चावल या इसके अलावा अन्य अनाज है। लेकिन

यदि उसने अगले रमज़ान से पहले क़ज़ा कर लिया तो उसके ऊपर खाना खिलाना अनिवार्य नहीं है।

(शैख़ इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

प्रश्न 2 : लगभग दस साल हुए मैं व्यस्कता के परिचित लक्षणों द्वारा बालिग हुई थी, परंतु मैं ने अपने बालिग होने के प्रथम वर्ष रमज़ान को पाया लेकिन मैं ने उसका रोज़ा नहीं रखा, तो क्या अब मेरे लिए उसकी क़ज़ा करना अनिवार्य है ? और क्या मेरे ऊपर क़ज़ा के उपरांत कफ़ारा भी अनिवार्य है ?

उत्तर 2 : आपके ऊपर तौबा (पश्चाताप) और इस्तिगफार (क्षमायाचना) करने के साथ साथ उस महीने की क़ज़ा करना अनिवार्य है जिसका आपने ने रोज़ा नहीं रखा था, तथा आपके ऊपर इसके साथ ही हर दिन के लिए एक मिसकीन को खाना खिलाना भी अनिवार्य है, जिसकी मात्रा शहर के खादपदार्थ जैसे खजूर या चावल या इनके अलावा अन्य से आधा साअ है यदि आप इस पर सक्षम हैं। लेकिन यदि आप

गरीब हैं इस पर सक्षम नहीं हैं तो आपके ऊपर रोज़े के सिवा कुछ भी अनिवार्य नहीं है।

(शैख इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 3 :** यदि प्रसुता महिला चालीस दिन पूरे होने से पहले पवित्र हो जाए तो क्या वह रोज़ा रखेगी और नमाज़ पढ़ेगी या नहीं ? और यदि उसे इसके बाद मासिक धर्म आ जाए तो क्या वह रोज़ा तोड़ देगी ? और जब दूसरी बार पवित्र हो जाए तो क्या वह नमाज़ रोज़ा करेगी या नहीं ?

**उत्तर 3 :** यदि प्रसुता महिला चालीस दिन पूरे होने से पहले पवित्र हो जाए तो उसके ऊपर स्नान करना, नमाज़ और रमज़ान का रोज़ा अनिवार्य है और वह अपने पति के लिए हलाल होगई। यदि चालीस दिन की अवधि के दौरान उसे दुबारा खून आ जाए तो विद्वानों के दो कथनों में से सबसे शुद्ध कथन के अनुसार उसके ऊपर नमाज़ और रोज़ा छोड़ देना अनिवार्य है और वह अपने पति पर हराम हो जायेगी



और प्रसुता के हुक्म में हो जायेगी यहाँ तक कि वह पवित्र हो जाए या चालीस दिन पूरे कर ले। जब वह चालीस दिन से पहले या चालीस दिन पर पवित्र हो जायेगी तो स्नान करेगी, और नमाज़ रोज़ा करेगी और अपने पति के लिए हलाल हो जायेगी, और अगर चालीस के बाद भी उसका खून जारी रहा तो वह खराबी का खून है उसके कारण वह नमाज़ और रोज़ा नहीं छोड़ेगी, बल्कि नमाज़ पढ़ेगी और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखेगी, और अपने पति के लिए हलाल होगी उस महिला के समान जिसे इस्तिहाज़ा का खून आता है, तथा वह इस्तिंजा करके रूई आदि रखकर बांध लेगी जिस से उसका खून कम हो जाए और हर नमाज़ के वक़्त के लिए वुजू करेगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस्तिहाज़ा वाली औरत को यही आदेश दिया है, परंतु जब उसे मासिक धर्म आयेगी तो वह नमाज़ छोड़ देगी।

(शैख इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 4 :** क्या फज्र के उदय होने तक जनाबत के स्नान को विलंब करना जायज़ है ? और क्या महिलाओं के लिए मासिक धर्म या प्रसव के स्नान को फज्र के निकलने तक विलंब करना जायज़ है ?

**उत्तर 4 :** अगर महिला फज्र से पहले पवित्रता को देखती है तो उसके ऊपर रोज़ा अनिवार्य है, और स्नान को फज्र के निकलने के बाद तक विलंब करने में कोई रुकावट नहीं है, किंतु वह सूरज निकलने तक उसे विलंब नहीं करेगी, और पुरुष पर इसमें जल्दी करना अनिवार्य है ताकि वह जमाअत के साथ फज्र की नमाज़ को पा सके।

(शैख इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 5 :** गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला पर क्या अनिवार्य है यदि वे दोनों रमज़ान में रोज़ा तोड़ दें ? और उसका कितना चावल खिलाना काफी है ?

**उत्तर 5 :** गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला के लिए बिना किसी कारण (उज़्र) के रमज़ान के दिन में इफतार करना (रोज़ा न रखना) वैध नहीं है। यदि वे किसी कारण रोज़ा तोड़ दें तो उनके ऊपर रोज़े की कज़ा करना अनिवार्य है क्योंकि बीमार के बारे में अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में (तोड़े हुए रोज़ों की) गिंती पूरी करे।” (सूरतुल बकरा : 184)

और वे दोनों बीमार के अर्थ में हैं, और यदि उन दोनों का उज़्र बच्चे पर ख़ौफ़ (डर) हो तो उन दोनों पर कज़ा के साथ हर दिन के लिए एक मिसकीन को गेंहूँ, या चावल, या खजूर या इसके अलावा आदमियों के अन्य खादपदार्थों में से खाना खिलाना भी अनिवार्य है। तथा कुछ विद्वानों का कहना है कि : उन दोनों पर हर हाल में कज़ा के अलावा कुछ नहीं अनिवार्य है, क्योंकि खाना खिलाने को अनिवार्य ठहराने में कुरआन व हदीस से कोई प्रमाण नहीं है और मूल सिद्धांत

ज़िम्मेदारी का बरी होना है यहाँ तक कि उसके व्यस्त होने पर तर्क स्थापित हो जाए, और यह अबू हनीफा का मत है और यह एक मज़बूत बात है।

(शैख़ इब्ने उसैमीन)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 6 :** एक महिला ने रमज़ान में बच्चा जना और अपने दूध पीते बच्चे पर भय खाते हुए रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा नहीं की, फिर वह गर्भवती हो गई और अगले रमज़ान में बच्चा जना क्या उसके लिए रोज़े के बदले पैसे बांटना जायज़ है ?

**उत्तर 6 :** इस महिला पर अनिवार्य है कि उन दिनों के बदले रोज़े रखे जिनका उसने रोज़ा तोड़ दिया था चाहे दूसरे रमज़ान के बाद ही क्यों न हो, क्योंकि उसने पहले और दूसरे (रमज़ान) के बीच क़ज़ा को एक उज़्र की वजह से छोड़ा था, मैं नहीं जानता कि क्या उसके लिए इस में कोई कष्ट व कठिनाई है कि वह जाड़े के मौसम में एक दिन छोड़ कर एक

दिन क़ज़ा करे यद्यपि वह दूध ही पिला रही हो, क्योंकि अल्लाह तआला उसे दूसरे रमज़ान की क़ज़ा करने पर शक्ति प्रदान कर देगा, यदि उसके लिए ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके लिए उसे दूसरे रमज़ान तक विलंब करने में कोई हरज नहीं है।

(शैख़ इब्ने उसैमीन)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 7 :** कुछ औरतें रमज़ान के महीने में मासिक धर्म को रोकने के लिए गोलियाँ लेती हैं और ऐसा इसलिए करती हैं ताकि बाद में रोज़े की क़ज़ा न करनी पड़े तो क्या यह जायज़ है और क्या इसमें पाबंदी है ताकि औरतें इस पर अमल न करें ?

**उत्तर 7 :** इस मुद्दे में मेरा विचार यह है कि महिला ऐसा न करे और अल्लाह ने जो चीज़ मुक़द्दर किया है और जिसे आदम की बेटियों पर लिख दिया है उस पर बनी रहे, क्योंकि इस मासिक चक्र को पैदा करने में अल्लाह तआला की

हिकमत (बुद्धिमता) है, यह हिकमत औरत की प्रकृति के अनुरूप है। यदि वह इस मासिक धर्म को रोक देती है तो निःसंदेह उसका औरत के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि : “न नुकसान जायज है न एक दूसरे को नुकसान पहुँचाना जायज है।” यह इसके अलावा है जो ये गोलियाँ गर्भाशय के लिए हानिकारक बनती हैं जैसाकि डॉक्टरों ने उल्लेख किया है। इसलिए इस मुद्दे में मेरा विचार यह है कि औरतें इन गोलियों का प्रयोग नहीं करेंगी। और अल्लाह ही के लिए उसके फैसले और उसकी हिकमत पर हर प्रकार की प्रशंसा है। जब उसका मासिक धर्म आ जाए तो वह रोज़े और नमाज़ से रूक जाए और जब पवित्र हो जाए तो रोज़े और नमाज़ आरंभ करे, और जब रमज़ान समाप्त हो जाए तो छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करे।

(शैख़ इब्ने उसैमीन)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 8 :** मैं एक 25 वर्षीय लड़की हूँ, किंतु मैं अपने बचपन से 21 वर्ष की आयु को पहुँचने तक लापरवाही के कारण नमाज़ पढ़ी हूँ न रोज़ा रखी हूँ। मेरे माता पिता मुझे नसीहत करते थे पर मैं कोई परवाह नहीं करती थी। अब मुझे क्या करना चाहिए ? ज्ञात रहे कि अल्लाह तआला ने मुझ हिदायत दे दी है और अब मैं रोज़ा रखती हूँ और जो कुछ हो चुका उस पर मैं पश्चातापी हूँ।

**उत्तर 8 :** तौबा अपने से पहले के गुनाहों को मिटा देती है, अतः आप पश्चाताप करें, पुनः ऐसा न करने का संकल्प करे, इबादत (उपासना) में सच्चाई से काम लें, रात व दिन में अधिक से अधिक नफ़्ल नमाज़ें पढ़ें, नफ़्ल रोज़े रखें, अल्लाह का ज़िक्र, कुरआन का पाठ और प्रार्थना करें, अल्लाह तआला अपने बंदों की तौबा को स्वीकार करता है, क्षमा प्रदान करता है और पापों को माफ़ कर देता है।

(शैख़ इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 9 :** मेरा मासिक धर्म सात से आठ दिनों के बीच रहता है और कभी कभी सातवें दिन मैं न तो खून देखती हूँ और न ही पवित्रता देखती हूँ तो नमाज़, रोज़ा और संभोग की दृष्टि से इसका क्या हुक्म है ?

**उत्तर 9 :** आप जल्दी न करें यहाँ तक कि सफ़ेद स्राव देख लें जिसे औरतें जानती हैं और वह पवित्रता की निशानी है, क्योंकि खून का बंद हो जाना ही पवित्रता नहीं है, बल्कि वह पवित्रता की निशानी देखने और व्यवहारिक अवधि समाप्त होने से होती है।

(शैख इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 10 :** प्रसव के दौरान और चालीस दिन तक पीले स्राव के निकलने का क्या हुक्म है क्या मैं नमाज़ पढ़ूँ और रोज़ा रखूँ ?

**उत्तर 10 :** बच्चा जनने के बाद औरत को जो खून निकलता है उसका हुक्म प्रसव के खून का है चाहे वह साधारण खून हो, या पीले रंग का हो, या मटियाले (भोरे) रंग का हो,



क्योंकि वह आदत के समय में है यहाँ तक कि चालीस दिन पूरे हो जाएं। इसके बाद अगर वह साधारण खून है और उसके बीच में खून बंद नहीं हुआ है तो वह प्रसव का खून है, अन्यथा वह इस्तिहाज़ा आदि का खून है।

(शैख इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

प्रश्न 11 : क्या जनाबत की हालत में और मासिक धर्म की अवस्था में मेरे लिए धार्मिक किताबें जैसे तफसीर वगैरह की पुस्तकें पढ़ना जायज़ है ?

उत्तर 11 : जनाबत वाली और मासिक धर्म वाली औरत के लिए तफसीर की किताबें, फिक्ह (धर्मशास्त्र) की किताबें, धार्मिक साहित्य, हदीस, तौहीद इत्यादि की किताबें पढ़ना जायज़ है, बल्कि कुरआन को मात्र तिलावत के तौर पर पढ़ने से मना किया गया है, न कि दुआ या इस्तिदलाल (दलील पकड़ने) आदि के तौर पर।

(शैख इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

प्रश्न 12 : उस खून का क्या हुक्म है जो मासिक धर्म के दिनों के अलावा में आता है ? हर महीने में मेरे मासिक धर्म की आदत सात दिन हैं, किंतु कुछ महीनों में मासिक धर्म के दिनों के बाहर आता है लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है और मेरे साथ यह हालत एक या दो दिन रहती है। तो क्या इसके दौरान मेरे ऊपर नमाज़ और रोज़ा अनिवार्य है या क़ज़ा ?

**उत्तर 12 :** मासिक धर्म की आदत के अतिरिक्त यह खून रग का खून है उसे आदत में नहीं गिना जायेगा, वह औरत जो अपनी आदत को जानती है वह आदत के समय में न नमाज़ पढेगी, न रोज़ा रखेगी, न मुसहफ (कुरआन) छुए गी, और न ही उसका पति यौनि में उसके साथ संभोग करेगा। जब वह पाक हो जाए और उसकी आदत के दिन समाप्त हो जाएं और वह स्नान कर ले तो वह पवित्र महिलाओं के हुक्म में हो गई, और यदि वह कुछ खून या पीला या भोरा स्राव देखे तो वह इस्तिहाज़ा है उसे नमाज़ आदि से नहीं रोकेगा।

(शैख़ इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 13 :** जब मैं छोटी थी मेरी आयु तेरह वर्ष थी तो मैं रमज़ान का रोज़ा रखी और मासिक धर्म के कारण चार दिन रोज़ा तोड़ दी और शर्म की वजह से इसके बारे में किसी को नहीं बतलायी, अब इस पर आठ साल बीत चुके हैं तो मुझे क्या करना चाहिए ?

**उत्तर 13 :** आप ने पूरी इस अवधि के दौरान क़ज़ा न करके गलती की है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों पर लिख दिया है, और दीन के मामले में शर्म नहीं है, इसलिए आपके ऊपर अनिवार्य है कि उन चार दिनों के रोज़ों की क़ज़ा करने में जल्दी करें, फिर आप के ऊपर क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी अनिवार्य है और वह हर दिन के बदले एक गरीब को खाना खिलाना है और यह एक मिसकीन या कई मिसकीनों के लिए प्रायः शहर के खादपदार्थों में से लगभग दो साअ (यानी लगभग छः किलोग्राम) की मात्रा है।

(शैख इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 14 :** एक महिला को गर्भावस्था के दौरान उसके प्रसव से पाँच दिन पहले रमज़ान के महीने में खून आ गया, क्या वह माहवारी का खून है या प्रसव का ? और उसके ऊपर क्या अनिवार्य है ?

**उत्तर 14 :** यदि मामला ऐसे ही है जैसा कि उल्लेख किया गया है कि उसने गर्भावस्था में बच्चा जनने से पाँच दिन पहले खून देखा है, तो अगर उसने बच्चा जनने के निकट होने की कोई निशानी नहीं देखी है जैसे कि दर्द का होना तो वह न तो माहवारी का खून है और न ही प्रसव का, बल्कि सही मत के अनुसार वह किसी खराबी का खून है, इस आधार पर वह इबादतों को नहीं छोड़ेगी, बल्कि वह रोज़ा रखेगी और नमाज़ पढ़ेगी, और अगर इस खून के साथ गर्भ के जनने के निकट होने की कोई निशानी जैसे कि दर्द का उठना आदि पाया जाता है तो वह प्रसव का खून है जिसकी वजह से वह नमाज़ और रोज़ा छोड़ देगी, फिर जब जनने के

बाद उससे पाक हो जायेगी तो केवल रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज़ की नहीं।

(इफ़्ता की स्थायी समिति)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 15 :** एक लड़की की आयु बारह या तेरह वर्ष की हो गई है और उसके ऊपर रमज़ान का महीना गुज़रा और उसने उसका रोज़ा नहीं रखा, तो क्या उसके ऊपर या उसके घर वालों पर कोई चीज़ अनिवार्य है ? और क्या वह रोज़ा रखेगी और अगर वह रोज़ा रखती है तो क्या उसके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य है ?

**उत्तर 15 :** औरत कुछ शर्तों के साथ शरीअत के कर्तव्यों का मुकल्लफ (ज़िम्मेदार) होती है : मुसलमान होना, बुद्धि (समझबूझ) वाली होना और बालिग होना, बालिग होने का पता मासिक धर्म आने, या स्वपनदोष होने, या यौनि के आसपास खुरदुरे बालों के उगने या पंद्रह वर्ष की होने से चलता है, तो अगर इस लड़की के अंदर धार्मिक कर्तव्यों का मुकल्लफ होने की शर्तें पाई जाती थीं तो उसके ऊपर रोज़ा

अनिवार्य है और उसने मुकल्लफ होने के समय जो रोज़े छोड़ दिये थे उनकी क़ज़ा करन भी उसके ऊपर अनिवार्य है। और यदि उपर्युक्त शर्तों में से कोई शर्त नहीं पाई गई तो वह मुकल्लफ नहीं है और उसके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

(इफ़्ता की स्थायी समिति)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 16 :** क्या औरत के लिए इस बात की अनुमति है कि जब उसे मासिक धर्म आए तो रमज़ान में रोज़े तोड़ दे और जिन दिनों का रोज़ा तोड़ दिया है उनके स्थान पर दूसरे दिनों में रोज़े रखे ?

**उत्तर 16 :** मासिक धर्म वाली औरत का रोज़ा शुद्ध नहीं है और न ही उसके लिए रोज़ा रखना ही जायज़ है। जब उसे माहवारी आयेगी तो वह रोज़ा तोड़ देगी और जिन दिनों का रोज़ा तोड़ दी है उनके बदले पाक होने के बाद रोज़े रखेगी।

(इफ़्ता की स्थायी समिति)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 17 :** अगर औरत फज्र के तुरंत बाद पवित्र हो जाए तो क्या वह खाने पीने से रूक जायेगी और इस दिन का रोज़ा रखेगी और उसे उसके लिए एक दिन (रोज़ा) समझा जायेगा या कि उसके ऊपर उस दिन की क़ज़ा करना अनिवार्य है ?

**उत्तर :** यदि फज्र के उदय होने के समय या उस से थोड़ा पहले खून बंद हो जाए तो उसका रोज़ा सही है और वह फर्ज़ रोज़े से किफायत करेगा यद्यपि उसने सुबह होने के बाद स्नाना किया हो। लेकिन अगर सुबह स्पष्ट हो जाने के बाद खून बंद हुआ है तो वह उस दिन खाने पीने से रूकी रहेगी और वह उसके लिए काफी नहीं होगा बल्कि रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करेगी।

(शैख इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*

**प्रश्न 18 :** एक व्यक्ति ने फज्र की अज़ान के बाद रोज़ा रखने की नियत करने बाद अपनी पत्नी से दो बार संभोग कर लिया, हर दिन एक बार संभोग किया, जबकि ज्ञात रहे कि

उसकी पत्नी इस से सहमत थी, इस घटना पर पाँच साल से अधिक बीत चुके हैं तो इसका क्या हुक्म है ?

**उत्तर 18 :** पति पर उपर्युक्त दोनों दिनों की क़ज़ा अनिवार्य है तथा उसके ऊपर रमज़ान के दिन में संभोग करने का कफ़ारा (परायश्चित) भी अनिवार्य है और वह ज़िहार करने के कफ़ारा के समान एक गुलाम आज़ाद करना है, अगर वह न मिले तो लगातार दो महीने रोज़े रखना और अगर इसकी ताकत नहीं है तो साठ मिसकीनों को खाना खिलाना है। तथा उसकी पत्नी पर भी इसी तरह अनिवार्य है क्योंकि वह उससे सहमत थी इस काम के हराम होने को जानती थी।

(शैख इब्ने बाज़)

\*\*\*\*\*



# रमज़ान के रोज़े और उसके क्रियाम (तरावीह) की फज़ीलत

[ हिन्दी – Hindi – ہندی ]

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़

अनुवाद: अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2013 - 1434

IslamHouse.com

# فضل صيام رمضان وقيامه

« باللغة الهندية »

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2013 - 1434

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफस की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

## रमज़ान के रोज़े और उसके क्रियाम (तरावीह) की फज़ीलत

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ की ओर से हर मुसलमान के नाम, अल्लाह मुझे और उन्हें ईमानवालों के रास्ते पर चलाए और मुझे और उन्हें कुरआन व सुन्नत के समझने की तौफ़ीक़ प्रदान करे। आमीन

ये रमज़ान के रोज़े और उसके क्रियाम (तरावीह) की फज़ीलत, तथा उसके अंदर नेक कामों द्वारा एक दूसरे से आगे बढ़ने की फज़ीलत से संबंधित कुछ नसीहतें हैं, साथ ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अहकाम का वर्णन है जो कुछ लोगों पर गुस रह जाते हैं।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित हैं कि आप अपने सहाबा (साथियों) को रमज़ान के महीने के आगमन की शुभसूचना देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम उन्हें यह बतलाते थे कि यह ऐसा महीना है जिसमें दया व करुणा के दरवाज़े और स्वर्ग के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, नरक के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: “जब रमज़ान की पहली रात होती है तो स्वर्ग के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं चुनाँचे उनमें से कोई दरवाज़ा बन्द नहीं किया जाता, और नरक (जहन्नम) के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं चुनाँचे उनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है, और एक पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ भलाई के चाहने वाले! आगे बढ़, और ऐ बुराई के चाहने वाले! बाज़ आ जा, और अल्लाह तआला हर रात अपने कुछ बन्दों को जहन्नम से आज़ाद करता रहता है।”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> (सहीह बुखारी, किताबुस्सौम (१८००), सहीह मुस्लिम, किताबुस्सि-याम (१०७९), सुनन

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "बरकत का महीना रमज़ान तुम्हारे पास आ चुका है, जिसमें अल्लाह तुमको ढाँप लेता है तो रमहत उतारता है, गुनाहों को मिटाता है और दुआ क़बूल करता है। अल्लाह इस महीने में तुम्हारे (नेकी में) एक दूसरे से आगे बढ़ने की चेष्टा को देखता है तो तुम्हारे ऊपर अपने फरिशतों के सामने गर्व करता है। अतः तुम अपनी ओर से अल्लाह को नेकी व भलाई दिखलाओ, क्योंकि वह व्यक्ति अभागा (बदनसीब) है जो इस महीने में अल्लाह की रहमत (दया) से वंचित रह जाए।" इस हदीस को हैसमी ने मजमउज़्ज़वाइद में (३/ १४२) अत्तबरानी अलकबीर की ओर मन्सूब किया हैं।

---

तिर्मिज़ी, किताबुस्सौम (६८२), सुनन नसाई, किताबुस्सियाम (२१०६), सुनन इब्ने माजा, किताबुस्सियाम (१६४२), सुनन दारमी, किताबुस्सौम, (१७७५).

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : “जिस व्यक्ति ने ईमान के साथ पुण्य की आशा रखते हुए रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके पिछले (छोटे-छोटे) गुनाह क्षमा कर दिए जाएंगे। और जिसने ईमान की हालत में पुण्य की आशा रखते हुए रमज़ान का क्रियाम किया (तरावीह की नमाज़ पढ़ी) तो उसके पिछले (छोटे-छोटे) गुनाह क्षमा कर दिए जायेंगे। और जिस ने ईमान रखते हुए पुण्य की आशा में क़द्र वाली रात में क्रियाम किया (इबादत में बिताया) उसके पिछले (छोटे-छोटे) गुनाह क्षमा कर दिये जाएंगे।<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> सहीह बुखारी, किताब सलातुत-तरावीह (१९१०), सहीह मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन व क़सरुहा (७६०), सुनन तिर्मिज़ी, किताबुस्सौम (६८३), सुनन नसाई किताबुस्सियाम (२२०३), सुनन अबू दाऊद, किताबुस्सलात (१३७२), मुसनद अहमद बिन हंबल (२/ २४१), सुनन दारमी किताबुस्सौम (१७७६).

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान फरमाता है : आदम के बेटे का हर कार्य उसी के लिए है, नेकी को उसके दस गुना से सात सौ गुना तक कर दिया जाता है सिवाय रोज़े के, क्योंकि वह मेरे लिए है और मैं ही उस का बदला दूँगा। उसने अपनी कामवासना और अपना खाना, पानी मेरे लिये त्याग दिया। रोज़ेदार के लिए दो खुशियों के अवसर हैं, एक खुशी उसे रोज़ा खोलते समय होती है और एक खुशी उस वक़्त होगी जब वह अपने रब से मिलेगा। रोज़ेदार के मुँह की गंध अल्लाह के निकट कस्तूरी की सुगंध से भी अधिक अच्छी है।"<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> सहीह बुखारी, किताबुस्सौम (१८०५), सहीह मुसलिम, किताबुस्सियाम (११५१), सुनन तिर्मिज़ी, किताबुस्सौम (७६४), सुनन नसाई किताबुस्सियाम (२२१५), सुनन इब्ने माजा, किताबुस्सियाम (१६३८), मुसनद अहमद बिन हंबल (२/ ५ १६).



रमज़ान के रोज़े और उसके क्रियाम की फज़ीलत, तथा स्वयं रोज़े की फज़ीलत में वर्णित हदीसों बहुत अधिक हैं।

अतः एक मोमिन को चाहिए कि वह इस बहुमूल्य अवसर से लाभ उठाए और वह अवसर यह है कि अल्लाह ने उस पर उपकार करते हुए उसे रमज़ान का महीना प्रदान किया, तो उसे चाहिए कि वह नेकियों की तरफ जल्दी करे और बुराइयों से दूर रहे और उन कर्तव्यों के पालन में संघर्ष करे जिन्हें अल्लाह ने उसके ऊपर अनिवार्य किया है विशेषकर पाँचों नमाज़ों, क्योंकि यह इस्लाम का स्तंभ है और शहादतैन (ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) के बाद सबसे बड़ा फरीज़ा (कर्तव्य) है। अतः हर मुसलमान मर्द व औरत पर इन नमाज़ों की पाबंदी करना और इन्हें उनके समय पर इतमिनान और विनम्रता के साथ अदा करना अनिवार्य है।

तथा मर्दों के हक़ में इसका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य इसे जमाअत के साथ अल्लाह के उन घरों में अदा करना है,

अल्लाह ने जिन को बुलन्द करने और जिन में अपना नाम जपने का आदेश दिया है जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ﴾ (سورة البقرة: ६३)

"और नमाज़ कायम करो और ज़कात दो और रूकूअ करने वालों के साथ रूकूअ करो।" (सूरतुल बकरा : ४३).

और अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (سورة البقرة:

(२३८)

"नमाज़ों की हिफाज़त करो विशेष रूप से बीच वाली नमाज़ की और अल्लाह तआला के लिए अदब से खड़े रहो।" (सूरतुल बकरा : २३८).

और अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (سورة المؤمنون: १-२)

"निःसंदेह ईमान वालों ने सफलता प्राप्त करली जो अपनी नमाज़ में खुशूअ (विनमता) अपनाते हैं।" (सूरतुल मूमेनून : १-२).

यहाँ तक कि अल्लाह ने फरमाया:

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (सुरة

المؤمنون : १०-११)

(जो अपनी नमाज़ों की देख भाल करते हैं।) "यही लोग वारिस हैं जो फिरदौस (स्वर्ग) के वारिस होंगे जहाँ वे हमेशा रहेंगे।"

(सूरतुल मूमेनून : १०-११).

और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "हमारे और उनके बीच नमाज़ का अहद व पैमान है तो जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया।"<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> सुनन तिमिज़ी, किताबुल ईमान (२६२१), सुनन नसाई, किताबुस्सलात (४६३), सुनन इब्ने माजा, किताब इकामतुस्सलात (१०७९), मुसनद अहमद बिल हंबल (५/ ३४६)

नमाज़ के पश्चात सब से महत्वपूर्ण कर्तव्य ज़कात का अदा करना है जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (سورة البينة: ٥)

"उन्हें इस के सिवा कोई आदेश नहीं दिया गया कि केवल अल्लाह की उपासना करें उसी के लिए धर्म को खालिस रखें इब्राहीम हनीफ के धर्म पर और नमाज़ को कायम रखें और ज़कात देते रहें, यही है धर्म सीधी मिल्लत का।" (सूरतुल बैयिना: ५)

और अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (سورة النور:

(०६)

"नमाज़ की पाबंदी करो ज़कात अदा करो और अल्लाह तआला के रसूल की आज्ञा पालन में लगे रहो ताकि तुम पर दया की जाय।" (सूरतुन्नूर: 56)

अल्लाह की महान किताब और सुन्नत इस बात का तर्क देते हैं कि जिसने अपने धन का ज़कात भुगतान नहीं किया है वह उसी के द्वारा क्रियामत के दिन दंडित किया जायेगा।

नमाज़ और ज़कात के पश्चात् सबसे महत्वपूर्ण बात रमज़ान के रोज़े हैं और यह इस्लाम के उन पाँच स्तंभों में से एक स्तंभ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन में उल्लिखित हैं: "इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर स्थापित है, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही

देना, नमाज़ स्थापित करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और खान-ए-काअबा का हज्ज करना।" <sup>1</sup>

मुसलमान के ऊपर अनिवार्य है कि वह अपने रोज़े और क्रियाम (तरावीह) को उन बातों और कार्यों से सुरक्षित रखे जिन को अल्लाह ने उस के ऊपर हराम (निषिद्ध) ठहराया है, क्योंकि रोज़े का मक़सद अल्लाह का आज्ञा पालन, उसकी वर्जित चीज़ों का सम्मान करना, और अपने स्वामी की पैरवी में अपनी इच्छा का विरोध करने में संघर्ष करना, और अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से सब्र करने (बाज़ रहने) पर अपने आपको आदी बनाना है। उसका मक़सद मात्र खाना पानी और अन्य रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का त्यागना नहीं है। इसीलिए सहीह हदीस में नबी

---

<sup>1</sup> सहीह बुखारी, किताबुलईमान (८), सहीह मुस्लिम किताबुलईमान (१६), सुनन तिर्मिज़ी किताबुल ईमान (२६०९), सुनन नसाई किताबुल ईमान (५००१) मुसनाद अहमद बिन हंबल (२/ २६).

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित है कि आप ने फरमाया : "रोज़ा ढाल है, अतः जब तुम में से किसी के रोज़ा का दिन हो तो वह अश्लील बातें न करे, शोर-गुल न करे, अगर उसे कोई बुरा-भला कहे (गाली दे) या उस से लड़ाई झगड़ा करे, तो उस से कह दे कि: मैं रोज़े से हूँ।"<sup>1</sup>

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सहीह हदीस में वर्णित है कि आप ने फरमाया : “जो व्यक्ति झूठी बात कहने और झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को

---

<sup>1</sup> सहीह बुखारी किताबुस्सौम, (१९०४), सहीह मुस्लिम किताबुस्सि-याम (११५१), सुनन तिमिज़ी, किताबुस्सौम (७६४), सुनन नसाई किताबुस्सियाम, (२२१६), सुनन अबू दाऊद किताबुस्सौम (२३६३).

इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।<sup>1</sup>

इन प्रमाणों और इनके अलावा अन्य प्रमाणों से ज्ञात हुआ कि रोज़ेदार के ऊपर उन सभी चीज़ों से बचना अनिवार्य है जिन को अल्लाह ने उसके ऊपर हराम करार दिया है और उन सभी चीज़ों की पाबंदी करना अनिवार्य है जिन को अल्लाह ने उस के ऊपर वाजिब करार दिया है, और इसी अवस्था में उस के लिए बख़िश, नरक से मुक्ति, और रोज़े व तरावीह की स्वीकृति की आशा की जा सकती है।

कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे कुछ लोग अनभिग रहते हैं :

---

<sup>1</sup> सहीह बुखारी, किताबुल अदब (१९०३), सुनन तिमिज़ी किताबुस्सौम (७०७), सुनन अबू दाऊद किताबुस्सौम (२३६२), सुनन इब्ने माजा किताबुस्सियाम (१६८९), मुसनद अहमद बिन हंबल (२/ ५०५).



उन्हीं में से एक यह है कि मुसलमान के ऊपर अनिवार्य हैं कि वह ईमान के साथ सवाब की आशा रखते हुए रोज़ा रखे, दिखावे के लिए, नाम कमाने के लिए, लोगों की देखा-देखी या अपने परिवार या अपने शहर के लोगों का अनुकरण करते हुए रोज़ा न रखे। बल्कि उस के ऊपर अनिवार्य यह है कि उसे रोज़ा रखने पर उभारने वाली चीज़ उसका यह ईमान हो कि अल्लाह ने इसे उसके ऊपर अनिवार्य किया है, और इस बारे में वह अपने रब से अज़्र व सवाब की आशा रखे।

इसी प्रकार रमज़ान के क्रियाम (अर्थात तरावीह) के लिए भी ज़रूरी है कि मुसलमान उसे ईमान के साथ अज़्र व सवाब की आशा रखते हुए करे, किसी अन्य कारण से न करे। इसी लिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

"जिस ने ईमान के साथ पुण्य की आशा रखते हुए रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके पिछले (छोटे-छोटे) गुनाह क्षमा कर दिए जाएंगे। और जिस ने ईमान की हालत में पुण्य की आशा रखते

हुए रमज़ान का क्रियाम किया (तरावीह की नमाज़ पढ़ी) तो उसके पिछले (छोटे-छोटे) गुनाह क्षमा कर दिए जायेंगे। और जिस ने ईमान रखते हुए पुण्य की आशा में क्रद्र वाली रात में क्रियाम किया (इबादत में बिताया) उसके पिछले (छोटे-छोटे) गुनाह क्षमा कर दिए जाएंगे।<sup>1</sup>

उन्हीं बातों में से जिन का हुकम कुछ लोगों पर गुप्त रह जाता है यह है कि कभी कभार रोज़ेदार घाव, या नकसीर से पीड़ित हो जाता है, या उसकी इच्छा व नियंत्रण के बिना उसके गले में पानी या पेट्रोल चला जाता है, तो इन सभी चीज़ों से रोज़ा खराब नहीं होता है, परन्तु जो व्यक्ति जानबूझ कर उल्टी कर दे

---

<sup>1</sup> सहीह बुखारी, किताब सलातुत-तरावीह (१९१०), सहीह मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन व क्रसरुहा (७६०), सुनन तिर्मिज़ी, किताबुस्सौम (६८३), सुनन नसाई किताबुस्सियाम (२२०३), सुनन अबू दाऊद, किताबुस्सलात (१३७२), मुसनद अहमद बिन हंबल (२/ २४१), सुनन दारमी किताबुस्सौम (१७७६).

तो उस का रोज़ा खराब हो जायेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि: “जिस पर क़य (उल्टी) ग़ालिब आगई उस पर कोई क़ज़ा नहीं और जिसने जानबूझ कर क़य किया वह (रोज़े की) क़ज़ा करे।”<sup>1</sup>

उन्हीं बातों में से एक यह है कि रोज़ेदार को कभी जनाबत के स्नान को फज़ के निकलने तक विलंब करना पड़ता है, और कुछ औरतों को हैज़ (माहवारी) अथवा निफास (प्रसव) के स्नान को फज़ निकलने तक विलंब करना पड़ता है जब वह फज़ से पहले पाकी को देखती है, तो ऐसी अवस्था में उस पर रोज़ा रखना ज़रूरी है, और फज़ उदय होने के बाद तक स्नान को विलंब करने में कोई रुकावट नहीं है, परन्तु उसके लिए उसे

---

<sup>1</sup> सुनन तिमिज़ी, किताबुस्सौम (७२०), सुनन अबू दाऊद, किताबुस्सौम (२३८०), सुनन इब्ने माजा किताबुस्सियाम (१६७६) मुसनद अहमद बिन हंबल (२/४९८), सुनन दारमी किताबुस्सौम (१७२९).

सूर्य के उदय होने तक विलंब करने की अनुमति नहीं है, बल्कि उस के ऊपर ज़रूरी है कि वह सूर्य के निकलने से पहले ही स्नान करे और फ़ज्र की नमाज़ पढ़े। इसी प्रकार जनाबत वाले के लिए सूर्य के निकलने के बाद तक स्नान को विलंब करना जायज़ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह स्नान करे और सूर्य के निकलने से पहले ही फ़ज्र की नमाज़ पढ़े, जबकि पुरुष के ऊपर ज़रूरी है कि वह इस में जल्दी करे ताकि वह फ़ज्र की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ सके।

तथा जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं खराब होता है :

खून जाँच करवाना, ऐसा इन्जेक्शन लगवाना जो ख़ूराक का काम नहीं करता है, परन्तु अगर हो सके तो उसे रात तक विलंब करना बेहतर और अधिक सावधानी का पात्र है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जो चीज़

तुम्हें शंका (सन्देह) में डालने वाली हो उसे छोड़ कर उस चीज़ को अपना लो जो तुम्हें शंका में डालने वाली न हो।"<sup>1</sup>

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जो व्यक्ति शुब्हात (सन्देहों) से बच गया उसने अपने दीन और इज़्ज़त व आबरू को बचा लिया।"<sup>2</sup>

उन्हीं बातों में से जिन का हुकम कुछ लोगों पर गुप्त रह जाता है: नमाज़ में इतमिनान व स्थिरता का न पाया जाना है, चाहे वह नमाज़ फ़र्ज हो या नफल हो। और अल्लाह के रसूल

---

<sup>1</sup> सुनन तिर्मिज़ी, सिफतुल क्रियामह वर्रिकाक़ वल-वरअ (२५१८) सुनन नसाई किताबुल अशरिबा (५७११), मुसनद अहमद बिन हंबल (१६२००) सुनन दारमी किताबुल बुयूअ (२५३२).

<sup>2</sup> सहीह बुखारी, किताबुल ईमान (५२), सहीह मुस्लिम किताबुल मुसाक़ात (१५९९), सुनन तिर्मिज़ी किताबुल बुयूअ (१२०१५), सुनन नसाई किताबुल बुयूअ (४४५३), सुनन अबू दाऊद किताबुल बुयूअ (३३२९), सुनन इब्ने माजा किताबुल फितन (३९८४), मुसनद अहमद बिन हंबल (४/२७०) सुनन दारमी किताबुल बुयूअ (२५३१).

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सहीह हदीसों यह इंगित करती हैं कि इतमिनान व स्थिरता नमाज़ के स्तंभों में से एक स्तंभ है जिस के बिना नमाज़ सहीह नहीं होती है, और वह नमाज़ के अंदर स्थिरता और विनमता अपनाना तथा जल्द बाज़ी से काम न लेना है यहाँ तक कि हर जोड़ अपने स्थान पर लौट आए। बहुत सारे लोग रमज़ान में तरावीह की नमाज़ इस तरह पढ़ते हैं कि वे उसे न तो समझते हैं और न ही उस में इतमिनान व स्थिरता से काम लेते हैं, बल्कि उस में कुछ चोंच मारते हैं। जबकि इस तरीके पर यह नमाज़ बेकार (व्यर्थ) है, और ऐसी नमाज़ पढ़ने वाला गुनाहगार है उसे सवाब नहीं मिलता है। तथा उन्हीं बातों में से जिनका का हुक्म कुछ लोगों पर गुप्त रह जाता है: कुछ लोगों का यह समझना है कि बीस रकअत से कम तरावीह का पढ़ना जायज़ नहीं है, इसी तरह कुछ लोगों का यह समझना है कि ग्यारह रकअत या तेरह रकअत से अधिक तरावीह पढ़ना जायज़ नहीं है, हालांकि ये सब भ्रम हैं

जो अपनी जगह में नहीं हैं बल्कि वह एक गलती है जो दलीलों के खिलाफ है।

अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित सहीह हदीसें इस बात को इंगित करती हैं कि रात की नमाज़ में विस्तार है, इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है जिसका विरोध करना जायज़ नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है कि आप रात की नमाज़ ग्यारह रकअत पढ़ते थे और कभी कभार आप ने तेरह रकअत पढ़ी और कभी कभी रमज़ान के महीने में और अन्य महीनों में इस से कम नमाज़ पढ़ी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रात की नमाज़ के बारे में पूछा गया तो फरमाया: “दो-दो रकअत है, तो जब तुम में से किसी को सुबह होने का भय हो

तो एक रकअत नमाज पढ़ ले, यह उसकी पढ़ी हुई नमाज़ को  
वित्र बना देगी।" <sup>1</sup>

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान और अन्य  
महीनों में कोई विशिष्ट संख्या निर्धारित नहीं किया है। इसीलिए  
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के समयकाल में सहाबा रज़ियल्लाहु  
अन्हुम ने कभी तेईस (२३) रकअत तरावीह पढ़ी और कभी  
ग्यारह रकअत तरावीह पढ़ी है। ये सब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु  
से और आपके समयकाल में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से  
प्रमाणित है।

---

<sup>1</sup> सहीह बुखारी किताबुस्सलात (४६०), सहीह मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन व  
कसुरहा (७४९), सुनन तिर्मिज़ी किताबुस्सलात (४६१), सुनन नसाई किताब क्रियामुल्लैल  
(१६९१), सुनन अबू दाऊद किताबुस्सलात (१३२६), सुनन इब्ने माजा किताब  
इकसमतुस्सलात (११७५), मुसनद अहमद बिन हंबल (२/ १०२), मुवत्ता इमाम मालिक  
किताबुन्निदा लिस्सलात (२६९)।



तथा कुछ सलफ सालिहीन रहिमहुमुल्लाह रमज़ान में छत्तीस रकअत तरावीह और तीन रकअत वित्र पढ़ते थे, और कुछ तो इक्कालीस रकअत पढ़ते थे। इस बात को शैखुल इस्लाम इब्ने तैमियह रहिमहुल्लाह और अन्य विद्वानों ने उनसे वर्णन किया है। तथा आप रहिमहुल्लाह ने वर्णन किया है कि इस संबंध में मामले के अंदर विस्तार है और यह भी बयान किया है कि जो क़िराअत और रूकूअ व सज्दे लम्बे करता है उस के लिए बेहतर है कि रकअतों की संख्या कम कर दे, और जो क़िराअत और रूकूअ व सज्दे हल्के करता है, वह रकअतों की संख्या बढ़ा दे। यह आप रहिमहुल्लाह की बात का अर्थ है।

और जो व्यक्ति आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत में मननचिन्तन करेगा उसे पता चल जायेगा कि इन सब में सबसे बेहतर रमज़ान और अन्य महीनों में ग्यारह रकअत या तेरह रकअत तरावीह की नमाज़ पढ़ना है, क्योंकि अक्सर हालतों में यही आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के

अमल के अनुसार है, और इसलिए कि यही नमाज़ियों के लिये अधिक आसान है और खुशूअ व इतमिनान के अधिक निकट है, और जिस ने इसपर वृद्धि की तो कोई हरज और कोई घृणा की बात नहीं है जैसा कि यह बात गुजर चुकी है।

और जो व्यक्ति इमाम के साथ रमज़ान का क्रियाम करता (तरावीह पढ़ता) है उस के लिये बेहतर यह है कि वह इमाम के साथ ही पलटे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि: “जब आदमी इमाम के साथ तरावीह पढ़ता है यहाँ तक कि वह फारिग हो जाता है तो अल्लाह उसके लिये एक रात का क्रियाम लिखता है।”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> (सुनन तिर्मिज़ी किताबुस्सौम (८०६), सुनन नसाई किताबुस सहव (१३६४), सुनन अबू दाऊद किताबुस्सलात (१३७५), सुनन इब्ने माजा किताबुल इक़ामतुस्सलात (१३२७), मुसनद अहमद बिन हंबल (५ध्१६०) सुनन दारमी किताबुस्सौम (१७७७)।

सभी मुसलमानों के लिए इस सम्मानित महीने में अनेक प्रकार की उपासनाओं में संघर्ष करना धर्मसंगत है - जैसे नफल नमाज़, समझबूझ और मननचिंतन के साथ कुरआन की तिलावत, अधिक से अधिक सुबहानल्लाह, ला-इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अक्बर पढ़ना, इस्तिग़फ़ार और शरई दुआयें करना, भलाई का आदेश देना और बुराई से रोकना, और अल्लाह तआला की ओर लोगों को बुलाना, निर्धनों और गरीबों का ध्यान रखना, माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना, रिश्तेदारी को जोड़ना, पड़ोसी का सम्मान करना, बीमार की तीमारदारी करना और इसके अलावा अन्य प्रकार के भलाई के काम। क्योंकि पिछली हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "अल्लाह इस महीने में तुम्हारे (नेकी में) एक दूसरे से आगे बढ़ने की चेष्टा को देखता है तो तुम्हारे ऊपर अपने फरिश्तों के सामने गर्व करता है। अतः तुम अपनी ओर से अल्लाह को नेकी व भलाई दिखलाओ, क्योंकि वह

व्यक्ति अभागा (बदनसीब) है जो इस महीने में अल्लाह की रहमत (दया) से वंचित रह जाए।"

और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सही हदीस में फरमान है कि "रमज़ान का उमा एक हज्ज के बराबर है" - या आप ने फरमाया - "मेरे साथ हज्ज करने के बराबर है!"<sup>1</sup>

और इस मुबारक महीने में अनेक प्रकार की नेकियों में पहल करने और एक दूसरे से आगे बढ़ने की वैद्वता को दर्शाने वाली हदीसों और आसार बहुत हैं।

अल्लाह से दुआ है कि वह हमें और सभी मुसलमानों को उस चीज़ की तौफ़ीक़ दे जिस में उस की प्रसन्नता हो, और हमारे रोज़ों और क्रियाम (तरावीह) को क़बूल करे, हमारी स्थितियों को

---

<sup>1</sup> (सुनन तिर्मिज़ी किताबुल हज्ज (९३९), सुनन अबू दाऊद किताबुस्सलात (१९८८), सुनन इब्ने माजा किताबुल मनासिक (१३२७), मुसनद अहमद बिन हंबल (६/ ३७५) सुनन दारमी किताबुल मनासिक (१८६०).

सुधार दे, और हम सबको पथभ्रष्ट करने वाले फित्रों से सुरक्षित रखे। तथा हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह मुस्लिम नेताओं का सुधार करे, और उन्हें हक़ के ऊपर एकजुट कर दे, निःसंदेह वह इसका स्वामी और इसपर शक्तिमान है।

# रमज़ान से लाभान्वित पाठ

﴿ الدروس المستفادة من رمضان ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندی ]

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

# ﴿ الدروس المستفادة من رمضان ﴾

« باللغة الهندية »

عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दया शील अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने मन की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह की प्रशंसा और स्तुति के बाद :

## रमज़ान से लाभान्वित पाठ

### १. रमज़ान सब्र (धैर्य) का महीना है :

सब्र अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 'रोकना', और 'सौम' अर्थात् रोज़ा का नाम सब्र इस लिए रखा गया है क्योंकि सौम (रोज़ा) सब्र का एक प्रकार है।

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: १७७]



“सब्र और नमाज़ के द्वारा सहायता प्राप्त करो।” (सूरतुल बकरा: 45)

सुप्रसिद्ध भाष्यकार इब्ने जरीर तब्री कहते हैं : “एक कथन के अनुसार : इस स्थान पर सब्र का अर्थ ‘सौम’ (रोज़ा) है, और सौम हमारे निकट सब्र का कुछ अर्थ है।” (तफसीर तब्री 1/259)

### रमज़ान और सब्र :

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा : मैं ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुये सुना कि :

« شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ »

“सब्र के महीने और हर महीने में तीन दिन का रोज़ा ज़माने भर का रोज़ा है।” (नसाई ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीह कहा है, देखिये: सहीह सुनन नसाई :2408)

अल्लामा सुयूती कहते हैं : “सब्र के महीना से अभिप्राय रमज़ान का महीना है, और सब्र का मूल अर्थ होता है रोकना, अतः सौम का नाम सब्र इस लिए रखा गया है कि उस में खाने, पीने और कामवासना से मन को रोकना पाया जाता है।” (शरह सुनन नसाई 4/218)

### रमज़ान का महीना सब्र सीखने का पाठशाला है :

इब्ने रजब कहते हैं : “सब्र का सर्वश्रेष्ठ प्रकार रोज़ा है, क्योंकि यह अपने अंदर सब्र के तीनों भेदों को समोये हुये है; इसलिए कि रोज़ा अल्लाह तआला के आज्ञापालन पर सब्र करना, तथा अल्लाह तआला की अवज्ञा करने से सब्र करना (रुकना) है, क्योंकि बन्दा अल्लाह तआला के लिए अपनी शहवतों को त्याग देता है जबकि उसका मन उसे उनकी ओर खींच रहा होता है, इसीलिए सहीह हदीस में आया है कि अल्लाह अज़्ज़ा व

जल्ल फरमाता है : “आदम की संतान (मनुष्य) का प्रत्येक अमल उसी के लिए है सिवाय रोज़ा के, क्योंकि वह मेरे ही लिए है, और मैं ही उसका बदला दूँगा, उसने मेरे कारण अपनी शहवत (कामवासना), और अपना खाना—पानी छोड़ दिया।” (सहीह बुखारी हदीस संख्या: 1805, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या: 1151)

तथा उस में कष्टदायक भाग्यों पर सब्र करना भी पाया जाता है, क्योंकि कभी कभार रोज़ादार भूख और प्यास से पीड़ित होता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रोज़े के महीना को सब्र के महीना की संज्ञा देते थे।” (जामिउल उलूम वल हिकम 1/26)

**सब्र के प्रकार :**

इब्ने क़ैयिम फरमाते हैं : “सब्र के उस से संबंधित चीज़ों के एतिबार से तीन प्रकार हैं : आदेशों और नेकियों पर सब्र करना यहाँ तक कि उनको संपन्न कर लेना, निषेधों और अवज्ञा से सब्र करना (रुक जाना) और उन में न पड़ना, भाग्यों और फैसलों पर सब्र करना यहाँ तक कि उन पर क्रोध न प्रकट करना।” (मदारिजुस्सालिकीन 2/165)

**२. रमज़ान दानशीलता, एहसान व भलाई और सिला—रहमी (रिश्तेदारी निभाने) का महीना है :**

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं:

“अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों में सब से बढ़ कर दानशील थे, और आपकी सखावत (दानशीलता) रमज़ान में उस समय सब से अधिक उफान पर होती थी जब जिब्रील आप से मुलाक़ात करते थे, और जिब्रील आप से रमज़ान की हर रात में मुलाक़ात करते थे और आप

को कुरआन का दौर (पुनः अवकोलन) कराते थे, उस समय पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खैर व भलाई की सखावत में तेज़ हवा से भी आगे होत थे।” (सहीह बुखारी हदीस संख्या:6 व सहीह मुस्लिम हदीस संख्या:2308)

**दानशीलता, एहसान व भलाई और सिला-रहमी (रिश्तेदारी निभाने) के कुछ क्षेत्र निम्नलिखित है :**

### **1. रोज़ेदार को इफ्तार कराना :**

ज़ैद बिन खालिद अल-जोहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा कि : अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “जिस ने किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाया तो उसके लिए उस (रोज़ादार) के समान अज़्र व सवाब है, जबकि रोज़ेदार के अज़्र व सवाब में कोई कमी नहीं की जायेगी।” (तिर्मिज़ी हदीस संख्या: 807, इब्ने माजा हदीस संख्या:1746, तिर्मिज़ी ने इसे हसन सहीह कहा है, और अल्बानी सहीह कहा है)

### **2. माता-पिता के साथ एहसान व भलाई करना और रिश्तेदारी निभाना:**

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा: एक आदमी अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहा: मेरी अच्छी संगत का सबसे अधिक हक़दार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “तेरी माँ”, उसने कहा: फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “फिर तेरी माँ”, उसने कहा: फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “फिर तेरी माँ” उस ने कहा: फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “फिर तेरा बाप।” (बुखारी हदीस संख्या: 5971, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या: 2548)

अनस बिन मालिक से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा: मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुये सुना कि : “जो आदमी इस बात से प्रसन्न हो कि उसकी जीविका (रोज़ी) विस्तृत कर दी जाये, और उसकी मृत्यु में विलंब कर दिया जाये (अर्थात् आयु बढ़ा दी जाये) तो वह अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करे।” (बुखारी हदीस संख्या: 5985, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या: 2557)

हदीस में रोज़ी बढ़ाने से मुराद उसमें विस्तार और वृद्धि किया जाना है, या उस से अभिप्राय उसमें बरकत है। इसी प्रकार आयु में वृद्धि से अभिप्राय उसमें बरकत का होना है इस प्रकार कि आदमी को नेकी करने, अपने समय को परलोक में लाभ पहुँचाने वाले कामों में लगाने और उसे व्यर्थ में नष्ट होने से बचाने की तौफ़ीक़ हासिल हो। तथा एक कथन के अनुसार इस से वास्तविक वृद्धि मुराद है।

### **3. सदका व खैरात और इसके अलावा अन्य भलाई के काम:**

अबू हुरैरा रज़ियल्लाह अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “प्रत्येक दिन जिस में सूरज उगता है, आदमी के हर जोड़ पर सदका है, तुम्हारा दो आदमियों के बीच न्याय करना सदका है, तुम किसी आदमी की उसके जानवर (सवारी) पर सवार होने में सहायता कर दो, या तुम उस पर उसका सामान लाद दो तो यह भी सदका है, भली बात कहना सदका है, नमाज़ की ओर जाते हुए तुम्हारा हर क़दम सदका है, और तुम्हारा रास्ते से कष्ट पहुँचाने वाली चीज़ को हटा देना सदका है।” (सहीह बुखारी हदीस संख्या: 2989, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या: 1009, हदीस के शब्द मुस्लिम के हैं।)

उक्त हदीस में सदका से मुराद ऐच्छिक और मुस्तहब सदका है, अनिवार्य और लाज़मी सदका नहीं है, जैसाकि इमाम नववी ने विद्वानों का कथन उल्लेख किया है।

### ३. रमज़ान जिहाद, विजय और फ़तूहात का महीना है:

चुनाँचि इस्लामी इतिहास में अनेक निर्णायक युद्ध इसी महीने में घटित हुये, जिनमें मुसलमानों को स्पष्ट विजय प्राप्त हुई :

#### 1. बद्र का महान युद्ध :

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْأَنْفَالِ: ٤١﴾

“और जो कुछ हम ने अपने बन्दे पर फुरक़ान (बद्र के युद्ध) के दिन उतारा जिस दिन दोनों जत्थों का मुठभेड़ हुआ।” (सूरतुल अन्फाल: 41)

उरवा बिन जुबैर अल्लाह तआला के फरमान ﴿फुरक़ान के दिन﴾ के बारे में कहते हैं : जिस दिन अल्लाह तआला ने सत्य और असत्य के बीच अन्तर स्पष्ट कर दिया, और वह बद्र का दिन है, और वह पहली लड़ाई है जिस में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उपस्थित हुए, और मुशरेकीन का सरदार उत्बा बिन रबीआ था, रमज़ान के महीने की 19 तारीख को जुमुआ के दिन उनका एक दूसरे से मुठभेड़ हुआ, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों की संख्या 313 थी, जबकि मुशरिकों की संख्या 900 से 1000 के बीच थी, अल्लाह तआला ने उस दिन मुशरिकों को पराजित कर

दिया, और उन में से सत्तर से अधिक लोग मारे गये और बन्दी बनाये गये।” (तफसीर तब्री 10/9)

## **2. मक्का की विजय (फत्हे-मक्का )**

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना आने के साढ़े आठ साल पूरे होन पर दस हजार लोगों के साथ मदीना से निकले, चुनाँचि आप अपने साथ मुसलमानों को लेकर मक्का की ओर रवाना हुये, आप रोज़ा रखत थे और लोग भी रोज़ा रखते थे यहाँ तक कि आप कदीद –उसफान और कुदैद के बीच एक चश्मा है— तक पहुँचे, तो रोज़ा तोड़ दिया और लोगों ने भी रोज़ा तोड़ दिया।” (बुखारी हदीस संख्या: 4276)

तथा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ही वर्णित है कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फत्हे मक्का का युद्ध रमज़ान के महीने में किया।” (बुखारी हदीस संख्या: 4275)

## **3. ऐन जालूत :**

ऐन जालूत की लड़ाई 25 रमज़ानुल मुबारक 658 हिज़्री में हलाकू की सरबराही में तातारी फौजों और मिस्र के ममालीक की फौजों की बीच हुई जिसके सरबराह शाह मुज़फ्फर कुतुज़ थे। इस लड़ाई में मुसलमानों को तातारियों पर विजय प्राप्त हुई।

## **4. शक़हब की लड़ाई :**

यह लड़ाई शनिवार के दिन प्रथम रमज़ान 702 हिज़्री में तातारियों और मुसलमानों के बीच घटित हुई और दूसरे दिन तक जारी रही, इस लड़ाई में शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह ने भाग लिया, इसमें मुसलमानों की जीत हुई।

इब्ने कसीर कहते हैं : “इब्ने तैमिय्या ने बादशाह को लड़ाई पर उभारा और उसे विजय की शुभ-सूचना दी, आप अल्लाह की कसम खा कर उसे यकीन दिलाते कि इस लड़ाई में उनकी जीत होगी। तथा उन्होंने ने लोगों को लड़ाई के दौरान रोज़ा तोड़ने का फत्वा दिया और स्वयं भी रोज़ा तोड़ दिया, वह अमीरों और फौजियों के पास जाते और अपने हाथ में मौजूद कोई चीज़ खाते, ताकि उन्हें इस बात से अवगत करायें कि उनका लड़ाई करने पर शक्ति जुटाने के लिए रोज़ा तोड़ देना बेहतर है, तो फिर लोग भी खाते थे। (इस लड़ाई के बारे विस्तार रूप से जानने के लिए इब्ने कसीर की अल-बिदाया वन्निहाया : 18/26)

#### 4. रमज़ान कुरआन और कियामुल्लैल का महीना है :

कुरआन और रमज़ान:

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

وَالْفُرْقَانِ﴾ (سورة البقرة: 185)

“रमज़ान का महीना वह है जिस में कुरआन उतारा गया, जो लोगों के लिए मार्गदर्शक है और जिसमें मार्गदर्शन की और सत्य तथा असत्य के बीच अन्तर की निशानियाँ हैं।” (सूरतुल-बकरा:185)

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा: “सम्पूर्ण कुरआन एक ही बार में रमज़ान के महीने में शबे-क़द्र में आसमाने दुनिया पर उतारा गया।” (तफसीर तब्री 2/145)

फिर थोड़ा-थोड़ा कर के 23 वर्ष में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर पूरा कुरआन उतरा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लिखवाते रहते थे और वह विभिन्न तख्तियों, हड्डियों और चमड़ों पर लिखा हुआ था। फिर अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की अवधि में सम्पूर्ण कुरआन को एक किताब में एकत्र करवाया और फिर उसी नुस्खे से उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के समय सात कापियाँ तैयार करवाईं और उसे विभिन्न नगरों में भेज कर उसी के अनुसार कुरआन को पढ़ने का आदेश दिया।

तथा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं: अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों में सब से बढ़ कर दानशील थे, और आपकी दानशीलता रमज़ान में उस समय सब से अधिक उफान पर होती थी जब जिब्रील आप से मुलाक़ात करते थे, और जिब्रील आप से रमज़ान की हर रात में मुलाक़ात करते थे और आप को कुरआन का दौर (पुनः अवकोलन) कराते थे, उस समय पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खैर व भलाई की सखावत में तेज़ हवा से भी आगे होत थे। (सहीह बुखारी हदीस संख्या: 6 व सहीह मुस्लिम हदीस संख्या: 2308)

इमाम नववी कहते हैं कि : “इस हदीस से जो अहकाम सिद्ध होते हैं उन्हीं में से एक यह है कि : इस मुबारक महीने में कुरआन का पाठ करना और उसे दोहराना मुस्तहब है।” (शरह मुस्लिम 15/69)

हाफिज़ इब्ने हजर कहते हैं : “इस हदीस से निष्कर्षित फायदे यह हैं : रमज़ान के महीने की महानता क्योंकि इसी महीने में कुरआन के उतरने का आरम्भ हुआ, फिर कुरआन का जो हिस्सा उतर चुका होता था उसे इसी महीने में दोहराया जाता था, जिसका आवश्यक अर्थ यह निकला कि इस महीने में जिब्रील अलैहिस्सलाम अधिक से अधिक बार उतरते थे, और



उनके अधिकता से उतरने में असंख्य भलाईयाँ और बरकतों का आगमन है। तथा इस हदीस से पता चलता है कि : समय की प्रतिष्ठा और विशेषता अधिक इबादत करने से प्राप्त होती है, तथा यह भी ज्ञात हुआ कि निरंतरता से कुरआन की तिलावत करना भलाई में वृद्धि का कारण है, तथा इस से यह भी पता चला कि अंतिम आयु में अधिक इबादत करना मुस्तहब है . . . तथा यह कि रमज़ान की रातें उसके दिन से सर्वश्रेष्ठ हैं, तथा कुरआन की तिलावत का उद्देश्य ध्यान के साथ और समझ कर पढ़ना है; क्योंकि रात ही इसका स्थान है, जबकि दिन में व्यस्तता और दुनियावी रूकावटें होती हैं।” (फत्हुलबारी 9/45)

**रमज़ान के महीने में कुरआन की तिलावत में सलफ़ सालेहीन (पूर्वजों ) के संघर्ष के कुछ दृश्य :**

इब्राहीम नखई कहते हैं : अस्वद रमज़ान के महीने में हर दो रातों में कुरआन खत्म करते थे, तथा वह मग़िब और इशा के बीच में सोते थे, और रमज़ान के अलावा में हर छः रातों में कुरआन खत्म करते थे।” (सियर आलामिन्नुबला 4/51)

तथा सलाम बिन अबू मुतीज़ कहते हैं : “क़तादा सात रातों में कुरआन खत्म करते थे, और जब रमज़ान का महीना आता तो हर तीन रातों में कुरआन खत्म करते थे, और जब अंतिम दस रातें आतीं तो हर रात में कुरआन खत्म करते थे।” (सियर आलामिन्नुबला 5/276)

रबीज़ बिन सलमान कहते हैं : “इमाम शाफ़ेई रमज़ान के महीने में साठ बार कुरआन खत्म करते थे।” (सियर आलामिन्नुबला 10/36)

तथा मूसा बिन मुआविया कहते हैं : “मैं ने क़ैरवान से प्रस्थान किया और मैं बहलूल बिन राशिद से अधिक परहेज़गार (खशीयते—इलाही वाला) किसी

को नहीं समझता था, यहाँ तक कि मेरी मुलाकात वकीब् से हुई, वह रमज़ान में रात को एक बार पूरा कुरआन और एक तिहाई कुरआन पढ़ते थे, और चाश्त के समय 12 रक़अत पढ़ते थे, तथा जुहूर से अस्त्र तक नमाज़ पढ़ते थे।” (सियर आलामिन्नुबला 13/109)

तथा मुहम्मद बिन जुहैर बिन मुहम्मद कहते हैं कि : मेरे पिता रमज़ान के महीने में कुरआन खत्म करने के समय हमें हर दिन व रात में तीन बार एकत्र करते थे, वह रमज़ान में नव्वे (90) बार कुरआन खत्म करते थे।” (सियर आलामिन्नुबला 12/361)

तथा मुसब्बिह बिन सईद कहते हैं : “मुहम्मद बिन इसमाईल –बुखारी– रमज़ान के महीने में दिन के समय हर दिन एक बार कुरआन खत्म करते थे, और तरावीह के बाद हर तीन रातों में एक बार कुरआन खत्म करते थे।” (सियर आलामिन्नुबला 12/439)

### **क़ियामुल्लैल और रमज़ान :**

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»

“जिस ने ईमान के साथ और अज़्र व सवाब (पुन्य) प्राप्त करने की नीयत से रमज़ान में क़ियामुल्लैल किया, उसके पिछले गुनाह क्षमा कर दिये जायेंगे।” (सहीह बुखारी हदीस संख्या: 37, मुस्लिम हदीस संख्या: 759)

इब्ने हजर कहते हैं : “अर्थात् उसकी रातों को नमाज़ पढ़ते हुये बिताया, तथा क़ियामुल्लैल से मुराद यह है जिस से सामान्य रूप से क़ियाम करना हासिल हो जाये।” (फत्हुल बारी 4/251)

इमाम नववी कहते हैं : “इमान के साथ” का अर्थ यह है कि इस बात की पीष्ट करते हुये कि वइ सत्य है और उसकी फज़ीलत को चाहते हुये, तथा एहतिसाब का अर्थ यह है कि केवल अल्लाह तआला का इरादा हो, लोगों को दिखाना का उद्देश्य न हो, और न ही इसके अलावा इख्लास के विरुद्ध अन्य चीज़ें हों, तथा रमज़ान के क़ियाम से मुराद तरावीह की नमाज़ है।” (शरह मुस्लिम 6/39)

**रमज़ान के क़ियाम में सलफ़ सालेहीन के संघर्ष की एक झलक:**

अली इब्नुल मदीनी कहते हैं : “सुवैद बिन ग़फ़ला रमज़ान के महीने में क़ियामुल्लैल (तरावीह) में हमारी इमामत करते थे, जबकि वह 120 वर्ष के हो चुके थे।” (सियर आलामुन्नुबला 4/72)

## **५. रमज़ान भाईचारा और प्रेम का महीना है:**

लोगों के दिल प्राकृतिक और स्वभाविक रूप से उस आदमी से प्रेम करते हैं जो उनके साथ एसान व भलाई करता है, रमज़ान के महीने में भाईचारा और प्रेम का एक स्पष्ट दृश्य रोज़ेदारों को इफ़्तारी करवाना और उन्हें भोजन करवाना है, इसी उद्देश्य से इस्लामी शरीअत ने इस पर उभारा और बल दिया है :

ज़ैद बिन ख़ालिद अल-जोहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा कि : अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : “जिस ने किसी रोज़ेदार को इफ़तार करवाया तो उसके लिए उस (रोज़ादार) के समान अज़्र व सवाब है, जबकि रोज़ेदार के अज़्र व सवाब में कोई कमी नहीं की जायेगी।” (तिर्मिज़ी हदीस संख्या: 807, इब्ने माजा हदीस संख्या: 1746, तिर्मिज़ी ने इसे हसन सहीह कहा है, और अल्बानी ने सहीह कहा है)

इसी प्रकार ज़कातुल फ़ित्र निकालना भी इस का एक दृश्य है :

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि उन्होंने ने फरमाया कि :  
 “अल्लाह के पैग़बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गुलाम और आज़ाद,  
 मर्द और और औरत, तथा छोटे और बड़े हर मुसलमान पर एक साअ की  
 मात्रा में खजूर या जौ ज़कातुल फित्र अनिवार्य किया है, और उसे लोगों  
 के ईद की नमाज़ के लिए निकलने से पहले अदा करने का आदेश दिया  
 है।” (सहीह बुखारी हदीस संख्या: 1503, मुस्लिम हदीस संख्या: 986)

## ६. रमज़ान गुनाहों की माफ़ी और नरक से मुक्ति का महीना है :

यह तत्व तीन कामों के द्वारा प्रदर्शित होता है :

1. ईमान के साथ और अज़्र व सवाब की आशा रखते हुये रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना।
2. ईमान के साथ और अज़्र व सवाब की आशा रखते हुये रमज़ान के महीने में कियामुल्लैल करना (तरावीह पढ़ना)।
3. ईमान के साथ और अज़्र व सवाब की आशा रखते हुये लैलतुल-क़द्र (शबे-क़द्र) में अल्लाह की इबादत करना।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के पैग़बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة

القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))

“जिस ने ईमान के साथ और अज़्र व सवाब (पुन्य) प्राप्त करने की नीयत से रमज़ान का रोज़ा रखा, उसके पिछले गुनाह क्षमा कर दिये

जयेंगे, और जिस ने ईमान के साथ और अज़्र व सवाब की आशा रखते हुये लैलतुल-क़द्र (शबे-क़द्र) में अल्लाह की इबादत की, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिये जायेंगे।” (सहीह बुखारी हदीस संख्या: 1901, मुस्लिम हदीस संख्या: 760)

तथा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही से वर्णित है कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»

“जिस ने ईमान के साथ और अज़्र व सवाब (पुन्य) प्राप्त करने की नीयत से रमज़ान में किया मुल्लैल किया, उसके पिछले गुनाह क्षमा कर दिये जायेंगे।” (सहीह बुखारी हदीस संख्या: 37, मुस्लिम हदीस संख्या: 759)

तथा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

« إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ »

“जब रमज़ान के महीने की पहली रात होती है तो शैतान और दुष्ट जिन जकड़ दिये जाते हैं, नरक के द्वार बंद कर दिये जाते हैं चुनाँचि उस में से कोई द्वार नहीं खोला जाता, और स्वर्ग के द्वार खोल दिये जाते हैं चुनाँचि उस में से कोई द्वारा बंद नहीं किया जाता, और एक पुकारने वाला

पुकारता है : ऐ भलाई के अभिलाषी! आगे बढ़, और ऐ बुराई के चाहने वाले! रूक जा, और अल्लाह तआला के ढेर सारे नरक से मुक्त कर दिये गये बंदे होते है, और यह रमज़ान की हर रात में होता है।" (इसे तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीह कहा है, देखिये : सहीह तिर्मिज़ी: 682 और सहीह इब्ने माजा: 1642)

## **७. रमज़ान तौबा और तक्वा का महीना है :**

अबू हुसैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“जब रमज़ान आता है तो जन्नत के द्वार खोल दिये जाते हैं, और जहन्नम के द्वार बंद कर दिये जाते हैं, और शैतान जकड़ दिये जाते हैं।" (सहीह मुस्लिम हदीस संख्या :1079)

काज़ी अयाज़ कहते हैं : संभव है कि जन्नत के द्वार खोले जाने का मतलब यह हो कि अल्लाह तआला अपने बन्दों के लिए इस महीने में ऐसी नेकियों के द्वार खोल देता है जो सामान्यतः दूसरे महीनों में नहीं होती हैं जैसेकि रोज़ा, तरावीह की नमाज़, भलाईयों का करना और बहुत सारे निषेद्ध कामों से रूक जाना, और ये सब जन्नत में प्रवेश पाने के कारणों में से हैं, इसी प्रकार जहन्नम के द्वार बंद किये जाने और शैतानों को जकड़ दिये जाने का अभिप्राय यह है कि लोग मुखालफात और शरीअत के विरुद्ध कामों से रूक जाते हैं।" (शरह मुस्लिम 7/188)

## **रमज़ान पापियों के लिए तौबा का एक बहुमूल्य अवसर है :**

अबू हुसैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा कि: अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “उस आदमी की नाक मिट्टी में सने जिस के पास मेरा चर्चा हो और वह मेरे ऊपर दरूद न

भेजे, तथा उस आदमी की नाक भी मिट्टी में सने जिस पर रमज़ान का महीना आये, फिर उसके गुनाहों के क्षमा किये जाने से पहले वह गुज़र जाये, और उस आदमी की नाक भी खाक आलूद हो जो अपने माँ-बाप को बुढ़ापे में पाये और वे दोनों उसे जन्नत में प्रवेश न दिला सकें।” (तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और अल्बानी ने हसन सहीह कहा है, सहीह तिर्मिज़ी: 3545)

रमज़ान गुनाहों के कफ़ारा का मौसम है :

अबू हु़रैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि : “पाँचो नमाज़ें, और एक जुमुआ से दूसरा जुमुआ, और एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान इनके बीच के गुनाहों का कफ़ारा है जबकि कबीरा गुनाहों (घोर पाप) से बचा जाये।” (सहीह मुस्लिम हदीस संख्या: 333)

रमज़ान तक्वा (ईश्रभय ) पर अभ्यास का एक पाठशाला है, और यह रोज़े के वैध किये जाने की हिक्मतों में से एक हिक्मत है :

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम संयम और भय अनुभव करो।” (सूरतुल बकरा: 183)

हाफिज़ इब्ने कसीर कहते हैं : ﴿ताकि तुम संयम और ईशभय अनुभव करो﴾ क्योंकि रोज़ा में शरीर की पवित्रता और शैतान के रास्तों को तंग करना है, इसीलिए सहीह बुखारी व मुस्लिम में प्रमाणित है कि : ऐ नौजवानों की जमाअत! तुम में से जो आदमी शादी की ताक़त रखता है उसे शादी करना चाहिए, और जो इसकी ताक़त नहीं रखता है, वह रोज़ा रखे; क्योंकि यह उसके शहवत को कम करने वाला है।” (सहीह बुखारी हदीस संख्या: 5065, मुस्लिम हदीस संख्या: 1400) (तफसीर इब्ने कसीर 1/219)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“जो व्यक्ति झूठी बात कहने और झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।” (सहीह बुखारी हदीस नं. 1903)

इसका अभिप्राय यह है कि जो आदमी रोज़ा रखते हुये झूठ से नहीं बचता है और निषिद्ध (हराम) बातों और कामों से अपने रोज़े को सुरक्षित नहीं रखता है, तो उसका रोज़ा स्वीकार नहीं किया जायेगा और उसका जो अज़्र व सवाब है, उस से वह वंचित रहेगा; क्योंकि रोज़े का मूल उद्देश्य अर्थात् ईशभय की प्राप्ति में वह असफल रहा।

**द. रमज़ान इख़लास और सत्चाई का महीना है :**

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :



“आदम के बेटे (मनुष्य) का प्रत्येक अमल कई गुना कर दिया जाता है, एक नेकी का बदला दस गुना से सात सौ गुना तक मिलता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का फरमान है : सिवाय रोज़ा के, क्योंकि वह (ख़ालिस) मेरे ही लिये और मैं ही उसका (विशिष्ट) बदला दूँगा, वह मेरे कारण अपनी शहवत (कामवासना) को त्याग कर देता है, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं : एक खुशी रोज़ा इफ्तार के समय है, और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाक़ात के समय होगी, और उसके मुँह की महक अल्लाह के निकट कस्तूरी से भी अधिक अच्छी है।” (सहीह बुखारी हदीस संख्या: 5927, मुस्लिम हदीस संख्या: 1151)

कुर्तुबी कहते हैं : “जब मामला यह है कि आमाल के अंदर रियाकारी दाखिल हो जाती है, और रोज़े से, मात्र उसके रखने से, अल्लाह के अलावा कोई अवगत नहीं होता है, तो अल्लाह तआला ने उसे अपने आप से संबंधित किया है, इसीलिए इस हदीस में फरमाया: “वह अपनी शहवत को मेरे कारण त्याग देता है।” (देखिये : फत्हुलबारी 4/107)

**सलफ सालेहीन के इस्लाम की एक झलक :**

फल्लास कहते हैं : “मैं ने इब्ने अदी को कहते हुये सुना: “दाऊद बिन अबू हिन्द ने चालीस साल इस तरह से रोज़ा रखा कि उनके घर वालों को पता नहीं चलता, वह एक रेशम विक्रेता थे अपना भोजन साथ में लेकर जाते और रास्ते में उसे दान कर देते थे।” (सियर आलामुन्नुबला 6/378)

# रोज़ा की हिक्मतें और उसके फायदे

﴿ حِكْمُ الصِّيَامِ وَفَوَائِدِهِ ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندی ]

मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

**अनुवाद:** अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

# ﴿ حِكْمَ الصِّيَامِ وَفَوَائِدِهِ ﴾

« باللغة الهندية »

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### बिरिमल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

### दूसरा अध्याय

## रोज़े की हिक्मतों और उसके लाभ के उल्लेख में

अल्लाह तआला के अच्छे नामों में से एक नाम "अल-हकीम" (बुद्धिमान और तत्वदर्शी) है, और हकीम उसे कहते हैं जो हिक्मत (बुद्धि और तत्वदर्शिता) से विशिष्ट हो, और हिक्मत का मतलब होता है मामलों को सुदृढ़ता के साथ संपन्न करना और उन्हें उनके उचित स्थानों पर रखना। अल्लाह तआला के शुभ नामों में से इस नाम की अपेक्षा यह है कि अल्लाह तआला ने जो कुछ पैदा किया या वैध किया है, उसके अंदर एक महान हिक्मत (बुद्धि और तत्वदर्शिता) निहित है, जिसे जानने वाले जानते हैं और न जानने वाले उस से अनभिज्ञ हैं।

रोज़ा जिसे अल्लाह तआला ने वैध किया है और अपने बन्दों पर अनिवार्य कर दिया है, उसके अंदर बड़ी-बड़ी हिक्मतें और ढेर सारे लाभ हैं :

❖ **रोज़ा की हिक्मतों में से एक यह है कि** : वह एक ऐसी इबादत (उपासना) है जिस के द्वारा बन्दा अपनी प्राकृतिक तौर पर प्रिय और पसंदीदा चीजों अर्थात् खाना, पानी और संभोग इत्यादि को त्याग कर अल्लाह की निकटता और समीप्य प्राप्त करता है, ताकि इसके फलस्वरूप अपने पालनहार की प्रसन्नता और उसके सम्मान के घर (स्वर्ग) से लाभान्वित हो। इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह अपने पालनहार की प्रिय और पसंदीदा चीजों को अपने मन की आकांक्षाओं और प्रिय चीजों पर तथा परलोक को दुनिया पर वरीयता और प्रधानता देता है।

❖ **रोज़ा की एक हिक्मत यह भी है कि** जब रोज़ादार अपने रोज़े के कर्तव्य का अच्छे ढंग से पालन कर ले, तो यह उसके लिए तक्वा व परहेज़गारी (संयम और ईश्वरभय) का कारण है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ (البقرة: ١٨٣)

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम संयम और भय अनुभव करो।” (सूरतुल-बकरा:183)

अतः रोज़ेदार को अल्लाह तआला का तक्वा अपनाने का आदेश किया गया है, और तक्वा का मतलब यह है कि अल्लाह के आदेश का पालन किया जाये और उसकी निषिद्ध की हुई चीजों से बचाव किया जाये। और

यही रोज़ा का सब से महान उद्देश्य है, उसका उद्देश्य रोज़ेदार को खाने, पीने और संभोग से रोक कर दंडित करना नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम का फरमान है :

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ

وَشْرَابِهِ». رواه البخاري.

“जो व्यक्ति झूठ बात कहना, झूठ पर अमल करना और और मूर्खता को त्याग न करे, तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।”

“झूठ बात कहने” से तात्पर्य प्रत्येक हराम (निषिध) चीज़ है, जैसे झूठ बोलना, गीबत (पिशुनता) गाली गलोज और इनके अतिरिक्त अन्य हराम चीज़ें। और “झूठ पर अमल करने” से अभिप्राय हर हराम (निषिध) कार्य पर अमल करना है, जैसे कि खियानत (गद्वारी), धोखा, शारीरिक यातना, धन—संपत्ति छीन लेने और इस प्रकार की अन्य चीज़ों के द्वारा लोगों पर जुल्म और अत्याचार करना। इसी अध्याय में उन चीज़ों का सुनना भी आता है जिन का सुनना हराम (वर्जित) है, जैसे वर्जित गाने और म्यूज़िक उपकरण इत्यादि। और जिहालत (मूर्खता) से अभिप्राय बे—वकूफी और कम अकली है, अर्थात् कथन और कर्म में बुद्धि और समझबूझ से काम न लेना।

जब रोज़ा रखने वाला इस आयत और हदीस के तकाज़े (अपेक्षा) के अनुसार कार्य करेगा, तो रोज़ा से उसके नफस का प्रशिक्षण, उसके आचार का शुद्धीकरण और उसके व्यवहार का सुधार होगा, और रमज़ान का महीना जाते—जाते वह अत्यंत प्रभावित होगा, जिसका प्रभाव उसके नफस, उसके आचरण और उसके व्यवहार पर स्पष्ट रूप से दिखायी देगा।

- ❖ **रोज़ा की हिक्मतों में से यह भी है कि** धन्वान आदमी अपने ऊपर अल्लाह की तरफ से प्रदान की हुई मालदारी की नेमत के महत्व को पहचानता है कि अल्लाह तआला ने उसके लिए शरई (संवैधानिक) तौर पर हलाल चीज़ों में से उसकी मन पसंद चीज़ों जैसे कि खाना, पानी और पत्नी से संभोग आदि की प्राप्ति को आसान कर दिया है और उसे कज़ा व क़द्र के तौर पर भी उसके लिए उपलब्ध करा दिया है, चुनाँचि इस नेमत पर वह अल्लाह का शुक्रगुज़ार होता है और अपने उस गरीब और ज़रूरतमंद भाई को भी याद रखता है जिसे ये चीज़ें प्राप्त नहीं हैं और उस पर दान (खैरात) और एहसान (उपकार) के द्वारा दानशीलता का प्रदर्शन करता है।
- ❖ **रोज़ा की हिक्मतों में से** नफ्स पर कंट्रोल और उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास करना भी है, ताकि वह अपने नफ्स को ऐसी चीज़ों में लगा सके जिस के अंदर दुनिया व आखिरत में उसकी खैर व भलाई, हित और सौभाग्य है, और अपने आप को पाशुओं जैसा मनुष्य बनने से दूर रखे जो अपने नफ्स को लज़ज़तों और शहवतों से सुरक्षित नहीं रख पाता है; क्योंकि इसमें उसके नफ्स का हित होता है।
- ❖ **रोज़ा की हिक्मतों में से** एक हिक्मत स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति भी है जो खाने को कम करने और पाचन प्रणाली को एक निश्चित समय के लिए आराम पहुँचाने के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है, क्योंकि इस तरह शरीर को हानि पहुँचाने वाले अवशेष और बेकार तत्व शरीर के अंदर जमने नहीं पाते हैं।

# बिना किसी कारण के रमज़ान में रोज़ा तोड़ देना

﴿ الإفطار في رمضان بغير عذر ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندي ]

इफ़ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

**अनुवाद:** अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com



# ﴿ الإفطار في رمضان بغير عذر ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

### **बिना किसी कारण के रमज़ान में रोज़ा तोड़ देना**

#### **प्रश्न:**

एक महिला ने बिना किसी उज़्र (कारण) के सन् 1396 हिज़्री में रमज़ान के तीन दिनों का रोज़ा तोड़ दिया, बल्कि उसने लापरवाही करते हुए ऐसा किया, तो इस बारे में अल्लाह का हुक्म (फ़ैसला) क्या है और उस पर क्या अनिवार्य है ?

#### **उत्तर:**

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है। यदि वस्तुस्थिति यही है जो वर्णन किया गया है कि उस महिला ने लापरवाही करते हुए रमज़ान के तीन दिनों का रोज़ा तोड़ दिया और

उसने ऐसा लापरवाही करते हुए किया है, उसे हलाल समझते हुए नहीं किया है, तो वास्तव में उसने रोज़े की हुर्मत (पवित्रता) को भंग करके एक बड़ा गुनाह और महा पाप किया है। क्योंकि रमज़ान का रोज़ा इस्लाम के स्तंभों में से एक स्तंभ है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : □

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ [البقرة: ۱۸۳]

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम संयम और भय अनुभव करो।” (सूरतुल बकरा: 183)

यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِّنْ أَسْيَامٍ ۖ أَخْرَجَ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿۱۸۵﴾ [البقرة: ۱۸۵]

“रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरआन उतारा गया, जो लोगों के लिए मार्गदर्शक है और जिसमें मार्गदर्शन की और सत्य तथा असत्य के बीच अन्तर की निशानियाँ हैं, तुम में से जो व्यक्ति इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरा करे, अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है।” (सूरतुल बकरा: 185)

तथा उसके ऊपर अनिवार्य है कि जिन दिनों का रोज़ा उसने तोड़ दिया था उनकी क़ज़ा करते हुए तीन दिन रोज़ा रखे। और यदि उन तीनों दिनों में जिनका रोज़ा उसने तोड़ दिया था किसी दिन उस से संभोग हुआ है तो उस पर उस दिन की क़ज़ा करने के साथ कफ़ारा भी अनिवार्य है, और यदि उस से दो दिनों में संभोग हुआ है तो उस पर क़ज़ा के साथ दो कफ़ारा अनिवार्य है। इसी तरह जितने दिनों में संभोग हुआ है, उतने दिनों की क़ज़ा के साथ उतना कफ़ारा अनिवार्य है। और कफ़ारा एक गुलाम आज़ाद करना है, यदि वह न मिले तो दो महीने लगातार रोज़ा रखेगी, यदि इसकी भी ताक़त नहीं है तो शहर की ख़ूराक (भोजन) से साठ मिस्कीनों को खाना खिलायेगी। तथा उस पर अनिवार्य है कि वह अल्लाह से क्षमा याचना करे और उस से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, तथा उस रोज़े को अदा करे जिसे अल्लाह तआला ने उसके ऊपर अनिवार्य किया है। तथा इस बात का पक्का संकल्प करे कि वह पुनः रमज़ान के दिन में रोज़ा नहीं तोड़ेगी। तथा उसके ऊपर तीनों दिनों में से प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना भी अनिवार्य है ; क्योंकि उसने क़ज़ा को दूसरे रमज़ान तक विलंब कर दिया है।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।

देखिये : फ़तावा इफ़्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति  
(10/141).

# रोज़ा तोड़ने के वैध कारण

[ हिन्दी ]

## الأعدار المبيحة للفظر في رمضان

[ اللغة الهندية ]

लेख

शैख मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह  
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428 - 2007

islamhouse.com

## बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्हीम

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

हर प्रकार की प्रशंसा सर्व जगत के पालन हार अल्लाह तआला के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की कृपा एवं शांती अवतरित हो अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद पर, तथा आप के साथियों, आप की संतान और आप के मानने वालों पर।

रोज़ा तोड़ने के वैध कारणों के विषय में सऊदी अरब के एक महा विद्वान मुहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है, आशा है कि यह फत्वा रोज़ा तोड़ने को वैध करार देने वाले समस्त कारणों की जानकारी प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध होगा। (अ.र.)

**प्रश्न :** रोज़ा तोड़ने के लिए वैध कारण क्या हैं? (वह कौन से कारण हैं जो रोज़ा तोड़ना अर्थात् रोज़ा न रखना वैध कर देते हैं?)

**उत्तर :** रोज़ा न रखने को वैध कर देने वाले कारण: बीमारी और यात्रा हैं जैसा कि कुरआन में इसका उल्लेख हुआ है, तथा एक कारण यह भी है कि गर्भवती स्त्री को अपने प्राण अथवा अपने गर्भाशय पर (हानि का) भय हो, इसी प्रकार एक कारण यह भी है कि दूध पिलाने वाली स्त्री को यदि वह रोज़ा रखती है तो उसे अपने प्राण पर अथवा दूध पीते बच्चे पर (हानि का) भय हो, तथा एक कारण यह भी है कि मनुष्य को किसी मासूम को मरने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता हो, उदाहरण के तौर पर समुद्र में किसी डूबते हुए व्यक्ति को देखे, या किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर पाए जहाँ वह चारों ओर से आग में घिरा हुआ हो, तो उसको मुक्त कराने के लिए उसे रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए जायज़ है कि रोज़ा तोड़ दे और उसकी जान बचाए, और रोज़ा तोड़ने को वैध करार देने वाले कारणों में से यह भी है कि मनुष्य को अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता हो, चुनांचे यह भी रोज़ा न रखने को जायज़ करार देने वाले कारणों में से है, क्योंकि फत्हे मक्का के अवसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साथियों से फरमाया था:

**((إنكم لاقوا العدو غدا، والفضل أقوى لكم فأظروا))**

“कल तुम शत्रुओं का सामना करने वाले हो, और रोज़ा न रखना तुम्हारे लिए अधिक शक्तिप्रद है, अतः तुम रोज़ा तोड़ दो।” (मुस्लिम हदीस न. 9920)

जब रोज़ा तोड़ देने का वैध कारण पाया जाए और मनुष्य उसके कारण रोज़ा तोड़ दे तो उस पर उस अवशेष दिन खाने पीने से रुके रहना अनिवार्य नहीं है,

मान लो कि एक व्यक्ति ने किसी मासूम को मरने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ दिया तो उसे बचाने के पश्चात भी वह रोज़ा तोड़ने ही की अवस्था में बाकी रहेगा, क्योंकि उसने एक ऐसे कारण से रोज़ा तोड़ा है जो उसके लिए रोज़ा तोड़ना वैध कर देता है इसलिए उस समय उस पर खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उस दिन की हुर्मत रोज़ा तोड़ने को वैध कर देने वाले कारण से समाप्त हो गया, अतः हम कहते हैं कि इस मसूअले में श्रेष्ठ कथन यह है कि:

यदि बीमार दिन के मध्य स्वस्थ होजाए और उसने रोज़ तोड़ रखा था तो अब उस पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य नहीं है, और यदि यात्री दिन के मध्य अपने देश लौट कर आए और वह रोज़े से नहीं था तो अब उस पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य नहीं है, और यदि स्त्री दिन के मध्य पवित्र हो जाए तो अवशेष दिन खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि इन सब लोगों ने रोज़ा तोड़ देने को वैध कर देने वाले कारण से रोज़ा तोड़ा है, इसलिए वह दिन उनके हक़ मे रोज़े की हुर्मत नहीं रखता है क्योंकि शरीअत ने उस दिन उनके लिए रोज़ा तोड़ देना वैध कर दिया है, सो उन पर खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है।

इसके विपरीत यदि दिन के मध्य रमज़ान के महीने का प्रवेश करना (आरम्भ होना) सिद्ध हो जाए तो ऐसी अवस्था में खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य हो जाता है, दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट है; क्योंकि यदि दिन के मध्य (रमज़ान का चाँद देखने की) गवाही सिद्ध हो जाती है तो यह सिद्ध होगया कि उस दिन उन पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य है, किन्तु गवाही के सिद्ध होने से पूर्व वह अज्ञानता (जहालत) के कारण छमा योग्य थे।

इसी कारण यदि वह लोग जानते होते कि आज का दिन रमज़ान का दिन है तो उन पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य होता, किन्तु वह दूसरे लोग जिनकी ओर हम संकेत कर चुके हैं उनके लिए रोज़ा तोड़ना उनके ज्ञान के होते हुए वैध करार दिया गया है, इस प्रकार दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट है।

**अनुवादक**

**(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)\***

**[\\*atazia75@gmail.com](mailto:atazia75@gmail.com)**

# आलस्य करते हुए रोज़ा न रखाने वाले का हुक़म

﴿ تارك الصوم تكاسلاً ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندي ]

इफ़ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

**अनुवाद:** अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com



# ﴿ تارك الصوم تكاسلاً ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्हीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

## आलस्य करते हुए रोज़ा न रखाने वाले का हुकम

**प्रश्न:**

क्या रोज़ा छोड़ देने वाला काफिर (नास्तिक) हो जायेगा ? जबकि वह नमाज़ पढ़ता है और बिना किसी बीमारी या कारण (शरई उज़्र) के रोज़ा नहीं रखता है।

**उत्तर:**

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है। जिस व्यक्ति ने रोज़ा की अनिवार्यता को नकारते हुए उसे छोड़ दिया, तो वह सर्व सहमति के साथ काफिर है। और जिस व्यक्ति ने सुस्ती और

लापरवाही करते हुए रोज़ा छोड़ दिया तो कुछ विद्वान उसे काफिर ठहराने की तरफ गये हैं, किन्तु शुद्ध बात यह है कि वह काफिर नहीं है। लेकिन इस्लाम के एक ऐसे स्तंभ को जिसके अनिवार्य होने पर सर्वसहमति है, छोड़ने के कारण वह बहुत बड़े खतरे से दो चार है। और शासक की ओर से ऐसी सज़ा और कार्रवाई का पात्र है जो उसे इस बुराई से रोकने वाली है। तथा उस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा करना और अल्लाह सर्वशक्तिमान से तौबा करना अनिवार्य है।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।

देखिये : फतावा इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति  
(10 / 143).

# रोजे से संबंधित अहकाम एवं फतावे

लेखक

अल्लामा मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन  
रहिमहुल्लाह

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

संशोधन

सलीम साजिद मदनी

www.islamhouse.com

1428-2007



अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

## प्राक्कथन

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا

محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد :

रमज़ान का रोज़ा (वृत्त) इस्लाम धर्म के स्तम्भों में से एक स्तम्भ है, यह हिज्रत के द्वितीय वर्ष अनिवार्य हुआ, जब प्रथम बार अनिवार्य हुआ तो उस समय व्यक्ति को यह अधिकार था कि वह चाहे रोज़ा रखे या फिद्या दे-अर्थात् प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाये-फिर रोज़ा रखना ही निश्चित और निर्धारित हो गया और किसी भी व्यक्ति को उसे छोड़ने की छूट नहीं

रह गयी सिवाय उस व्यक्ति के जिसे अल्लाह तआला ने इस से दोषमुक्त कर दिया है।

तथा रोज़ा केवल इस उम्मत के साथ विशेष नहीं है, बल्कि इसके लिए और इसके अतिरिक्त अन्य सभी समुदायों के लिए सामान्य है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا  
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183].

“ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व के लोगों पर अनिवार्य किये गये थे।” (सूरतुल बकरा: 9८३)

अल्लाह तआला के फरमान :

﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾

“जिस प्रकार तुम से पूर्व के लोगों पर अनिवार्य किये गये थे।”

के दो लाभ हैं :

**प्रथम लाभ** : इस समुदाय को यह आश्वासन देना है कि अल्लाह तआला ने उन्हें इस रोज़ा का केवल इस

लिए मुकल्लफ किया है क्योंकि इनके पहले को लोग भी इसके बाध्य किये जा चुके हैं।

**द्वितीय लाभ** : इस समुदाय की विशेषता का वर्णन है कि अल्लाह तआला ने इस समुदाय के लिए वह समस्त विशेषताएं परिपूर्ण कर दीं हैं जो अन्य समुदायों को प्राप्त नहीं थीं।

फिर यह ज्ञात होना चाहिए कि रोज़ा कहते हैं मनुष्य का अपनी प्रिय चीज़ों से रुक जाना, और ज़कात का अर्थ है मनुष्य का अपनी प्रिय चीज़ों को व्यय करना, और नमाज़ एक शारीरिक कार्य, परिश्रम और संघर्ष है, इस प्रकार इन पांचों स्तम्भों की पूर्ति से हर प्रकार के तक्लीफ (कर्तव्यों) की पूर्ति होजाती है।

रोज़े का उद्देश्य (नीति) यह नहीं है कि मनुष्य अपने आपको खाने पीने और शादी विवाह से रोक दे, परन्तु उसका उद्देश्य यह है जिसकी ओर अल्लाह तआला ने अपने कथन :

﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: १८३].

में संकेत किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस कथन में संकेत किया है :

«من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله

حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

“जो व्यक्ति झूठ बात कहना, झूठ पर अमल करना और और मूर्खता को त्याग न करे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी करदे।”

अतः जिस व्यक्ति को उसका रोज़ा अल्लाह तआला की निषेध की हुई बातों से सुरक्षित न रखे तो उसका रोज़ा अपूर्ण (खोटा) है और उससे रोज़े का उद्देश्य लुप्त हो गया, इसी प्रकार जो व्यक्ति झूठी बात कहने, उस पर अमल करने और मूर्खता को न छोड़े तो उसका भी रोज़ा अपूर्ण है और उससे रोज़े का उद्देश्य (हिक्मत) छूट गया।

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन:

«من لم يدع قول الزور»



से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की निषेध बातें हैं और ((والعمل به)) से अभिप्राय प्रत्येक निषेध कार्य है और ((والجهل)) का अर्थ लोगों पर अत्याचार करना और सहनशीलता से काम न लेना है, जैसा कि कवि का कहना है :

**ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا**

सवधान ! हम से कोई मूर्खता न करे, अन्यथा हम सब से बढ़ कर मूर्खता करेंगे।

तथा यह भी जानते चलें कि मनुष्य पर रमज़ान का रोज़ा छः शर्तों के साथ अनिवार्य है : इस्लाम, बुद्धि का होना, व्यस्क होना, शक्ति का होना, मुक़ीम होना और रुकावटों (निरोधकों) का न पाया जाना।

**प्रथम शर्त** : इस्लाम : है और उसका विपरीत कुफ़्र (नास्तिकता) है, अतः काफ़िर (नास्तिक) पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है अर्थात् हम उसे रोज़ा रखने पर बाध्य नहीं करेंगे क्योंकि वह इबादतों (उपासनाओं) के योग्य नहीं है, यदि वह रोज़ा रख ले तो उसका रोज़ा स्वीकार नहीं होगा, अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً  
مَّنْثُورًا﴾ [الفرقان: २३].

“और उन्होंने ने जो कार्य किये थे हमने उनकी ओर बढ़ कर उन्हें उड़ते हुए धूल के समान कर दिया।” (सूरतुल फुरकान: २३)

और फरमाया:

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ  
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ५६].

“उनके व्यय के स्वीकार न किए जाने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं कि उन्होंने ने अल्लाह और उसके रसूल को मानना अस्वीकार कर दिया।” (सूरतुत तौबा: ५४)

इसी प्रकार यदि व्यक्ति नमाज़ नहीं पढ़ता है तो उसका रोज़ा उचित नहीं है और न ही उससे स्वीकार किया जायेगा; क्योंकि जो व्यक्ति नमाज़ नहीं पढ़ता है वह काफिर है और काफिर की इबादत को अल्लाह तआला स्वीकार नहीं करता है।

द्वितीय शर्त : बुद्धि का होना: है, और उसका विपरीत पागलपन है, अतः पागल व्यक्ति पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि रोज़े के सहीह होने के लिए नियत (इच्छा) का पाया जाना शर्त (आवश्यक) है और पागल नियत करने (इच्छा) की योग्यता नहीं रखता है, क्योंकि वह समझ बूझ नहीं रखता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हदीस के अन्दर सिद्ध है कि:

(( رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ

وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق)).

“तीन प्रकार के लोगों से क़लम उठा लिया गया है: सोने वाले से यहाँ तक की वह जाग जाये, अव्यस्क (छोटे बच्चे) से यहाँ तक कि वह व्यस्क (बड़ा) होजाए और पागल से यहाँ तक कि वह सचेत और संज्ञा वान हो जाए।”

और पागलपन ही के समान बुढ़ापे के कारण बुद्धि का समाप्त होजाना भी है ; क्योंकि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो प्रायः वह अपनी बुद्धि खो देता है यहाँ तक कि वह दिन और रात, दूर और निकट के मध्य अन्तर नहीं कर पाता है, और उसकी स्थिति एक बच्चे से भी

गई गुज़री हो जाती है, अतः जब मनुष्य इस सीमा को पहुंच जाए तो उस पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है जिस प्रकार कि उस पर नमाज़ और तहारत (पवित्रता) अनिवार्य नहीं है।

**तीसरी शर्त : व्यस्कता :** है और उसका विपरीत अव्यस्कता है और व्यस्कता पुलिंग के लिए तीन चीज़ों में से किसी एक के द्वारा पता चलता है, और स्त्री लिंग के लिए चार चीज़ों में से किसी एक के द्वारा पता चलता है:

- ① पन्द्रह वर्ष का पूरा होना।
- ② नाभि के नीचे का बाल उगना।
- ③ कामुकता के साथ स्वपन में या बेदारी में वीर्य का निकलना।

जब इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ पाई जाए तो मनुष्य बालिग़ (व्यस्क) होजाता है चाहे वह पुरुष हो या स्त्री।

और स्त्री के अन्दर एक चौथी चीज़ भी व्यस्कता का चिह्न है: और वह है मासिक धर्म का आना, चुनांचे जब स्त्री को मासिक धर्म आना आरम्भ हो जाए तो वह

बालिग (व्यस्क) हो गई, यहाँ तक कि यदि उसे दस साल की आयु ही में मासिक धर्म आने लगे तो वह व्यस्क हो गई और उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य होगया।

यहाँ पर मैं एक समस्या पर चेतावनी करना चाहता हूँ जो अनेक लोगों पर गुप्त रह जाता है, वह यह कि जब स्त्री कम आयु में व्यस्क हो जाती है तो कुछ लोग यह समझते हैं कि उस पर इबादतें अनिवार्य नहीं हैं क्योंकि वह अभी छोटी है, हालांकि यह असत्य है, यदि उसे दस साल की आयु में ही माहवारी आने लगे तो उस पर वह समस्त चीज़ें अनिवार्य हो जाती हैं जो एक तीस वर्ष की स्त्री पर अनिवार्य हैं। कुछ स्त्रियाँ छोटी आयु में व्यस्क हो जाती हैं और इस बात को अपने घर वालों से लज्जा और शर्म के कारण गुप्त रखती हैं और रोज़ा नहीं रखती हैं या माहवारी के दिनों में भी रोज़ा रखती हैं, हालांकि यह दोनों चीज़ें असत्य (गलत) हैं, ऐसी स्त्री पर अनिवार्य है कि वह उन दिनों का रोज़ा रखे जो उसने छोड़ दिये हैं और उन दिनों के रोज़ों को दोहराये जो उसने माहवारी के दिनों में रखे हैं।

**चौथी शर्त : सामर्थ्य और शक्ति :** का होना है, और उसका विपरीत असमर्थता और अशक्ति है, रोज़े से असमर्थता के दो प्रकार हैं:

एक सामयिक और अस्थायी असमर्थता जिसके समाप्त होने की आशा हो जैसे कि कोई सामान्य बीमारी।

दूसरी स्थायी और निरंतर रहने वाली असमर्थता जिसके समाप्त होने की आशा न हो जैसे कि वह बीमारियाँ जिनके समाप्त होने की आशा नहीं होती है उदाहरणतः कैंसर की बीमारी और बुढ़ापा, इसलिए कि बुढ़ापे के समाप्त होने की आशा नहीं होती है क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति का पुनः जवान होना सम्भव नहीं है, इस प्रकार की असमर्थता और बेबसी में मनुष्य पर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है; इसलिए कि वह उसकी शक्ति नहीं रखता है, किन्तु उस पर अनिवार्य यह है कि प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन (दरिद्र और धनहीन) को (रमज़ान महीने के) दिनों की संख्या में खाना खिलाए, यदि महीना उन्तीस दिन का है तो उस पर उन्तीस मिस्कीनों का खाना खिलाना अनिवार्य है, और यदि महीना तीस दिन का है तो उस पर तीस मिस्कीनों को खाना खिलाना अनिवार्य है।

**खाना खिलाने की दो विधियाँ (प्रकार) हैं :**

**प्रथम विधि :** रमज़ान के दिनों की संख्या में महीने के अन्त में मिस्कीनों को भोजन पर निमन्त्रण दे और उन्हें रात अथवा दूपहर का भोजन कराए।

**द्वितीय विधि :** उन्हें कोई अनाज और गोश्त प्रदान कर दे, अनाज के साथ सालन भी हो, और उस अनाज की मात्रा एक चौथाई साअ ( $\frac{1}{4}$ ) है; क्योंकि साअ् नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के काल में चार मुद्द का होता था और जब साअ का माप निकाला गया तो वह दो किलो चालीस ग्राम का हुआ, इस प्रकार प्रत्येक मिस्कीन को आधा किलो और दस ग्राम (५१० ग्राम) खाना दिया जाएगा, और यदि मनुष्य सतर्कता और सावधानी से काम लेते हुये इस से कुछ अधिक दे दे तो कोई बात नहीं, किन्तु अनिवार्य मात्रा यही है।

असमर्थता का दूसरा प्रकार अस्थायी (सामयिक) असमर्थता है, जिसके समाप्त होने की आशा होती है जैसेकि अस्थायी बीमारी उदाहरणतः जुकाम, बुखार और इनके समान अन्य बीमारियाँ, ऐसी स्थिति में उस पर अनिवार्य यह है कि जिन दिनों का उसने रोज़ा नहीं

रखा है उतने दिनों का रोज़ा रखे, इस लिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: १८५].

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।”

(सूरतुल बकरा: १८५)

अतः उस व्यक्ति से जिसकी बीमारी के समाप्त होने की आशा है हम कहेंगे कि यदि तुम पर रोज़ा कठिन पड़ता है तो रोज़ा तोड़ दो और जिन दिनों का रोज़ा तुम ने तोड़ दिया है बाद में उसकी क़ज़ा कर लो।

**पाँचवीं शर्त : मुक़ीम होना है,** और उसका विपरीत यात्रा (में होना) है, अतः यात्री पर अभी ऊपर वर्णित आयत की बिना पर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है, बल्कि उसके लिए श्रेष्ठ वह काम है जो उसके लिए अधिक सरल हो, यदि उसके लिए अधिक सरल रोज़ा तोड़ना हो तो वह रोज़ा तोड़ दे, और यदि रोज़ा रखना और न रखना दोनों बराबर हो तो इस विषय में विद्वानों के मध्य मतभेद है कि रोज़ा रखना श्रेष्ठ है या



रोज़ा तोड़ देना? और राजेह (ऊच्च) बात यह है कि रोज़ा रखना उत्तम है क्योंकि यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत (परम्परा, व्यवहार) रही है, क्योंकि आप (यात्रा में) रोज़ा रखते थे, और जिस समय आप से यह कहा गया कि लोगों पर रोज़ा कठिन पड़ रहा है और वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, तो उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोज़ा तोड़ दिया, तथा इस लिए भी कि ऐसी अवस्था में मनुष्य शीघ्र ही भार मुक्त (बरीउज़्जिम्मा) हो जाता है।

तीसरा कारण यह है कि यह मनुष्य के लिए अधिक सरल है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मनुष्य पर किसी चीज़ की क़ज़ा अनिवार्य होती है तो वह उस पर भारी और कठिन पड़ती है, यहाँ तक कि कुछ लोगों पर रमज़ान के केवल एक दिन की क़ज़ा होती है फिर भी वह टाल मटोल करते हैं और उसे शाबान के अन्तिम दिन तक विलम्ब कर देते हैं, क्योंकि उस समय क़ज़ा भारी पड़ती है, किन्तु यदि वह लोगों के साथ रोज़ा रखे तो उस पर यह सरल हो जाता है।

यहाँ पर मैं एक प्रश्न उठाता हूँ : जो व्यक्ति उमरा करने के लिए मक्का में आया हुआ है क्या वह रोज़ा तोड़ देगा? या नहीं?

उत्तर : जब वह व्यक्ति यात्रा पर हो - और वह यात्रा ही पर है-तो उसके लिए रोज़ा तोड़ना वैध है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सन आठ हिज्री में मक्का पर विजय प्राप्त किया और उन्नीस या बीस रमज़ान को मक्का में प्रवेश किया और अवशेष महीना वहीं रहे और रोज़ा नहीं रखा, जैसाकि सहीह बुखारी में सिद्ध है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अवशेष महीना रोज़ा नहीं रखा और मक्का में उन्नीस दिन ठहरे रहे और नमाज़ कस्र करते रहे, इसीलिए हम मक्का मे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन पर उमरा करने के कारण रोज़ा बहुत कठिन पड़ता है, यहाँ तक कि हम ने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है जो बेहोश होने के निकट थें, ऐसे व्यक्ति से हम कहेंगे कि तुम रोज़ा तोड़ दो क्योंकि तुम यात्रा में हो।

फिर यदि हम से कोई प्रश्न करने वाला प्रश्न करे कि: क्या श्रेष्ठ यह है कि जब कोई व्यक्ति दिन के समय मक्का पहुंचे तो वह रोज़े की हालत में बाकी रहे और उमरा को रात तक विलम्ब कर दे ? या उसके लिए श्रेष्ठ यह है कि रोज़ा तोड़ दे ताकि वह पहुँचते ही दिन ही में उमरा कर सके?

इसका उत्तर यह है कि: उसके लिए श्रेष्ठ दूसरा विकल्प (अर्थात् रोज़ा तोड़ना) है ताकि वह उमरा की अदायगी शीघ्र कर सके; क्योंकि उसके मक्का आने का उद्देश्य उमरा ही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसकी अदायगी में शीघ्रता करते थे यहाँ तक कि आप अपनी सवारी (ऊंटनी) को मस्जिद के द्वार ही पर बैठा देते थे और उमरा अदा करने के लिए अन्दर प्रवेश कर जाते थे।

**छटी शर्त :** अवरोधकों और रुकावटों का न पाया जाना: यह शर्त स्त्रियों के साथ विशेष है इस प्रकार कि वह हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव) वाली ना हों; क्योंकि हैज़ और निफास रोज़े के सहीह (शुद्ध) होने में रुकावट है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

(( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ))

“क्या ऐसी बात नहीं है कि स्त्री मासिक धर्म के अन्तर काल ना नमाज़ पढ़ती है और ना रोज़ा रखती है।”

और समस्त मुसलमानों की इस बात पर सर्व सहमति है कि हैज़ वाली स्त्री का रोज़ा सहीह नहीं है, बल्कि उस पर रोज़ा रखना हराम (निषेध) है, और यही आदेश निफ़ास वाली (प्रसवती) स्त्री का भी है।

### रोज़ा का समय :

रोज़ा का समय फज़्र के उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक है, इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ  
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ  
إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].

“अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूँढ़ने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफ़ेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरे करो।” (सूरतुल बक्रा: 9८9)

दूसरा प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है :

«كَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ

مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»

“खाओ और पियो यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम की अज़ान सुन लो; क्योंकि वह अज़ान नहीं देते यहाँ तक कि फज़र उदय हो जाए।”

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

«إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ

وَأَدْبَرَ النَّهَارَ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَغْرِبِ

وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

“जब रात यहाँ से आजाए और आपने पूरब की ओर संकेत किया और दिन यहाँ से चला जाए और आपने पश्चिम की ओर संकेत किया, और सूर्य डूब जाए तो रोज़ेदार के रोज़ा खोलने का समय होगया।”

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें :

१. खाना।
२. पीना।
३. संभोग करना।

इन तीनों चीज़ों का प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ  
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ  
اتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: १८७].

“अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूँढ़ने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरे करो।” (सूरतुल बक्रा: १८७)

खाने पीने के संबंध में इस बात में कोई अन्तर नहीं है कि खाई जाने वाली चीज़ लाभदायक है या

हानिकारक, हलाल है या हराम। इस आधार पर यदि किसी व्यक्ति ने तस्बीह का दाना निगल लिया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि उसने खाया है, और यदि कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पी ले तो उसका रोज़ा टूट जाएगा; क्योंकि उसने पिया है। तथा इसमें भी कोई अन्तर नहीं कि वह खाना पानी मुख के द्वारा पहुँचा है अथवा नाक के रास्ते से पहुँचा है, इस लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लक़ीत बिन सबिरा से फरमाया:

(( **بَالِغٌ فِي الْأَسْتِنشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا** ))

“नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा (अधिकता) से काम लो, सिवाय इसके कि तुम रोज़ो से हो।”

इस हदीस से ज्ञात हुआ कि जो चीज़ नाक के रास्ते से अन्दर प्रवेश करे (पहुँचे) उसका वही हुक्म है जो हुक्म मुख के द्वारा अन्दर जाने वीली चीज़ का है।

**चौथा:** जो चीज़ खाने पीने के अर्थ में है :

उदाहरण स्वरूप ताक़त का (शक्तिप्रद) इन्जेक्शन् जो खाने पीने का काम करता है, इसका प्रमाण यह है कि

अल्लाह तआला ने अपनी पुस्तक कुरआन करीम में फरमाया है:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

[الحديد: २०]

“निःसंदेह हम ने अपने संदेष्टाओं को स्पष्ट निशानियाँ प्रदान करके भेजा तथा उनके साथ पुस्तक और न्याय (तुला) अवतरित किया ताकि लोग न्याय पर स्थित रहें।” (सूरतुल हदीद: २५)

और अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾

[الشورى: १७]

“अल्लाह तआला ने सत्य के साथ किताब अवतरित की है और तराजू भी (उतारी है)।” (सूरतुशूरा: १७)

और मीज़ान (तराजू) कहते हैं उस पैमाने को जिसके द्वारा चीज़ों का भार ज्ञात किया जाता है (अनुमान लगाया जाता है) और उनके बीच तुलना किया जाता है,



और जब हम इन इन्-जेक्शनों के मध्य जो खाने पीने का काम करते हैं और खाने पीने के बीच तुलना करते हैं तो दोनों को हुक्म के अन्दर समान पाते हैं, अतः यह कहना कि ताक़त के इन्-जेक्शन् से रोज़ा टूट जाता है क़ियास (अनुमान) पर आधारित है - अर्थात् उसे खाने पीने पर क़ियास किया गया है।

यदि कोई आपत्तिकर्ता कहे: यह क़ियास अपूर्ण है क्योंकि शक्तिप्रद इन्-जेक्शन् और खाने पीने के बीच व्यापक अन्तर है और वह यह कि खाने पीने से जो लाभ प्राप्त होता है वह इन शक्तिप्रद इन्-जेक्शनों से अधिकतर है, तथा खाने पीने से जो स्वाद (आनन्द) प्राप्त होता है वह इन शक्तिप्रद इन्-जेक्शनों से नहीं प्राप्त होता है।

**उत्तर:** इसका उत्तर यह है कि लक़ीत बिन सबिरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान कि "नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करो सिवाय इसके कि तुम रोज़े से हो", इस बात पर तर्क है कि जिस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है उसके लिए यह शर्त नहीं है कि उससे मनुष्य स्वाद प्राप्त करे; क्योंकि इन्जेक्शन् के द्वारा जो चीज़ पेट में पहुँचती है उससे वही स्वाद प्राप्त होता है जो (स्वाद)

उस चीज़ के मुख के द्वारा (पेट में) जाने से प्राप्त होता है। इससे हमें ज्ञात होजाता है कि यह क़ियास पूर्ण है (नाक़िस नहीं है) और वह इन्-जेक्शन् जो खाने पीने का काम करता है उससे रोज़ा टूट जाता है, और इस लिए कि इसमें एहतियात (सावधानी) का पक्ष भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है:

(( دَعِ مَا يَرِيْبِكُ اِلٰى مَا لَا يَرِيْبِكُ ))

“जो चीज़ तुम्हें शंका (सन्देह) में डालने वाली हो उसे छोड़ दो और जिस चीज़ में शंका न हो उसे चयन कर लो।”

और इस लिए भी कि प्रायः व्यक्ति को इन इन्-जेक्शनों की उसी समय आवश्यकता पड़ती है जब वह इतना बीमार होता है कि उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ होता है।

**पांचवीं:** रोज़े दार का ईच्छापूर्वक कामुकता के साथ वीर्य निकालना: यदि कोई व्यक्ति ईच्छापूर्वक (स्वयं अपने कर्म से) कामुकता के साथ वीर्य निकाल दे तो उसका रोज़ा फ़ासिद (व्यर्थ) होजाएगा, इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन है:

(( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله  
 أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم  
 لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا  
 وضعها في الحلال كان له أجر)).

“और तुम्हारे शरमगाह (सम्भोग करने) में भी  
 सदका (पुण्य) है, सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के  
 रसूल हम में से कोई व्यक्ति अपने कामवासना की  
 पूर्ति करता है और उसे उसमें पुण्य भी मिलेगा ?  
 आप ने कहा: तुम्हारा क्या विचार है यदि वह  
 अपनी कामवासना को निषेध (हराम) चीज़ों में  
 पूरा करे, क्या उसे उस पर पाप न मिलेगा ? इसी  
 प्रकार जब उसने उसे वैध (हलाल) चीज़ों में पूरा  
 किया तो उसे उस पर पुण्य मिलेगा।”

और जो शहवत पूरी की जाती है वह वीर्य है और  
 अल्लाह तआला ने हदीस कुदसी में रोज़ेदार के बारे में  
 फरमाया है:

(( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ))

“वह अपने खाने पीने और शहवत (कामवासना) को मेरे कारण छोड़ देता है।”

और यदि वीर्य बिना शहवत (कामुकता) के निकल जाए, उदाहरणतः मनुष्य के अन्दर कोई बीमारी हो जिसके साथ वीर्य निकलता रहता हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा।

और हमारे कथन (بفعل منه) “ अपने कर्म (इच्छा) से हो” इसका अर्थ यह है कि वह अपने अधिकार और इच्छा से वीर्य पात करे, यदि अपने अधिकार और इच्छा से वीर्य पात न करे तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, जैसेकि कोई व्यक्ति अधिक कामुकता और शीघ्रपतन वाला हो, कि उसके केवल सम्भोग के विषय में विचार करने से ही वीर्य पतन होजाए, उसने किसी भी चीज़ को हरकत न दी हो, न तो उसने अपने शिशन से छेड़-छाड़ किया हो और न ही धरती पर लोटा हो और न ही इसके अतिरिक्त और कुछ किया है तो उसका रोज़ा फासिद (व्यर्थ) नहीं होगा, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं:

(( إن الله تجاوز عن أمّتي ما حدثت به أنفسها ما  
لم تعمل أو تتكلم ))

अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के हृदयों में जो कल्पनाएं पैदा होती हैं उन्हें क्षमा कर दिया है जब तक कि वह उस पर अमल न करें या उसे मुख से बाहर न निकालें।

और इस व्यक्ति ने न तो कोई कार्य किया है और न ही मुख से कोई बात निकाली है।

**छटा:** जान बूझकर उल्टी (क़य, वमन) करना: यदि मनुष्य जानबूझ कर उल्टी करदे इस प्रकार कि अपने पेट (मेदे) से खाना निकाल दे तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, और यदि उसकी इच्छा के बिना उस पर क़य ग़ालिब आगई है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, इसका प्रमाण अबु-हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

(( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء  
عمدا فليقض ))

“जिस पर क़य ग़ालिब आगई उस पर कोई क़ज़ा नहीं और जिसने जानबूझ कर क़य किया वह (रोज़े की) क़ज़ा करे।”

यहाँ पर एक नज़री (काल्पनिक, विचार योग्य) तर्क भी है: वह यह है कि उल्टी करना शरीर को दुर्बल कर देता है, क्योंकि इससे मेदे (आमाशय) में जो कुछ खाना पानी होता है निकल जाता है, और जब मेदा खाने और पानी से खाली हो तो शरीर रोज़ा सखने से दुर्बल होजाता है, अतः अल्लाह तआला की हिक्मत का तकाज़ा यह है कि उल्टी से रोज़ा टूट जाए, इसलिए हम रोज़ेदार से कहेंगे कि फर्ज़ रोज़े में उल्टी न करें और यदि इसके लिए विवश होजाएं तो ऐसी स्थिति में आपका रोज़ा टूट जाएगा और आपके लिए खाना पीना वैध हो जाएगा ताकि शरीर की खोई हुई शक्ति को वापस लौटा सकें।

**सातवाँ** : **सिंघी लगाना**: जब रोज़ेदार सिंघी लगवाए और उससे रक्त स्राव होजाए तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, इसका प्रमाण शहाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी ﷺ ने फरमाया:

(( أفطر الحاجم والمحجوم ))

“सिंघी लगाने वाले का और सिंघी लगवाने वाले का रोज़ा टूट गया।”

यहाँ भी एक नज़री दलील (काल्पनिक तर्क) है और वह यह कि सिंघी लगवाने वाला सिंघी लगवाने से दुर्बल होजाता है, क्योंकि सिंघी लगवाने वाले का अधिक मात्रा में रक्त निकल जाता है, और जब अधिक मात्रा में रक्त निकल जाता है तो उसका शरीर दुर्बल होजाता है, और जो शरीर अधिक मात्रा में खून निकलने के कारण दुर्बल होगया हो रोज़ा उसको प्रभावित करता है।

इसलिए हम कहते हैं कि जिसका रोज़ा वाजिब हो उसके लिए सिंघी लगवाना जायज़ नहीं है, यदि उसका खून भड़क (जोश मार) रहा हो और उसे सिंघी लगवाने की आवश्यकता हो तो वह सिंघी लगवाए और रोज़ा तोड़ दे और उसके लिए अपने शरीर की शक्ति लौटाने के लिए खाना पीना जायज़ है।

सिंघी लगवाने पर उस चीज़ को भी क़ियास किया जाएगा जो उसके अर्थ में हो जैसेकि मनुष्य के शरीर से अधिक मात्रा में खून निकालना, यह कभी कभार उस समय पेश आता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त चढ़ाने के लिए दूसरे मनुष्य के खून की आवश्यकता

होती है, उस समय उसके शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकाला जाता है, जिस से उसका शरीर दुर्बल हो जाता है और डॉक्टर लोग उसे जूस आदि देते हैं ताकि खून निकालने के कारण उसके अन्दर जो दुर्बलता उत्पन्न हो गई है वह समाप्त होजाए।

किन्तु जो चीज़ सिंघी लगाने से कमतर हो उदाहरण स्वरूप जाँच करने के लिए खून निकालना तो इसमें कोई हानि (हर्ज) नहीं है, यद्यपि जान बूझकर ही क्यों न निकलवाया हो, इसी प्रकार यदि आदमी के नाक से खून निकल आये (विनास फूट जाए) तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, यद्यपि अधिक मात्रा में खून निकल जाए, क्योंकि यह उसने अपनी इच्छा से नहीं किया है।

### **आठवाँ : हैज़ और निफास का खून निकलना:**

यदि रोजे की अवस्था में स्त्री को मासिक धर्म आजाए तो उसका रोज़ा फासिद (व्यर्थ) हो जाएगा, चाहे दिन के समाप्त होने में केवल पाँच मिनट शेष रह गया हो, और यदि सूर्ययास्त के पाँच मिनट पश्चात उसे मासिक धर्म आए तो उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। जबकि अधिकांश महिलाओं में यह बात प्रसिद्ध है कि यदि स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और मग़रिब की नमाज़ से पूर्व



मासिक धर्म आजाए तो उसका रोज़ा फासिद होजाएगा, यह बात असत्य (गलत) है, अतः स्त्रियों को इस मसूअला से अवगत कराना चाहिए, बल्कि कुछ स्त्रियों में इतनी अधिक सावधानी पाई जाती है कि वह कहती हैं कि यदि स्त्री को इशा की नमाज़ से पूर्व माहवारी आजाए तो उसका उस दिन का रोज़ा फासिद होजाएगा, यह बात पहले से भी अधिक असत्य (गलत) है।

सत्य बात यह है कि यदि स्त्री का मासिक धर्म चल पड़े और उसे खून के चलने का अनुभव हो किन्तु वह सूर्यास्त के पश्चात बाहर निकलता है तो उसका रोज़ा सहीह और उचित है, और खून के चलने का कोई मान नहीं है यहाँ तक कि वह बाहर निकल आए, इसका प्रमाण यह है कि नबी ﷺ से प्रश्न किया गया कि जो कुछ पुरुष सपने में देखता है वही चीज़ स्त्री भी सपने में देखे तो क्या उस पर स्नान अनिवार्य है? तो आप ﷺ ने फरमाया: "हाँ, जब वह पानी (वीर्य) देख ले"। इससे ज्ञात हुआ कि जिन चीज़ों के निकलने से स्नान अनिवार्य होजाता है या रोज़ा टूट जाता है उनके लिए बाहर निकलना और दिखाई देना आवश्यक है।

## रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रोज़ा टूटने की शर्तें:

उपरोक्त वर्णित रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से उसी समय रोज़ा टूटता है जब उनके अन्दर तीन शर्तें पाई जायें : ज्ञान का होना, स्मर्ण (ध्यान) का होना और ईच्छा व इरादा का होना।

**पहली शर्त** : ज्ञान : इसका विपरीत मूर्खता और अज्ञानता है, अतः जाहिल और अनजाना व्यक्ति इन रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को प्रयोग कर ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे उसे हुक्म का ही ज्ञान ना हो उदाहरण स्वरूप वह यह समझता हो कि इससे रोज़ा नहीं टूटता है जैसे कि कोई व्यक्ति सिंघी लगवाले और उसे यह ज्ञात न हो कि सिंघी लगवाने से रोज़ा टूट जाता है।

या उसे स्थिति (हालत) का ज्ञान न हो जैसे कि वह यह गुमान करे कि यह खाने पीने का समय है, उदाहरणतः यह समझते हुए खा ले कि अभी फज़र उदय नहीं हुआ है, उसने घड़ी में देखा कि तीन बजकर बीस मिनट हो रहा है और फज़र का समय चार बजकर बीस मिनट पर है, फिर उसने खाना पीना

आरम्भ कर दिया हालांकि उसकी घड़ी पूरे एक घण्टा विलम्ब थी और उसे पता चला कि इस समय चार बजकर बीस मिनट हो रहा है, अर्थात् फज्र उदय होचुका है, तो यह व्यक्ति वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं है इसलिए उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा, इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने दिन के अन्तिम समय: अल्लाहु अक्बर की आवाज़ सुनी और उसे मुअज्जिन की आवाज़ समझा और यह गुमान करते हुए कि सूर्य डूब गया है उसने रोज़ा खोल दिया फिर उसे ज्ञात हुआ कि सूर्य डूबा नहीं है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा।

**दूसरी शर्त** : स्मरण (ध्यान) का होना : इसका विपरीत भूल चूक है, यदि कोई व्यक्ति इस बात को भूलकर कि वह रोज़ा से है खाले या पी ले या अपनी पत्नी से सम्भोग कर ले तो उसका रोज़ा सहीह है क्योंकि हम शर्त लगाते हैं कि वह उसको याद रखने वाला हो।

ज्ञान और स्मरण (ध्यान) की शर्त लगाने और यह कि भूल जाने वाले या अनजाने व्यक्ति का रोज़ा फासिद नहीं होता, इसका प्रमाण दो प्रकार का है : सामान्य प्रमाण और विशेष प्रमाण।

9-सामान्य प्रमाण :

अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة:

.[२८६]

ऐ हमारे रब, यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमारी पकड़ न करना। (सूरतुल बकर:२८६)

और अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ५].

तुम से भूल चूक में जो कुछ होजाए उसमें तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं, किन्तु पाप वह है जिसका तुम हृदय से इरादा करो। (सूरतुल अहज़ाब: ५)

२-विशेष प्रमाण :

यह है कि भूल चूक के विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहीह हदीस के अन्दर जिसे अबु-हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है फरमाया :

(( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ))

“जिस व्यक्ति ने रोज़े की हालत में भूल चूक कर खा पी लिया वह अपना रोज़ा पूरा करे; क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और पिलाया है।”

यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रोज़ा फासिद नहीं होगा और केवल खाने पीने का उल्लेख किया जाना इसके अतिरिक्त चीज़ों की नफी नहीं करता है, क्योंकि वह दोनों उदाहरण के तौर पर उल्लेख किए गए हैं।

**हुक्म से अनवगत होने का प्रमाण:** अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जब उन्होंने ने रोज़े का इरादा किया तो उन्होंने ने दो रस्सियां लीं एक काली और दूसरी सफेद और उन्हें अपने तकिए के नीचे रख लिया और खाना पीना आरम्भ करदिया और दोनों रस्सियों को देखते रहे यहाँ तक कि सफेद डोरी काली डोरी से स्पष्ट होगई, जब भोर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसकी सूचना दी तो आपने फरमाया:

(( إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض  
والأسود ثم قال: إنما ذلك بياض النهار وسواد  
الليل ))

“तुम्हारा तकिया तो बहुत लम्बा चौड़ा है कि उसमें सफेद धागा और काला धागा दोनो समागया, फिर आप ने फरमाया: इससे तात्पर्य दिन की सफेदी और रात की ताराकी है।”

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको कज़ा का हुक्म नहीं दिया; क्योंकि उन्हें हुक्म का पता नहीं था।

स्थिति से अनवगत होने का विशेष प्रमाण: अस्मा बिन्त अबु बक्र रज़ियल्लाहु अन्हा की वह हदीस है जिसे इमाम बुखारी ने उल्लेख किया है वह कहती हैं:

(( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله  
عليه وسلم ثم طلعت الشمس ))

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समयकाल में एक बदली वाले दिन में हम ने रोज़ा इफतार कर लिया, फिर सूर्य निकल आया।”

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा का आदेश नहीं दिया, इसलिए कि यदि उन्हें कज़ा का आदेश दिया होता तो हम तक अवश्य नक़ल किया जाता, क्योंकि यह -कज़ा- शरीअत का आदेश है और शरीअत के आदेश का नक़ल किया जाना और उसका सुरक्षित होना आवश्यक है, और जब यह नक़ल नहीं किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा का आदेश दिया था तो इससे ज्ञात हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा का आदेश नहीं दिया था और जब उन्हें आदेश नहीं दिया था तो कज़ा अनिवार्य नहीं है इसलिए कि यदि वह अनिवार्य होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन्हें उसका आदेश अवश्य देते।

### **तीसरी शर्त: इच्छा और इरादा:**

यदि रोज़ा तोड़ने वाली यह चीज़ें मनुष्य के इच्छा और अधिकार के बिना घटित हो जाएं तो उसका रोज़ा सहीह और उचित है, यदि रोज़े की अवस्था में उसे स्वपनदोष हो जाए तो उसका रोज़ा सहीह है, क्योंकि वह उसके अधिकार और इच्छा के बिना घटित हुआ है, यदि मनुष्य वजु करे और कुल्ली करते समय कुछ पानी

उसके पेट में चला जाए तो उसका रोज़ा सहीह है क्योंकि उसने ऐसा जान बूझकर नहीं किया है।

इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है :

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ०५].

तुम से भूल चूक में जो कुछ हो जाये उसमें तुम पर कोई पाप नहीं, परन्तु पाप वह है जिसका निश्चय तुम हृदय से करो। (सूरतुल अहज़ाब: ५)

और इस व्यक्ति ने इसका निश्चय नहीं किया है।

और अल्लाह तआला का यह फरमान भी प्रमाण है:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: १०६].

“जो अपने ईमान के पश्चात अल्लाह से कुफ़र करे सिवाय उसके जिसे बाध्य किया गया है और उसका हृदय ईमान पर सन्तुष्ट हो, परन्तु जो लोग



खुले दिल से कुफ्र करें तो उन पर अल्लाह तआला का प्रकोप है और उन्हीं के लिए बड़ी यातना है।” (सूरतुन नहूल: १०६)

इस आयत से तर्क इस प्रकार है कि जब मनुष्य को कुफ्र पर बाध्य किए जाने के संबंध में छमा योग्य समझा गया है तो जो चीज़ कुफ्र से कमतर है उसमें उसे अधिक छमा का योग्य समझा जाएगा।

**जान बूझकर रोज़ा तोड़ देना:**

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त वर्णित शर्तों की पूर्ति के उपरान्त अर्थात् ज्ञान और ध्यान (स्मरण) रखते हुए अपनी इच्छा और अधिकार से रोज़ा तोड़ देता है तो उस पर निम्नलिखित बातें निष्कर्षित होती हैं:

**प्रथम :** उसे पाप मिलता है यदि रोज़ा वाजिब हो।

**द्वितीय :** रोज़ा फासिद हो जाता है।

**तीसरा :** यदि रमज़ान का महीना हो तो अवशेष दिन खाने पीने से रूकना अनिवार्य होजाता है।

**चौथा :** यदि वाजिब रोज़ा था तो कज़ा करना वाजिब होजाता है, परन्तु यदि उसका रोज़ा नफ़ली (ऐच्छिक) हो और उसने उसको फासिद कर दिया है तो उस पर

केवल एक चीज़ निष्कर्षित होती है और वह है उसके रोज़े का फासिद हो जाना।

**रमज़ान के दिन में सम्भोग करना :**

विशेष रूप से रमज़ान के महीने में दिन के समय सम्भोग कर लेने से एक पाँचवी चीज़ भी निष्कर्षित होती है और वह है : कफ़ारा (परायश्चित), अतः जो व्यक्ति रमज़ान के दिन में सम्भोग कर ले और रोज़ा उस पर वाजिब हो तो उस पर पाँच चीज़ें निष्कर्षित होती हैं:

- ①- पाप।
- ②- रोज़े का फासिद होना।
- ③- अवशेष दिन खाने पीने से रूक जाना।
- ④- कज़ा करना।
- ⑤- कफ़ारा अनिवार्य होना।

और वह कफ़ारा मुगल्लज़ा (कठोर कफ़ारा) है, और वह है : एक गुलाम (दास या दासी) आज़ाद करना, यदि वह न मिले तो निरंतर दो महीना रोज़ा

रखना, यदि उसका भी सामर्थ्य न रखता हो तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना।

इसका प्रमाण यह है:

**प्रथम : पाप**

इसका प्रमाण स्पष्ट है क्योंकि उसने एक वाजिब रोज़े को फासिद कर दिया है और हर वह व्यक्ति जो वाजिब चीज़ को फासिद कर दे वह पापी है।

**द्वितीय : अवशेष दिन खाने पीने से रूकना अनिवार्य होना:** और यह उसके लिए यातना के तौर पर है; क्योंकि रमज़ान के दिन में रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें वैध नहीं हैं सिवाय इसके कि कोई शरई कारण पाया जाए।

**तीसरा : कज़ा का अनिवार्य होना:** क्योंकि उसने एक अनिवार्य रोज़ा फासिद कर दिया है जिसकी कज़ा (छतिपूर्ति) करना आवश्यक है।

**चौथा : कफ़ारा**

जो व्यक्ति सम्भोग कर ले और उस पर रोज़ा वाजिब हो उसके लिए कफ़ारा के अनिवार्य होने का प्रमाण अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है वह कहते हैं: एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

के पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल मेरा सर्वनाश होगया। आप ने पूछा: “तुझे किस चीज़ ने सर्वनाश कर दिया?” उसने उत्तर दिया: मैं ने रमज़ान के दिन में रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे आदेश दिया कि एक गुलाम (दास या दासी) मुक्त करे, तो उसने कहा कि उसके पास नहीं है, तो आपने उसे निरंतर दो महीने का रोज़ा रखने का आदेश दिया, तो उसने कहा कि वह इसका सामर्थ्य नहीं रखता है तो आपने उसे साठ मिस्कीनों को भोजन कराने का आदेश दिया, तो उसने कहा कि वह इसका भी सामर्थी नहीं है, फिर आदमी बैठ गया, उसी बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास खजूरें आईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे कहा: “इसे लेजाकर दान कर दो”, किन्तु उस व्यक्ति ने कहा: क्या अपने से भी अधिक दरिद्र पर दान कर दूँ ? अल्लाह की सौगन्ध मदीना की दोनों पहाड़ियों के बीच मुझसे अधिक निर्धन कोई घराना नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “उसे अपने घर वालों को खिला दो”।

ज्ञात रहे कि यह कफ़ारा जैसाकि पूर्व उल्लेख किया जाचुका उस समय अनिवार्य है जब उस पर रमज़ान के अन्दर रोज़ा वाजिब हो, यदि वह रमज़ान के अतिरिक्त अन्य दिनों में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लेता है चाहे वह रमज़ान के रोज़े की कज़ा ही क्यों न कर रहा हो उस पर कफ़ारा नहीं है।

यदि रमज़ान के दिन में सम्भोग करले और रोज़ा उस पर अनिवार्य नहीं है, उदाहरण स्वरूप वह और उसकी पत्नी दोनों यात्रा पर हों और रोज़े से हों फिर वह रमज़ान में अपनी पत्नी से सम्भोग करले तो उस पर कफ़ारा नहीं है ; क्योंकि उसके लिए यात्री होने के कारण रोज़ा तोड़ना वैध है, और इस लिए भी कि कफ़ारा के लिए रोज़ा का वाजिब होना शर्त है और यात्री पर रोज़ा वाजिब नहीं है।

तथा सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, इसी प्रकार कान में दवा डालने से और विक्स सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता है; क्यों उसके अन्दर ऐसे भाग (कण) नहीं होते हैं जो ऊपर उठ कर पेट तक पहुँच जाएँ।

इसी प्रकार आँख में दवा की बूँदें (eye drops) डालने तथा धूनी लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है इस

शर्त के साथ कि वह पेट तक न पहुँचे, यदि पेट में पहुँच गया तो इससे रोज़ा टूट जायेगा, अतः इससे दूर रहना श्रेष्ठ है।



## रोज़े से संबंधित फतावे

प्रश्न 9 : रोज़ा के अनिवार्य किये जाने की क्या हिक्मत (उद्देश्य) है?

उत्तर : जब हम अल्लाह तआला का यह फरमान:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا  
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

.[البقرة: 183]

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम सयंम और भय अनुभव करो।” (सूरतुल बकरा: 9८३)

पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि रोज़ा के अनिवार्य किये जाने की हिक्मत क्या है? वह तक्वा और अल्लाह तआला की उपासना है, और तक्वा का अर्थ है समस्त प्रकार की धर्म निषेध चीज़ों को त्याग कर देना,

और तक्वा का शब्द सामान्य रूप से आदेशों के पालन करने और वर्जित तथा निषेध चीज़ों के त्याग करने को सम्मिलित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

« من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل  
فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. »

“जो व्यक्ति झूठ बात कहने, झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।”

इसलिए रोज़ेदार पर अवश्य हो जाता है कि वह कर्तव्यों का पालन करे तथा निषेध बातों और कर्मों से बचाव करे, चुनांचे लोगों की ग़ीबत (पिशुनता) न करे, झूठ न बोले, उनकी चुगलखोरी न करे (एक की बात दूसरे से न लगाए), अवैध क्रय-विक्रय न करे और समस्त हराम और निषेध कार्यों से बचाव करे, यदि मनुष्य यह सब पूरे एक महीने तक कर लेगा तो उसकी आत्मा साल के अवशेष दिनों में भी शुद्ध और स्वस्थ रहेगी।



परन्तु खेद की बात है कि अधिकांश रोज़ेदार अपने रोज़े के दिनों और अन्य दिनों के मध्य कोई अन्तर नहीं करते हैं, चुनांचे वह कर्तव्यों को छोड़ने और हराम चीज़ों के करने की अपने पूर्व व्यवहार और स्वभाव पर ही अटल रहते हैं, और आप उन पर रोज़े के वक़ार का कोई चिन्ह नहीं पायेंगे। इन कार्यों से रोज़ा व्यर्थ और अमान्य तो नहीं होता, किन्तु वह उसके पुण्य में अभाव पैदा कर देते हैं, और प्रायः दोनों की तुलना करने पर वह रोज़े के प्रतिफल पर भारी हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है।

**प्रश्न २:** कुछ लोग रमज़ान के महीने के प्रवेश करने (प्रारम्भ होने) आदि में उम्मत की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए इस बात का मुतालबा करते हैं कि समस्त मताले (चाँद के उदय होने के समय) को मक्का के मताले से संबंधित कर दिया जाए, इस विषय में आपका क्या विचार है?

**उत्तर :** अन्तरिक्ष विज्ञान के दृष्टिकोण से यह असम्भव है, क्योंकि चाँद के मताले (उदय होने के समय एवं स्थल) जैसाकि शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या -रहिमहुल्लाह- का कहना है इस विज्ञान के गुरुवों की सर्वसहमति के साथ विभिन्न होते हैं, और जब मताले

विभिन्न होते हैं तो शरई और अक़ली प्रमाणों का तकाज़ा यह है कि प्रत्येक देश का हुक्म विभिन्न हो।

शरई प्रमाण यह है कि अल्लाह तआला ने फरमाया है:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: १८५].

“तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए।” (सूरतुल बकरा: १८५)

मान लो कि धरती के अन्तिम छोर में कुछ लोगों ने इस महीने को नहीं पाया-चाँद नहीं देखा-और मक्का वालों ने चाँद देख लिया-महीना पालिया-तो इस आयत का सम्बोध्य (मुखातब) उन लोगों को कैसे बनाया जासकता है जिन्होंने इस महीने को नहीं पाया?! तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

(( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )) . متفق عليه .

“चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देखकर रोज़ा तोड़ो।” (बुखारी व मुस्लिम)

उदाहरण स्वरूप यदि मक्का वालों ने चाँद देख लिया तो हम पाकिस्तान वालों और उनके पीछे अन्य पूरबी

देशों के लोगों को कैसे वाध्य कर सकते हैं कि वह रोज़ा रखें, हालाँकि हमें ज्ञात है कि उनके छितिज (उफुक) में चाँद उदय नहीं हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे देखने पर लंबित किया है।

अक़ली प्रमाण से तात्पर्य सहीह क़ियास है जिसका प्रतिरोध करना असम्भव है, चुनांचे हम जानते हैं कि संसार के पूरबी दिशा में फ़ज़्र पश्चिमी दिशा से पहले उदय होती है, प्रश्न यह है कि जब पूरबी दिशा में फ़ज़्र उदय हो गयी तो क्या हम पर अनिवार्य है कि खाने पीने से रूक जायें जबकि हमारे यहाँ अभी रात ही है ? इसका उत्तर नहीं में होगा। और जब सूर्य पूरबी दिशा मे डूब गया किन्तु हमारे यहाँ अभी दिन ही है तो क्या हमारे लिये रोज़ा इफ़्तार करना वैध है? इसका उत्तर है कि नहीं। अतः चाँद पूर्ण रूप से सूर्य ही के समान है, अन्तर इतना है कि चाँद का समय-सारणी मासिक है और सूर्य की समय सारणी दिवसीय है। तथा जिस अस्तित्व का यह फरमान है कि:

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ

تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ  
 بَاشِرُوهُمْ وَأَبِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا  
 وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ  
 الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى  
 اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ  
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
 آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿البقرة: ١٨٧﴾

“रोजे की रातों में अपनी पत्नियों से सम्भोग करना तुम्हारे लिए वैध किया गया, वह तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनके पोशाक हो, तुम्हारी गुप्त खियानतों को अल्लाह तआला जानता है, उसने तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार करके तुम्हें क्षमा कर दिया, अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूँढने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े पूरे करो, और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में ऐतिकाफ़ में हो। यह अल्लाह

तआला की सीमाएँ हैं, तुम इनके निकट भी न जाओ। इसी प्रकार अल्लाह तआला अपनी आयतें लोगों के लिए वर्णन करता है ताकि वह बचें।”

(सूरतुल बकरा: १८७)

उसी अस्तित्व का यह फरमान है:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: १८०].

“तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए।” (सूरतुल बकरा: १८५)

चुनांचे शरई और अक्ली प्रमाणों का तकाज़ा यह है कि हम रोज़ा और इफ़तार से संबंधित प्रत्येक स्थान का एक विशेष आदेश निर्धारित करें, और उसे एक प्रत्यक्ष चिन्ह से जोड़ दिया जाए जिसे अल्लाह तआला ने अपनी किताब में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी सुन्नत में निर्धारित किया है और वह है चाँद का देखना और सूर्य अथवा फज़्र का उदय होना।

प्रश्न ३ : जब रोज़ेदार एक देश से दूसरे देश में जाए और पूर्व देश में शब्वाल के महीने के चाँद देखने की घोषणा कर दी जाए तो क्या वह व्यक्ति उनके

अधीन अपना रोज़ा तोड़ देगा? ज्ञात रहे कि दूसरे देश में शव्वाल का चाँद नहीं देखा गया है।

उत्तर : जब कोई व्यक्ति एक इस्लामी देश से दूसरे इस्लामी देश में जाए और जिस देश में गया है वहाँ इफ्तार (अर्थात् रोज़े का अन्त) विलम्ब होगया है, तो वह उनके साथ रोज़े की अवस्था में बाकी रहेगा यहाँ तक की वह रोज़ा तोड़ दें ; क्योंकि रोज़ा कहते हैं उस दिन को जिसमें लोग रोज़ा रखते हैं और फ़ित्र (रोज़ा तोड़ने या रोज़े से न होने) का दिन वह है जिस दिन लोग रोज़ा तोड़ दें या रोज़े से न हों और कुरबानी का दिन वह है जिस दिन लोग कुरबानी करें।

इस व्यक्ति ने यदि एक या अधिक दिन की वृद्धि कर दी है किन्तु उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि वह किसी दूसरे देश की यात्रा करे जहाँ सूर्य विलम्ब से डूबता है, तो वह सामान्य दिन पर दो घण्टा या तीन घण्टा या उससे भी अधिक घण्टों की वृद्धि कर देता है।

और इसलिए भी कि जब वह दूसरे देश में गया तो वहाँ चाँद नहीं देखा गया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आदेश दिया है कि हम चाँद देख कर ही रोज़ा रखें।

इसी प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फरमाया है:

((أَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ))

“चाँद देखकर रोज़ा तोड़ो अर्थात रोज़ा रखना बंद करो।”

इसके विपरीत यदि उदाहरण स्वरूप वह एक ऐसे देश से जहाँ रमज़ान का महीना विलम्ब से प्रवेश किया है ऐसे देश में जाता है जहाँ रमज़ान का महीना पहले ही आरम्भ हो चुका है तो वह वहाँ के लोगों के साथ रोज़ा तोड़ देगा और रमज़ान के जिन दिनों का रोज़ा छूट गया है उसकी पूर्ति करेगा, यदि एक दिन का रोज़ा छूटा है तो एक दिन पूरा करेगा और यदि दो दिन का रोज़ा छूट गया है तो दो दिन की कज़ा करेगा।

दूसरी स्थिति में हम ने रोज़े की कज़ा करने को कहा है क्योंकि महीना उन्तीस दिन से कम नहीं हो सकता और न ही तीस दिन से अधिक हो सकता है। और हमने उसे रोज़ा तोड़ देने को कहा है अगरचे उन्तीस दिन पूरा नहीं हुआ है ; क्योंकि चाँद दिखाई पड़ गया है, और जब चाँद दिखाई पड़ गया तो रोज़ा तोड़ना अनिवार्य है।

और जब आप ने उन्तीस दिन से कम रोज़ा रखा है और महीना उन्तीस कदन से कम नहीं होता है तो आपके लिए अनिवार्य है कि उन्तीस दिन पूरा करें।

पहला मसूअला इसके विपरीत है क्योंकि आप उस समय तक रोज़ा नहीं तोड़ सकते जब तक चाँद न देख लिया जाए, यदि चाँद दिखाई न दे तो आप अभी तक रमज़ान ही के महीने में हैं तो फिर कैसे रोज़ा तोड़ सकते हैं?

अतः आप पर रोज़ा अनिवार्य है और यदि आप पर महीना अधिक हो जाए तो यह दिन में कुछ घण्टों की वृद्धि के समान है।

**प्रश्न ४ :** जिस व्यक्ति का कार्य कष्टप्रद है और उसे रोज़ा रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए रोज़ा न रखना वैध है? इस विषय में आपका क्या विचार है?

**उत्तर :** इस मसूअले में मेरा विचार यह है कि उस व्यक्ति का काम के कारण रोज़ा न रखना निषेध (हराम) है वैध (जायज़) नहीं है, और यदि वह काम और रोज़े को एक साथ नहीं एकत्र कर सकता तो वह रमज़ान में अवकाश (छुट्टी) ले ले ताकि उसके लिए



रमज़ान में रोज़ा रखना सरल हो जाए; क्योंकि रमज़ान का रोज़ा इस्लाम के स्तम्भों में से एक स्तम्भ है जिसमें आघात करना वैध नहीं है।

**प्रश्न ५ :** एक छोटी बालिका को मासिक धर्म आगया और वह अनजाने में माहवारी के दिनों में रोज़ा रखा करती थी, तो उस पर क्या आवश्यक है?

**उत्तर :** उस पर अनिवार्य यह है कि उन दिनों के रोज़ों की कज़ा करे जो वह अपने मासिक धर्म के दिनों में रखा करती थी, क्योंकि मासिक धर्म के दिनों में रोज़ा न तो स्वीकार हेता है और न ही उचित और शुद्ध होता है यद्यपि वह अनजानी थी; क्योंकि कज़ा की कोई समय सीमा नहीं है।

**यहाँ पर इसके विपरीत एक मसूअला है :** एक स्त्री को मासिक धर्म आना प्रारम्भ होगया और वह अभी छोटी है, उसने लज्जा के कारण अपने घर वालों को सूचित नहीं किया और वह रोज़ा नहीं रखती थी, तो ऐसी स्त्री पर अनिवार्य है कि उस महीने की कज़ा करे जिसका रोज़ा उसने नहीं रखा है; क्योंकि स्त्री को जब मासिक धर्म आना प्रारम्भ होजाए तो वह मुकल्लफ

(ब्यस्क) हो जाती है क्योंकि मासिक धर्म बालिग होने (ब्यस्कता) के प्रमाणों में से एक प्रमाण है।

प्रश्न ६: एक व्यक्ति ने अपनी और अपने अधीन संतान की जीविका (रोज़ी रोटी) कमाने के लिए रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा तो इसका क्या हुक्म है?

उत्तर : यह व्यक्ति जिसने इस कारण रमज़ान के महीने का रोज़ा छोड़ दिया ताकि वह अपनी और अपने बाल बच्चों की जीविका का प्रबन्ध करे, यदि उसने ऐसा तावील करते हुए किया है उसका गुमान यह था कि जिस प्रकार बीमार के लिए रोज़ा न रखना जायज़ है उसी प्रकार उस व्यक्ति के लिए भी रोज़ा न रखना जायज़ है जो बिना रोज़ा तोड़े हुए जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति तावील (कष्ट कल्पना) करने वाला है और यदि वह जीवित है तो रमज़ान के रोज़ों की कज़ा करेगा, और यदि मर गया है तो उसकी ओर से रोज़ा रखा जाएगा, और यदि उसके वली (उत्तराधिकारी) ने उसकी ओर से रोज़ा नहीं रखा तो उसकी ओर से प्रत्येक दिन के बदले एक दरिद्र (मिस्कीन) को खाना खिलाया जाएगा।

यदि उसने बिना किसी तावील के रोज़ा छोड़ दिया है तो विद्वानों का राजेह (श्रेष्ठ) कथन यह है कि प्रत्येक इबादत जिसका एक समय निर्धारित है यदि मनुष्य जान बूझ कर उसे उसके समय से निकाल देता है (विलम्ब कर देता है) तो वह इबादत उससे स्वीकार नहीं की जाएगी, बल्कि उसके बदले सत्कर्मों, अधिकाधिक नवाफिल (ऐच्छिक नमाज़ों) और क्षमायाचना पर निर्भर करेगा, इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है जो आपसे सहीह हदीस में सिद्ध है:

((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))

“जिसने कोई ऐसा कार्य किया जो हमारे आदेश के अनुसार नहीं है तो वह मर्दूद (अस्वीकृति) है।”

(बुखारी, मुस्लिम हदीस न० १७१८)

जिस प्रकार कि किसी समय के साथ निर्धारित इबादत को उसके समय से पूर्व नहीं किया जाता उसी प्रकार किसी इबादत को उसके समय के पश्चात भी नहीं किया जाएगा, किन्तु यदि कोई कारण (उज़्र) हो जैसे कि जहालत और भूल-चूक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भूल-चूक के बारे में फरमाया है:

(( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها،  
لا كفارة لها إلا ذلك )) .

जे व्यक्ति किसी नमाज़ से सो जाए या उसे भूल जाए तो उसे चाहिए कि जैसे ही याद आए उसे पढ़ ले, उसका इसके अतिरिक्त कोई अन्य कफ़ारा (प्रायश्चित) नहीं है। (मुस्लिम हदीस न. ३१४)

हालाँकि अज्ञानता (जहालत) के विषय में कुछ विस्तार की आवश्यकता है जिसके उल्लेख करने का यह स्थान नहीं है।

**प्रश्न ७ :** रोज़ा तेड़ने के लिए वैध कारण क्या हैं? (वह कौन से कारण हैं जो रोज़ा तोड़ना अर्थात् रोज़ा न रखना वैध कर देते है?)

**उत्तर :** रोज़ा न रखने को वैध कर देने वाले कारण: बीमारी और यात्रा हैं जैसा कि कुरआन में इसका उल्लेख हुआ है, तथा एक कारण यह भी है कि गर्भवती स्त्री को अपने प्राण अथवा अपने गर्भाशय पर (हानि का) भय हो, इसी प्रकार एक कारण यह भी है कि दूध पिलाने वाली स्त्री को यदि वह रोज़ा रखती है तो उसे अपने प्राण पर अथवा दूध पीते बच्चे पर (हानि का)

भय हो, तथा एक कारण यह भी है कि मनुष्य को किसी मासूम को मरने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता हो, उदाहरण के तौर पर समुद्र में किसी डूबते हुए व्यक्ति को देखे, या किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर पाए जहाँ वह चारों ओर से आग में घिरा हुआ हो, तो उसको मुक्त कराने के लिए उसे रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए जायज़ है कि रोज़ा तोड़ दे और उसकी जान बचाए, और रोज़ा तोड़ने को वैध करार देने वाले कारणों में से यह भी है कि मनुष्य को अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता हो, चुनांचे यह भी रोज़ा न रखने को जायज़ करार देने वाले कारणों में से है, क्योंकि फत्हे मक्का के अवसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साथियों से फरमाया था:

(( إنكم لاقوا العدو غدا، والظفر أقوى لكم ))

(( فافطروا ))

“कल तुम शत्रुओं का सामना करने वाले हो, और रोज़ा न रखना तुम्हारे लिए अधिक शक्तिप्रद है, अतः तुम रोज़ा तोड़ दो।” (मुस्लिम हदीस नं. 9920)

जब रोज़ा तोड़ देने का वैध कारण पाया जाए और मनुष्य उसके कारण रोज़ा तोड़ दे तो उस पर उस अवशेष दिन खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है, मान लो कि एक व्यक्ति ने किसी मासूम को मरने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ दिया तो उसे बचाने के पश्चात भी वह रोज़ा तोड़ने ही की अवस्था में बाकी रहेगा, क्योंकि उसने एक ऐसे कारण से रोज़ा तोड़ा है जो उसके लिए रोज़ा तोड़ना वैध कर देता है इसलिए उस समय उस पर खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उस दिन की हुरमत रोज़ा तोड़ने को वैध कर देने वाले कारण से समाप्त हो गया, अतः हम कहते हैं कि इस मसअले में श्रेष्ठ कथन यह है कि:

यदि बीमार दिन के बीच स्वस्थ होजाए और उसने रोज़ तोड़ रखा था तो अब उस पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य नहीं है, और यदि यात्री दिन के बीच अपने देश लौट कर आए और वह रोज़े से नहीं था तो अब उस पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य नहीं है, और यदि स्त्री दिन के बीच पवित्र हो जाए तो अवशेष दिन खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि इन सब लोगों ने रोज़ा तोड़ देने को वैध कर देने वाले कारण से रोज़ा तोड़ा है, इसलिए वह दिन उनके हक़ मे

रोज़े की हुरमत नहीं रखता है क्योंकि शरीअत ने उस दिन उनके लिए रोज़ा तोड़ देना वैध कर दिया है, सो उन पर खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है।

इसके विपरीत यदि दिन के बीच रमज़ान के महीने का प्रवेश करना (आरम्भ होना) सिद्ध हो जाए तो ऐसी अवस्था में खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य हो जाता है, दोनो के बीच अन्तर स्पष्ट है; क्योंकि यदि दिन के बीच गवाही सिद्ध होजाती है तो यह सिद्ध होगया कि उस दिन उन पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य है, किन्तु गवाही के सिद्ध होने से पूर्व वह अज्ञानता (जहालत) के कारण छमा योग्य थे।

इसी कारण यदि वह लोग जानते होते कि आज का दिन रमज़ान का दिन है तो उन पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य होता, किन्तु वह दूसरे लोग जिनकी ओर हम संकेत कर चुके हैं उनके लिए रोज़ा तोड़ना उनके ज्ञान के होते हुए वैध करार दिया गया है, इस प्रकार दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट है।

**प्रश्न ८ :** एक व्यक्ति रमज़ान की पहली रात को महीने के सिद्ध होने से पूर्व ही सोगया और रात को रोज़े की नियत नहीं की, फज़्र के निकलने के पश्चात

उसे ज्ञात हुआ कि आज का दिन रोज़े का दिन है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करे? और क्या वह उस दिन की कज़ा करेगा?

**उत्तर:** यह व्यक्ति जो रमज़ान की पहली रात को महीने के सिद्ध होने के पूर्व ही सो गया और रात को रोज़े की नियत नहीं की, फिर वह सोकर उठा और फज़्र के निकलने के पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि आज का दिन रमज़ान का दिन है, तो जब उसे ज्ञात हो गया तो उस पर अनिवार्य है कि वह खाने पीने से रूक जाए और जम्हूर उलमा (धर्मज्ञानियों) के निकट उस पर कज़ा करना अनिवार्य है, और मेरे ज्ञान के अनुसार इस विषय में केवल शैखुल-इस्लाम इब्ने तैमिया-रहिमहुल्लाह-ने मतभेद किया है, उनका कथन है: नियत ज्ञान के अधीन है और इसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अतः वह क्षमा योग्य है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उसने नियत त्याग नहीं की है, बल्कि वह जाहिल (अनजाना) था और जाहिल क्षमा योग्य (माज़ूर) है, इसलिए जब उसने ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात खाना पीना बंद कर दिया तो उसका रोज़ा सहीह है, और इस कथन के अनुसार उस पर कज़ा नहीं है।



किन्तु जम्हूर उलमा का कहना है कि उस पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य है और कज़ा भी अनिवार्य है, और उसका कारण यह बताया है कि उससे दिन का एक भाग बिना नियत के छूट गया है।

मेरा विचार यह है कि उसके लिए सावधानी इसी में है कि वह उस दिन की कज़ा कर ले।

**प्रश्न: ६ :** यदि कोई व्यक्ति किसी कारण रोज़ा तोड़ दे और दिन के बीच ही में कारण समाप्त होजाए तो क्या वह अवशेष दिन खाने पीने से रूका रहेगा ?

**उत्तर :** उस पर खाने पीने से रूका रहना अनिवार्य नहीं है, और यह इसलिए कि उसने इस दिन को शरई दलील के द्वारा वैध किया है, चुनांचे शरीअत ने दवा प्रयोग करने के लिए विवश व्यक्ति को दवा प्रयोग करना वैध कर दिया है, किन्तु जब वह दवा प्रयोग कर लेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। इस प्रकार उसके हक़ में उस दिन की हुरमत (धर्मनिषेधता और सम्मान) सिद्ध नहीं है ; क्योंकि उसके लिए रोज़ा तोड़ना वैध कर दिया गया है, किन्तु उस पर कज़ा अनिवार्य है, और हमारा उसे बिना किसी शरई लाभ के इस चीज़ का बाध्य करना कि वह खाने पीने से रूका रहे उचित नहीं है। अतः जब उस

व्यक्ति को खाने पीने से बाज़ रहने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम उसे उसके लिए बाध्य नहीं करेंगे।

इसका उदाहरण यह है कि : एक आदमी ने किसी को पानी में डूबता हुआ देखा और सोचा कि यदि मैं पानी पी लेता हूं तो उसको डूबने से बचा सकता हूं और अगर नहीं पीता हूं तो उसको डूबने से बचाने में असमर्थ रहूंगा, ऐसी अवस्था में वह पानी पी लेगा और उसको डूबने से बचाएगा और अवशेष दिन खाये पियेगा, क्योंकि इस आदमी के लिए यह दिन सम्मान योग्य (हुरमत वाला) नहीं है क्योंकि उसने इसे शरीअत के अनुसार हलाल (वैध) किया है, इसलिए उस पर खाने पीने से रूका रहना अनिवार्य नहीं है। अतः : यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो क्या हम उस से यह कहेंगे कि: जब भूख लगे तभी खाओ और जब प्यास लगे तभी पियो? अर्थात् -दूसरे शब्दों में- आवश्यकता की सीमा तक ही खाओ पियो, हम उस से ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि बीमार के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है, जिसने भी रमज़ान में शरई दलील के अनुसार रोज़ा तोड़ दिया उस पर खाने पीने से रूका रहना अनिवार्य नहीं है, और इसके विपरीत कर्म का आदेश इसके विपरीत है,

चुनांचे जिसने किसी कारण के बिना रोज़ा तोड़ दिया उस पर खाने पीने से रूका रहना अनिवार्य है, क्योंकि उसके लिए रोज़ा तोड़ना वैध नहीं है और उसने बिना शरीअत की अनुमति के उस दिन की हुर्मत (सम्मान) का अपमान किया है, अतः हम उसे खाने पीने से रूके रहने और क़ज़ा करने पर बाध्य करेंगे। और अल्लाह तआला ही सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है।

प्रश्न १० : एक स्त्री रूधिर की ग्रन्थि (खून की नालियों में खून का जमाव THROMBUS) से पीड़ित है और डॉक्टरों ने उसे रोज़ा रखने से रोक दिया है, उसका क्या हुक्म है?

उत्तर : अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ  
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ  
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ  
بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ١٨٥)

“रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरआन उतारा गया जो लोगों के लिए मार्गदर्शक है और जिसमें मार्गदर्शन की और सत्य तथा असत्य के बीच अन्तर की निशानियाँ हैं, तुम में से जो व्यक्ति इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे, अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है।” (सूरतुल बकरा: १८५)

और जब व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिस से स्वस्थ होने की आशा न हो तो वह प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए गा। खाना खिलाने की विधि (तरीका) यह है कि उन पर खाने का अनाज (चावल) बांट दे, और श्रेष्ठ यह है कि उसके साथ गोश्त आदि का सालन भी दे। अथवा वह मिस्कीनों को दूपहर या रात के खाने पर बुलाये और उन्हें दूपहर या रात का खाना खिलाये, यह उस बीमार का हुक्म है जिसके बीमारी के ठीक होने की आशा नहीं है। और यह स्त्री जिस बीमारी से पीड़ित है वह इसी प्रकार की है। अतः उस पर अनिवार्य है कि वह प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए।

प्रश्न ११ : मुसाफिर की नमाज़ और उसका रोज़ा किस प्रकार होगा ?

उत्तर : मुसाफिर की नमाज़ जब वह अपने नगर से निकलता है उस समय से लेकर फिर वहीं वापस लौटने तक दो रिकअतें हैं, इसका प्रमाण आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का यह फरमान है:

(( أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر )) .

وفي رواية: (( وزيد في صلاة الحضر )) .

“सर्वप्रथम जब नमाज़ अनिवार्य हुई तो दो रिकअत थी, फिर यात्रा की नमाज़ बरकरार रखी गई और हज़र की नमाज़ पूरी कर दी गई”।

और एक रिवायत में है कि: “हज़र की नमाज़ में वृद्धि कर दी गई।” (बुखारी हदीस न. १०६०, मुस्लिम हदीस न. ६८५)

और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं:

“ हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मदीना से मक्का की ओर निकले तो आप मदीना वापस लौटने तक दो-दो रिकअत नमाज़ पढ़ते रहे”। (बुखारी हदीस न० १०८१, मुस्लिम हदीस न० ६६३)

किन्तु अगर वह ईमाम के साथ नमाज़ पढ़ेगा तो पूरी नमाज़ पढ़ेगा, चाहे उसने इमाम के साथ पूरी नमाज़ पाई हो या कुछ रिकअतें छूट गई हों; इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान सामान्य है:

(إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم  
السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا،  
وما فاتكم فأتموا))

“जब तुम इक़ामत सुनो तो नमाज़ के लिए चल पड़ो, इस स्थिति में कि तुम पर शान्ति और गम्भीरता प्रकट हो और दौड़ते हुए न चलो, जो कुछ मिले उसे पढ़ लो और जो छूट जाए उसे पूरा कर लो।”

(बुखारी हदीस न० ६३६, मुस्लिम हदीस न० १५१)

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान ”जो कुछ मिले उसे पढ़ लो और जो छूट जाए उसे पूरा कर

लो” सामान्य रूप से चार रिकअत नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुसाफिरोँ को सम्मिलित है और उनके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी।

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से प्रश्न किया गया कि क्या बात है कि यात्री जब अकेले नमाज़ पढ़ता है तो दो रिकअत पढ़ता है और जब किसी मुक़ीम के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो चार रिकअत पढ़ता है? उन्हों ने उत्तर दिया:“ यही सुन्नत है”।

जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना मुसाफिर के लिए क्षमा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तआला ने युद्ध की अवस्था में भी इसका आदेश दिया है। अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ۱۰۲]

“जब तुम उन में हो और उनके लिए नमाज़ खड़ी करो तो चाहिए कि उनकी एक जमाअत तुम्हारे साथ अपने हथ्यार लिए खड़ी हो, फिर जब

यह सज्दा कर चुकें तो यह हट कर तुम्हारे पीछे आजाएं और वह दूसरी जमाअत जिसने नमाज़ नहीं पढ़ी वह आजाए और तेरे साथ नमाज़ अदा करे।” (सूरतुन-निसा: १०२)

इसलिए यदि यात्री अपने नगर के अतिरिक्त किसी अन्य नगर में हो और अज़ान की आवाज़ सुनता हो तो उस पर मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है, किन्तु यदि वह अतिदूर हो, या उसे अपने साथियों से बिछड़ जाने का भय हो तो अनिवार्य नहीं है, इसलिए कि अज़ान या इक़ामत सुनने वाले पर जमाअत अनिवार्य होने पर दलालत करने वाले प्रमाण सामान्य हैं (उसमें यात्री भी दाखिल है)।

जहाँ तक नफली नमाज़ों का प्रश्न है तो यात्री जुहूर, मग़ि़ब और इशा की सुन्नतों को छोड़ कर समस्त प्रकार की नफली नमाज़ों को पढ़ेगा। इस प्रकार वह वित्र, रात की नमाज़ (तहज्जुद) चाशत की नमाज़, फज़्र की सुन्नत और इसके अतिरिक्त अन्य नफली नमाज़ें सिवाय मुअक्किदा सुन्नतों के पढ़ेगा।



जहाँ तक दो नमाज़ों को एक साथ पढ़ने का संबंध है तो यदि वह यात्रा में चल रहा है (किसी स्थान पर ठहरा हुआ नहीं है) तो उसके लिए श्रेष्ठ यह है कि वह जुहूर और अस्त्र को एक साथ तथा मगूरिब और इशा को एक साथ पढ़े, चाहे वह जमा तक्दीम करके (अर्थात् दोनों नमाज़ों को पहली नमाज़ के समय पर) पढ़े या जमा ताखीर करे (अर्थात् दोनों नमाज़ों को दूसरी नमाज़ के समय पर पढ़े) जो उसके लिए सरल हो वही करे, और उसके लिए जो जितना ही सरल है वही उसके लिए श्रेष्ठ है।

और अगर यात्रा के मध्य वह किसी स्थान पर पड़ाव डाले हो तो श्रेष्ठ यह है कि वह दो नमाज़ों को एक साथ जमा न करे, और यदि जमा कर लेता है तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दोनों बातें सहीह सिद्ध हैं।

जहाँ तक यात्री के रमज़ान में रोज़ा रखने का सवाल है तो उसके लिए श्रेष्ठ रोज़ा रखना ही है, यदि वह रोज़ा तोड़ देता है तो कोई गुनाह नहीं, वह जिन दिनों का रोज़ा नहीं रखा है उनकी कज़ा करेगा, परन्तु अगर उसके लिए रोज़ा न रखना ही सरल है तो उसके लिए श्रेष्ठ रोज़ा तोड़ देना ही है; इसलिए कि अल्लाह तआला

इस बात को पसन्द करता है कि उसकी रूखसतों को अपनाया जाए। और हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह रब्बुल-आलमीन के लिए है।

**प्रश्न १२ : कठिनाई के होते हुए मुसाफिर के रोज़ा रखने का क्या हुक्म है ?**

**उत्तर :** यदि यात्री पर रोज़ा रखना इतना कठिन हो कि वह सहनशील हो तो रोज़ा रखना मक्रूह (अनेच्छिक) है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति को देखा कि उस पर छाया किया गया था और लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाये हुए थे, आप ने पूछा: यह क्या है? लोगों ने कहा: यह रोज़े से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

« ليس من البر الصيام في السفر. »

**“यात्रा में रोज़ा रखना पुण्य (नेकी) नहीं है।”**

(बुखारी हदीस नं. १६४६, मुस्लिम हदीस नं. १११५)

किन्तु यदि रोज़ा उस पर अधिक कठिन हो तो उसके लिए रोज़ा तोड़ देना अनिवार्य है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जब लोगों ने यह शिकायत की कि उन पर रोज़ा कठिन पड़ रहा है तो आप ने रोज़ा तोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम से बतलाया गया कि कुछ लोग रोज़े से हैं, तो उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “वही लोग अवज्ञाकारी (नाफरमान) हैं, वही लोग अवज्ञाकारी हैं”। (मुस्लिम हदीस न० १११४)

लेकिन जिस पर रोज़ा कठिन नहीं है उसके लिए श्रेष्ठ यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुपालन करते हुये रोज़ा रखे क्योंकि आप रोज़ा रखते थे, जैसा कि अबु दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : “हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सख्त गर्मी के ज़माने में रमज़ान के महीने में यात्रा पर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अतिरिक्त हम में से कोई रोज़ा नहीं था ”। (बुखारी हदीस न० १६४५, मुस्लिम हदीस न० ११२२)

प्रश्न १३ : यात्री के रोज़े का क्या हुकम है जबकि वर्तमान युग में ट्रॉस्पॉर्ट के नवीन साधन उपलब्ध होने के कारण रोज़ेदार पर रोज़ा रखना कठिन और कष्ट दायक नहीं हैं?

उत्तर : यात्री के लिए अधिकार है कि वह रोज़ा रखे या रोज़ा तोड़ दे, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: १३०).

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।”

(सूरतुल बकरा: १८५)

सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ यात्रा करते थे और उनमें से कुछ रोज़े से होते थे और कुछ रोज़े से नहीं होते थे, तो रोज़ेदार, रोज़ा न रखने वाले पर और रोज़ा न रखने वाला, रोज़ा रखने वाले पर कोई आपत्ति व्यक्ति नहीं करता था। स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यात्रा में रोज़ा रखते थे। अबु दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं : “ सख्त गर्मी के मौसम में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सफर किया और हम में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा के सिवाय कोई रोज़े से नहीं था। (बुखारी हदीस न० १६४५, मुस्लिम हदीस न० ११२२)

मुसाफिर के विषय में नियम (सिद्धान्त) यह है कि उसे रोज़ा रखने और न रखने के बीच अधिकार प्राप्त है, किन्तु यदि रोज़ा रखना उसके लिए कष्टदायक नहीं है तो उसके लिए रोज़ा रखना ही श्रेष्ठ है; इसलिए कि इसमें तीन लाभ हैं:

**प्रथम** : रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुपालन और अनुसरण करना।

**द्वितीय** : सरलता और सुविधा, मनुष्य पर रोज़े का सरल और आसान होना; इसलिए कि जब आदमी लोगों के साथ रोज़ा रखता है तो उसके लिए वह अधिक सरल होजाता है।

**तीसरा लाभ** : वह शीघ्रता से भार-मुक्ति (ज़िम्मेदारी से बरी) होजाता है।

यदि रोज़ा उसके लिए कठिन और कष्टप्रद है तो वह रोज़ा नहीं रखेगा, और ऐसी स्थिति में यात्रा के दौरान रोज़ा रखना पुण्य का कार्य नहीं है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति को देखा कि उस पर छाया किया गया था और लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाये हुए थे, आप ने पूछा: “यह क्या

है”? लोगों ने कहा: यह रोज़े से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

((ليس من البر الصيام في السفر))

“यात्रा में रोज़ा रखना पुण्य (नेकी) नहीं है।” (बुखारी हदीस न. १६४६, मुस्लिम हदीस न. १११५)

सो, इस सामान्य हदीस को उस व्यक्ति पर भी लागु किया जाएगा जिसकी स्थिति इस व्यक्ति के समान हो, उस पर रोज़ा रखना कठिन हो।

इस आधार पर हम कहते हैं: वर्तमान युग में -जैसा कि प्रश्नकर्ता ने कहा- यात्रा सरल होगया है, सामान्यता उसमें रोज़ा रखना कठिन नहीं होता है। अतः यदि उसमें रोज़ा रखना कठिन नहीं है तो रोज़ा रखना ही श्रेष्ठ है।

**प्रश्न १४ :** यात्री यदि रोज़े की अवस्था में मक्का पहुँचे तो क्या वह उमरा करने के लिए शक्ति जुटाने के लिए रोज़ा तोड़ देगा ?

**उत्तर :** हम कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का विजय होने के साल बीस रमज़ान को मक्का में प्रवेश किया और आप रोज़े से नहीं थे, और

मक्का वालों को दो रिकअत नमाज़ पढ़ाते थे और उनसे कहते थे: “ऐ मक्का वालो ! तुम पूरी नमाज़ पढ़ो, क्योंकि हम यात्रा में हैं,,।

तथा सहीह बुखारी में साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अवशेष महीना रोज़ा से नहीं थे, इसलिए कि आप यात्री थे, और उमरा करने वाले की यात्रा मक्का पहुँच कर समाप्त नहीं होजाती है, और न ही उस पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य है यदि वह रोज़ा तोड़े हुए आया है। कुछ लोग यात्रा में भी अपना रोज़ा जारी रखते हैं, इस दृष्टिकोण से कि वर्तमान युग में यत्रा में रोज़ा रखना उम्मत पर कठिन नहीं है। सो वह अपनी यात्रा में अपने रोज़े को जारी रखता है, फिर थका हारा मक्का पहुँचता है और दिल में सोचता है कि क्या मैं अपने रोज़े को बरकरार रखूँ और रोज़ा खोलने तक उमरा को विलम्ब कर दूँ ? अथवा मैं रोज़ा तोड़ दूँ ताकि मक्का पहुँचते ही तुरन्त उमरा कर सकूँ ?

ऐसी स्थिति में हम उस से कहेंगे : श्रेष्ठ यह है कि तुम रोज़ा तोड़ दो ताकि तुम मक्का पहुँचने के तुरन्त पश्चात स्फूर्ति के साथ उम्रा कर सको; इसलिए कि किसी नुसुक अर्थात् उम्रा या हज्ज की अदायगी के लिए

मक्का आने वाले के लिए सुन्नत का तरीका यह है कि वह अपने उस नुसुक (इबादत) की अदायगी के लिए जल्दी करे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब किसी नुसुक (हज्ज या उम्रा) के इरादे से मक्का में प्रवेश करते थे तो मस्जिद की ओर जल्दी करते थे, यहाँ तक कि आप अपनी सवारी को मस्जिद के (द्वार के) पास ही बैठा देते थे और उस नुसुक की अदायगी के लिए मस्जिद में प्रवेश कर जाते थे जिसके लिए आप इहराम बाँधे होते थे। अतः ऐ उम्रा करने वाले तेरा रोज़े को तोड़ देना ताकि तू स्फूर्ति के साथ दिन में उम्रा कर सके इस बात से उत्तम है कि तू रोज़े की हालत में बाकी रहे, फिर रात को रोज़ा खोलने के पश्चात उम्रा पूरा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विषय में साबित है कि आप फत्हे मक्का की लड़ाई के अवसर पर अपनी यात्रा के दौरान रोज़े से थे, कि कुछ लोग आप के पास आये और कहा: ऐ अल्लाह के पैग़म्बर ! लोगों पर रोज़ा कठिन सिद्ध हो रहा है और वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, यह अम्र के बाद का समय था, चुनाँचे आप ने पानी मंगाया और उसे पी लिया इस हालत में कि लोग आप को देख रहे थे। (मुस्लिम हदीस न० १११४)



इससे ज्ञात हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यात्रा के दौरान रोज़ा तोड़ दिया, बल्कि दिन के अन्तिम भाग में रोज़ा तोड़ दिया। यह सब कुछ केवल इस कारण किया ताकि आप उम्मत के लिए स्पष्ट कर दें कि यह जायज़ है। तथा कुछ लोगों का कष्ट और कठिनाई के होते हुये यात्रा के दौरान रोज़ा रखना निःसन्देह सुन्नत के विरुद्ध है, और उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान सत्य सिद्ध होता है:

(( ليس من البر الصيام في السفر ))

“यात्रा में रोज़ा रखना पुण्य (नेकी) नहीं है।”

(बुखारी हदीस नं० १६४६, मुस्लिम हदीस नं० १११५)

प्रश्न १५ : क्या दूध पिलाने वाली स्त्री के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ (वैध) है? तथा वह उसकी क़ज़ा कब करेगी? और क्या वह खाना खिला सकती है?

उत्तर : यदि दूध पिलाने वाली स्त्री को अपने शिशु पर इस बात का डर है कि रोज़े के कारण उसका दूध कम हो जायेगा जिस से बच्चे को हानि पहुंचे गा तो उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है। किन्तु बाद में वह उसकी क़ज़ा करेगी, इसलिए कि वह उस बीमार के

समान है जिसके संबंध में अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

[البقرة: १८५].

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है।” (सूरतुल बकरा: १८५)

अतः जब भी आपत्ति (समस्या) समाप्त हो जाए तो वह रोज़े की क़ज़ा करेगी, या तो जाड़े के मौसम में क्योंकि दिन छोटा और वातावरण ठण्डा होता है, या अगर जाड़े के मौसम में न हो तो अगले साल में क़ज़ा करेगी। किन्तु जहाँ तक (हर दिन के बदले) खाना खिलाने का प्रश्न है तो यह केवल उसी परिस्थिति में वैध है जब आपत्ति या रुकावट निरंतर हो उसके समाप्त होने की आशा न हो, यही एक हालत है जिसमें रोज़े के बदले खाना खिलाना जायज़ है।

प्रश्न १६ : यदि रोज़ेदार दिन का अधिकांश भाग सख्त भूख और प्यास के कारण लेट कर विश्राम में गुज़ारता है तो क्या इससे उसके रोज़े के सहीह होने पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर : उसके रोज़े के सहीह होने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा उसे उसमें और अधिक सवाब मिलेगा, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया:

(( أَجْرُكَ عَلَى قَدَرِ نَصَبِكَ ))

“तुझे तेरी थकावट और कष्ट के अनुसार अज़्र व सवाब मिलेगा।” (बुखारी हदीस न. १७८७, मुस्लिम हदीस न. १२२१)

चुनाँचे जितना ही अधिक मनुष्य अल्लाह तआला के आज्ञापालन में कष्ट और परिश्रम उठायेगा उसे उतना ही अधिक सवाब (पुण्य) मिलेगा। तथा उसके लिए ऐसी चीज़ें करना जायज़ है जो उस पर उसके रोज़े को सरल करदे, जैसे कि पानी से ठंडक प्राप्त करना और ठंडे पानी में बैठना।

**प्रश्न १७ :** क्या रमज़ान में रोज़े के प्रत्येक दिन की नियत करना आवश्यक है या पूरे महीने के रोज़े की एक ही नियत कर लेना पर्याप्त (काफी) है ?

**उत्तर :** रमज़ान के रोज़े के लिए उसके प्रारम्भ ही में एक नियत कर लेना पर्याप्त है, क्योंकि रोज़ेदार ने यद्यपि प्रत्येक दिन उस दिन के रोज़े की नियत रात ही से नहीं की, किन्तु उसका रोज़ा रखने की नियत उसके दिल में महीने के शुरू ही से थी। लेकिन यदि वह महीने के बीच में यात्रा, या बीमारी, या किसी और कारणवश रोज़े के क्रम (सिलसिले) को काट दे तो ऐसी स्थिति में नये सिरे से नियत करना आवश्यक है; क्योंकि उसने यात्रा और बीमारी आदि के कारण रोज़ा बन्द करके नियत को समाप्त कर दिया।

**प्रश्न १८ :** क्या बिना कुछ खाए या पिए केवल रोज़ा तोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लेने से रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाता है ?

**उत्तर :** ज्ञात होना चाहिए कि रोज़ा नियत और रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को त्याग करने का नाम है, चुनांचे आदमी अपने रोज़े के द्वारा रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को त्याग करके अल्लाह तआला की समीपता और निकटता

प्राप्त करने की नियत करता है, और जब उसने यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि निश्चित रूप से उसने रोज़ा तोड़ दिया तो उसका रोज़ा बातिल (व्यर्थ) हो जाएगा। लेकिन यदि वह रमज़ान के महीने में है तो सूरज डूबने तक उस पर खाने पीने से रूका रहना अनिवार्य है, इसलिए कि जिसने रमज़ान के महीने में बिना वैध कारण के रोज़ा तोड़ दिया उस पर खाने पीने से रूका रहना और कज़ा करना अनिवार्य है।

किन्तु यदि उसने दृढ़ संकल्प नहीं किया है बल्कि उसे तरद्दुद (असमंजस) है तो उलमा के मध्य इसके बारे में मतभेद है:

**कुछ लोगों का कहना है:** उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा; इसलिए कि तरद्दुद (अनिश्चिता) दृढ़ संकल्प के विरुद्ध है।

और कुछ लोगों का कहना है : उसका रोज़ा बातिल (अस्वीकृति) नहीं होगा ; इसलिए कि असल रोज़े की नियत का बाकी रहना है यहाँ तक कि उसके समाप्त करने और काटने की नियत कर ले।

मेरे निकट यही उचित है, इसलिए कि इसमें शक्ति और दम पाया जाता है, और अल्ला तअलाला सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है।

**प्रश्न १६ :** यदि रोज़ेदार भूल कर खा (पी) ले तो उसका क्या हुक्म है ? और उसको देखने वाले पर क्या अनिवार्य है?

**उत्तर :** जो व्यक्ति रोज़े की हालत में भूल कर खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा उचित है, किन्तु जब याद आजाए तो उस पर तुरन्त रुक जाना अनिवार्य है, यहाँ तक कि यदि खाने का लुक़्मा या पानी का घूँट उसके मुँह में हो तो उस पर वाजिब है कि वह उसे थूक दे, उसके रोज़े के परिपूर्ण होने की दलील नबी ﷺ का यह फरमान है जो अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से सिद्ध है :

((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه،

فإنما أطعمه الله وسقاه)).

“जो व्यक्ति रोज़े से हो और भूल कर खा ले या पी ले तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे ; क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और

पिलाया है।” (बुखारी हदीस नं. १६३३, मुस्लिम हदीस नं. ११५५)

तथा इसलिए भी कि भूल चूक कर किसी निषेध काम के कर लेने पर मनुष्य की पकड़ नहीं होती है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

(البقرة: २८६)

“ऐ हमारे रब! यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमें न पकड़ना।” (सूरतुल बकर: २८६)

इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया: मैं ने स्वीकार किया।

जो व्यक्ति उसे (रोज़े की हालत में खाते पीते) देखे उस पर वाजिब है कि उसे याद दिलाये; इसलिए कि यह बुराई से रोकने और उसका निवारण करने में दाखिल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع

فلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه))

“तुम में से जो व्यक्ति किसी मुन्कर (निषेध) चीज़ को देखे तो उसे चाहिए कि उसको अपने हाथ से रोके, यदि इसकी शक्ति नहीं रखता है तो अपनी जुबान से रोके, यदि यह भी नहीं कर सकता तो उसे अपने दिल में बुरा समझे।”  
(मुस्लिम हदीस न० ४६)

और इस में कोई सन्देह नहीं कि रोज़ेदार का रोज़े की अवस्था में खना और पीना मुन्कर और निषेध चीज़ों में से है, किन्तु भूल चूक की हालत में क्षमा योग्य है; क्योंकि उस पर पकड़ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उसे ऐसी हालत में देखे उसके लिए उसे न टोकने का कोई कारण और बहाना नहीं है।

**प्रश्न २० :** रोज़ेदार के लिए सुर्मा लगाने का क्या हुक्म है ?

**उत्तर :** रोज़ेदार के लिए सुर्मा लगाने में कोई हर्ज (आपत्ति) नहीं है, इसी प्रकार आँख और कान में दवा की बूँदें (**Eye/Ear drops**) डालने में कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ तक कि अगर रोज़ेदार उसका स्वाद अपने गले में अनुभव करे फिर भी उससे रोज़ा नहीं टूटता है; क्योंकि वह न तो खाना और पीना है और न ही खाने



और पीने के अर्थ में है, और दलील (तर्क) केवल खाने और पीने के निषेध होने के विषय में आई है, अतः जो चीज़ उनके अर्थ में नहीं है उस पर उनका हुक्म नहीं लागू होगा।

यह मैं ने जो उल्लेख किया है इसी को शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह -रहिमहुल्लाह- ने चयन और पसन्द किया है और यही उचित है। किन्तु यदि रोज़ेदार अपनी नाक में दवा की बूँदें टिपकाता है और वह उसके पेट के अन्दर चली जाती है तो अगर उसने ऐसा जान बूझ कर किया है तो इस से रोज़ा टूट जाएगा ; इसलिए कि नबी ﷺ का फरमान है:

(( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) .

“नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा से काम लो, सिवाय इसके कि तुम रोजे से हो।” (अबु दाऊद हदीस नं. १४२, तिरमिज़ी हदीस नं. ३८, नसाई हदीस नं. ८७, इब्ने माजा हदीस नं. ४४८)

प्रश्न २१ : रोज़ेदार के लिए मिस्वाक करने और सुगन्ध लगाने का क्या हुक्म है ?

उत्तर : सहीह (उचित) बात यह है कि रोज़ेदार के लिए दिन के शुरू भाग में और अन्तिम भाग में मिस्वाक

करना सुन्नत है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान सामान्य है :

(( السواك مطهرة للضم مرضاة للرب )).

“मिस्वाक करना मुंह की सफाई (पवित्रता) और रब्ब (अल्लाह) की प्रसन्नता का कारण है।”  
(बुखारी)

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन भी :

(( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة )).

“यदि मुझे अपनी उम्मत पर कष्ट और कठिनाई का भय न होता तो मैं उन्हें प्रत्येक नमाज़ के साथ मिस्वाक करने का आदेश देता।” (बुखारी, मुस्लिम हदीस न. २५२)

जहाँ तक सुगन्ध लगाने की बात है तो यह भी रोज़ेदार के लिए दिन के प्रारम्भिक और अन्तिम दोनों भाग में जायज़ है, चाहे यह सुगन्ध धूनी हो, या तेल हो, या इसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ हो। किन्तु धूनी को नाक के द्वारा सूँघना (चढ़ाना) जायज़ नहीं है,

इसलिए कि धूनी के प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाले कण होते हैं, उसे जब सूँघा जाता है तो नाक के अन्दर प्रवेश करके पेट तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लक़ीत बिन सबिरह से फरमाया था:

(( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ))

“नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा से काम लो, सिवाय इसके कि तुम रोज़े से हो।” (अबु दाऊद हदीस न. १४२, तिरमिज़ी हदीस न. ३८, नसाई हदीस न. ८७, इब्ने माजा हदीस न. ४४८)

प्रश्न २२ : रोज़े को फासिद करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं?

उत्तर : रोज़े को फासिद करने वाली चीज़ें वही हैं जिन से रोज़ा टूट जाता है, वह निम्नलिखित हैं:

१. सम्भोग करना।
२. खाना।
३. पीना।
४. शहवत (कामवासना) के साथ वीर्य निकालना।

५. जो खाने और पीने के अर्थ में है।
६. जान-बूझ कर उल्टी करना।
७. सिंघी द्वारा खून निकलना।
८. हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव) का खून निकलना।

खाने और पीने तथा सम्भोग करने का प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ  
 مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ  
 إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

“अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूँढ़ने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े पूरे करो।” (सूरतुल बकरा: १८७)

शहवत के साथ वीर्य निकालने का प्रमाण हदीस कुदसी में रोज़ेदार के संबंध में अल्लाह तआला का यह फरमान है:

(( يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ))

वह अपने खाने पानी और शहवत (कामवासना) को मेरे कारण छोड़ देता है। (इब्ने माजा हदीस न० १६३८)

और वीर्य का निकालना शहवत है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

(( وَيُفِ بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ - أَي كَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ -

فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ )) .

“और तुम्हारे सम्भोग करने में भी सदका (पुण्य) है, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल हम में से एक व्यक्ति अपने कामवासना की पूर्ति करता है और उसे उसमें पुण्य भी मिलेगा ? आप ने कहा: तुम्हारा क्या विचार है यदि वह अपनी कामवासना को निषेध चीज़ों में पूरा करता ? - अर्थात क्या उसे उस पर पाप मिलता? - इसी प्रकार जब उसने

उसे वैध चीज़ों में रखा तो उसे उस पर पुण्य मिलेगा।” (मुस्लिम हदीस नं. १००६)

और जो चीज़ रखी जाती है वह कूद कर निकलने वाली वीर्य ही है, इसी कारण राजेह कथन यह है कि मज़ी से रोज़ा फ़ासिद नहीं होता है यद्यपि वह शहवत और बिना सम्भोग किए अलिंग के साथ ही क्यों न हो।

**पांचवाँ:** जो खाने पीने के अर्थ में हो, इस से मुराद शक्ति वर्धक इन्जेक्शन है जो खाने पीने का काम देता है; इसलिए कि यह अगरचे खाना और पीना नहीं है किन्तु खाने और पीने के अर्थ में है क्योंकि वह खाने पीने का काम देता है, और जो चीज़ किसी जीज़ के अर्थ में होती है उसका हुक्म भी वही होता है। इसी कारण शरीर का स्वस्थ बाक़ी रहना इन्हीं इन्जेक्शनों के प्रयोग करने पर निर्भर करता है अर्थात् शरीर को इन इन्जेक्शनों से खुराक मिलता रहता है चाहे किसी और चीज़ का खुराक न मिले, किन्तु जो इन्जेक्शन शरीर को खुराक नहीं पहुँचाता है और न खाने पीने का काम करता है उससे रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे मनुष्य उसे रगों में लगवाए, या पट्टों में या शरीर के किसी अन्य अंग में।

**छटा** : जान बूझ कर उल्टी (क़य) करना, अर्थात आदमी के पेट में जो कुछ है उसे क़य करदे यहाँ तक कि वह उसके मुँह से बाहर निकल जाए, इसलिए कि अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

(من استقاء عمدا فليقض ، ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه )) .

“जिसने जानबूझ कर (इच्छापूर्वक) क़य किया वह क़ज़ा करे। और जिस पर क़य ग़ालिब आजाए उस पर कोई क़ज़ा नहीं है।” (अबु दाऊद हदीस न० २३८०, तिरमिज़ी हदीस न० ७२०)

इसके अन्दर हिक्मत (रहस्य) यह है कि जब रोज़ेदार ने उल्टी कर दिया तो उसका पेट खाने से खाली हो गया, और उसके शरीर को उस चीज़ की आवश्यकता पड़ गई जो उसके उस कमी की पूर्ति करसके, इसलिए हम कहेंगे : यदि रोज़ा फ़र्ज़ हो तो मनुष्य के लिए जायज़ नहीं है कि वह क़य करे; इसलिए कि अगर वह क़य करेगा तो उसका वाजिब रोज़ा फ़ासिद होजाएगा।

सातवाँ : सिंघी के द्वारा खून का निकलना, इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है:

((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم))

“क्या ऐसी बात नहीं है कि जब उसे मासिक धर्म आ जाता है तो वह न नमाज़ पढ़ती है और न रोज़ा रखती है।” (बुखारी हदीस न० ३०४, मुस्लिम हदीस न० ७६)

विद्वानों की इस बात पर सहमति है कि मासिक धर्म वाली स्त्री का रोज़ा सहीह नहीं है, और उसी के समान निफास वाली स्त्री भी है।

उपरोक्त रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें अर्थात् रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ों से उसी समय रोज़ा टूटता है जब उसके अन्दर तीन शर्तें पाई जाएं और वह यह हैं :

१. ज्ञान।
२. ध्यान (याद दाश्त)।
३. इच्छा।



रोज़ेदार का रोज़ा इन रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ों से उसी समय फासिद होगा जब उसमें यह तीन शर्तें पाई जाएं :

**पहला** : वह शरई हुक्म को जानता हो, और उसे रोज़े की हालत अर्थात् समय का पता हो। यदि उसे शरई हुक्म या समय का ज्ञान न हो तो उसका रोज़ा सहीह है, इसलिए की अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة:

.[२८६

“ऐ हमारे रब, यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमारी पकड़ न करना।”

(सूरतुल बकर:२८६)

इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया:“ मैं ने स्वीकार किया।”

और इस लिए कि अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:५].

“और जो कुछ तुम से गलती हुई है उसमें तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं है, किन्तु जिसका तुम्हारे हृदय ने इरादा किया हो।” (सूरतुल अहज़ाब: ५)

यह दो सामान्य (आम) दलीलें हैं।

तथा इसलिए भी कि इस संबंध में रोज़े के विषय में सुन्नत से विशेष दलीलें भी हैं, चुनांचे सहीह (बुखारी व मुस्लिम) में अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि उन्होंने ने रोज़ा रखा तो अपने तकिए के नीचे दो रस्सियाँ -अर्थात वह दो रस्सियाँ जिनके द्वारा ऊँट के अगले पैर को बैठते समय बांधा जाता है- रख लीं, एक काली और दूसरी सफेद, और वह खाने पीने लगे यहाँ तक कि सफेद डोरी काली डोरी से स्पष्ट होगई, तब उन्होंने ने खाना पीना बन्द किया, फिर जब भोर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए और उन्हें इसकी सूचना दी, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें बतलाया कि आयत के अन्दर सफेद धागे और काले धागे से मुराद दो प्रसिद्ध धागे नहीं हैं, बल्कि सफेद धागे से मुराद दिन की सफेदी (उजाला) और काले धागे से मुराद रात की अँधेरी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें रोज़े की कज़ा का आदेश नहीं दिया। (बुखारी हदीस

न. १६१६, मुस्लिम हदीस न. १०६०) क्योंकि उन्हें हुकम का ज्ञान नहीं था, उनका गुमान था कि आयत का अर्थ यही है।

जहाँ तक समय का ज्ञान न होने का संबंध है तो सहीह बुखारी में अस्मा बिन्त अबु-बक्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने ने फरमाया:

(( أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

يَوْمِ غَيْمٍ ثَمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ))

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में एक बदली वाली रात में हम ने रोज़ा इफ्तार कर लिया, फिर सूरज निकल आया।” (बुखारी हदीस न. १६५६)

इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा करने का आदेश नहीं दिया, यदि कज़ा अनिवार्य होता तो आप उन्हें उसका अवश्य आदेश देते , और यदि आप उन्हें कज़ा का आदेश देते तो उम्मत तक उसे अवश्य नक़ल किया (पहुँचाया) जाता। इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

(( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )) [الحجر: १०]

हम ने ही इस कुरआन को उतारा है और हम ही इसकी सुरक्षा करने वाले हैं। (सूरतुल-हिज्र: ६)

चुनांचे जब उसके नक़ल किए जाने के कारण के पूरी तरह मौजूद होने के उपरान्त भी नक़ल नहीं किया गया तो इस से ज्ञात हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा करने का आदेश नहीं दिया था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें -कज़ा का-हुक्म नहीं दिया तो पता चला कि वह वाजिब नहीं है।

इसी प्रकार यदि आदमी नींद से उठे और यह समझते हुए कि अभी वह रात ही में है कुछ खा ले या पी ले, फिर उसे पता चले कि उस ने फज़्र उदय होने के पश्चात खाया और पिया है तो उस पर कज़ा वाजिब नहीं है; इसलिए कि वह जाहिल (अनजाना) था।

**दूसरी शर्त** : यह है कि उसे ध्यान (स्मरण) हो, ध्यान का विपरीत भूल जाना है, यदि वह भूल कर खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा सहीह है, उस पर कज़ा -वाजिब- नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

(البقرة: २८६)

“ऐ हमारे रब! यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमें न पकड़ना।” (सूरतुल बक्कर: २८६)

इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया: “मैं ने स्वीकार किया।”

और इसलिए कि अबु-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

(( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه

فإنما أطعمه الله وسقاه ))

जिस व्यक्ति ने रोज़े की हालत में भूल चूक कर खा लिया या पी लिया वह अपना रोज़ा पूरा करे; क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और पिलाया है। (बुखारी हदीस न. १६३३, मुस्लिम हदीस न. ११५५)

**तीसरी शर्त** : इच्छा और इरादा है, और वह यह कि मनुष्य ने उस रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ का प्रयोग

अपनी इच्छा और पसंद से किया हो, यदि वह उसके उपभोग में स्वेच्छ और स्वयंश नहीं था तो उसका रोज़ा सहीह है, चाहे उसे उसके करने पर बाध्य (मजबूर) किया गया हो या बाध्य (मजबूर) न किया गया हो, इसलिए कि कुफ़्र पर बाध्य (मजबूर) किये जाने वाले व्यक्ति के बारे में अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ  
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ  
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾  
[النحل: 106].

“जो अपने ईमान के पश्चात अल्लाह से कुफ़्र करे सिवाय उसके जिसे बाध्य किया गया है और उसका हृदय ईमान पर सन्तुष्ट हो, परन्तु जो लोग खुले दिल से कफ़्र करें तो उन पर अल्लाह तआला का प्रकोप है और उन्हीं के लिए बड़ी यातना है।” (सूरतुन नह्ल: 906)

जब कुफ़्र का मामला मजबूर किए जाने की अवस्था में क्षमा के योग्य है तो जो चीज़ उससे कमतर है वह मजबूर किए जाने की अवस्था में और अधिक क्षमा के

योग्य है। इसी प्रकार वह हदीस भी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत की जाती है:

« إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما

استكروها عليه ».

“अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से गलती, भूल-चूक और जिस पर वह बाध्य (मजबूर) किए गए हों, क्षमा कर दिया है।” (इब्ने माजा हदीस न. २०४३)

इस आधार पर यदि रोज़ेदार के नाक में धूल-गर्द उड़ कर पहुँच जाए और वह अपने गले में उसका स्वाद अनुभव करे और वह उसके मेदे (आमाशय) में चला जाए तो इस से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा; क्योंकि उसने इसे अपनी इच्छा और इरादे से नहीं किया है।

इसी प्रकार यदि उसे रोज़ा तोड़ने पर बाध्य (मजबूर) किया जाए और वह बाधा को समाप्त करने के लिए रोज़ा तोड़ दे तो उसका रोज़ा सहीह है; इसलिए कि इसमें उसकी इच्छा और पसन्द का दखल नहीं है।

इसी प्रकार यदि आदमी को स्वपनदोष होजाए और सोने की हालत में वीर्य निकल जाए तो उसका रोज़ा

सहीह है; इसलिए कि सोने वाले की कोई इच्छा नहीं होती है।

इसी प्रकार यदि आदमी अपनी पत्नी से रोज़े की हालत में ज़बरदस्ती सम्भोग कर ले तो उस स्त्री का रोज़ा शुद्ध (उचित) है; इसलिए कि उसने अपनी इच्छा और पसंद से नहीं किया है।

यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य मसूअला है जिसे समझना आवश्यक है: वह यह कि यदि किसी व्यक्ति ने रमज़ान के दिन में सम्भोग किया है और रोज़ा उस पर अनिवार्य है तो उसके सम्भोग करने पर पाँच चीज़ें मुरत्तब (निष्कर्षित) होती हैं :

१. पाप (गुनाह)।

२. दिन के अवशेष भाग में खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य होजाता है।

३. उसका रोज़ा फासिद होजाता है।

४. कज़ा।

५. कफ़ारा।

इस में कोई अन्तर नहीं है कि आदमी को इस बात का ज्ञान है कि उस पर इस सम्भोग करने में क्या



अनिवार्य है या उसे इसका ज्ञान नहीं है, अर्थात् जब आदमी रमज़ान के रोज़े में सम्भोग करले और रोज़ा उस पर वाजिब हो, किन्तु उसे इस बात का ज्ञान न हो कि उस पर कफ़ारा वाजिब होजाता है, तब भी उस पर सम्भोग के उपरोक्त अहकाम मुरत्तब (लागू) होंगे; इसलिए कि उसने रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ को जान बूझ कर किया है, और रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ को जान बूझ कर करने से उस पर मुरत्तब (निष्कर्षित) होने वाले अहकाम लाज़िम हो जाते हैं।

बल्कि अबु-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरा सर्वनाश होगया, आप ने कहा: “तुझे किस चीज़ ने सर्वनाश कर दिया?” (बुखारी हदीस न. १६३६, मुस्लिम हदीस न. ११११)

उसने कहा: रमज़ान में रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे कफ़ारा का आदेश दिया। हालाँकि उस आदमी को यह पता नहीं था कि उस पर कफ़ारा है या नहीं।

और हम ने जो यह कहा है कि: “और रोज़ा उस पर वाजिब हो” इस से वह हालत निकल जाती है जब रोज़ेदार उदाहरण स्वरूप यात्रा के दौरान अपनी बीवी से सम्भोग कर ले, ऐसी अवस्था में उस पर कफ़ारा अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के तौर पर यदि कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ रमज़ान के महीने में यात्रा पर हो और वह दोनों रोज़े से हों, फिर वह अपनी बीवी से सम्भोग कर लेता है तो उस पर कफ़ारा अनिवार्य नहीं है, और यह इसलिए कि जब यात्री रोज़ा आरम्भ करे तो उस पर उस रोज़े को पूरा करना अनिवार्य नहीं है, यदि उसकी इच्छा हो तो पूरा करे, और अगर चाहे तो रोज़ा तोड़ दे और बाद में उसकी कज़ा करे।

**प्रश्न २३ :** रोज़ेदार के लिए साँस के रोग (दमा) संबंधी इन्-हेलर प्रयोग करने का क्या हुक्म है, क्या इस से रोज़ा टूट जाता है ?

**उत्तर :** यह इन्-हेलर भाप बन जाता है और मेदे तक नहीं पहुँचता है, ऐसी अवस्था में हम कहेंगे कि रोज़े की हालत में इस इन्-हेलर का प्रयोग करने में कोई हर्ज (आपत्ति) नहीं है, इस से रोज़ा नहीं टूटे गा, इस लिए कि जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इसके कण

मेदा तक नहीं पहुँचते हैं; क्योंकि वह ऐसा पदार्थ है जो भाप बन कर उड़ जाता है और समाप्त हो जाता है, और उसका कोई कण (भाग) मेदा में नहीं प्रवेश करता है। अतः रोज़े की हालत में आप के लिए इसका प्रयोग करना जायज़ है, इस से रोज़ा बातिल (व्यर्थ) नहीं होगा।

**प्रश्न २४ : क्या उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है?**

**उत्तर :** यदि मनुष्य जान बूझ कर क़य (उल्टी) करे तो उस से रोज़ा टूट जाए गा, और यदि बिना इच्छा और इरादा के उल्टी करे तो रोज़ा नहीं टूटे गा, इसका प्रमाण अबू-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

(( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء

عمدا فليقض ))

जिस पर क़य ग़ालिब आजाए उस पर कोई क़ज़ा नहीं है और जिसने जानबूझ कर क़य किया वह क़ज़ा करे। (अबु दाऊद हदीस न० २३८०, तिरमिज़ी हदीस न० ७२०)

यदि उल्टी अप पर गालिब आजाए तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर किसी मनुष्य को ऐसा प्रतीक हो कि उसका मेदा उमड़ रहा है और उसके भीतर जो कुछ है वह बाहर निकल आएगा, तो हम ऐसे व्यक्ति से कहेंगे कि: न तो तुम उसे रोको और न ही उसे खींचने (बाहर निकालने) का प्रयत्न करो, बल्कि निष्पक्ष रवैया अपनाओ, न तो स्वतः उल्टी करने की कोशिश करो और न उसे रोको (दबाओ), इसलिए कि यदि आप ने स्वयं उल्टी कर लिया तो आप का रोज़ा टूट जाएगा, और अगर उसे रोकने का प्रयत्न किया तो आप को नुक़सान पहुँचे गा। अतः उसे छोड़ दो, अगर वह आपकी इच्छा के बिना बाहर निकल गया तो आप को कोई हानि नहीं पहुँचाएगा और न इससे आपका रोज़ा टूटेगा।

**प्रश्न २५ : क्या रोज़ेदार के मसूढ़ों से खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है ?**

**उत्तर :** मनुष्य के दाँतों से निकलने वाले खून से उसके रोज़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किन्तु वह यथासम्भव उसे निगलने से बचेगा, इसी प्रकार यदि उसकी नक़सीर फूट जाए (नाक से खून निकल आए) और उसके निगलने से बचाव कर ले, तो उस पर कोई

चीज़ अनिवार्य नहीं है और न ही उस पर कज़ा वाजिब है।

**प्रश्न २६ :** यदि मासिक धर्म वाली स्त्री फज़्र से पहले पवित्र होजाए और फज़्र निकलने के पश्चात स्नान करे तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है ?

**उत्तर :** यदि फज़्र उदय होने से पूर्व वह निश्चित रूप से पवित्र होजाए तो उसका रोज़ा सहीह है, महत्वपूर्ण यह है कि उसे पवित्र होने का विश्वास होजाए, क्योंकि कुछ महिलाएं यह समझ बैठती हैं कि वह पवित्र होगई हालांकि वह वास्तव में पवित्र नहीं होती हैं, इसीलिए औरतें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रुई लेकर आती थीं और उसे पवित्र होने के चिन्ह के तौर पर दिखाती थीं, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे फरमाती थीं :

“शीघ्रता न करो यहाँ तक कि सफ़ेद टुकड़ा देख लो“।

इसलिए स्त्री पर आवश्यक है कि वह स्थिरता से काम ले यहाँ तक कि उसे विश्वास होजाए कि वह पवित्र होगई। जब वह पवित्र होजाये तो रोज़े की नियत करे, चाहे वह स्नान फज़्र के बाद ही करे, किन्तु उस पर यह

अनिवार्य है कि वह नमाज़ का ध्यान रखे, उसे चाहिए कि स्नान करने में शीघ्रता करे ताकि फज़्र की नमाज़ उसके समय पर पढ़ सके।

हमें सूचना मिली है कि कुछ महिलाएं फज़्र के बाद पवित्र होती हैं, या फज़्र से पहले पवित्र होती हैं किन्तु स्नान को सूर्य निकलने के पश्चात तक विलम्ब कर देती हैं, इस हुज्जत के आधार पर कि वह अधिक सम्पूर्ण, स्वच्छ और सफाई व सुथराई के साथ स्नान करना चाहती हैं, हालांकि यह ग़लत और अनुचित है चाहे वह रमज़ान में हो या अन्य दिनों में, क्योंकि उस पर अनिवार्य है कि वह स्नान करने में शीघ्रता करे ताकि फज़्र की नमाज़ उसके समय पर पढ़ सके, और उसके लिए जायज़ है कि वह नमाज़ पढ़ने के लिए केवल वाजिब स्नान पर निर्भर (बस) करे, और यदि वह सूर्य निकलने के पश्चात अधिक सफाई व सुथराई के लिये स्नान करना चाहे तो कर सकती है।

मासिक धर्म वाली स्त्री के समान वह स्त्री भी है जो जनाबत वाली हो और फज़्र निकलने के बाद स्नान करे, तो उस पर कोई हर्ज नहीं है और उसका रोज़ा सहीह है, जिस प्रकार कि कोई व्यक्ति यदि जुन्बी हो जाए और फज़्र के बाद स्नान करे हालांकि वह रोजे से हो

तो उस पर भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नबी ﷺ से सिद्ध है कि आपको फज़्र का समय आ पहुँचता था और आप अपनी पत्नी से सम्भोग करने के कारण जनाबत की हालत में होते थे, फिर आप रोज़ा रखते थे और फज़्र के बाद स्नान करते थे। (बुखारी हदीस न. १६३०, मुस्लिम हदीस न. ११०६)

और अल्लाह तआला सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है।

**प्रश्न २७ : रोज़ेदार के लिए दाँत उखड़वाने का क्या हुक्म है, क्या इससे रोज़ा टूट जाता है ?**

उत्तर : दाँत आदि उखाड़ने से निकलने वाले खून से रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि उसका प्रभाव सिंघी लगवाने के प्रभाव के समान नहीं है, इसलिए उस से रोज़ा नहीं टूटेगा।

**प्रश्न २८ : रोज़ेदार के लिए खून जाँच करवाने का क्या हुक्म है, और क्या इस से रोज़ा टूट जाता है?**

उत्तर : जाँच करवाने के लिए रोज़ेदार का खून निकालने से रोज़ा नहीं टूटता है, कभी कभार डॉक्टर को जाँच के लिए बीमार का खून निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस से रोज़ा नहीं टूटता है; क्योंकि वह थोड़ा सा खून होता है जो शरीर पर सिंघी

के समान प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए उस से रोज़ा नहीं टूटेगा, और असल रोज़े का बाकी रहना है जिसे हम किसी शरई दलील के आधार पर ही फासिद घोषित कर सकते हैं, और यहाँ पर इस बात की कोई दलील नहीं है कि इस प्रकार के थोड़े से खून से रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाता है।

किन्तु रोज़ेदार के शरीर से अधिक मात्रा में खून निकालना ताकि उसे उदाहरण स्वरूप किसी खून की आवश्यकता वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सके, तो यदि उसके शरीर से इतनी अधिक मात्रा में खून निकाला गया है जो उसके शरीर को उसी प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार सिंघी प्रभावित करता है तो इस से उसका रोज़ा टूट जाएगा। इस आधार पर यदि फर्ज रोज़ा है तो किसी के लिए वैध नहीं है कि वह इतने अधिक मात्रा में किसी के लिए रक्त दान करे, हाँ यदि ऐसी समस्या आजाए कि वह व्यक्ति जिसके लिए रक्त दान किया जा रहा है इतनी गम्भीर स्थिति में हो कि उसके लिए सूर्य डूबने के पश्चात तक धैर्य करना सम्भव न हो और डाक्टरों ने यह निर्णय लिया हो कि इस रोज़ेदार का खून उसके लिए लाभ प्रद है और उसकी आवश्यकता को पूरी कर देगा, तो इस हालत में उसके



लिए अपना रक्त दान करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, वह रोज़ा इफ्तार कर लेगा और खाए पिए गा ताकि उसकी शक्ति लौट आए और इस दिन की जिसका रोज़ा उसने तोड़ दिया है कज़ा करेगा। और अल्लाह तआला सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है।

**प्रश्न २६ :** यदि रोज़ेदार हस्तमैथुन द्वारा वीर्य पात करता है तो क्या इस से उसका रोज़ा टूट जाए गा? और क्या उस पर कफ़ारा अनिवार्य है?

**उत्तर :** यदि रोज़ेदार हस्तमैथुन करता है और उस से वीर्य निकल आता है तो रोज़ा टूट जाएगा, और उस पर उस दिन की कज़ा वाजिब है जिस दिन उसने हस्तमैथुन करके वीर्य पात किया है, उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं है; इसलिए कि कफ़ारा केवल सम्भोग करने से अनिवार्य होता है, उस पर वाजिब यह है कि उसने जो कुछ किया है उस से क्षमा याचना (तौबा) करे।

**प्रश्न ३० :** रोज़ेदार के लिए सुगन्ध सूँघने का क्या हुक्म है?

**उत्तर :** रोज़ेदार के लिए सुगन्ध सूँघने में हर्ज नहीं है चाहे वह तेल हो या धूनी, किन्तु यदि वह धूनी है तो

उसके धुवाँ को नाक से नहीं लेगा; इसलिए कि धुवाँ में कुछ ऐसे कण (भाग) होते हैं जो पेट तक पहुँच जाते हैं जिस से रोज़ा टूट जाएगा जिस प्रकार कि पानी और उसके समान चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन्तु बिना नाक से खींचे हुए केवल सूँघने से पेट तक पहुँच जाता है तो कोई हर्ज (आपत्ति) नहीं है।

**प्रश्न ३१ :** धूनी सूँघने और दवा की बूँद डालने में क्या अन्तर है? कि धूनी सूँघने से रोज़ा टूट जाता है और दवा की बूँदें डालने से रोज़ा नहीं टूटता है?

**उत्तर :** दोनों के बीच अन्तर यह है कि जो नाक से धूनी लेता है वह जान बूझ कर उसे अपने पेट में प्रवेश करता है, किन्तु जो दवा की बूँदें (**Drops**) टिपकाता है उसका इरादा उसे पेट में पहुँचाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य केवल अपनी नाक के बाँसे में दवा की बूँदें डालना होता है।

**प्रश्न ३२ :** रोज़ेदार के लिए आँख, कान और नाक के ड्रॉप्स (बूँदें) प्रयोग करने का क्या हुक्म है?

**उत्तर :** नाक का ड्रॉप् (**Nasal Drop**) यदि मेदे तक पहुँच जाए तो इस से रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि

लक़ीत बिन सबिरह की हदीस में है कि उन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))

नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा (अधिकता) से काम लो, सिवाय इसके कि तुम रोज़ो से हो। (अबु दाऊद हदीस न. १४२, तिरमिज़ी हदीस न. ३८, नसाई हदीस न. ८७, इब्ने माजा हदीस न. ४४८)

अतः रोज़ेदार के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपनी नाक में ऐसी दवा की बूँद डाले जो उसके मेदे तक पहुँच जाए, किन्तु वह नाक की ड्रॉप् जो मेदे तक न पहुँचे उस से रोज़ा नहीं टूटेगा।

जहाँ तक आँख के ड्रॉप् (**Eye Drop**) और उसी के समान सुर्मा लगाना भी है, तथा कान के ड्रॉप् (**Ear Drop**) का संबंध है तो इनसे रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि इनके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण (नस) नहीं है, और न ही यह उस के अर्थ में हैं जिसके बारे में विशेष स्पष्ट प्रमाण (नस) हैं, तथा आँख और कान खाने पीने का रास्ता भी नहीं हैं, यह शरीर के अन्दर अन्य पसीने के बारीक रास्तों (सुराखों) के समान हैं, और उलमा (धर्म-ज्ञानियों) ने उल्लेख किया है कि यदि मनुष्य अपने

पैर के भीतरी भाग में कोई चीज़ लेप कर ले और उसका स्वाद अपने गले में अनुभव करे तो उस से रोज़ा नहीं टूटे गा; इसलिए कि यह खाने पीने का रास्ता नहीं है, इस आधार पर जो व्यक्ति सुर्मा लगा ले, या अपनी आँख में दवा डाल ले, या अपने कान में दवा डाल ले, तो इस से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा यद्यपि वह उसका स्वाद अपने गले में अनुभव करे। इसी प्रकार अगर रोज़ेदार इलाज के लिए या बिना इलाज के तेल का प्रयोग करे तो इस से उसके रोज़े को हानि नहीं पहुँचे गा। इसी प्रकार यदि उसे साँस का रोग (दमा) हो और वह यह गैस प्रयोग करे जिसे साँस लेने में आसानी पैदा करने के लिए मुँह के अन्दर खींचा जाता है, तो उस से रोज़ा नहीं टूटे गा; इसलिए कि वह मेदा तक नहीं पहुँचता है, अतः उसे खाना और पीना नहीं समझा जाएगा।

**प्रश्न ३३ :** जिस व्यक्ति को रोज़े की हालत में स्वपन दोष होगया, क्या उसका रोज़ा उचित है?

**उत्तर :** हाँ, उसका रोज़ा सहीह है, क्योंकि स्वपन दोष रोज़ा को फासिद नहीं करता है; इसलिए कि उसमें मनुष्य का कोई अधिकार (इच्छा) नहीं है, जबकि सोने

की अवस्था में उस (के किसी कार्य को लिखने) से कलम उठा लिया गया है।

यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज़ पर चेतावनी देना उचित समझता हूँ जिस से इस युग में अधिकांश लोग पीड़ित हैं, वह यह कि वह रमज़ान की रातों में पूरी रात जाग कर बिताते हैं, और सम्भावतः वह ऐसी चीज़ों में रात भर जागते हैं जिस से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता या उलटा उन्हें हानि पहुँचाता है, फिर जब दिन होता है तो पूरे दिन नींद के खर्राटे लेते हैं, यह कदापि उचित नहीं, बल्कि उचित यह है कि मनुष्य अपने रोज़े को नेकियों, ज़िक्र, कुरआन का पाठ करने और इनके अतिरिक्त अन्य ऐसी चीज़ों को करने का गृह बनाये जिनसे अल्लाह तआला की निकटता प्राप्त होती है।

**प्रश्न ३४ : रोज़ेदार के लिए ठंढक प्राप्त करने का क्या हुक्म है?**

**उत्तर :** रोज़ेदार के लिए ठंढक प्राप्त करना जायज़ है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गर्मी या प्यास के कारण रोज़े की हालत में अपने सिर पर पानी डालते थे। (अबु दाऊद हदीस न०२३६५)

तथा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रोज़े की हालत में गर्मी या प्यास की तीव्रता और सख्ती को कम करने के लिए अपने कपड़े को पानी से भिगो लिया करते थे। और नमी (तरी) से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है; क्योंकि वह पानी नहीं है जो मेदे तक पहुँच जाए।

प्रश्न ३५ : यदि रोज़ेदार के कुल्ली करते हुए या नाक में पानी चढ़ाते हुए पानी उसके पेट तक पहुँच जाए तो क्या इस से उसका रोज़ा टूट जाएगा ?

उत्तर : यदि रोज़ेदार कुल्ली कर रहा हो या नाक में पानी चढ़ा रहा हो और पानी उसके पेट तक प्रवेश करजाए तो इस से उसका रोज़ा नहीं टूटे गा; इसलिए कि उसने जान बूझ कर ऐसा नहीं किया है, जबकि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

“तुम से भूल चूक में जो कुछ हो जाये उसमें तुम पर कोई पाप नहीं, परन्तु पाप वह है जिसका निश्चय तुम हृदय से करो।” (सूरतुल अहज़ाब: ५)

**प्रश्न ३६ :** रोज़ेदार के लिए सुगन्धित चीज़ों को प्रयोग करने का क्या हुक्म है?

उत्तर : रमज़ान के दिनों में उसके प्रयोग करने और उसे सूँघने में कोई हर्ज नहीं है, किन्तु धूनी को नहीं सूँघे गा; क्योंकि उसमें ऐसा कण (अर्थात् धुवाँ) होता है जो पेट तक पहुँच जाता है।

**प्रश्न ३७ :** क्या नकसीर फूटने से रोज़ा टूट जाता है?

उत्तर : नकसीर फूटने से रोज़ा नहीं टूटता है चाहे वह अधिक ही क्यों न हो, क्योंकि वह आदमी के बिना इच्छा और अधिकार के होता है।

**प्रश्न ३८ :** हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुछ जन्त्रियों में एक खाना 'इम्साक' (अर्थात् सेहरी खाने से रुकने का समय) का होता है, जो फज़्र की नमाज़ से लग भग दस या पन्द्रह मिनट पहले रखा जाता है, क्या सुन्नत (हदीस) से इसका कोई असल (सत्यता) है या यह बिदअत है? हमें इसके आदेश से अवगत करायें, पुण्य मिलेगा।

उत्तर : यह बिदअत है, सुन्नत से इसका कोई असल (आधार) नहीं है, बल्कि सुन्नत इसके विपरीत है,

इसलिए कि अल्लाह तआला ने अपनी किताबे अज़ीज़ में फरमाया है :

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ  
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾

[البقرة: १८७]

“तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए।” (सूरतुल बकरा: १८७)

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

(( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا  
أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر )) .

“बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रात के समय अज़ान देते हैं, इसलिए खाओ पियो यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम की अज़ान सुन लो, क्योंकि वह उस समय तक अज़ान नहीं देते हैं जब तक कि फज़्र न उदय होजाए।” (बुखारी हदीस न. १६१८, मुस्लिम हदीस न. १०६२)



यह इम्साक जिसे कुछ लोग तैयार करते हैं यह उस चीज़ पर ज़ियादती (वृद्धि) है जो अल्लाह तआला ने फर्ज करार दिया (निर्धारित किया) है, इसलिए यह बातिल (अनाधार) है, और यह अल्लाह के धर्म में हठ और कट्टरपंथ में से है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((هالك المتنطعون ، هالك المتنطعون ، هالك المتنطعون))

..((المتنطعون))

“दीन के अन्दर तशद्दुद करने वाले बर्बाद होगए,  
दीन के अन्दर हठ करने वाले सर्वनाश होगए,  
दीन के अन्दर सख्ती करने वाले मिट गए।”

(मुस्लिम हदीस न० २६७०)

प्रश्न ३६ : जो व्यक्ति हवाई अड्डे पर ही था कि सूर्य डूब गया और मोअज़्ज़िन ने अज़ान दे दी, और उसने रोज़ा खोल दिया, फिर हवाई जहाज़ के उड़ान भरने के पश्चात उसे सूर्य दिखाई दिया, तो क्या वह खाने पीने से रुक जाए गा ?

उत्तर : इस प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि उस व्यक्ति पर खाने पीने से रुकना अनिवार्य नहीं है; इसलिए कि वह ज़मीन ही पर थे तभी रोज़ा खोलने का

समय होगया, क्योंकि जिस समय सूर्य डूबा है उस समय वह उसी स्थान पर थे जहाँ सूर्य डूबा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि:

(( إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا  
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ))

“जब रात यहाँ से आजाए और दिन यहाँ से चला जाए, और सूर्य डूब जाए तो रोज़ेदार के इफ्तार का समय होगया।” (बुखारी हदीस न° १६४१)

जब उस व्यक्ति ने जिस पर हवाई अड्डे की ज़मीन पर ही सूरज डूब गया था अपना रोज़ा खोल दिया तो उसका दिन समाप्त हो गया, और जब उसका दिन समाप्त होगया तो उस पर अगले दिन ही खाने पीने से रूकना अनिवार्य है।

इस आधार पर ऐसी स्थिति में खाने पीने से रूकना अनिवार्य नहीं है; इसलिए कि उसका रोज़ा इफ्तार करना शरई दलील के अनुसार था सो उसका खाने पीने से रूक जाना भी शरई दलील के कारण ही अनिवार्य हो सकता है।

**प्रश्न ४० : रोज़ेदार के लिए बलग़म या कफ निगलने का क्या हुक्म है?**

**उत्तर :** बलगम या कफ यदि मुंह तक न पहुंचे तो इस से रोज़ा नहीं टूटे गा, हम्बली मस्लक में इस पर सर्व सहमति है, किन्तु यदि मुंह तक पहुंच जाए फिर वह उसे निगल ले तो इसके बारे में उलमा के दो कथन हैं :

**कुछ विद्वानों का कहना है:** इस से रोज़ा टूट जाएगा, उन्होंने ने इसे खाने और पीने पर क़ियास किया है। (अर्थात् जिस प्रकार खाने पीने से रोज़ा टूट जाता उसी प्रकार बलग़म निगलने से भी रोज़ा टूट जाएगा)

**जबकि दूसरे विद्वानों का कथन है :** इस से रोज़ा नहीं टूटे गा, उन्होंने ने इसे थूक पर क़ियास किया है, (अर्थात् जिस प्रकार थूक के निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है उसी प्रकार बलगम के निगलने से भी नहीं टूटे गा) क्योंकि थूक से रोज़ा बातिल नहीं होता है, यहाँ तक कि यदि मनुष्य अपने थूक को इकट्ठा कर ले और उसे निगल जाए तब भी उसका रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा।

जब उलमा के बीच मतभेद पैदा होजाए तो उसके निवारण के लिए अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत की ओर लौटना होगा, जब हमें इस बात में सन्देह होगया कि क्या यह इबादत (रोजा) को फासिद कर देता है या फासिद नहीं करता है? तो इस बारे में असल यह है कि फासिद नहीं होता है, और इस आधार पर बलगम निकलने से रोज़ा नही टूटेगा।

महत्व पूर्ण बात यह है कि मनुष्य बलगम (कफ़) को छोड़ दे और उसे अपने गले के नीचे से अपने मुंह में खींचने का प्रयास न करे, किन्तु यदि मुख तक चला जाए तो उसे बाहर निकाल दे चाहे वह रोज़े से हो या रोज़े से न हो, जहाँ तक उस से रोज़ा टूटने का संबंध है तो इसके लिए ऐसे प्रमाण की आवश्यकता है जो मनुष्य के लिए अल्लाह के सामने उसके रोज़े को फासिद करार देने में तर्क (हुज्जत) बन सके।

**प्रश्न ४१ : क्या खाना चखने से रोज़ा बातिल हो (टूट) जाता है?**

**उत्तर :** खाना चखने से रोज़ा बातिल नहीं होता है यदि उसे निगला न जाए, किन्तु आप ऐसा आवश्यकता पड़ने ही पर करेंगे, और ऐसी स्थिति में यदि बिना

इच्छा के उसका कुछ भाग आपके पेट में चला गया तो आप का रोज़ा बातिल नहीं होगा।

**प्रश्न ४२ : क्या रमज़ान के दिन में हराम बातें करने से मनुष्य का रोज़ा फ़ासिद होजाता है?**

उत्तर : जब हम अल्लाह तआला का यह फरमान:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا  
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

[البقرة: १८३].

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था ताकि तुम तक्वा और भय अनुभव करो।” (सूरतुल बकरा: १८३)

पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि रोज़ा के अनिवार्य किये जाने का अर्थ क्या है और वह है अल्लाह तआला की उपासना और तक्वा का प्राप्त होना, और तक्वा का अर्थ है समस्त प्रकार की धर्म निषेध चीज़ों को त्याग कर देना, और तक्वा का शब्द सामान्य रूप से आदेशों के पालन करने और वर्जित तथा निषेध

चीज़ों के त्याग करने को सम्मिलित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है:

(( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس ))

(( لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ))

“जो व्यक्ति झूठ बात कहने और झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।”

इसलिए रोज़ेदार के लिए अवश्य हो जाता है कि वह कर्तव्यों का पालन करे तथा निषेध बातों और कर्मों से बचाव करे, चुनांचे लोगों की ग़ीबत (पीठ पीछे बुराई) न करे, झूठ न बोले, उनकी चुगलखोरी न करे (एक की बात दूसरे से न लगाए), अवैध क्रय-विक्रय न करे और समस्त हराम और निषेध कार्यों से बचाव करे, यदि मनुष्य यह सब पूरे एक महीने तक करलेगा तो उसकी आत्मा साल के अवशेष दिनों में भी शुद्ध और स्वस्थ रहेगी।

परन्तु खेद की बात है कि अधिकांश रोज़ेदार अपने रोज़े के दिनों और अन्य दिनों के मध्य कोई अन्तर

नहीं करते, चुनांचे वह कर्तव्यों को छोड़ने और हराम चीज़ों के करने की अपने पूर्व व्यवहार और स्वभाव पर ही अटल रहते हैं, और आप उनपर रोज़े के वक़ार का कोई चिन्ह नहीं पायेंगे। इन कार्यों से रोज़ा व्यर्थ और फ़ासिद तो नहीं होता, किन्तु यह उसके पुण्य में अभाव पैदा कर देते हैं, और प्रायः दोनों की तुलना करने पर वह रोज़े के प्रतिफल पर भारी होजाते हैं और उसका अज़्र व सवाब नष्ट होजाता है।

**प्रश्न ४३ : झूठी गवाही क्या है? क्या उस से रोज़ा टूट जाता है?**

**उत्तर :** झूठी गवाही बड़े गुनाहों में से एक है, झूठी गवाही यह है कि: आदमी उस चीज़ की गवाही दे जिसे वह नहीं जानता है, या जो जानता है उसके विपरीत गवाही दे। इस से रोज़ा तो बातिल नहीं होता किन्तु उसके सवाब (पुण्य) में कमी हो जाती है।

**प्रश्न ४४ : रोज़े के आदाब क्या हैं ?**

**उत्तर :** रोज़े के आदाब में से यह है कि अल्लाह तआला के आदेशों का पालन करके और उसकी निषेध की हुई बातों से दूर रह कर उसके तक्वा (डर और

सयंम) को लाज़िम पकड़ा जाए, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا  
 كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾  
 البقرة: ۱۸۳.

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था ताकि तुम तक्वा और भय अनुभव करो।” (सूरतुल बकरा: १८३)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है :

(( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس  
 لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ))

“जो व्यक्ति झूठी बात कहने और झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।” (बुखारी हदीस न. १६०३,)



तथा रोज़े के आदाब में से यह है कि मनुष्य अधिक से अधिक दान, सत्कर्म और लोगों के साथ भलाई (एहसान) करे, विशेष रूप से रमज़ान के महीने में, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों में सबसे अधिक सखावत (दानशीलता) करने वाले थे, और आप सबसे अधिक सखावत रमज़ान में करते थे जब जिब्रील से आप की मुलाक़ात होती थी और वह आप को कुरआन का पाठ कराते थे। (बुखारी हदीस न. १६०२)

इसी प्रकार रोज़े के आदाब में से यह है कि मनुष्य उन समस्त चीज़ों से दूर रहे जिसे अल्लाह तआला ने उस पर निषेध और वर्जित कर दिया है, जैसे झूठ बोलना, गाली गलोज बकना, धोखा देना, खियानत करना, हराम चीज़ों को देखना, हराम चीज़ों को सुनना और इसके अतिरिक्त अन्य हराम चीज़ें जिन से दूर रहना रोज़ेदार और ग़ैर रोज़ेदार हर एक के लिए अनिवार्य है, किन्तु रोज़ेदार के हक़ में अधिक आवश्यक है।

रोज़े के आदाब में से सेहरी खाना भी है और यह कि सेहरी को विलम्ब किया जाए, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

(( تسحروا فإن في السحور بركة ))

“सेहरी करो, क्योंकि सेहरी में बरकत है।” (बुखारी हदीस नं. १६२३, मुस्लिम हदीस नं. १०६५)

तथा रोज़े के आदाब में से यह भी है कि ख़ुतब (गादा खजूर) से रोज़ा इफ्तार किया जाए, यदि वह न मिले तो खजूर से, और वह भी न हो तो पानी से। तथा जैसे ही निश्चित रूप से सूरज डूब जाए या उसके डूबने का भारी गुमान होजाए तो तुरन्त रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

(( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ))

“लोग सदैव भलाई में रहेंगे जब तक वह रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे।” (बुखारी हदीस नं. १६५७, मुस्लिम हदीस नं. १०६८)

प्रश्न ४५ : क्या रोज़ा खोलने के समय कोई मासूर (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित) दुआ है? और क्या रोज़ेदार मुअज़्ज़िन का जवाब देगा या अपना रोज़ा खोलने में व्यस्त रहेगा?

उत्तर : रोज़ा खोलने के समय दुआ करना, दुआ के क़बूल होने के स्थानों में से है, क्योंकि उस समय आदमी इबादत के अन्त में होता है, और इसलिए भी कि मनुष्य सम्भवतः सबसे अधिक विनीत (निबल) अपने रोज़ा खोलने के समय होता है, और जितना ही अधिक मनुष्य विनीत और नम्र हृदय होगा उतना ही वह अल्लाह की ओर समर्पण करने और उसकी ओर विनय करने वाला होगा।

इफ्तार के समय मासूर दुआ यह है:

((اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت))

“ऐ अल्लाह ! मैं ने तेरे ही लिए रोज़ा रखा,  
और तेरी ही प्रदान की हुई रोज़ी से रोज़ा  
खोला।”

और उसी में से रोज़ा खोलते समय नबी सल्लल्लाहु  
अलैहि व सल्लम की यह दुआ भी है:

(( ذهب الظمأ ، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء

الله ))

“प्यास चली गई, रगें तर होगई और यदि अल्लाह तआला ने चाहा तो पुण्य निश्चित हो गया।” (अबु दाऊद हदीस न० २३५७)

इन दोनों हदीसों के अन्दर अगरचे कुछ कमजोरी है किन्तु कुछ उलमा ने इन्हें हसन कहा है, बहरहाल यदि आप ने यह दुआ की या इसके अतिरिक्त जो भी दुआ रोजा खोलते समय आप के मन में आया किया, वह दुआ के स्वीकार किए जाने का स्थान है।

जहाँ तक आदमी के रोज़ा खोलते समय मुअज़्ज़िन के अज़ान का जवाब देने का प्रश्न है तो वह मशरूअ है; इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान:

(( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ))

“जब मुअज़्ज़िन को अज़ान देते सुनो तो उसी तरह कहो जैसे मुअज़्ज़िन कहता है।” (बुखारी हदीस न० ६११, मुस्लिम हदीस न० ३८४)

प्रत्यके स्थिति को शामिल है, सिवाय इसके कि दलील किसी हालत को इस से अलग कर दे।

प्रश्न ४६ : उस व्यक्ति के लिए शव्वाल के छः रोजे रखने के बारे में आप का क्या विचार है जिस पर कज़ा वाजिब है?

उत्तर : इस प्रश्न का उत्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान में है:

«من صام رمضان ، ثم أتبعه بست من شوال كان  
كصيام الدهر».

“जिस व्यक्ति ने रमज़ान का रोज़ा रखा, फिर उसके पश्चात ही शव्वाल महीने के छः रोज़े रखे तो वह ज़माने भर रोज़ा रखने के समान है।”  
(मुस्लिम हदीस न. ११६४)

प्रश्न यह है कि यदि किसी मनुष्य पर (रमज़ान के रोज़े की) कज़ा अनिवार्य है और वह शव्वाल के छः रोज़े रखता है तो क्या उसने उन रोज़ों को रमज़ान से पहले रखा है या रमज़ान के पश्चात ?

उदाहरण : एक व्यक्ति ने रमज़ान के चौबीस (२४) रोज़े रखे, और उस पर छः दिन के रोज़े शेष रह गए, अब यदि वह रमज़ान के छः रोज़े कज़ा के रखने से पूर्व शव्वाल के छः रोज़े रखता है तो यह नहीं कहा

जाएगा कि: उसने रमज़ान के रोज़े रखे, फिर उसके पश्चात ही शव्वाल के छः रोज़े रखे; इसलिए कि यह नहीं कहा जा सकता कि उसने रमज़ान के रोज़े रखे मगर केवल इस स्थिति में कि उसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हों, इस आधार पर उस व्यक्ति के लिए शव्वाल के छः रोज़े रखने का सवाब सिद्ध नहीं होगा जिसने अपने ऊपर रमज़ान के कज़ा के अनिवार्य होते हुए उसके रोज़े रखे।

इस मसूअले का संबंध इस अध्याय से नहीं है कि **“जिस पर रोज़े की कज़ा वाजिब हो उसके लिए नफ़ली रोज़ा रखने के जायज़ होने के बारे में उलमा के मध्य मतभेद है”**, इसलिए कि यह मतभेद शव्वाल के छः रोज़ों के अतिरिक्त में है, जहाँ तक शव्वाल के छः रोज़ों का प्रश्न है तो वह रमज़ान के अधीन हैं, और उनका सवाब उसी के लिए सिद्ध हो सकता है जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रख लिए हैं।

**प्रश्न ४७ :** एक बीमार व्यक्ति ने रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा और महीने के प्रवेश करने के चार दिन बाद उसका देहान्त होगया, क्या उसकी ओर से कज़ा किया जाए गी?

उत्तर : यदि वह बीमारी जिस से यह व्यक्ति पीड़ित हुआ है सामयिक (वकूती) बीमारी थी तो उसकी ओर से रोज़े की कज़ा नहीं की जाएगी अगर उसकी बीमारी उसके मरने तक बाकी थी; इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: १८५].

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।”

(सूरतुल बकरा: १८५)

इस आयत के आधार पर उस बीमार पर अनिवार्य यह है कि वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती के बराबर रोज़ा रखे, और जब उसे रखने पर क़ादिर (सामर्थी) होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई तो वह उस से भार मुक्त होगया; क्योंकि उसने वह समय नहीं पाया जिसमें उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य है, इस प्रकार वह उस व्यक्ति के समान है जो शाबान के महीने ही में मर गया, तो उस पर अगले रमज़ान का रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है।

किन्तु यदि उसकी बीमारी ऐसी है जिसके ठीक होने की आशा नहीं है, तो असल यह है कि उस पर हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना अनिवार्य है।

प्रश्न ४८ : एक व्यक्ति पर रमज़ान के महीने के एक दिन की कज़ा वाजिब थी और उसने कज़ा नहीं की यहाँ तक कि दूसरा रमज़ान आगया, अब वह क्या करे?

उत्तर : यह बात मालूम (ज्ञात) है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

[البقرة: १८५].

“तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।” (सूरतुल बकरा: १८५)

अतः इस व्यक्ति पर जिसने किसी शरई उज़्र के कारण रोज़ा नहीं रखा था अनिवार्य है कि अल्लाह तआला के आदेश का पालन करते हुए उसकी कज़ा



करे, तथा उस पर यह भी अनिवार्य है कि वह उसी साल क़ज़ा करे, दूसरे रमज़ान के पश्चात तक उसे विलम्ब न करे; इसलिए कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं:

**“मेरे ऊपर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा होती थी और मैं उसे शाबान में क़ज़ा करने का अवसर पाती थी।”** (बुख़ारी हदीस न. १६५०,)

और यह इस कारण था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके पास होते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का यह फरमान कि: **“मैं उसे शाबान ही में क़ज़ा कर पाती थी”** इस बात की दलील है कि दूसरे रमज़ान के आने से पूर्व उसकी क़ज़ा अनिवार्य है, किन्तु यदि उसने उसे दूसरे रमज़ान के बाद तक विलम्ब कर दिया है तो उस पर वाजिब है कि अल्लाह तआला से क्षमा याचना करे और उस से तौबा करे, और जो कुछ किया है उस पर लज्जित और शर्मिन्दा हो, और इस दिन की क़ज़ा करे; इसलिए कि विलम्ब के कारण क़ज़ा समाप्त नहीं होजाता है, इसलिए वह इस दिन की क़ज़ा करेगा चाहे दूसरे रमज़ान के पश्चात ही क्यों न हो। और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है।

**प्रश्न ४६ : शव्वाल के छः रोज़ों के विषय में सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है?**

उत्तर : सर्वश्रेष्ठ यह है कि शव्वाल के छः रोज़े ईद के तुरन्त पश्चात और लगातार रखे जाएँ, जैसा कि उलमा ने इसे विशेष रूप से उल्लेख किया है, इसलिए कि यह उस अनुसरण (पैरवी) की पूर्ति के अधिक योग्य है जो हदीस के अन्दर आया है कि (( ثُمَّ أَتْبَعَهُ )) अर्थात् फिर उसके पीछे ही (तुरन्त पश्चात ही शव्वाल के छः रोज़े रखे) और इसलिए कि यह भलाई की ओर शीघ्रता करने के बाब से है जिसके बारे में कुरआन व हदीस के नुसूस के अन्दर रुचि दिलाई गई है और उसके करने वाले की प्रशंसा की गई है, और इसलिए भी कि यह उस दूरदर्शिता का प्रतीक है जो बन्दे के गुण और विशेषता में से है, इसलिए कि अवसरों को छोड़ देना उचित नहीं है; इसलिए कि आदमी को कुछ भी पता नहीं कि दूसरे समय और अन्त में क्या चीज़ पेश आजाए, इस से मेरा मतलब यह है कि आदमी को अपने समस्त कामों में जैसे ही ठीक बात का पता चल जाए उसे सम्पन्न करने और अवसरों से लाभ उठाने में शीघ्रता करना चाहिए।

प्रश्न ५० : क्या मनुष्य के लिए जायज़ है कि वह अपनी पसन्द से शव्वाल के जिन दिनों का रोज़ा रखना चाहे रखे, या इन दिनों का कोई विशेष निर्धारित समय है ? और यदि मुसलमान ने किसी वर्ष शव्वाल के इन दिनों का रोज़ा रख लिया तो क्या यह उस पर फर्ज़ होजाता है और हर साल उस पर रोज़ा रखना वाजिब होजाता है ?

उत्तर : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सिद्ध है कि आप ने फरमाया :

((من صام رمضان ، ثم أتبعه بست من شوال كان

كصيام الدهر)).

“जिस व्यक्ति ने रमज़ान का रोज़ा रखा, फिर उसके पश्चात ही शव्वाल महीने के छः रोज़े रखे तो वह ज़माने भर रोज़ा रखने के समान है।”  
(मुस्लिम हदीस न. ११६४)

इन छः रोज़ों का कोई निश्चित और निर्धारित समय नहीं है, बल्कि पूरे महीने में से मोमिन जो भी दिन चाहे चयन कर ले, यदि चाहे तो उसके शुरू में रोज़ा रखे, और यदि चाहे तो उसके बीच में रोज़ा रखे, और

यदि चाहे तो उसके अन्त में रोज़ा रखे, और यदि चाहे तो उसे पूरे महीने में अलग अलग दिनों में रखे, अल्लाह की प्रशंसा है कि इस मामले में विस्तार है। और यदि उसके लिए शीघ्रता करता है और उसे महीने के शुरू ही में रख लेता है तो भलाई की ओर पहल करने के बाव से यह श्रेष्ठ है, किन्तु अल्लाह की प्रशंसा है कि इसके अन्दर कोई तंगी नहीं है, बल्कि उसके अन्दर मामले में विस्तार (कुशादगी) है, यदि चाहे तो रमज़ान के पश्चात ही लगातार रखे, और यदि चाहे तो अलग अलग दिनों में रखे, फिर यदि वह कुछ साल रोज़ा रखता है और कुछ साल छोड़ देता है तो कोई बात नहीं; इसलिए कि यह नफली रोज़ा है फर्ज़ नहीं है।

**प्रश्न ५१ : आशूरा के रोज़ों का क्या हुक्म है ?**

**उत्तर :** जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत करके मदीना आए तो यहूदियों को मुहर्रम महीने की दसवीं तारीख को रोज़ा रखते हुए पाया, उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

((أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه)).

“मैं मूसा अलैहिस्सलाम (की पैरवी करने) का तुम से अधिक योग्य हूँ, फिर आप ने उस दिन रोज़ा

रखा और लोगों को उसका रोज़ा रखने का आदेश दिया।” (बुखारी हदीस नं. २००४, मुस्लिम हदीस नं. ११३०)

और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा और उसका रोज़ा रखने का आदेश दिया। तथा आप से उसके रोज़े की फज़ीलत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

(( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)).

“मुझे अल्लाह तआला से आशा है कि इसके रोज़े को पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देगा।” (मुस्लिम हदीस नं. ११६२)

किन्तु इसके पश्चात आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहूद की मुखालफ़त करने का आदेश दिया इस प्रकार कि दसवीं तारीख का रोज़ा रखा जाए और उस से पहले एक दिन अर्थात नवीं तारीख का, या उसके पश्चात एक दिन अर्थात ग्यारहवीं तारीख का रोज़ा रखा जाए।

इस आधार पर श्रेष्ठ यह है कि मनुष्य दसवीं तारीख का रोज़ा रखे और उसके साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोज़ा और मिला ले, उसके साथ नवीं तारीख के रोज़े को मिलाना ग्यारहवीं तारीख के रोज़े के मिलाने से श्रेष्ठ है।

अतः इस्लामी भाईयो ! आप के लिए शोभा है कि आप आशूरा के दिन और नवीं तारीख का रोज़ा रखें।

**प्रश्न ५२ : शाबान के महीने में रोज़ा रखने का क्या हुक्म है?**

**उत्तर :** शाबान के महीने में रोज़ा रखना और अधिक से अधिक रोज़ा रखना सुन्नत है, यहाँ तक कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं :

“मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शाबान के महीने से अधिक किसी और महीने में (नफली) रोज़ा रखते हुए नहीं देखा ”।

अतः इस हदीस के आधार पर शाबान के महीने में अधिक से अधिक रोज़ा रखना मुनासिब है।

उलमा (ज्ञानियों) का कहना है : शाबान के रोज़े ऐसे ही हैं जैसे फर्ज नमाज़ों के लिए मुअक्किदा सुन्नतें हैं,

मानो वह रमज़ान के रोज़ों के लिए प्राक्कथन है, अर्थात् मानो वह रमज़ान के महीने की सुन्नते मुअक्किदा है, इसी कारण शाबान के महीने में रोज़ा रखना मसनून है तथा शव्वाल के महीने में छः दिनों का रोज़ा रखना मसनून है जिस प्रकार कि फर्ज नमाज़ से फहले और बाद की मुअक्किदा सुन्नतें होती हैं। शाबान के महीने में रोज़ा रखने का एक अन्य फायदा भी है और वह यह है कि नफ्स को रोज़े के लिए व्यवस्थित और अनुकूल करना है ताकि वह रमज़ान के रोज़े के लिए तैयार रहे और उसकी अदायगी सरल होजाए।

**प्रश्न ५३ :** यदि मनुष्य एक दिन रोज़ा रखता हो और एक दिन रोज़ा इफ्तार करता हो और उसके रोज़े का दिन जुमा के दिन पड़ जाए तो क्या उसके लिए उस दिन रोज़ा रखना जायज़ है?

**उत्तर :** यदि कोई व्यक्ति एक दिन रोज़ा रखता हो और एक दिन रोज़ा इफ्तार करता हो तो उसके लिए अकेले जुमा, या शनिवार या रविवार या इसके अतिरिक्त किसी अन्य दिन का रोज़ा रखना जायज़ है जब तक कि वह ऐसा दिन नहीं पड़ता है जिसका रोज़ा रखना हराम है, यदि उसका रोज़ा किसी ऐसे दिन पड़ जाता है जिस दिन रोज़ा रखना निषेध (हराम) है तो

उस पर उस दिन का रोज़ा छोड़ देना अनिवार्य है, यदि मान लो कि कोई व्यक्ति एक दिन रोज़ा रखता था और एक दिन रोज़ा इफ्तार करता था, कि उसके इफ्तार का दिन जुमेरात को और रोज़े का दिन जुमा को पड़ गया तो उस के लिए कोई हर्ज की बात नहीं है कि वह ऐसी हालत में जुमा के दिन रोज़ा रखे, इसलिए कि उसने जुमा का रोज़ा इसलिए नहीं रखा है कि वह जुमा का दिन है; बल्कि इसलिए कि वह उस दिन पड़ गया जिस दिन वह रोज़ा रखता था, किन्तु यदि वह दिन जिस दिन वह रोज़ा रखता है किसी ऐसे दिन पड़ जाए जिसका रोज़ा रखना हराम है तो उस दिन का रोज़ा छोड़ देना अनिवार्य है, जैसे कि वह ईदुल-अज़हा का दिन या तशरीक़ का दिन पड़ जाए, या जैसे कि कोई महिला हो जो एक दिन रोज़ा रखती हो और एक दिन इफ्तार करती हो और उसे मासिक धर्म या प्रसव स्राव आजाए जो उसके लिए रोज़ा रखने में रूकावट हो तो ऐसी हालत में वह रोज़ा नहीं रखेगी।

**प्रश्न ५४ :** सौमे विसाल (लगातार रोज़ा रखना) क्या है? क्या वह मशरूअ है?

**उत्तर :** सौमे विसाल यह है कि मनुष्य दो दिन तक रोज़ा इफ्तार न करे, लगातार दो दिनों तक रोज़े को



जारी रखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस से रोका है और फरमाया है:

(( من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ))

“जो व्यक्ति रोज़े को लगातार रखना चाहे वह सेहरी के समय तक लगातार रोज़ा रखे।”

सेहरी तक विसाल करना भी केवल जायज़ है, (मशरूअ) मुस्तहब के अध्याय से नहीं है, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोज़ा खोलने में शीघ्रता करने पर बल दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

(( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ))

“लोग बराबर भलाई में रहेंगे जब तक वह रोज़ा खोलने में शीघ्रता करेंगे।”

किन्तु उनके लिए केवल सेहरी तक रोज़े को लगातार जारी रखना जायज़ करार दिया है, चुनांचे जब लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल आप तो लगातार रोज़ा रखते हैं तो आप ने फरमाया: “मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ।”

**प्रश्न ५५ :** जुमा के दिन को रोज़े के साथ विशेष करने से मना करने का क्या कारण है? क्या यह आदेश क़जा के रोज़ों को भी सम्मिलित है?

**उत्तर :** नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है कि आप ने फरमाया:

(( لا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ وَلَا لَيْلَتِهَا بِقِيَامٍ ))

“जुमा के दिन को रोज़े के लिए और उसकी रात को क़ियाम (तहज्जुद) के लिए विशेष न करो।”

व्यक्तिगति रूप से जुमा के दिन को रोज़े के लिए विशेष करने से मना करने की हिक्मत यह है कि जुमा का दिन सप्ताह की ईद है, वह तीन शरई (धार्मिक) ईदों में से एक है; इसलिए कि इस्लाम में तीन ईदें हैं: रमज़ान के रोज़ों के बाद ईदुल-फ़ित्र, ईदुल-अज़हा और सप्ताह की ईद और वह जुमा का दिन है, इसीलिए उस दिन अकेले रोज़ा रखने से मना किया गया है, और इसलिए कि जुमा एक ऐसा दिन है जिस में आदमियों के लिए जुमा की नमाज़ के लिए जाना और दुआ और ज़िक्र में व्यस्त होना मुनासिब है, इस प्रकार वह अरफ़ा के दिन के समान है जिस दिन हाजी के लिए रोज़ा रखना मशरूअ नहीं है; इसलिए कि वह दुआ और ज़िक्र

में व्यस्त होता है, और यह बात ज्ञात है कि जब कई ऐसी इबादतें एकत्र होजाएं जिन में से कुछ को विलम्ब करना सम्भव हो तो जिनको विलम्ब करना सम्भव नहीं है उसे उन पर प्राथमिकता दी जाए गी जिन को विलम्ब करना सम्भव है।

यदि कोई व्यक्ति आपत्ति व्यक्ति करे: जुमा के दिन का सप्ताह की ईद होने का कारण व्यान करना इस बात का तकाज़ा करता है कि उसका रोज़ा साल के दोनों ईदों के समान सामान्य रूप से हराम (निषेध) हो, केवल उस दिन का अकेले रोज़ा रखना ही नहीं।

हम उत्तर देंगे : वह दोनों ईदों से विभिन्न है; इसलिए कि जुमा का दिन हर महीने में चार बार आता है, इसलिए उसके बारे में मनाही निषेधात्मक नहीं है, तथा ईदैन के अन्दर कुछ अन्य अर्थ भी हैं जो जुमा के दिन में नहीं हैं।

इसके विपरीत यदि वह उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद भी रोज़ा रखता है तो इस से यह ज्ञात होता है कि उसका उद्देश्य जुमा के दिन को रोज़े के लिए विशेष करना नहीं है; इसलिए कि उसने एक दिन पहले

अर्थात् जुमेरात का भी रोज़ा रखा है, या एक दिन बाद अर्थात् शनिवार का भी रोज़ा रखा है।

जहाँ तक प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न का संबंध है कि क्या यह नफली रोज़े के लिए विशेष है या इसमें कज़ा के रोज़े भी आते हैं?

तो दलीलों का स्पष्ट अर्थ यही है कि यह हुक्म सामान्य है और जुमा के दिन को रोज़े के लिए विशेष करना अनेच्छिक है चाहे वह फर्ज रोज़े हों या नफली रोज़े, किन्तु यदि मनुष्य काम काज वाला हो उसे काम से छुट्टी न मिलती हो और उसके लिए जुमा के अतिरिक्त किसी अन्य दिन में कज़ा करना सहज न हो तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अकेले जुमा के दिन रोज़ा रखना अनेच्छिक नहीं है; इसलिए कि वह ज़रूरतमंद है।

**प्रश्न ५६ :** यदि मनुष्य नफली रोज़े को किसी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ के द्वारा फासिद कर दे तो क्या वह गुनहगार होगा? और यदि वह उसे सम्भोग के द्वारा फासिद कर दे तो क्या उस पर कफ़ारा अनिवार्य है?

**उत्तर :** यदि मनुष्य नफली रोज़ा रखे, फिर खाना या पानी या सम्भोग के द्वारा रोज़ा तोड़ दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है; इसलिए कि जो भी व्यक्ति कोई

नफली इबादत आरम्भ करे तो उस पर उसको पूरा करना अनिवार्य नहीं है सिवाय हज्ज और उम्रा के (कि उनको पूरा करना आवश्यक है) किन्तु श्रेष्ठ उसको पूरा करना है, ऐसी स्थिति में यदि वह नफली रोज़े में सम्भोग कर ले तो उस पर कफ़ारा नहीं है; इसलिए कि उस पर उसको पूरा करना अनिवार्य नहीं है।

लेकिन यदि फर्ज़ रोज़ा हो और रोज़ेदार अपनी पत्नी से सम्भोग करे तो यह जायज़ नहीं है; इसलिए कि फर्ज़ रोज़े को बिना किसी आवश्यकता (कारण) के तोड़ना जायज़ नहीं है, तथा उस पर कफ़ारा उसी समय अनिवार्य है जब वह रमज़ान के दिन में सम्भोग करे और वह उन लोगों में से हो जिन पर रोज़ा वाजिब है, हमारे इस कथन “ और वह उन लागों में से हो जिन पर रोज़ा वाजिब है” पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ यात्रा करे और वह दोनों यात्रा में रोज़े से हों फिर वह उस से सम्भोग कर ले तो उन दोनों पर कोई मुनाह नहीं है और न ही उन पर कफ़ारा वाजिब है, उस पर और उसकी पत्नी पर केवल यह अनिवार्य है कि वह दोनों उस दिन की कज़ा करें जिसमें सम्भोग हुआ है।

प्रश्न ५७ : ऐतिकाफ़ का क्या हुक्म है? क्या ऐतिकाफ़ में बैठने वाले के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति और खाने पीने तथा इसी प्रकार दवा इलाज कराने के लिए निकलना वैध है? ऐतिकाफ़ की सुन्नतें क्या हैं? तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सिद्ध ऐतिकाफ़ की सहीह विधि क्या है?

उत्तर : अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की आराधना और वन्दना के लिए एकान्त होने के लिए मस्जिद को लाज़िम पकड़ने को ऐतिकाफ़ कहते हैं, क़द्र की रात को तलाश करने के लिए ऐतिकाफ़ करना मसनून है, कुरआन के अन्दर अल्लाह तआला ने इसकी ओर अपने इस फरमान के द्वारा संकेत किया है:

﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

[البقرة: १८७]

“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में ऐतिकाफ़ में हो।” (सूरतुल बकरा: १८७)

सहीहैन (बुखारी और मुस्लिम) में सिद्ध है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐतिकाफ़ किया और आप के साथ आपके सहाबा ने भी ऐतिकाफ़ किया,

और ऐतिकाफ की मशरूयित (वैधता) बाकी रही है मनसूख नहीं हुई है, चुनांचे सहीहैन में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वह कहती हैं:

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के अन्तिम दस दिनों का ऐतिकाफ करते थे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आपको मृत्यु दे दी, फिर आपकी पत्नियों ने आपके बाद ऐतिकाफ किया”।

तथा सहीह मुस्लिम में अबु सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के पहले दस दिनों का ऐतिकाफ किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के मध्य दस दिनों का ऐतिकाफ किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

“ मैं ने क़द्र वाली रात को ढूँढ़ने के लिए रमज़ान के पहले दहे का ऐतिकाफ किया, फिर मैं ने मध्य दहे का ऐतिकाफ किया, फिर मेरे पास जिब्रील आए और मुझ से कहा गया कि: यह अन्तिम दहे में है, सो तुम में से जो व्याक्ति ऐतिकाफ करना चाहे वह ऐतिकाफ करे ”।

चुनांचे लोगों ने आप के साथ ऐतिकाफ किया। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह कहते हैं: मैं किसी भी आलिम का इस बारे में मतभेद नहीं जानता हूँ कि ऐतिकाफ मसनून है।

इस प्रकार ऐतिकाफ नस और इजमाअ के द्वारा मसनून है।

ऐतिकाफ का स्थान वह मस्जिदें हैं जिस में जमाअत के साथ नमाज होती है चाहे वह किसी भी नगर में हो, इसलिए कि अल्लाह तआला का यह फरमान सामान्य है:

﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

[البقرة: १८७]

“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में ऐतिकाफ में हो।” (सूरतुल बकरा: १८७)

श्रेष्ठ यह है कि ऐतिकाफ ऐसी मस्जिद में किया जाए जिस में जुमा की नमाज़ होती है ताकि उसके लिए बाहर निकलने की आवश्यकता न पड़े, यदि इसके अतिरिक्त मस्जिद में ऐतिकाफ करता है तो जुमा की नमाज़ के लिए जल्दी जाने में कोई बात नहीं है।



ऐतिकाफ करने वाले के लिए योग्य है कि वह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की आराधना - अर्थात् नमाज़, कुरआन का पाठ और अल्लाक के स्मरण - में व्यस्त रहे, इसलिए कि ऐतिकाफ का यही उद्देश्य है, तथा अपने साथियों से थोड़ी बात चीत करने में को हर्ज नहीं है, विशेष रूप से जब उस में कोई लाभ हो।

ऐतिकाफ करने वाले पर सम्भोग और उस से पूर्व की कामुक और भोगेच्छिक चीज़े निषेध (हराम) हैं।

ऐतिकाफ करने वाले के मस्जिद से बाहर निकलने की हालतों को फुक़हा (धर्म-शास्त्र के ज्ञानियों) ने तीन भागों में बांटा है :

**पहला :** जायज़, किसी ऐसे चीज़ के लिए बाहर निकलना जो शरई (धार्मिक) या स्वाभाविक रूप से आवश्यक हो, उदाहरणतः जुमा की नमाज़ के लिए निकलना, तथा खाने और पीने के लिए निकलना यदि कोई उसके पास खाना पानी लाने वाला न हो, वाजिब वजू और स्नान के लिए, पेशाब और पाखाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहर निकलना।

**दूसरा :** किसी ऐसी नेकी के काम के लिए निकलना जो उस पर वाजिब नहीं है जैसे कि बीमार की अयादत

करना, जनाज़े में जाना, यदि उसने ऐतिकाफ के आरम्भ में इसकी शर्त लगाई थी तो जायज़ है अन्यथा नहीं।

**तीसरा :** किसी ऐसी चीज़ के लिए निकलना जो ऐतिकाफ के विपरीत है जैसे कि क्रय-विक्रय के लिए, अपनी पत्नी से सम्भोग करने के लिए और इसी के समान अन्य चीज़ों के लिए निकलना, तो यह जायज़ नहीं है चाहे उसकी शर्त लगाई हो या न लगाई हो। और अल्लाह तआला ही तौफीक देने वाला है।

**प्रश्न ५८ :** जिस व्यक्ति ने बिना किसी कारण के रमज़ान के महीने के रोज़े की अनिवार्यता से अपरिचित होने के सबब रमज़ान के कुछ दिनों का रोज़ा नहीं रखा तो क्या उस पर कज़ा वाजिब है? तथा उस व्यक्ति के रोज़े का क्या हुक्म है जो अल्लाह की उपासना के उद्देश्य से रोज़ा नहीं रखता है, बल्कि केवल लोगों को रोज़ा रखते हुए देख कर उनके साथ रोज़ रखता है?

**उत्तर :** जिस व्यक्ति ने रमज़ान के महीने के रोज़े की अनिवार्यता से अनवगत होने के कारण रमज़ान के कुछ दिनों का रोज़ा नहीं रखा था, उस पर कज़ा वाजिब है, इसलिए कि मनुष्य का किसी चीज़ की अनिवार्यता से अपरिचित होना उस अनिवार्य चीज़ से भार मुक्त नहीं

कर देता है, बल्कि केवल गुनाह को समाप्त कर देता है, इसलिए उस व्यक्ति पर रोज़ा न रखने का गुनाह नहीं है किन्तु उस पर कज़ा वाजिब है। यहाँ पर यह बात स्वीकारने योग्य नहीं है कि कोई व्यक्ति मुसलमानों के मध्य जीवन यापन कर रहा हो और उसे इस बात का ज्ञान न हो कि रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े वाजिब हैं। प्रत्यक्ष रूप से यह फर्जी मस्अला है, किन्तु जो व्यक्ति अभी नया नया इस्लाम में प्रवेश किया हो उसके बारे में सम्भावना है कि वह पूरे महीने के रोज़े की अनिवार्यता से अनभिज्ञ हो।

**दूसरे वाक्य का उत्तर,** वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों को रोज़ा रखते हुए देख कर उनके साथ रोज़ा रखता था तो प्रत्यक्ष रूप से उसका रोज़ा सहीह है, इसलिए कि वह नियत के साथ खाने पीने से रूकता है और वह यह कि वह उसी प्रकार कता है जिस प्रकार अन्य मुसलमान करते हैं और मुसलमान अल्लाह तआला की उपासना के उद्देश्य से ऐसा करते हैं (इस प्रकार उसकी भी वही नियत मानी जाएगी)। किन्तु आवश्यक है कि उसे यह बतलाया जाए कि रोज़ा इबादत है, और मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने खाना पानी और कामवासना को छोड़ने में अल्लाह के लिए इख्लास

(निःस्वार्थता) का प्रदर्शन करे, जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह तआला का फरमान है :

(( يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ))

“वह (रोज़ेदार) अपने खाना पानी और शहवत (कामवासना) को मेरे कारण छोड़ देता है।”

प्रश्न ५६ : जिस व्यक्ति को उसका बाप बिना सन्तोष जनक कारणों के ऐतिकाफ करने से रोक दे उसका क्या हुक्म है?

उत्तर : ऐतिकाफ सुन्नत है, और माता-पिता के साथ उपकार और भलाई करना वाजिब है, और सुन्नत के कसरण वाजिब समाप्त नहीं होता है, मौलिक रूप से वह वाजिब के विरोध में नहीं आ सकता है, इसलिए कि वाजिब को उस पर प्राथमिकता प्राप्त है, अल्लाह तआला हदीस कुदसी में फरमाता है:

“जो कुछ मैं ने बन्दे पर फर्ज़ करार दिया है उस से अधिक प्रिय किसी अन्य चीज़ के द्वारा मेरा बन्दा मेरी निकटता नहीं प्राप्त कर सकता”।

अतः यदि तेरे पिता तुझे ऐतिकाफ न करने का आदेश देते हैं और ऐसी चीज़ें ज़िक्र करते हैं जो इस

बात का तकाज़ा करते हैं कि तो एतिकाफ न करे, इसलिए कि वह तेरे ज़रूरतमंद हैं, तो इसका पैमाना उनके ही पास है तेरे पास नहीं, इसलिए कि होसकता है तेरा पैमाना असंतुलित और न्यायहीन हो; इसलिए कि तू एतिकाफ का इच्छुक है, सो तू उनके बतलाये हुए कारणों को उचित कारण नहीं समझता है और तेरे पिता उसे उचित कारण समझते हैं।

अतः मैं तुझे यह नसीहत करता हूँ कि तू एतिकाफ न कर, हाँ यदि तेरे पिता कहें कि तु एतिकाफ न कर और उसका कोई कारण उल्लेख न करें तो ऐसी स्थिति में उनकी आज्ञापालन तेरे लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए कि तेरे लिए किसी ऐसी चीज़ में उनकी आज्ञापालन करना आवश्यक नहीं है जिसकी मुखालफत करने में उनका कोई हानि नहीं किन्तु उस में तेरा घाटा है।

**प्रश्न ६० :** एतिकाफ करने वाला अपने एतिकाफ गृह से कब निकले गा? क्या ईद की रात सूरज डूबने के पश्चात या ईद के दिन फज़्र के बाद?

**उत्तर:** एतिकाफ करने वाला अपने एतिकाफ से उस समय निकले गा जब रमज़ान समाप्त होजाए, और

रमज़ान ईद की रात सूरज के डूबने के साथ समाप्त होजाता है, जिस प्रकार कि मोतकिफ बीस रमज़ान की रात को सूरज डूबने के साथ अपने एतिकाफ में प्रवेश करता है, क्योंकि रमज़ान का अन्तिम दहा बीस रमज़ान की रात को सूरज डूबने से आरम्भ होता है और ईद की रात सूरज डूबने के साथ समाप्त होजाता है।

**प्रश्न ६९ :** क्या तीन मस्जिदों (मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़सा) के अतिरिक्त किसी अन्य मस्जिद में एतिकाफ जायज़ है? इसकी दलील क्या है?

**उत्तर :** तीनों मस्जिदों - मस्जिदे हराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद और मस्जिदे अक़सा- के अतिरिक्त अन्य मस्जिदों में भी एतिकाफ करना जायज़ है, इसकी दलील अल्लाह तआला का यह आम फरमान है:

﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

[البقرة: १८७]

“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो।” (सूरतुल बकरा: १८७)

इस आयत में समस्त मुसलमानों को सम्बोधित किया गया है, यदि हम यह कहें कि इस से मुराद केवल तीन मस्जिदें हैं तो अधिकांश मुसलमान इस आयत के मुखातब नहीं होंगे, इसलिए कि अधिकांश मुसलमान मक्का, मदीना और अल-कुद्स के बाहर रहते हैं।

इस आधार पर हम कहें गे: समस्त मस्जिदों में एतिकाफ करना जायज़ है, और यदि यह हदीस सहीह हो कि “ तीन मस्जिदों के अतिरिक्त में एतिकाफ नहीं है” तो इस से मुराद सर्वश्रेष्ठ और अधिक सम्पूर्ण एतिकाफ है, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन तीन मस्जिदों में एतिकाफ करना दूसरी मस्जिदों में एतिकाफ करने से अफज़ल है, जिस प्रकार कि तीनों मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना दूसरी मस्जिदों से श्रेष्ठ है।

मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना एक लाख नमाज़ के बराबर है और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में नमाज़ पढ़ना एक हज़ार नमाज़ों के बराबर है सिवाय मस्जिदे हराम के और मस्जिदे अक्सा में नमाज़ पढ़ना पाँच सो नमाज़ों के बराबर है।

यह अन्न व सवाब उन नमाज़ों के लिए है जिनको मनुष्य मस्जिदों के अन्दर करता है (अर्थात जो मस्जिद

के साथ विशेष है) जैसेकि फर्ज नमाज़ और कुसूफ की नमाज़ को जमाअत के साथ पढ़ना इसी प्रकार तहिय्यतुल मस्जिद। किन्तु मुअक्किदा सुन्नतें और अन्य नफली नमाज़ें जो मस्जिद के साथ विशेष नहीं हैं तो उनको घर के अन्दर पढ़ना श्रेष्ठ है, इसलिए हम मक्का के बारे में कहते हैं : आपका अपने घर में मुअक्किदा सुन्नतें पढ़ना उन्हें मस्जिदे हराम में पढ़ने से श्रेष्ठ है। यही मामला मदीना का भी है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीने के अन्दर फरमाया:

(( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ))

“मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ नमाज़ उसके घर के अन्दर पढ़ी जाने वाली नमाज़ है सिवाय फर्ज नमाज़ के।”

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नफली नमाज़ें अपने घर में ही पढ़ा करते थे।

जहाँ तक तरावीह की नमाज़ का संबंध है तो यह उन नमाज़ों में से है जो मस्जिदों के अन्दर मशरूअ है, इसलिए कि उसके लिए जमाअत मशरूअ है।



प्रश्न ६२ : रोज़े की हालत में गुदा द्वारा बीमार के पेट में तरल औषधि चढ़ाने (enema) का क्या हुक्म है?

उत्तर : वह इन्जेक्शन जिसे गुदा दारा कब्ज़ दूर करने के लिए बीमारों को चढ़ाया जाता है, उसके बारे में विद्वानों का मतभेद है, कुछ लोग इस बात की ओर गए हैं कि इससे रोज़ा टूट जाए गा, इस आधार पर कि जो चीज़ भी पेट में पहुँची है उस से रोज़ा टूट जाता है, और कुछ लोग इस बात की ओर गए हैं कि इस से रोज़ा नहीं टूटे गा, इस बात के कहने वालों में शैखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या भी हैं वह कहते हैं : यह न तो खाना पीना है और न खाने पीने के अर्थ में है।

मेरा विचार यह है कि: इस बारे में डाक्टरों के विचार को देखा जाए, यदि वह यह कहें कि यह खाने और पीने के समान है तो उस पर खाने और पीने का हुक्म लगाना वाजिब है और उस से रोज़ा टूट जाए गा, और यदि वह यह कहें कि यह शरीर को वह शक्ति नहीं प्रदान करता है जो खाना और पानी प्रदान करता है तो इस से रोज़ा नहीं टूटे गा।

**प्रश्न ६३ :** क्या रोजेदार के लिए मुसलमानों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए टेलीफोन से बात-चीत करना जायज़ है?

**उत्तर :** मुसलमानों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐतिकाफ करने वाले के लिए टेलीफोन से बात चीत करना जायज़ है, इस शर्त के साथ कि वह टेलीफोन उसी मस्जिद में हो जिसमें वह ऐतिकाफ किए हुए है, इसलिए कि ऐसी अवस्था में वह मस्जिद से बाहर नहीं निकला, किन्तु यदि वह मस्जिद के बाहर हो तो वह उसके लिए मस्जिद के बाहर नहीं निकले गा, रही बात मुसलमानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो यदि वह व्यक्ति उससे संबंधित (ज़िम्मेदार) है तो वह ऐतिकाफ न करे ; इसलिए कि मुसलमानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ऐतिकाफ से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उसका लाभ सकर्मक और सामान्य है और जिस चीज़ का लाभ सकर्मक और सामान्य हो वह उस चीज़ से श्रेष्ठ है जिसका लाभ सीमित हो, सिवाय इसके कि सीमित लाभ वाली चीज़ इस्लाम के महत्व पूर्ण और अनिवार्य कामों में से हो।

**प्रश्न ६४ :** एक व्यक्ति के पास दो बेटे हैं जो ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिस से स्वस्थ होने की आशा नहीं

है और इस से पहले उन्होंने ने कभी रोज़ा नहीं रखा है तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति पर उन दोनों बेटों के प्रति क्या अनिवार्य है? और उन दोनों के लिए नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है?

उत्तर : जो बीमार ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिस से स्वस्थ होने की आशा नहीं है तो उस के लिए रोज़ा रखना आवश्यक नहीं है, इसलिए कि वह असमर्थ (बेबस) है, किन्तु उस पर अनिवार्य यह है कि वह उसके स्थान पर हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए, यह भी उस समय जबकि वह समझ बूझ रखने वाला और व्यस्क हो।

### **खाना खिलाने के दो तरीके हैं:**

① दूपहर या रात का खाना तैयार करे और उतनी संख्या में मिस्कीनों को खाने के लिए बुलाए जितने दिनों का रोज़ा उसके ऊपर अनिवार्य है, जिस प्रकार कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बूढ़ा होने के समय किया करते थे।

② अनाज वितरण कर दे और मिस्कीन उसे स्वयं बना कर खाए, इस अनाज की मात्रा एक मुद् गेहूँ या चावल है, मुद् के संबंध में नबी ﷺ के साअ के मुद्

का एतिबार किया जाए गा-और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साअ का एक चौथाई होता है- और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का साअ दो किलो ग्राम और चालीस ग्राम (२.०४०) होता है, इस प्रकार एक मुद्द आधा किलो और दस ग्राम (५१०ग्राम) होगा, अतः व्यक्ति इस मात्रा में गेहूँ या चावल खिलाए गा, तथा उसके साथ गोशत और सालन भी होना चाहिए, रही बात उन रोज़ों की जो बीत चुके हैं तो उनके बदले भी मिस्कीनों को खाना खिलाए गा।

जहाँ तक उन दोनो के लिए नमाज़ पढ़ने का संबंध है तो यथाशक्ति उनके लिए नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इम्रान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया:

(( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع ))

(( فعلی جنب ))

“ खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, यदि इसके सामर्थ्य न हो तो बैठ कर नमाज़ पढ़ो यदि यह भी न हो सके तो पहलू पर नमाज़ पढ़ो।”

प्रश्न ६५ : एक व्यक्ति रात के समय अब्हा से मक्का आया, सुबह के समय शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाल दिया और उसने अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया तो इसका क्या हुक्म है?

उत्तर : यह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उम्रा करने के लिए आया, दोनों ने रात में उम्रा किया और सुबह रोज़े से थे, उसी दिन में जिसमें वह दोनों रोज़े से थे उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया, इसके बारे में हमारा उत्तर यह है कि: उस पर उस दिन के रोज़े की कज़ा के अतिरिक्त कोई अन्य चीज़ अनिवार्य नहीं है, न तो उस पर कोई पाप है और न ही कफ़ारा है, उस पर केवल उस दिन की कज़ा अनिवार्य है, इसलिए कि यात्री के लिए जायज़ है कि वह अपना रोज़ा तोड़ दे, अब चाहे उसे खाने या पानी से तोड़े या चाहे सम्भोग के द्वारा, क्योंकि यात्री का रोज़ा उस पर अनिवार्य नहीं है, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: १८०].

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।”

(सूरतुल बकरा: १८५)

अतः उन भाईयों से जो मक्का में फतवा देते हैं यह अभिलाषा है कि जब कोई प्रश्नकर्ता यह प्रश्न करे कि: उसने रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया है तो इसका क्या हुक्म है? तो हमारे लिए उचित है कि हम उस से विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और उस से पूछें कि क्या तू यात्री है या नहीं? यदि वह उत्तर दे कि वह यात्री है, तो हम उस से कहेंगे : तेरे ऊपर केवल क़ज़ा वाजिब है, किन्तु यदि वह अपने नगर में हो और रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर ले तो उस पर निम्नलिखित बातें निष्कर्षित होती हैं :

पहला : रोज़े का फासिद होना।

दूसरा : अवशेष दिन खाने और पीने से रूका रहना।

तीसरा : उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करना।

चौथा : गुनाह।

पांचवाँ : कफ़ारा, और वह है एक गुलाम आज़ाद करना, यदि वह न मिले तो लगातार दो महीने रोज़ा

रखना, यदि उसकी भी शक्ति न हो तो साठ मिसकीनों को खाना खिलाना।

प्रश्न ६६ : कई वर्षों से यह होता चला आ रहा है कि कुछ लोग अज्ञान के अन्त तक (सेहरी) खाते पीते रहते हैं, उनके इस कर्म का क्या हुक्म है?

उत्तर : फज्र की नमाज़ के लिए अज्ञान या तो फज्र के उदय होने के पश्चात होती है या उस से पहले, यदि वह फज्र के निकले के बाद होती है तो मनुष्य पर अनिवार्य है कि वह अज्ञान के सुनते ही खाने पीने से रुक जाए; इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं:

(( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا

أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر))

“बिलाल रात के समय अज्ञान देते है, चुनांचे खाओ और पियो यहाँ तक कि इन्ने उम्मे मक्तूम की अज्ञान सुन लो, क्योंकि वह अज्ञान नहीं देते हैं यहाँ तक कि फज्र निकल आए।”

अतः यदि तुझे पता हो कि यह मुअज़्ज़िन फज्र निकलने के पश्चात अज्ञान देता है तो तू अज्ञान सुनते

ही खाने पीने से रूक जाए, किन्तु यदि मुअज़्ज़िन प्रचलित समय सारणी के आधार पर या अपनी घड़ी के आधार पर अज़ान देता है तो इस बारे में मामला कुछ आसान है।

इस आधार पर हम इस प्रश्नकर्ता से कहेंगे : जो बीत चुका उसकी कज़ा तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए कि तुम्हें निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं है कि तुम ने फज़्र निकलने के पश्चात खाया है, किन्तु भविष्य में मनुष्य के लिए उचित है कि वह सावधानी से काम ले, ज्यों ही अज़ान सुने खाना पीना बन्द कर दे।

**प्रश्न ६७ : क्या मनुष्य के लिए अज़ान के बाद खाना पीना जायज़ है?**

उत्तर : यदि मुअज़्ज़िन फज़्र के निकलने के बाद अज़ान देता है तो उसके बाद खाना पीना जायज़ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا

الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: १८७]



“तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरे करो।”

(सूरतुल बकरा: १८७)

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के कारण:

(( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا

أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر))

“बिलाल रात के समय अज़ान देते हैं, चुनांचे खाओ और पियो यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम की अज़ान सुन लो, क्योंकि वह अज़ान नहीं देते हैं यहाँ तक कि फज़्र निकल आए।”

किन्तु यदि मुअज़्ज़िन तहरी (खोज-बीन) के द्वारा अज़ान देता है, फज़्र को नहीं देखता है, तो सावधानी इसी में है कि अज़ान सुनने के बाद न खाएँ, किन्तु तहरी पर आधारित अज़ान के बाद खाने पीने से निश्चित रूप से रोज़े को फासिद कहना यह मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए कि फज़्र सम्पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ है कि जिस से खाना पीना मना होजाए, किन्तु

इसमे कोई सन्देह नहीं कि सावधानी इसी में है कि मनुष्य फज्र की अज्ञान सुनते ही खाने पीने से रूक जाए।

**प्रश्न ६८ :** जो व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक किसी मस्जिद में इमामत करा रहा हो क्या उसके लिए जायज़ है कि वह हरम में अपने ऐतिकाफ की जगह से निकल कर लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए बाहर जाए?

**उत्तर :** वह ऐतिकाफ करने वाला जो मस्जिद में स्वेच्छा पूर्वक तरावीह की नमाज़ पढ़ाता है वह अपने ऐतिकाफ की जगह से नहीं निकले गा, क्योंकि वह उस मस्जिद के साथ बाध्य नहीं है, मस्जिद वाले अपने लिए किसी इमाम की व्यवस्था करलें, किन्तु यदि मनुष्य किसी मस्जिद में सरकारी तौर पर नियुक्त हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वह ऐतिकाफ करे और उस मस्जिद को छोड़ दे जिसकी उसने हुकूमत के सामने ज़िम्मेदारी स्वीकार की है।

**प्रश्न ६९ :** शबे क़द्र की निशानियाँ क्या हैं?

**उत्तर :** शबे क़द्र की निशानियों में से यह है कि वह एक शान्ति पूर्ण रात होती है, मोमिन का हृदय उसके लिए प्रफुल्लित होजाता है, उसके दिल को सन्तुष्टि प्राप्त

हाती है, नेकियों और भलाईयों को करने के लिए उसके अन्दर स्फूर्ति पैदा हो जाती है, उसकी प्रातः सूर्य साफ व उज्ज्वल निकलता है उसकी किरनें नहीं होती हैं।

**प्रश्न ७० :** जो व्यक्ति रमज़ान के महीने में किसी पराई महिला का चुम्बन करले तो उसका क्या हुक्म है? क्या उस पर कज़ा वाजिब है?

**उत्तर :** यह व्यक्ति जिसने पराई महिला का चुम्बन कर लिया निःसन्देह उसने रोज़े की हिक्मत का भ्रम नहीं रखा, इसलिए कि इस व्यक्ति ने बेहूदा (हराम) काम किया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس  
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)).

“जो व्यक्ति हराम बात कहना, हराम काम करना और मूर्खता को त्याग न करे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग करदे।”

यदि उसने ऐसा उसके साथ जबरन किया है तो उसने हराम काम के साथ साथ मूर्खता भी किया है, सो

उसका रोज़ा निः सन्देह हिक्मत हीन और प्रतिफल हीन है। किन्तु जमहूर उलमा के निकट उसका रोज़ा फासिद नहीं है अर्थात् उस पर क़ज़ा अनिवार्य नहीं है। प्रश्न को प्रस्तुत करने वाले पर वाजिब है कि वह उस व्यक्ति को नसीहत करे जिसने इस कार्य को किया है और उसे अल्लाह के सम्मुख क्षमा याचना करने का आदेश दे, क्योंकि यह काम हराम है और इस बात का कारण बन सकता है कि उसका हृदय मख्लूक़ से लग जाये और वह अल्लाह तआला के स्मरण को भुलादे और इस से बहुत बड़ा फितना जन्म लेले।

**प्रश्न ७१ :** एक व्यक्ति ने मक्का में रोज़ा रखा और किसी कारण उसे तार्इफ़ जाना पड़ा, उसने रेडियो से मक्का के अज़ान पर रोज़ा खोल दिया, क्या उस पर कोई चीज़ अनिवार्य है?

**उत्तर :** यदि उसने तार्इफ़ के अन्दर मक्का के अज़ान पर रोज़ा खोला तो उसने सूर्य डूबने के पश्चात ही रोज़ा खोला, और उस पर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है, इसलिए कि तार्इफ़ में मक्का से पहले सूर्य डूबता है।

**प्रश्न ७२ :** क्या ऐतिकाफ़ करने वाले के लिए किसी व्यक्ति को शिक्षा देना या भाषण देना जायज़ है?

उत्तर : ऐतिकाफ करने वाले के लिए श्रेष्ठ यह है कि वह विशेष इबादतों में व्यस्त रहे जैसे कि ज़िक्र, नमाज़, कुरआन पढ़ना और इसी के समान अन्य चीज़ें, किन्तु यदि किसी को शिक्षा देने या शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि यह भी अल्लाह तआला के ज़िक्र में आता है।

**प्रश्न ७३ : नमाज़ क़स्र करने और रोज़ा तोड़ने के संबंध में यात्रा के क्या अहकाम हैं?**

उत्तर : यात्रा चार रिक्अत वाली नमाज़ों को क़स्र करके दो रिक्अत पढ़ने को जायज़ कर देने वाला एक कारण है, बल्कि वह एक ऐसा कारण है जो आवश्यक रूप से या ऐच्छिक रूप से (इसके बारे में मतभेद है) चार रिक्अत वाली नमाज़ों को क़स्र करके दो रिक्अत पढ़ने का तकाज़ा कर ता है

उचित बात यह है कि क़स्र मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, यद्यपि ऐसे नुसूस पाए जाते हैं जिन से प्रत्यक्ष रूप से वाजिब होने का पता चलता है, किन्तु उसके मुक़ाबले में दूसरे ऐसे नुसूस भी हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि वह वाजिब नहीं है।

वह यात्रा जिस में कस्र करना, रोज़ा तोड़ देना और तीन दिन तक मोज़ों पर मस्ह करना जायज़ हो जाता है, उसके बारे में उलमा के मध्य मतभेद है: कुछ लोगों ने उसे यात्रा की मसाफत (दूरी) के साथ संबंधित किया है, और वह लगभग ८१ किलोमीटर है, अतः यदि मनुष्य अपने नगर से इतनी दूरी की यात्रा पर निकलता है या अपने नगर से इतनी दूरी की यात्रा करने का निश्चय करता है तो वह यात्री समझा जाए गा जिसके लिए यात्रा की समस्त रुखसतें जायज़ होगईं।

कुछ विद्वानों का कहना है: यात्रा को दूरी के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे परम्परा और रीति (उर्फ व आदत) के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि शरीअत ने उसे निर्धारित नहीं किया है, और जिस चीज़ को शरीअत निर्धारित न करे तो उसे निर्धारित करने के लिए परम्परा और रीति का सहारा लिया जाए गा, जैसा कि कवि कहता है:

كل ما أتى ولهم يجدد

بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد

हर वह चीज जिसे शरीअत में परिभाषित और निर्धारित नहीं किया गया है उदाहरणस्वरूप हिर्ज, तो उसे उर्फ व आदत (परम्परा और रीति) के द्वारा निर्धारित और पीरभाषित करो।

कुछ भी हो जब यात्रा के अहकाम सिद्ध होजाएँ, चाहे हम यह कहें कि वह दूरी के साथ संबंधित है या उर्फ व आदत (परम्परा) के साथ संबंधित है, मनुष्य के लिए योग्य है कि वह यात्रा के अहकाम को अपनाए, चाहे वह नमाज़ क़म्र करना हो या रमज़ान में रोज़ा न रखना हो या तीन दिन मोज़ों पर मस्ह करना हो। किन्तु यात्री के लिए यदि रोज़ा रखना उसके लिए कष्टदायक न हो तो रोज़ा रखना ही श्रेष्ठ है, और यदि रोज़ा रखना कष्टदायक हो तो रोज़ा न रखना ही श्रेष्ठ है।

इस स्थान पर मैं अपने उन भाईयों को जो उम्रा करने के लिए मक्का आते हैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ लोग दिन में उम्रा करते हैं हालांकि उन पर रोज़ा बहुत कष्ट और कठिनाई का कारण होता है, यहाँ तक कि कुछ लोग बेहोश होजाते हैं और उन्हें उठाकर ले जाया जाता है, यह एक बहुत बड़ी गलती है, इसलिए कि इन लोगों के लिए मशरूअ यह है कि वह रोज़ा तोड़ दें।

यदि कोई कहने वाला कहे: क्या मेरे लिए यह श्रेष्ठ है कि मैं रोज़ा तोड़ दूँ और मक्का पहुँचते ही उम्रा कर लूँ? अथवा यह श्रेष्ठ है कि मैं रोज़े से रहूँ और रात के समय उम्रा करूँ ? तो इसका उत्तर यह है कि पहली सूरत श्रेष्ठ है और वह यह कि रोज़ा तोड़ कर दिन ही में उम्रा कर लिया जाए, इसलिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्रा करने के लिए आते थे तो उम्रा करने में जल्दी करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद के द्वार के पास ही अपनी ऊँटनी को बैठा देते थे और उम्रा अदा करते थे।

इस नगर में या इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर जो लोग रमज़ान में कठिनाई और कष्ट के बावजूद रोज़ा रखते हैं यह उनका अपना इज़्तिहाद है, किन्तु शरीअत ख्वाहिशात के आधार पर नहीं है, बल्कि उसका आधार मार्गदर्शन पर है, आदमी बीमार है उस पर रोज़ा कठिन है फिर भी वह रोज़ा रखता है या आदमी यात्रा पर है उस पर रोज़ा कठिन है फिर भी वह रोज़ा रखता है, तो यह सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत के विपरीत और विरुद्ध है, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की पसन्द के विरुद्ध है, क्योंकि अल्लाह तआला इस बात को पसन्द करता है कि उसकी रूख्सतों (छूट)



को अपनाया जाए जिस प्रकार कि वह इस बात से घृणा करता है कि उसकी अवज्ञा कि जाए।

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)\*

*\*atazia75@gmail.com*

## विषय सूची

<b>विषय</b>	<b>पृष्ठ</b>
प्राक्कथन .....	३
रोज़े की शर्तें .....	७
रोज़े का समय .....	१८
रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें .....	२०
रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रोज़ा टूटने की शर्तें .....	३२
जान बूझ कर रोज़ा तोड़ना .....	३६
रमज़ान के दिन में सम्भोग करना और उस पर निष्कर्षित होने वाली चीज़ें .....	४०
रोज़े से संबंधित फतावे .....	४५
<b>प्र.१:</b> रोज़ा के अनिवार्य किये जाने की क्या हिक्मत (उद्देश्य) है?.....	४५

**प्र०२:** कुछ लोग रमज़ान के महीने के प्रवेश करने (प्रारम्भ होने) आदि में उम्मत की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए इस बात का मुतालबा करते हैं कि समस्त मताले को मक्का के मताले से संबंधित कर दिया जाए, इस विषय में आपका क्या विचार है? .....

४७

**प्र०३:** जब रोज़ेदार एक देश से दूसरे देश में जाए और पूर्व देश में शब्वाल के महीने के चाँद देखने की घोषणा कर दी जाए तो क्या वह व्यक्ति उनके अधीन अपना रोज़ा तोड़ देगा? ज्ञात रहे कि दूसरे देश में शब्वाल का चाँद नहीं देखा गया है। .....

५७

**प्र०४:** जिस व्यक्ति का कार्य कष्टप्रद है और उसे रोज़ा रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए रोज़ा न रखना वैध है? इस विषय में आपका क्या विचार है? .....

५४

**प्र०५:** एक छोटी बालिका को मासिक धर्म आगया और वह अनजाने में माहवारी के

दिनों में रोज़ा रखा करती थी, तो उस पर क्या आवश्यक है? ..... ५५

**प्र०६:** एक व्यक्ति ने अपनी और अपने अधीन संतान की जीविका (रोज़ी रोटी) कमाने के लिए रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा तो इसका क्या हुक्म है? ..... ५६

**प्र०७:** रोज़ा तेड़ने के लिए वैध कारण क्या हैं? ..... ५८

**प्र०८:** एक व्यक्ति रमज़ान की पहली रात को महीने के सिद्ध होने से पूर्व ही सोगया और रात को रोज़े की नियत नहीं की, फज़्र के निकलने के पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि आज का दिन रोज़े का दिन है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करे? और क्या वह उस दिन की कज़ा करे गा? ..... ६१

**प्र०९:** यदि कोई व्यक्ति किसी कारण रोज़ा तोड़ दे और दिन के बीच ही में कारण समाप्त होजाए तो क्या वह अवशेष दिन खाने पीने से रूका रहेगा ?..... ६३

- प्र.१०:** एक स्त्री रूधिर की ग्रन्थि (खून की नलियों में खून का जमाव -THROMBUS) से पीड़ित है और डॉक्टरों ने उसे रोज़ा रखने से मनाही कर दी है, उसका क्या हुक्म है? ६५
- प्र.११:** मुसाफिर की नमाज़ और उसका रोज़ा किस प्रकार होगा ? ..... ६७
- प्र.१२:** कठिनाई के होते हुए मुसाफिर के रोज़ा रखने का क्या हैम है ? ..... ७२
- प्र.१३:** यात्री के रोज़े का क्या हुक्म है जबकि वर्तमान युग में ट्रॉन्सपोर्ट के नवीन साधन उपलब्ध हैं? ..... ७३
- प्र.१४:** यात्री यदि रोज़े की अवस्था में मक्का पहुँचे तो क्या वह उमरा करने के लिए शक्ति जुटाने के लिए रोज़ा तोड़ देगा ? ... ७६
- प्र.१५:** क्या दूध पिलाने वाली स्त्री के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ (वैध) है? तथा वह उसकी क़ज़ा कब करेगी? और क्या वह खाना खिला सकती है? ..... ७६

**प्र०१६:** यदि रोज़ेदार दिन का अधिकांश भाग सख्त भूख और प्यास के कारण लेट कर विश्राम में गुज़ारता है तो क्या इससे उसके रोज़े के सहीह होने पर कोई प्रभाव पड़ेगा?. ८१

**प्र०१७:** क्या रमज़ान में रोज़े के प्रत्येक दिन की नियत करना आवश्यक है या पूरे महीने के रोज़े की एक ही नियत करना काफी है?. ८२

**प्र०१८:** क्या बिना कुछ खाए या पिए केवल रोज़ा तोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लेने से रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाता है ? ..... ८२

**प्र०१९:** यदि रोज़ेदार भूल कर खा (पी) ले तो उसका क्या हुकम है ? और उसको देखने वाले पर क्या अनिवार्य है? ..... ८४

**प्र०२०:** रोज़ेदार के लिए सुर्मा लगाने का क्या हुकम है ? ..... ८६

**प्र०२१:** रोज़ेदार के लिए मिस्वाक करने और सुगन्ध लगाने का क्या हुकम है ? ..... ८७

**प्र०२२:** रोज़े को फासिद करने वाली चीज़ें

- क्या क्या हैं?..... ८६
- प्र.२३: रोज़ेदार के लिए साँस के रोग (दमा) संबंधी इन्-हेलर प्रयोग करने का क्या हुक्म है, क्या इस से रोज़ा टूट जाता है ? ..... १०४
- प्र.२४: क्या उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है? ..... १०५
- प्र.२५: क्या रोज़ेदार के मसूढ़ों से खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है ? ..... १०६
- प्र.२६: यदि मासिक धर्म वाली स्त्री फज़्र से पहले पवित्र होजाए और फज़्र निकलने के पश्चात स्नान करे तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है ? ..... १०७
- प्र.२७: रोज़ेदार के लिए दाँत उखड़वाने का क्या हुक्म है, क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? ..... १०८
- प्र.२८: रोज़ेदार के लिए खून जाँच करवाने का क्या हुक्म है, और क्या इस से रोज़ा टूट जाता है? ..... १०९

- प्र०२६:** यदि रोज़ेदार हस्तमैथुन द्वारा वीर्य पात करता है तो क्या इस से उसका रोज़ा टूट जाए गा? और क्या उस पर कफ़ारा अनिवार्य है? ..... १०६
- प्र०३०:** रोज़ेदार के लिए सुगन्ध सूँघने का क्या हुकम है? ..... १११
- प्र०३१:** धूनी सूँघने और दवा की बूँद डालने में क्या अन्तर है? कि धूनी सूँघने से रोज़ा टूट जाता है और दवा की बूँदें डालने से रोज़ा नहीं टूटता है? ..... ११२
- प्र०३२:** रोज़ेदार के लिए आँख, कान और नाक के ड्रॉप्स (बूँदें) प्रयोग करने का क्या हुकम है? ..... ११२
- प्र०३३:** जिस ब्यक्ति को रोज़े की हालत में स्वपन दोष होगया, क्या उसका रोज़ा उचित है? ..... ११४
- प्र०३४:** रोज़ेदार के लिए ठंढक प्राप्त करने का क्या हुकम है? ..... ११५



**प्र०३५:** यदि रोज़ेदार के कुल्ली करते हुए या नाक में पानी चढ़ाते हुए पानी उसके पेट तक पहुँच जाए तो क्या इस से उसका रोज़ा टूट जाएगा ? ..... 99६

**प्र०३६:** रोज़ेदार के लिए सुगन्धित चीज़ों को प्रयोग करने का क्या हुक्म है? ..... 99७

**प्र०३७:** क्या नकसीर फूटने से रोज़ा टूट जाता है? ..... 99७

**प्र०३८:** हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुछ जन्त्रियों में एक खाना 'इम्साक' (अर्थात् सेहरी खाने से रुकने का समय) का होता है, जो फज़्र की नमाज़ से लग भग दस या पन्द्रह मिनट पहले रखा जाता है, क्या सुन्नत (हदीस) से इसका कोई असल (सत्यता) है या यह बिदअत है? हमें इसके आदेश से अवगत करायें, पुण्य मिलेगा। ... 99७

**प्र०३९:** जो व्यक्ति हवाई अड्डे पर ही था कि सूर्य डूब गया और मोअज़्ज़िन ने अज़ान दे दी, और उसने रोज़ा खोल दिया, फिर हवाई

- जहाज़ के उड़ने के पश्चात उसे सूर्य दिखाई दिया, तो क्या वह खाने पीने से रुक जाएगा ? ..... 99६
- प्र०४०: रोज़ेदार के लिए बलग़म या कफ़ निगलने का क्या हुक्म है? ..... 9२9
- प्र०४१: क्या खाना चखने से रोज़ा बातिल हो (टूट) जाता है? ..... 9२२
- प्र०४२: क्या रमज़ान के दिन में हराम बातें करने से मनुष्य का रोज़ा फ़ासिद होजाता है? ..... 9२३
- प्र०४३: झूठी गवाही क्या है? क्या उस से रोज़ा टूट जाता है? ..... 9२५
- प्र०४४: रोज़े के आदाब क्या हैं ? ..... 9२५
- प्र०४५ : क्या रोज़ा खोलने के समय कोई मासूर (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाण सिद्ध) दुआ है? और क्या रोज़ेदार मुअज़्ज़िन का जवाब देगा या अपना रोज़ा खोलने में व्यस्त रहेगा? ..... 9२८

**प्र०४६:** उस व्यक्ति के लिए शव्वाल के छः रोजे रखने के बारे में आप का क्या विचार है जिस पर कज़ा वाजिब है? ..... 939

**प्र०४७:** एक बीमार व्यक्ति ने रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा और महीने के प्रवेश करने के चार दिन बाद उसका देहान्त होगया, क्या उसकी ओर से कज़ा किया जाए गा? ..... 932

**प्र०४८ :** एक व्यक्ति पर रमज़ान के महीने के एक दिन की कज़ा वाजिब थी और उसने कज़ा नहीं किया यहाँ तक कि दूसरा रमज़ान आगया, अब वह क्या करे? ..... 938

**प्र०४९ :** शव्वाल के छः रोज़ों के विषय में सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है? ..... 936

**प्र०५०:** क्या मनुष्य के लिए जायज़ है कि वह अपनी पसन्द से शव्वाल के जिन दिनों का रोज़ा रखना चाहे रखे, या इन दिनों का कोई विशेष निर्धारित समय है ? और यदि मुसलमान ने किसी वर्ष शव्वाल के इन दिनों का रोज़ा रख लिया तो क्या यह उस पर

- फर्ज़ होजाता है और हर साल उस पर रोज़ा रखना वाजिब होजाता है ? ..... १३७
- प्र०५१ : आशूरा के रोज़ों का क्या हुक्म है? १३८
- प०५२: शाबान के महीने में रोज़ा रखने का क्या हुक्म है? ..... १४०
- प्र०५३: यदि मनुष्य एक दिन रोज़ा रखता हो और एक दिन रोज़ा इफ्तार करता हो और उसके रोज़े का दिन जुमा के दिन पड़ जाए तो क्या उसके लिए उस दिन रोज़ा रखना जायज़ है? ..... १४१
- प्र०५४: सौमे विसाल (लगातार रोज़ा रखना) क्या है? क्या वह मशरूअ है? ..... १४२
- प्र०५५: जुमा के दिन को रोज़े के साथ विशेष करने से मना करने का क्या कारण है? क्या यह आदेश क़जा के रोज़ों को भी सम्मिलित है? ..... १४४
- प्र०५६: यदि मनुष्य नफली रोज़े को किसी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ के द्वारा फासिद कर दे तो क्या वह गुनहगार होगा? और यदि

वह उसे सम्भोग के द्वारा फासिद कर दे तो क्या उस पर कफ़ारा अनिवार्य है?..... १४६

**प्र०५७:** ऐतिकाफ़ का क्या हुक्म है? क्या ऐतिकाफ़ में बैठने वाले के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति और खाने पीने तथा इसी प्रकार दवा इलाज कराने के लिए निकलना वैध है? ऐतिकाफ़ की सुन्नतें क्या हैं? तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सिद्ध ऐतिकाफ़ की सहीह विधि क्या है?. १४८

**प्र०५८:** जिस व्यक्ति ने बिना किसी कारण के रमज़ान के कुछ कदनों का रोज़ा नहीं रखा क्या उस पर क़ज़ा वाजिब है?..... १५२

**प्र०५९:** जिस व्यक्ति को उसके पिता ने असंतोष जनक कारणों के आधार पर ऐतिकाफ़ करने की अनुमति नहीं दी उसका क्या हुक्म है ?..... १५४

**प्र०६०:** ऐतिकाफ़ करने वाला अपने ऐतिकाफ़ के स्थान से कब निकले गा ? ..... १५५

**प्र०६१:** क्या तीन मस्जिदों के अतिरिक्त

अन्य मस्जिदों में एतिकाफ कर सकते हैं ? १५६

प्र०६२: रोज़े की हालत में गुदा के रास्ते से दवा चढ़ाने (मदमउं) का क्या हुकम है ?.. १५६

प्र०६३: क्या एतिकाफ करने वाला लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए टेलीफून से सम्पर्क कर सकता है ? ..... १६०

प्र०६४: एक आदमी के दो बेटे हैं जो ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिस से स्वस्थ होने की आशा नहीं है और इस से पहले उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो उनके प्रति उसके ज़िम्मे क्या वाजिब है ? ..... १६०

प्र०६५: एक व्यक्ति रात को अब्हा से मक्का आया और शैतानी वसवसे का शिकार होकर सुबह उसने अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया, उसका क्या हुकम है ? ..... १६३

प्र०६६: कई वर्षों से लोग अज़ान के अन्त तक खाने पीने से नहीं रुकते हैं, उनके इस कर्म का क्या हुकम है ? ..... १६५

**प्र.६७:** क्या अज्ञान के बाद मनुष्य के लिए खाना पीना जायज़ है ? ..... १६६

**प्र.६८:** जो व्यक्ति किसी मस्जिद में स्वेच्छा पूर्वक नमाज़ पढ़ा रहा हो क्या उसके लिए हरम में अपने ऐतिकाफ की जगह से निकल कर लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए बाहर जाना जायज़ है ? ..... १६८

**प्र.६९:** शबे क़द्र की निशानियाँ क्या हैं ?... १६८

**प्र.७०:** जिसने रमज़ान में किसी पराई महिला का चुम्बन कर लिया उसका क्या हुक्म है ? क्या उस पर रोज़े की कज़ा वाजिब है ?..... १६९

**प्र.७१:** एक व्यक्ति ने मक्का में रोज़ा रखा और उसे किसी कारण से ताईफ़ जाना पड़ा, वहाँ उसने रेडियो से मक्का के अज्ञान पर रोज़ा खोला, क्या उस पर कोई चीज़ वाजिब है ? ..... १७०

**प्र.७२:** क्या ऐतिकाफ करने वाले के लिए किसी को शिक्षा देना या पाठ कराना उचित

है ? ..... १७०

प्र.७३: नमाज़ कस्र करने और रोज़ा तोड़ने  
के संबंध में यात्रा के क्या अहकाम हैं? .... १७१

विषय सूची ..... १७६



# रोजे का हुक्म

﴿ حکم الصيام ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندی ]

मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

**अनुवाद:** अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

# ﴿ حكم الصيام ﴾

« باللغة الهندية »

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### बिरिमल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

### पहला अध्याय

## रोज़े का हुकम

रमज़ान का रोज़ा, अल्लाह तआला की किताब (कुरआन करीम), उसके पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत और मुसलमानों की सर्वसम्मति के द्वारा प्रमाण-सिद्ध एक कर्तव्य (फरीज़ा) है। अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ

أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُٗ.

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ

الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ

بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا

هَدَانِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ (البقرة: ١٨٣ - ١٨٥)

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम सयंम और भय अनुभव करो। गिनती में कुछ ही दिन हैं, लेकिन अगर तुम में से जो इंसान बीमार हो या सफर में हो, तो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले और जो इसकी ताकत रखता हो फिदया में एक गरीब को खाना दे, फिर जो इंसान भलाई में बढ़ जाये वह उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर अमल रोज़ा रखना ही है, अगर तुम जानते हो। रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरआन उतारा गया जो लोगों के लिए मार्गदर्शक है और जिसमें मार्गदर्शन की और सत्य तथा असत्य के बीच अन्तर की निशानियाँ हैं, अतः तुम में से जो व्यक्ति इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करे, अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है। वह चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह की प्रदान की गई हिदायत (मार्गदर्शन) के अनुसार

उसकी बड़ाई बयान करो और उसके शुक्रगुज़ार रहो।”

(सूरतुल-बकरा:183-185)

तथा पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

«بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام

الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان». متفق عليه. وفي رواية

لمسلم: «وصوم رمضان، وحج البيت».

“इस्लाम की नीव पाँच चीज़ों पर आधारित है: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई वास्तविक उपास्य नहीं और इस बात की गवाही देना कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के संदेशवाहक हैं, और नमाज़ स्थापित करना, और ज़कात (अनिवार्य धार्मिक-दान) देना, और अल्लाह के घर का हज्ज करना और रोज़े रखना।” (बुखारी व मुस्लिम)

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि: “और रमज़ान के रोज़े रखना और अल्लाह के घर का हज्ज करना।”

तथा रमज़ान के रोज़े की अनिवार्यता पर समस्त मुसलमानों की सर्वसम्मति है। अतः जो आदमी रोज़े की अनिवार्यता का इन्कार करे, वह मुर्तद (अधर्मी) काफिर है, उस से तौबा करवाया जाएगा, यदि तौबा करके उसकी अनिवार्यता को स्वीकार कर ले तो ठीक, अन्यथा उसे काफिर होने के कारण क़त्ल कर दिया जाएगा।

रमज़ान का रोज़ा सन् 2 हिज़्री में अनिवार्य हुआ। चुनाँचे अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 9 साल रमज़ान के रोज़े रखे।

रोज़ा प्रत्येक आक़िल (बुद्धिमान) व बालिग़ (व्यस्क) मुसलमान पर अनिवार्य है।

इसलिए काफिर पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है और न ही उस के रोज़ा को स्वीकार किया जाएगा यहाँ तक कि वह मुसलमान हो जाए।

इसी प्रकार छोटे बच्चे पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है यहाँ तक कि वह बालिग हो जाए। बच्चे की बुलूगत (व्यस्कता) की पहचान यह है कि वह 15 वर्ष का हो जाए, या उसके नाभि के नीचे के बाल उग जाएं, या स्वपनदोष आदि के द्वारा वीर्य पात होने लगे। तथा बच्ची के व्यस्क होने की एक अधिक पहचान यह भी है कि उसे हैज़ (माहवारी) आने लगे। अतः जब भी बच्चे के अन्दर इन में से कोई चीज़ (पहचान) पाई जाए तो वह बालिग हो गया। किन्तु बच्चे को रोज़ा रखने का आदेश दिया जाएगा अगर व बिना किसी हानि के उसकी ताकत रखता है, ताकि वह रोज़े से मानूस (परिचित) हो जाए और उसकी आदत पड़ जाए।

इसी तरह पागलपन या दिमाग़ खराब होने या किसी अन्य कारण से बुद्धिहीन हो जाने वाले आदमी पर भी रोज़ा अनिवार्य नहीं है। इस आधार पर जब मनुष्य इतना बूढ़ा होजाए कि प्रलाप बातें बकने (बड़बड़ाने) लगे और समझ-बूझ की शक्ति (विवेकी शक्ति) समाप्त हो जाए, तो उस पर न रोज़ा रखना अनिवार्य है और न ही उसके बदले में खाना खिलाना।

# रोज़ की नीयत रात ही में करना

﴿ تبييت النية في الصوم ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندي ]

इफ़ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

**अनुवाद:** अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

# ﴿ تبييت النية في الصوم ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

## रोज़े की नीयत रात ही से करना

**प्रश्न:**

क्या रमज़ान के रोज़े की नीयत रात में करना ज़रूरी है, या दिन के समय? जैसे कि अगर आप से चाश्त के समय कहा जाये कि आज का दिन रमज़ान का है, तो क्या उसकी क़ज़ा करेंगे या नहीं ?

**उत्तर:**

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है। रमज़ान के महीने के रोज़े की नीयत रात ही में फज़्र से पहले करना ज़रूरी है। और बिना नीयत किये हुए दिन के समय से उसका रोज़ा रखना किफायत नहीं करेगा (पर्याप्त नहीं होगा)। जिस आदमी को चाश्त

के समय यह पता चले कि यह दिन रमज़ान का है और वह रोज़ा की नीयत कर ले, तो उस पर सूरज डूबने तक खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य है, तथा उस पर (रमज़ान के बाद) उस दिन की कज़ा करना भी अनिवार्य है। इसका प्रमाण यह है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि उन्होंने ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया कि आप ने फरमाया :

« من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له »

“जो व्यक्ति फज़ के पहले से ही रोज़े की नीयत न करे उसका रोज़ा नहीं है।” इसे इमाम अहमद और अस्हाबुस्सुनन (अर्थात् अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, दारमी इत्यादि), इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है और इन दोनों ने इसे मरफूअन (जिस हदीस की सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुँचे उसे मरफू’ हदीस कहते हैं) सहीह करार दिया है।

यह फर्ज़ रोज़े के अंदर है। जहाँ तक नफली रोज़े की बात है तो उसके रोज़े की नीयत दिन के समय भी करना जाइज़ है, यदि उसने फज़ के बाद खाया, या पिया, या पत्नी से संभोग नहीं किया है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में, प्रमाणित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन चाश्त के समय उनके पास आये और कहा कि **“क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ (खाने के लिए) है ?”** तो उन्होंने ने कहा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : **“तब मैं रोज़े से हूँ।”** इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब ‘अस्सहीह’ में रिवायत किया है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ देने वाला (शक्ति का स्रोत) है। तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दया और शांति अवतरित करे।

देखिये : फतावा इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति  
(10/244).

# रोजे के महत्वपूर्ण अहकाम व मसाईल

[ हिन्दी ]

## نبذ في الصيام

[ اللغة الهندية ]

लेख

शैख मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह  
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428 -2007

islamhouse.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين.

निम्नलिखित पंक्तियों में रोज़ा, उस के हुक्म, रोज़े के विषय में लोगों के विभिन्न वर्ग, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों और अन्य लाभकारक बातों का संछिप्त रूप से वर्णन किया जा रहा है।

1. फ़ज्र के उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बचाव कर के अल्लाह की उपासना करने को रोज़ा (व्रत) कहते हैं।
2. रमज़ान का रोज़ा इस्लाम के महान स्तम्भों में से एक स्तम्भ है। इस लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:  
“इस्लाम की नीवें पाँच स्तम्भों पर स्थापित है: इस बात की गवाही (साक्ष्य) देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल (संदेशवाहक) हैं, नमाज़ काईम करना, ज़कात (अनिवार्य धर्म-दान) देना, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना और अल्लाह के पवित्र घर (काबा) का हज्ज करना।”

## रोज़े के विषय में लोगों के विभिन्न वर्ग:

1. प्रत्येक बालिग़ (व्यस्क) आक़िल (समझ बूझ रखने वाले) सामर्थ्य मुक़ीम (ग़ैर मुसाफ़िर) मुसलमान पर रोज़ा रखना अनिवार्य है।
2. काफ़िर व्यक्ति रोज़ा नहीं रखे गा और न ही इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात उस पर रोज़े की क़ज़ा (पूर्ति करना) वाजिब है।
3. छोटे नाबालिग़ बच्चे पर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है, किन्तु उसे रोज़ा रखने की आदत (अभ्यास) डालने के लिए रोज़ा रखने का आदेश दिया जाये गा।
4. पागल व्यक्ति पर न तो रोज़ा रखना अनिवार्य है और न ही उसकी ओर से खाना खिलाना, चाहे वह वयोवृद्ध (बूढ़ा) ही क्यों न हो। और यही हुक्म बुद्धिहीन और बकवादी (बकवासी) वयोवृद्ध व्यक्ति का भी है जिनके अन्दर जानने पहचानने की शक्ति नहीं होती।
5. किसी स्थायी (सर्वदा) कारण की बिना पर रोज़ा रखने से असमर्थ व्यक्ति जैसा कि वयोवृद्ध और ऐसा रोगी जिसके स्वस्थ होने की आशा न हो तो वह प्रत्येक दिन के बदले में एक मिसकीन (धनहीन) को खाना खिलाएगा।

६. वह रोगी जिस का रोग सामयिक (थोड़े समय के लिए) हो जिस से स्वस्थ होने की आशा हो, तो ऐसा व्यक्ति यदि उस पर रोज़ा कठिन पड़े तो वह रोज़ा तोड़ सकता है और स्वस्थ होने के पश्चात उसकी कज़ा (पूर्ति) करेगा।
७. गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों पर यदि गर्भ या दूध पिलाने के कारण रोज़ा रखना कठिन हो अथवा उन्हें अपने बच्चों पर हानि पहुँचने का भय हो तो वह दोनों रोज़ा तोड़ सकती हैं और कठिनाई और भय के दूर होने के पश्चात उसकी कज़ा करेंगी।
८. हैज़ (मासिक धर्म) और निफ़ास (प्रसव अवस्था) वाली स्त्रियाँ हैज़ और निफ़ास की अवस्था में रोज़ा नहीं रखेंगी और (बाद में) छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करेंगी।
९. किसी मासूम (निर्दोष) को डूबने या जलने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ने पर मजबूर व्यक्ति रोज़ा तोड़ देगा ताकि उस की जान बचा सके और बाद में उस रोज़े की कज़ा करेगा।
१०. यात्री (मुसाफ़िर) यदि चाहे तो रोज़ा रखे और चाहे तो रोज़ा तोड़ दे और बाद में जिन दिनों का रोज़ा तोड़ दिया है उन की कज़ा करे, चाहे उसकी यात्रा हंगामी (वक़्ती तौर पर) हो जैसाकि उम्रा की यात्रा और चाहे सर्वदा (स्थायी) हो जैसाकि किराये की गाड़ियाँ (टैक्सी) चलाने वाले लोग, यदि वे लोग चाहें तो जब तक वे अपने शहर से बाहर (यात्रा में) रहते हैं रोज़ा तोड़ सकते हैं।

### रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें :

यदि रोज़ेदार भूल चूक से या अज्ञानता में या मजबूर (बाध्य) किये जाने पर रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में से किसी चीज़ को कर लेता है तो उस से रोज़ा नहीं टूटता है। इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

“हे हमारे प्रभु! यदि हम भूल गये हों अथवा ग़लती की हो तो हमारी पकड़ न करना। (सूरतुल बकरा: २८६)

﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

“ (जो व्यक्ति अपने ईमान के पश्चात अल्लाह से कुफ़्र करे) उसके सिवाय जिसे बाध्य किया जाये तथा उसका दिल ईमान पर स्थित हो।”  
(सूरतुन-नहल: १०६)

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ﴾

“तुम से भूल चूक से जो कुछ हो जाये उस में तुम पर कोई पाप नहीं, परन्तु पाप वह है जिस का तुम दिल से निश्चय करो।” (अल-अहज़ाब:५)

अतः यदि रोज़ेदार भूल कर खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा फ़ासिद (व्यर्थ) नहीं होगा; क्योंकि उसने ऐसा भूल कर किया है। और यदि वह यह समझते हुए खा ले या पी ले कि सूर्य डूब गया है या अभी फ़ज्र उदय नहीं हुआ है तो उसका रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा; क्योंकि उसने ऐसा अनजाने में किया है। और यदि कुल्ली करते समय बिना इच्छा के रोज़े दार के हलक़ (गले) में पानी चला जाये तो उसका रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा, क्योंकि उसने जान बूझ कर नहीं किया है।

**रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें आठ हैं जो इस प्रकार हैं:**

**(क) सम्भोग करना:** यदि कोई रोज़ेदार जिस पर रोज़ा अनिवार्य है रमज़ान के महीने में दिन के समय सम्भोग कर ले तो उस पर (उस दिन के रोज़े की) क़ज़ा के साथ महान कफ़ारह भी अनिवार्य है, और वह यह है: एक गुलाम (दास) आज़ाद करना, यदि गुलाम न मिले तो लगातार दो महीने रोज़ा रखना, अगर इस की भी शक्ति न हो तो साठ मिसकीनों को खाना खिलाना।

**(ख) बेदारी की अवस्था में हस्त मैथुन या चुम्बन द्वारा, या चिपकने या चिपकाने या आलिंगन करने से या अन्य किसी चीज़ के द्वारा वीर्य निकालना।**

**(ग) खाना या पीना चाहे लाभदायक वस्तु हो या हानिकारक सामग्री, जैसे कि बीड़ी-सिग़रेट पीना।**

**(घ) ताक़त का इंजेक्शन लगवाना जो कि खाने का काम देता हो, इसलिए कि वह खाने और पीने के अर्थ में है, परन्तु वह इंजेक्शन जो ताक़त न पहुँचाता हो, उस से रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे उसे पढ़ों में लगाया जाये या रगों में, और चाहे गले में उसका स्वाद महसूस करे या न करे।**

**(च) खून चढ़ाना, उदाहरण के तौर पर किसी रोज़ेदार व्यक्ति का रक्तस्राव हो जाए, तो उसके निकले हुए रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उसे खून चढ़ाया जाए।**

**(छ) स्त्री के हैज़ (मासिक धर्म) और निफ़ास (बच्चा जनने के समय) का खून निकलना।**

**(ज) सींगी (पछना) आदि द्वारा खून निकालना, किन्तु यदि स्वयं खून निकल आए जैसे कि नक्सीर फूटना या दाँत आदि उखड़वाने से खून निकलना, तो इस**

से रोज़ा नहीं टूटता है। इसलिए कि यह न तो सींगी है और न सींगी लगवाने के समर्थ है।

(झ) जान बूझ कर उल्टी करना, यदि बिना इच्छा और इरादा के स्वयं उल्टी हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है।

## लाभदायक बातें:

१. रोज़ेदार के लिए जाइज़ है कि वह जनाबत (अर्थात पत्नी से संभोग करने अथवा स्वपनदोष में वीर्य निकलने) की अवस्था में रोज़े की नीयत (इरादा) कर ले, फिर फज़्र निकलने के पश्चात स्नान करे।
२. यदि स्त्री रमज़ान में हैज़ (मासिक धर्म) या निफ़ास (बच्चा जनने के समय निकलने वाले खून) से फज़्र के निकलने से पूर्व पवित्र हो जाए तो उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य है, यद्यपि वह फज़्र निकलने के पश्चात स्नान करे।
३. रोज़ेदार के लिए अपने दाँत उखड़वाना, ज़ख़्म का दवा इलाज करवाना, आँखों या कानों में दवा डालना जाइज़ है और इस से रोज़ा नहीं टूटता है, अगरचे ड्राप का स्वाद उस के गले में महसूस हो।
४. रोज़ेदार के लिए दिन के प्रारम्भिक और अन्तिम पहर में मिस्वाक करना जाइज़ है, और यह उसके हक़ में मसूनून है जिस प्रकार बेरोज़ेदारों के लिए मसूनून है।
५. रोज़ेदार के लिए वह काम करना जाइज़ है जिस से वह गरमी और प्यास की अधिकता को कम कर सके जैसे कि पानी और एयूरकंडीशनर के द्वारा ठंडक प्राप्त करना।
६. रोज़ेदार के लिए दबाव और तनाव आदि के कारण उत्पन्न होने वाली साँस की कठिनाई (तंगी) को कम करने के लिए अपने मुँह से इन्हेलर लेना जाइज़ है।
७. रोज़ेदार के लिए अपने होठों को यदि वह सूख जायें तो गीला करना जाइज़ है, और यदि उसका मुख सूख जाये तो वह कुल्ली कर सकता है किन्तु पानी से गरारा नहीं करेगा।
८. रोज़ेदार के लिए मसूनून यह है कि सेहरी को फज़्र के कुछ देर पहले तक विलम्ब करे (अर्थात फज़्र निकलने से कुछ देर पहले सेहरी खाये) और सूर्यास्त के (तुरन्त) बाद रोज़ा खोलने में शीघ्रता करे। और रोज़ा रुतब (गीली खजूर) से खोले, यदि वह न मिले तो (सूखी) खजूर से इफ्तारी करे, यदि वह भी उपलब्ध न हो तो पानी से रोज़ा खोले, यदि पानी भी न मिले तो किसी भी हलाल खाना से रोज़ा खोल दे, और यदि वह भी न हो तो



अपने दिल में रोज़ा खोलने की नीयत कर ले यहाँ तक कि खाना उप्लब्ध हो जाये।

६. रोज़ेदार के लिए मसूनून है कि अधिक से अधिक नेकियाँ (पुण्य का कार्य) करे और सभी प्रकार की मनाहियों और निषिद्ध बातों से बचे।

१०. रोज़ेदार के लिए अनिवार्य है कि वाजिबात (इस्लाम धर्म में आवश्यक एवं अनिवार्य चीज़ों) की पाबन्दी करे तथा हराम (निषिद्ध और वर्जित) चीज़ों से दूर रहे, चुनाँचे पाँचों समय की नमाज़ें उनके ठीक समय पर और जमाअत के साथ पढ़े यदि वह उन लोगों में से है जिन पर जमाअत वाजिब है। तथा झूठ, चुगली, धोकाधड़ी, सूदी कारोबार और प्रत्येक हराम (निषिद्ध) बात या काम छोड़ दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

“जो व्यक्ति झूठ बोलने, झूठ पर अमल करने और नासमझी और नादानी से बाज़ न आए तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी छोड़ दे।”

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين.

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)\*

[\\*atazia75@gmail.com](mailto:atazia75@gmail.com)

# रोज़ेदार को इफतार कराने की फज़ीलत

[ हिन्दी – Hindi – هندی ]

साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर

संशोधन : अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2012 - 1433

IslamHouse.com

# ﴿ فضل تفطير صائم ﴾

« باللغة الهندية »

موقع الإسلام سؤال وجواب

مراجعة: عطاء الرحمن ضياء الله

2012 - 1433

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،  
وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान करदे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

## रोज़ेदार को इफ्तार कराने की फज़ीलत

रोज़ेदार को इफ्तार कराने पर क्या सवाब निष्कर्षित होता है □

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

ज़ैद बिन खालिद अल-जोहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : जिस व्यक्ति ने किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया उसके लिए उसी के समान अज़्र व सवाब है, परंतु रोज़ेदार के अज़्र में कोई कमी न होगी। इसे तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : ८०७) और इब्ने माजा (हदीस संख्या : १७४६) ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान (८/२१६) तथा अल्बानी ने सहीहुल जामे (हदीस संख्या : ६४१५) में सहीह कहा है।

शैखुल इस्लाम ने फरमाया : उसे रोज़ा इफतार कराने से अभिप्राय यह है कि उसे पेट भर खाना खिलाए। (अल-इख़्तियारात पृष्ठ : १९४)

सलफ़ सालेहीन (पुनीत पूर्वज) खाना खिलाने के बहुत इच्छुक होते थे और उसे सर्वश्रेष्ठ इबादतों में से समझते थे।

कुछ सलफ़ का कहना है : मैं अपने दस साथियों को निमंत्रण दूँ और उन्हें उनके पसंद का खाना खिलाऊँ मेरे निकट इस चीज़ से अधिक पसंदीदा है कि मैं इसमाईल की संतान से दस लोगों को आज़ाद करूँ।

बहुत से सलफ़ रोज़ा रखते हुए भी अपनी इफ्तारी दूसरे को प्रदान कर देते थे, उन्हीं में से अब्दुल्लाह बिन उमर - रज़ियल्लाहु अन्हुमा -, दाऊद ताई, मालिक बिन दीनार, अहमद बिन हंबल हैं, तथा इब्ने उमर यतीमों और मिस्कीनों के साथ ही रोज़ा इफतार करते थे।

तथा पूर्वजों में से कुछ लोग ऐसे थे कि स्वयं रोज़े से होते हुए अपने भाईयों को खाना खिलाते थे और बैठकर उनकी सेवा करते थे, उन्हीं में से हसन बसरी और इब्नुल मुबारक हैं।

अबुस्सिवार अल-अदवी कहते हैं : बनी अदी के कुछ लोग इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, उन में से किसी एक ने भी कभी किसी खाने पर अकेले इफ्तार नहीं किया, अगर वह किसी को अपने साथ खाने के लिए पाते तो खाते, नहीं तो अपने खाने को निकाल कर मस्जिद में ले जाते थे और उसे लोगों के साथ खाते थे और लोग उनके साथ खाते थे।

खाना खिलाने की इबादत से बहुत सी इबादतें जन्म लेती हैं उन्हीं में से एक : खाना खिलाये गए लोगों के साथ प्यार और महबबत का पैदा होना है, जो कि स्वर्ग में प्रवेश पाने का एक कारण बन जाता है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि ईमान ले आओ, और ईमान वाले नहीं बन सकते यहाँ तक कि आपस में

प्यार करने लगे। इस हदीस को मुस्लिम (हदीस संख्या : ५४) ने रिवायत किया है।

इसी तरह इस से नेक और सदाचारी लोगों की संगत और उस आज्ञाकारिता (नेकियों) पर उनकी मदद करने में अज़्र व सवाब की आशा निष्कर्षित होती है जिन पर वे आपके खाने के द्वारा शक्ति प्राप्त किए हैं।



# चेतावनियाँ

कुछ रोज़ेदारों से होने वाली ग़लतियों या कमियों पर

[ हिन्दी ]

تنبيهات على أخطاء أو نقائص تقع من بعض الصائمين

[ اللغة الهندية ]

लेख

शैख अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान अल-जिब्रीन

فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428-2007

islamhouse.com

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه .

9. फर्ज (अनिवार्य) रोज़े के लिए रात ही से या फज़्र के निकलने से पूर्व ही नीयत न करना, यद्यपि पूरे रमज़ान के लिए केवल एक ही नीयत पर बस कर सकते हैं।
2. सुबह (फज़्र) की अज़ान के साथ-साथ या उस के पश्चात तक खाना और पीना, यद्यपि कुछ मूअज़्ज़िन सावधानी के तौर पर कुछ पहले ही अज़ान दे देते हैं।
3. फज़्र से एक या दो घंटे पूर्व ही सेहरी कर लेना, जब कि रोज़ा खोलने में शीघ्रता करने और सेहरी को विलम्ब करने की तरगीब आई है।
4. अधिकांश लोगों का खाने पीने में सीमा से बाहर निकल जाना (फूज़ूल खर्ची करना) हालांकि यह उस हिकमत के विरुद्ध है जिस के लिए रोज़ा को मशरूअ (वैद्य) करार दिया गया है अर्थात भूखा रहना जिस के कारण खुशूअ (नम्रता और विनय) उत्पन्न होता है।
5. आलस्य या नींद या निरर्थक और बेकार चीज़ों में व्यस्त होने के बहाने जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने में कोताही करना, जैसे कि जुहर और अस्म की नमाज़ में (कुछ लोग केताही करते हैं )
6. रमज़ान के दिन और रात में तुच्छ, बुरी बातों, (कामुक एवं उत्तेजनाशील बातों) झूट बोलने, चुगली और गीबत से जुबान की सुरक्षा न करना।
7. खेलने कूदने, फिल्में, खेल-कूद और पहेलियाँ देखने और सड़कों और गलियों में घूमने फिरने में शुभ और सुअवसरों को गवाँ देना।
8. रमज़ान में अधिक और कई गुना पुण्य और नेकियों वाले कार्यों जैसे कि दुआयें, ज़िक्र व अज़कार, कुरआन पढ़ने और नमाज़ों की मुअक्कदह सुन्नतों आदि में कोताही और आलस्य करना।
9. जमाअत के साथ तरावीह की नमाज़ न पढ़ना, जब कि उसे इमाम के साथ पढ़ने की (हदीस में) तरगीब आई है यहाँ तक कि इमाम नमाज़ से फारिग हो जाए ताकि उस के लिए पूरी रात क़ियाम करने (पूरी रात तहज्जुद पढ़ने) का सवाब लिखा जाए।

90. यह देखा ताजा है कि रमज़ान के महीने के आरंभ में नमाज़ियों और कुरआन पढ़ने वालों की संख्या अधिक रहती है फिर महीने के अन्त में अभाव और कमी हो जाती है, हालांकि महीने के अन्तिम दस दिनों को महीने के प्रारंभिक दिनों पर विशेषता प्राप्त है।
99. कियामुल्लैल जो कि अन्तिम दस रातों के साथ विशिष्ट है, उसे छोड़ देना। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब अन्तिम दस रातें आरंभ होती थीं तो रात जागते थे, अपने घर वालियों को जगाते थे, अधिक स्फूर्ती दिखाते और कमर कस लेते थे।
92. रोज़े की रातों को देर तक जागना और फिर फज़्र की नमाज़ पढ़े बिना सो जाना, चुनाँचे कुछ लोग उसे चाश्त के समय (दिन चढ़ने के बाद) ही पढ़ते हैं, यह इस फरीज़े की अदायगी में आलस्य और कोताही है।
93. माल व धन में कंजूसी करना और उसे हाजतमंदों (दरिद्र एवं दीन व्यक्तियों) पर खर्च न करना जबकि वह रमज़ान में अधिक प्रयाप्त होते हैं। बावजूद इस के कि इन शुभ दिनों में दान करने का प्रतिफल कई गुना बढ़ा दिया जाता है।
94. अधिकांश लोगों का अपने माल व धन का संपूर्ण रूप से ज़कात देने में सावधानी और चिंता न करना, जबकि ज़कात का आदेश नमाज़ और रोज़े के साथ-साथ ज़िक्र किया गया है, यद्यपि यह रमज़ान के साथ विशिष्ट नहीं है।
95. रोज़े की अवस्था में दुआ (प्रार्थना, विनती) करने में ग़फलत और आलस्य करना, विशेषकर रोज़ा खोलते समय खाने पीने में व्यस्त होने के कारण (दुआ से गाफिल हो जाना), हालांकि इस के विषय में हदीस आई है कि रोज़ा इफ़्तारी के समय रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती।
96. रमज़ान में एतिकाफ की सुन्नत को गवाँ देना विशेषकर अन्तिम दस दिनों में, बावजूद कि किताब व सुन्नत में इस का उल्लेख हुआ है।
99. बहुत सी स्त्रियों का बन ठन कर, बनाव सिंगार कर के और सुगंधित हो कर मस्जिदों के लिए निकलना, जब कि यह फित्ने का कारण है।
97. रमज़ान की रातों में स्त्रियों को विदेशी ड्राईवरो के साथ बिन महरम के और अधिकतर बिना आवश्यकता के बाज़ारों में जाने की आसानी और छूट देना।
98. ईद की रात और उस के दिन में नमाज़े ईद से पहले तथा जुलहिज्जा के (प्रारंभिक) दस दिनों में तक्बीर की सुन्नत को छोड़ देना, जब कि कुरआन में इसका आदेश आया हुआ है।

२०. ज़कातुल-फ़ित्र को विलम्ब से निकालना, जब कि सुन्नत (हदीस) उसे ईद के दिन नमाज़ से पहले पहले निकालना अनिवार्य करार देती है। और ईद से एक या दो दिन पहले निकालना जाइज़ है।

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)\*

\*atazia75@gmail.com

# लापरवाही करते हुए रोज़ा न रखाने वाले का हुक़म

﴿ حکم تارك الصوم تهاوناً ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندي ]

अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

**अनुवाद:** अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

# ﴿ حكم تارك الصوم تهاوناً ﴾

« باللغة الهندية »

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

Islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

**लापरवाही करते हुए रोज़ा न रखाने का हुक्म**

**प्रश्न:**

उस व्यक्ति का हुक्म क्या है जिसने रमज़ान में रोज़ा तोड़ दिया जबकि वह उसके रोज़े की अनिवार्यता का इनकार करने वाला नहीं है, क्या उसका एक से अधिक बार लापरवाही करते हुए रोज़ा न रखना उसे इस्लाम से बाहर निकाल देगा ?

**उत्तर:**

जिस आदमी ने बिना किसी वैध कारण (शरई उज़्र) के रमज़ान के महीने में जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, तो उसने एक बड़ा पाप किया है, और

विद्वानों के सबसे शुद्ध कथन के अनुसार वह इसके कारण काफिर नहीं होगा। उस पर उसकी क़ज़ा करने के साथ-साथ सर्वशक्तिमान अल्लाह से तौबा —पश्चाताप प्रदर्शन— करना अनिवार्य है। तथा व्यापक सबूत इस बात का संकेत देते हैं कि रोज़ा छोड़ देना कुफ़्र नहीं है यदि आदमी ने उसकी अनिवार्यता का इनकार नहीं किया है, बल्कि सुस्ती और लापरवाही करते हुए रोज़ा तोड़ा है। तथा उसके ऊपर प्रत्येक दिन के बदले एक गरीब को खाना खिलाना अनिवार्य है यदि उसने बिना किसी वैध कारण के उसकी क़ज़ा को दूसरे रमज़ान तक विलंब कर दिया है, जैसाकि सातवें प्रश्न के उत्तर में यह बात गुज़र चुकी है। इसी प्रकार सक्षम होने के बावजूद ज़कात की अदायगी और हज्ज को छोड़ देना का भी मामला है, यदि आदमी ने उनके अनिवार्य होने का इनकार नहीं किया है तो उनके छोड़ने से वह काफिर (नास्तिक) नहीं होगा। तथा उस पर उन बीते हुए सालों की ज़कात निकालना अनिवार्य है जिनकी ज़कात निकालने में उसने कोताही की है, इसी तरह उस पर विलंब करने के कारण शुद्ध (सच्ची) तौबा करने के साथ साथ हज्ज करना अनिवार्य है। क्योंकि इस संबंध में वर्णित शरीयत के प्रमाणों का सामान्य अर्थ उन के काफिर न होने को इंगित करता है यदि उन्होंने ने उनके अनिवार्य होने का इनकार नहीं किया है। उन्हीं प्रमाणों में से वह हदीस है जिसमें इस बात का उल्लेख हुआ है कि ज़कात न देने वाले को क़ियामत के दिन उसके धन के द्वारा दंडित किया जायेगा, फिर उसे स्वर्ग की ओर या नरक की ओर उसका रास्ता दिखा दिया जायेगा। (इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में हदीस संख्या (1647) के तहत रिवायत कया है।)

समाहृतुशैख अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की किताब "मजमूओ फतावा इब्ने बाज़" (१५/३३१).



# रोज़ा फासिद कर देने वाली चीज़ें

[ हिन्दी ]

## مفسدات الصيام

[ اللغة الهندية ]

लेख

शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह  
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एवं निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428 - 2007

islamhouse.com

## बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्हीम

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

हर प्रकार की प्रशंसा सर्व जगत के पालन हार अल्लाह तआला के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की कृपा एवं शांती अवतरित हो अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद पर, तथा आप के साथियों, आप की संतान और आप के मानने वालों पर।

रोज़े को फासिद कर देने वाली चीज़ों के विषय में सऊदी अरब के एक महा विद्वान मुहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस में आप ने रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है, जो इस आशा के साथ पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है कि यह फत्वा रोज़े को फासिद कर देने वाली चीज़ों के जानने में लाभदायक सिद्ध होगा। (अ.र.)

### **प्रश्न : रोज़े को फासिद कर देने वाली चीज़ें क्या क्या हैं?**

उत्तर : रोज़े को फासिद करने वाली चीज़ें वही हैं जिन से रोज़ा टूट जाता है, वह निम्नलिखित हैं:

१. सम्भोग करना।
२. खाना।
३. पीना।
४. शहवत (कामवासना) के साथ वीर्य निकालना।
५. जो खाने और पीने के अर्थ में है।
६. जान-बूझ कर उल्टी करना।
७. सिंधी द्वारा खून निकलना।
८. हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव) का खून निकलना।

**खाने और पीने तथा सम्भोग करने** का प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ  
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

[البقرة: १८७]

“अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूंढने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े पूरे करो।” (सूरतुल बकरा: १८७)

शहवत के साथ वीर्य निकालने का प्रमाण हदीसे कुदसी में रोज़ेदार के संबंध में अल्लाह तआला का यह फरमान है:

(( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ))

वह अपने खाने पानी और शहवत (कामवासना) को मेरे कारण छोड़ देता है।

(इब्ने माजा हदीस नॉ १६३८)

और वीर्य का निकालना शहवत है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

(( وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في الحرام- أي كان عليه وزر- فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ))

“और तुम्हारे सम्भोग करने में भी सद्का (पुण्य) है, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल हम में से एक व्यक्ति अपने कामवासना की पूर्ति करता है और उसे उसमें पुण्य भी मिलेगा ? आप ने कहा: तुम्हारा क्या विचार है यदि वह अपनी कामवासना को निषिध चीज़ों में पूरा करता ? - अर्थात क्या उसे उस पर पाप मिलता? - इसी प्रकार जब उसने उसे वैध चीज़ों में रखा तो उसे उस पर पुण्य मिलेगा।” (मुस्लिम हदीस न. १००६)

और जो चीज़ रखी जाती है वह कूद कर निकलने वाली वीर्य ही है, इसी कारण राजेह कथन यह है कि मज़ी से रोज़ा फासिद नहीं होता है यद्यपि वह शहवत और बिना सम्भोग किए आलिंगन के साथ ही क्यों न हो।

**पांचवाँ:** जो खाने पीने के अर्थ में हो, इस से मुराद शक्ति वर्धक इन्जेक्शन है जो खाने पीने का काम देता है; इसलिए कि यह अगरचे खाना और पीना नहीं है किन्तु खाने और पीने के अर्थ में है क्योंकि वह खाने पीने का काम देता है, और जो चीज़ किसी चीज़ के अर्थ में होती है उसका हुक्म भी वही होता है। इसी कारण शरीर का स्वस्थ बाकी रहना इन्हीं इन्जेक्शनों के प्रयोग करने पर निर्भर करता है अर्थात शरीर को इन इन्जेक्शनों से खुराक मिलता रहता है चाहे किसी और चीज़ का खुराक न मिले, किन्तु जो इन्जेक्शन शरीर को खुराक नहीं पहुँचाता है और न खाने पीने का काम करता है उससे रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे मनुष्य उसे रगों में लगवाए, या पट्टों में या शरीर के किसी अन्य अंग में।

**छठा :** जान बूझ कर उल्टी (कै) करना, अर्थात आदमी के पेट में जो कुछ है उसे कै कर दे यहाँ तक कि वह उसके मुँह से बाहर निकल जाए, इसलिए कि अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

((من استقاء عمدا فليقض ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه.))

“जिसने जानबूझ कर (इच्छापूर्वक) कै किया वह क़ज़ा करे। और जिस पर कै ग़ालिब आजाए उस पर कोई क़ज़ा नहीं है।” (अबु दाऊद हदीस नं. २३८०, तिरमिज़ी हदीस नं. ७२०)

इसके अन्दर हिक्मत (रहस्य) यह है कि जब रोज़ेदार ने उल्टी कर दिया तो उसका पेट खाने से खाली हो गया, और उसके शरीर को उस चीज़ की आवश्यकता पड़ गई जो उसके उस कमी की पूर्ति कर सके, इसलिए हम कहेंगे : यदि रोज़ा फर्ज़ हो तो मनुष्य के लिए जाइज़ नहीं है कि वह कै करे; इसलिए कि अगर वह कै करेगा तो उसका वाजिब रोज़ा फासिद होजाएगा।

**सातवाँ : सिँधी के द्वारा खून का निकलना,** इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है:

(( أفطر الحاجم والمحجوم ))

“सिँधी लगाने वाले और सिँधी लगवाने वाले का रोज़ा टूट गया।”

**आठवाँ : हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव-स्राव) का खून निकलना,** इसका प्रमाण यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्त्री के विषय में फरमाया :

(( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ))

“क्या ऐसी बात नहीं है कि जब उसे मासिक धर्म आ जाता है तो वह न नमाज़ पढ़ती है और न रोज़ा रखती है।” (बुखारी हदीस नं. ३०४, मुस्लिम हदीस नं. ७६)

विद्वानों की इस बात पर सहमति है कि मासिक धर्म वाली स्त्री का रोज़ा सहीह नहीं है, और उसी के समान निफास वाली स्त्री भी है।

उपरोक्त रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों अर्थात् रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ों से उसी समय रोज़ा टूटता है जब उसके अन्दर तीन शर्तें पाई जाएं और वह यह हैं:

१. ज्ञान।
२. ध्यान (याद दाश्त)।
३. इच्छा।

रोज़ेदार का रोज़ा इन रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ों से उसी समय फासिद होगा जब उसमें यह तीन शर्तें पाई जाएं :

**पहला :** वह शरई हुक्म को जानता हो, और उसे रोज़े की हालत अर्थात् समय का पता हो। यदि उसे शरई हुक्म या समय का ज्ञान न हो तो उसका रोज़ा सहीह है, इसलिए की अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ١٧٨٦].

“ऐ हमारे रब, यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमारी पकड़ न करना।”

(सूरतुल बकर: २८६)

इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया: “ मैं ने स्वीकार किया।”

और इस लिए कि अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ५].

“और जो कुछ तुम से गलती हुई है उसमें तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं है, किन्तु जिसका तुम्हारे हृदय ने इरादा किया हो।” (सूरतुल अहज़ाब: ५)

यह दो सामान्य (आम) दलीलें हैं।

**तथा इसलिए भी** कि इस संबंध में रोज़े के विषय में सुन्नत से विशेष दलीलें भी हैं, चुनांचे सहीह (बुखारी व मुस्लिम) में अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि उन्होंने ने रोज़ा रखा तो अपने तकिए के नीचे दो रस्सियाँ -अर्थात वह दो रस्सियाँ जिनके द्वारा ऊँट के अगले पैर को बैठते समय बांधा जाता है- रख लीं, एक काली और दूसरी सफेद, और वह खाने पीने लगे यहाँ तक कि सफेद डोरी काली डोरी से स्पष्ट होगई, तब उन्होंने ने खाना पीना बन्द किया, फिर जब भोर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए और उन्हें इसकी सूचना दी, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें बतलाया कि आयत के अन्दर सफेद धागे और काले धागे से मुराद दो प्रसिद्ध धागे नहीं हैं, बल्कि सफेद धागे से मुराद दिन की सफेदी (उजाला) और काले धागे से मुराद रात की अँधेरी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें रोज़े की कज़ा का आदेश नहीं दिया। (बुखारी हदीस न. १६१६, मुस्लिम हदीस न. १०६०) क्योंकि उन्हें हुक्म का ज्ञान नहीं था, उनका गुमान था कि आयत का अर्थ यही है।

**जहाँ तक समय का ज्ञान न होने** का संबंध है तो सहीह बुखारी में अस्मा बिन्त अबु-बक्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने ने फरमाया:

(( أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ غَيْرِ ثَمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ))

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में एक बदली वाले दिन में हम ने रोज़ा इफ्तार कर लिया, फिर सूरज निकल आया।” (बुखारी हदीस न. १६५६)

इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा करने का आदेश नहीं दिया, यदि कज़ा अनिवार्य होता तो आप उन्हें उसका अवश्य आदेश देते, और

यदि आप उन्हें कज़ा का आदेश देते तो उम्मत तक उसे अवश्य नक्ल किया (पहुँचाया) जाता। इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ९]

“हम ने ही इस कुरआन को उतारा है और हम ही इसकी सुरक्षा करने वाले हैं।” (सूरतुल-हिज़्र: ९)

चुनांचे जब उसके नक्ल (उल्लेख) किए जाने के कारण के पूरी तरह मौजूद होने के उपरान्त भी नक्ल (उल्लेख) नहीं किया गया तो इस से ज्ञात हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा करने का आदेश नहीं दिया था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें -कज़ा का- हुक्म नहीं दिया तो पता चला कि वह वाजिब नहीं है।

इसी प्रकार यदि आदमी नींद से उठे और यह समझते हुए कि अभी वह रात ही में है कुछ खा ले या पी ले, फिर उसे पता चले कि उस ने फज़्र उदय होने के पश्चात खाया और पिया है तो उस पर कज़ा वाजिब नहीं है; इसलिए कि वह जाहिल (अनजाना) था।

**दूसरी शर्त** : यह है कि उसे ध्यान (स्मरण) हो, ध्यान का विपरीत भूल जाना है, यदि वह भूल कर खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा सहीह है, उस पर कज़ा -वाजिब- नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة: २८६)

“ऐ हमारे रब! यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमें न पकड़ना।” (सूरतुल बकर: २८६)

इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया: “मैं ने स्वीकार किया।”

और इसलिए कि अबु-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

﴿(من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))﴾

जिस व्यक्ति ने रोज़े की हालत में भूल चूक कर खा लिया या पी लिया वह अपना रोज़ा पूरा करे; क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और पिलाया है। (बुखारी हदीस न. १६३३, मुस्लिम हदीस न. ११५५)

**तीसरी शर्त** : इच्छा और इरादा है, और वह यह कि मनुष्य ने उस रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ का प्रयोग अपनी इच्छा और पसंद से किया हो, यदि वह उसके उपभोग में स्वेच्छ और स्वयंश नही था तो उसका रोज़ा सहीह है, चाहे उसे उसके करने पर बाध्य (मजबूर) किया गया हो या बाध्य (मजबूर) न किया गया

हो, इसलिए कि कुफ्र पर बाध्य (मजबूर) किये जाने वाले व्यक्ति के बारे में अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

“जो अपने ईमान के पश्चात अल्लाह से कुफ्र करे सिवाय उसके जिसे बाध्य किया गया है और उसका हृदय ईमान पर सन्तुष्ट हो, परन्तु जो लोग खुले दिल से कुफ्र करें तो उन पर अल्लाह तआला का प्रकोप है और उन्हीं के लिए बड़ी यातना है।” (सूरतुन नह्ल: १०६)

जब कुफ्र का मामला मजबूर किए जाने की अवस्था में क्षमा के योग्य है तो जो चीज़ उससे कमतर है वह मजबूर किए जाने की अवस्था में और अधिक क्षमा के योग्य है। इसी प्रकार वह हदीस भी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत की जाती है:

« إِنْ اللَّهُ رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسِيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ ».

“अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से गलती, भूल-चूक और जिस पर वह बाध्य (मजबूर) किए गए हों, क्षमा कर दिया है।” (इब्ने माजा हदीस नं. २०४३)

इस आधार पर यदि रोज़ेदार के नाक में धूल-गर्द उड़ कर पहुँच जाए और वह अपने गले में उसका स्वाद अनुभव करे और वह उसके मेदे (आमाशय) में चला जाए तो इस से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा; क्योंकि उसने इसे अपनी इच्छा और इरादे से नहीं किया है।

इसी प्रकार यदि उसे रोज़ा तोड़ने पर बाध्य (मजबूर) किया जाए और वह बाधा को समाप्त करने के लिए रोज़ा तोड़ दे तो उसका रोज़ा सहीह है; इसलिए कि इसमें उसकी इच्छा और पसन्द का दखल नहीं है।

इसी प्रकार यदि आदमी को स्वपनदोष होजाए और सोने की हालत में वीर्य निकल जाए तो उसका रोज़ा सहीह है; इसलिए कि सोने वाले की कोई इच्छा नहीं होती है।

इसी प्रकार यदि आदमी अपनी पत्नी से रोज़े की हालत में ज़बरदस्ती सम्भोग कर ले तो उस स्त्री का रोज़ा शुद्ध (उचित) है; इसलिए कि उसने अपनी इच्छा और पसंद से नहीं किया है।

यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य मसूअला है जिसे समझना आवश्यक है: वह यह कि यदि किसी व्यक्ति ने रमज़ान के दिन में सम्भोग किया है और रोज़ा उस पर अनिवार्य है तो उसके सम्भोग करने पर पाँच चीज़ें मुरत्तब (निष्कर्षित) होती हैं :

१. पाप (गुनाह)।

२. दिन के अवशेष भाग में खाने पीने से रुक जाना अनिवार्य होजाता है।
३. उसका रोज़ा फासिद होजाता है।
४. कज़ा।
५. कफ़ारा।

इस में कोई अन्तर नहीं है कि आदमी को इस बात का ज्ञान है कि उस पर इस सम्भोग करने में क्या अनिवार्य है या उसे इसका ज्ञान नहीं है, अर्थात् जब आदमी रमज़ान के रोज़े में सम्भोग कर ले और रोज़ा उस पर वाजिब हो, किन्तु उसे इस बात का ज्ञान न हो कि उस पर कफ़ारा वाजिब हो जाता है, तब भी उस पर सम्भोग के उपरोक्त अहकाम मुरत्तब (लागू) होंगे; इसलिए कि उसने रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ को जान बूझ कर किया है, और रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ को जान बूझ कर करने से उस पर मुरत्तब (निष्कर्षित) होने वाले अहकाम लाज़िम हो जाते हैं।

बल्कि अबु-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरा सर्वनाश होगया, आप ने कहा: “तुझे किस चीज़ ने सर्वनाश कर दिया?” (बुखारी हदीस न. १६३६, मुस्लिम हदीस न. ११११)

उसने कहा: रमज़ान में रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे कफ़ारा का आदेश दिया। हालाँकि उस आदमी को यह पता नहीं था कि उस पर कफ़ारा है या नहीं।

और हम ने जो यह कहा है कि: “और रोज़ा उस पर वाजिब हो” इस से वह हालत निकल जाती है जब रोज़ेदार उदाहरण स्वरूप यात्रा के दौरान अपनी बीवी से सम्भोग कर ले, ऐसी अवस्था में उस पर कफ़ारा अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के तौर पर यदि कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ रमज़ान के महीने में यात्रा पर हो और वह दोनों रोज़े से हों, फिर वह अपनी बीवी से सम्भोग कर लेता है तो उस पर कफ़ारा अनिवार्य नहीं है, और यह इसलिए कि जब यात्री रोज़ा आरम्भ करे तो उस पर उस रोज़े को पूरा करना अनिवार्य नहीं है, यदि उसकी इच्छा हो तो पूरा करे, और अगर चाहे तो रोज़ा तोड़ दे और बाद में उसकी कज़ा करे।

**अनुवादक**  
(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)\*

[\\*atazia75@gmail.com](mailto:atazia75@gmail.com)



इस्लाम का तीसरा मूल रूकन

# जकात

(महत्व एवं निर्देश)

कुरआन व सुन्नत के प्रकाश में

लेखक

अब्दुल्लाह सऊद अब्दुल वहीद

अनुवादक

अहमद हुसैन

Hindi

المركز التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمطابقة

مجلس إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  
مكتب: 21544 - الرياض 21544 - الرياض 21544 - الرياض 21544 - الرياض  
E-mail: Sultanah22@hotmail.com

THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH  
Tel: 4249077 Fax: 4251009 P.O.Box: 51075 Riyadh-11663 S.A. E-mail: sultanah22@hotmail.com



इस्लाम का तीसरा मूल रूकन

# ज़कात

(महत्व एवं निर्देश)

कुरआन व सुन्नत के प्रकाश में

लेखक

अब्दुल्लाह सऊद अब्दुल वहीद

अनुवादक

अहमद हुसैन

प्रकाशक एवं वितरक

आमन्त्रण व प्रदर्शक कार्यालय सुल्ताना

फोन 4240077 -पो. बा. 92675 - रियाद 11663

सऊदी अरबिया

# حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

٣) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطنة ، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عبدالوحيد ، عبدالله بن سعود

الزكاة - الهندية / عبدالله بن سعود عبدالوحيد .-

الرياض ، ١٤٢٤هـ

٧٨ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٣-١٩-٨٧١-٩٩٦٠

أ-العنوان

١-الزكاة

١٤٢٤/٣٨٩٣

ديوي ٤ ، ٢٥٢

رقم الايداع ١٤٢٤/٣٨٩٣

ردمك : ٣-١٩-٨٧١-٩٩٦٠

## विषय सूची

क्र० संख्या	विषय	पृ० संख्या
१.	दो शब्द .....	५
२.	प्राक्कथन .....	९
३.	जकात, इस्लाम का तीसरा मूल रूकन .....	११
४.	जकात का महत्व .....	१२
५.	जकात की श्रेष्ठता एवं लाभ .....	१४
६.	जकात न देने पर चेतावनी .....	१५
७.	जकात के प्रबन्ध का यथार्थ .....	१८
८.	भीख माँगने पर निषेध .....	२२
९.	जकात का उपयोग .....	२७
१०.	क्या जकात अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित की जा सकती है? .....	३०
११.	निकट सम्बन्धियों को जकात .....	३१
१२.	जकात की सीमा .....	३५

१३. इस्लाम सरल एवं प्रकृति अनुकूल धर्म है ..... ३६
१४. व्यापारिक माल पर जकात ..... ३७
१५. जकात के सीमा निर्धारण की विस्तृत विवेचना . ४१
१६. आभूषण पर जकात ..... ४३
१७. जकात का भुगतान वस्तु के रूप में करना ..... ४६
१८. व्यापारिक वस्तुओं में जकात ..... ४७
१९. संयुक्त व्यवसाय में जकात ..... ५९
२०. कृषि उपज पर जकात सीमा ..... ६०
२१. कृषि उपज में किन वस्तुओं पर जकात वाजिब है . ६१
२२. चरने वाले पालतू पशुओं पर जकात सीमा ..... ६२
२३. सदकये फित्र (एक विशेष दान) ..... ६८
२४. सदकये फित्र के लिए धन की सीमा नहीं ..... ६८
२५. सदकये फित्र मुद्रा रूप में ..... ७१
२६. सदकये फित्र देने का समय ..... ७२
२७. सदकये फित्र की मात्रा एक साअ खाद्यान्न है .... ७३

## दो शब्द

इस्लाम के पाँच मूल भूत स्तम्भों (अरकान) में, 'जकात' एक महत्वपूर्ण स्तम्भ (रुकन) है। इसका निर्देश कुरआन एवं हदीस में अनेक स्थानों पर है। इस्लाम धर्म के इन दोनों मूल श्रोतों में अन्य चार स्तम्भों की भाँति, इस स्तम्भ के निरूपण का महत्व और उसे उपेक्षित (नज़र अन्दाज़) कर देने पर जो चेतावनी है उस पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि इस्लाम धर्म की पूर्णता के लिए इन पाँचों स्तम्भों का निरूपण (रसूल ﷺ के आदर्श के अनुरूप) अनिवार्य है वरन् इस्लाम की जबानी (मौखिक) घोषणा मनुष्य के लिए निरर्थक (बेकार) होगी।

जकात से सम्बन्धित, कुरआन और हदीस के निर्देशों की व्याख्या में, इस्लामी विद्वानों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उस के अध्ययन से इस्लाम का धन सम्बन्धी दृष्टि कोण और उसकी अर्थ व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। यदि जीवन में मुख्य भूमिका निभाने वाले इस 'कारक' (हिस्सा) का उचित प्रबन्ध न किया जायेगा तो समाज कभी सीधे मार्ग पर उन्नति न कर सकेगा। इस्लाम ने धन के विभाजन का उचित एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित करके धनवान

और निर्धन, सम्पन्न (खुशहाल) एवं असहाय के मध्य विद्यमान (मौजूद) गहरी खाई को समाप्त करने का प्रयत्न किया है तथा धनवानों को इस बात की प्रेरणा दी है कि वह महानता एवं इस्लाम धर्म के अनुपालन के आधार पर, निर्बलों की सहायता करें और ऐसे समाज की रचना करें जिस में स्वार्थपरता (खुदग़रजी) एवं लालच, के स्थान पर परोपकार (इहसान) एवं संतोष (कनाअत) का प्रचलन हो।

मुस्लिम समाज में यह आवश्यकता सदैव अनुभव की गयी है कि इस्लाम के निर्देशों से अवगत हुआ जाये और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त के लिए तदनुसार कार्य किया जाये। वर्तमान युग में इस आवश्यकता की अनुभूति और तीव्र हो गई है क्योंकि इस्लामी निर्देशानुसार कार्य करने की भावना अब पहले से कहीं अधिक प्रबल (जोरदार) है। इस समय लोग यह भी इच्छा करते हैं कि दिनचर्या से सम्बन्धित और विशेष कर धर्म के मूल भूत स्तम्भों से सम्बन्धित निर्देशों को कुरआन एवं हदीस के प्रकाश में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाये और उन पर आधारित संक्षिप्त पत्रिकायें, जन साधारण तक पहुँचाई जायें।

जकात के निर्देशों का महत्व एवं इस्लामी समाज की वर्तमान आवश्यकता का अनुभव करते हुए जामिआ

सलफिया के महाप्रबन्धक माननीय अब्दुल्लाह सऊद साहब ने प्रस्तुत पुस्तिका उर्दू भाषा में लिखी थी। इस पुस्तिका में जकात के महत्व पर कुरआन एवं हदीस के स्पष्ट निर्देश, सम्बन्धित नियमों की व्याख्या, जकात का उपयोग, अनाज या अन्य माल तथा नकदी माल में जकात की सीमा, तथा साअ (एक विशेष पैमाना) आदि की व्याख्या है। लेखक ने बहुत से ऐसे तथ्य स्पष्ट किये हैं जिन पर साधारणतया लोग उलझ जाते हैं। इस प्रकार पुस्तिका की उपयोगिता में बढ़ोत्तरी हो गयी है।

चूँकि लेखक ने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया है तथा वर्तमान अर्थव्यवस्था पर उनकी अच्छी दृष्टि है, इसलिए अपने अनुभव के प्रकाश में उन्होंने जकात की उत्तम व्याख्या की है तथा उसे व्यवहार में सरल बना कर प्रस्तुत किया है।

धार्मिक निर्देशानुसार व्यवहार की चेष्टा, देश-सम्प्रदाय के प्रति सहानुभूति एवं कल्याण की भावना, मुसलमानों को कुरआन एवं हदीस से भली-भाँति अवगत कराने की उनकी लगन पुस्तिका में स्थान-स्थान पर प्रदर्शित होती है। हिन्दी भाषियों के लिए भी यह पुस्तिका, अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए आवश्यक था कि पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर किया जाये। इस कार्य को जामिया के एक



अध्यापक श्री अहमद हुसैन साहब ने सम्पन्न किया है। उनकी अनुवाद शैली में सरलता एवं प्रवाह की अनुभूति होती है।

अल्लाह से प्रार्थना है कि वह इस पुस्तिका के माध्यम से पाठकों को लाभान्वित करे तथा लेखक, अनुवादक एवं प्रकाशक को सर्वोत्तम पुण्य प्रदान करें। (अल्लाह यह प्रार्थना स्वीकार कर ले)

**मुक्तदा हसन अजहरी**

जामिआ सलफिया, बनारस

१० शाबान् १४२२ हि०

## प्राक्कथन

जकात के महत्व एवं विशेषता पर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस को लोकप्रियता प्राप्त हुई। इस पुस्तक की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए मुझे अनेक व्यक्तियों ने इसका हिन्दी रूपान्तर करने का विचार दिया। यही नहीं बल्कि कुछ व्यक्तियों ने खुद ही इसका हिन्दी रूपान्तर करने की अनुमति भी चाही।

इस पुस्तक में कुछ मसाइल प्रथम प्रकाशन में सम्मिलित नहीं हो सके थे, अतः मैंने उचित समझा कि उनको इस प्रकाशन में सम्मिलित कर दिया जाये।

अब हिन्दी का यह प्रथम प्रकाशन आप के हाथों में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक को हाथों हाथ लिया जायेगा, और अगर इस में किसी प्रकार का संशोधन योग्य निर्देश एवं सुझाव हो तो उस से मुझे अवश्य अवगत करायें, ताकि अगले प्रकाशन से संशोधन करके पुस्तक की उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा सके।

मैं मास्टर अहमद हुसैन साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद करके इसे हिन्दी भाषियों के लिए सरल बना दिया। अल्लाह तआला इस प्रयत्न को स्वीकार करे। (आमीन)

लेखक

## जकात, इस्लाम का तीसरा मूल स्तम्भ (रुक्न)

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد،  
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فقد قال الله تعالى:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ﴾

(हे मुहम्मद ﷺ) आप उन के धन-सम्पत्ति में से जकात ले लीजिए जिस से आप उन को (दुष्टता से) पवित्र करेंगे और उन (धन-सम्पदा) की स्वच्छता होगी तथा आप उन के लिए अल्लाह की कृपा की प्रार्थना कीजिए । निःसंदेह आप की प्रार्थना उन के लिए शान्ति प्राप्ति का साधन है । अल्लाह सब कुछ जानने वाला सुनने वाला है ।

## जकात (एक विशेष अनिवार्य दान) का महत्व :

जकात इस्लाम के पाँच भूत स्तम्भों में से तीसरा स्तम्भ (रुक्न) है। जैसा कि हजरत उमर फारूक رضي الله عنه से 'हदीस जिब्रील' में वर्णित है तथा उन के पुत्र अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه द्वारा वर्णित है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلاً».

अर्थात् इस्लाम की आधारशिला पाँच स्तम्भों पर रखी गई है: १- इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा उपास्य नहीं और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं। २- नमाज स्थापित करना ३- जकात देना ४- रमजान महीने का रोजा (व्रत) रखना ५- बैतुल्लाह का हज्ज करना। (जो उस यात्रा की क्षमता रखता हो) (बुखारी व मुस्लिम)

जकात का महत्व इस बात से प्रदर्शित होता है कि अल्लाह ने पवित्र कुरआन में जकात का वर्णन बत्तीस (३२) स्थानों पर किया है। जिस में सत्ताईस (२७) स्थानों

पर उसका वर्णन नमाज के साथ है तथा सदका व सदकात के शब्द के साथ बारह (१२) स्थानों पर वर्णित है । तात्पर्य यह है कि इसकी बार-बार प्रेरणा दी गयी है। इस के अतिरिक्त संकेतों द्वारा भी इसका वर्णन है । उदाहरण स्वरूप सूरह मआरिज २४, २५ में अल्लाह का फरमान है :

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

(अल्लाह के सज्जन सेवक वह लोग हैं) जिन के धन सम्पदा में याचकों एवं असहायों के लिए एक अंश निश्चित है ।

और सूरह रूम में आयत संख्या ३८ में अल्लाह का फरमान है:

﴿فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾

अस्तु निकट-सम्बन्धियों को, निर्धन ग्रस्त (मिस्कीन) लोगों को तथा यात्रियों को उनका अंश दे दो यही उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है जो लोग अल्लाह की प्रसन्नता चाहते हैं ।

## जकात की श्रेष्ठता एवं लाभ :

जकात की श्रेष्ठता पवित्र कुरआन में स्थान-स्थान पर वर्णित है। अल्लाह का फ़रमान है कि देखो, तुम जकात दोगे उस से तुम्हारे माल में बढ़ोत्तरी होगी। तुम एक दोगे हम दस देंगे, अपितु उस से भी अधिक सात सौ गुना देते हैं। इसलिए उस में कृपणता (कंजूसी) उचित नहीं है।

एक स्थान पर वर्णन है :

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

हे लोगो जो तुम व्याज (पर धन) देते हो इसलिए कि लोगों के धन में बढ़ता रहे, तो (जान लो) यह अल्लाह के निकट नहीं बढ़ता और जो तुम जकात देते हो, अल्लाह की प्रसन्नता के लिए तो यही वह लोग हैं जो (अपने माल को) बढ़ाने वाले हैं।

(सूरह रूम : ३९)

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया :

«ما نقص مال من صدقة»

दान से धन घटता नहीं है । (तिर्मिजी)

बुखारी (हदीस की प्रसिद्ध पुस्तक) में हजरत अस्मा رضي الله عنها से वर्णित है, वह कहती हैं कि मुझे से नबी ﷺ ने फरमाया कि खैरात (दान) को मत रोकना, नहीं तो तुम्हारी जीविका भी रोक दी जायेगी । दूसरा वर्णन अबू दाऊद द्वारा इसी विषय का है कि गिनने न लग जाना नहीं तो अल्लाह भी तुझे गिन-गिन कर ही देगा ।

### जकात न देने पर चेतावनी :

जकात न देना, उस में बहाना बनाना और यह समझना कि यह हमारी धन-सम्पदा है, हम जो चाहें करें, यह भावना एवं कार्य धार्मिक आस्था के विरुद्ध है । जिस प्रकार नमाज को नकारने पर मनुष्य मुसलमान नहीं रह जाता उसी प्रकार जकात नकारने वाला भी इस्लाम की परिधि से बाहर हो जाता है । अल्लाह का फरमान है :

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ  
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

और वैल (नर्क का अति दुःखद खण्ड) है उन बहुदेव वादियों के लिए जो जकात नहीं देते तथा यही वह लोग हैं जो प्रलय (आखिरत) को नकारते



हैं । (हा० मीम० सज्दः - ६, ७)

विचार कीजिए ! जकात नकारने वालों को, शिर्क (अल्लाह के साथ अन्य की उपासना करना) और कुफ्र (अल्लाह को नकारना) जैसे घृणित शब्दों से याद किया गया है । बुखारी में हजरत अबू हुरैरह رضي الله عنه द्वारा वर्णित है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया कि अल्लाह ने जिसको धन सम्पदा से सुशोभित किया, और उस ने जकात नहीं अदा किया, क़यामत के दिन उसका माल भयानक साँप के रूप में आयेगा । जिसकी आँखों के ऊपर दो काले बिन्दु होंगे, यह साँप उस के गले का हार होगा और उस के जबड़े को पकड़ कर कहेगा कि 'मैं हूँ तेरा माल' 'मैं हूँ तेरा खजाना' फिर नबी ﷺ ने इस आयत का पाठ किया ।

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

और वह लोग जिन को अल्लाह ने अपनी कृपा से सुशोभित किया है और वह कंजूसी (बुखल) करते हैं तो वह यह न समझें कि उनकी कंजूसी उन के

लिए उत्तम (लाभदायक) है। नहीं, यह तो उन के लिए हानिकारक है, निकट भविष्य में कयामत के दिन, जो यह कंजूसी करते हैं उसे उन के गले का हार बना दिया जायेगा। (आले इमरान : १८०)

अल्लाह तआला का यह भी फरमान है :

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ  
جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  
كَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

जो लोग सोना, चाँदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको दुःखद दण्ड की सूचना दे दीजिए, जिस दिन ऐसे खजाना को जहन्नम की आग में तपा कर उन के माथे, पीठ एवं शरीर के अन्य भाग को दागा जायेगा और कहा जायेगा कि यही तुम्हारा वह खजाना है जिसको तुम ने अपने स्वार्थ के लिए संचित किया था तो आज अपनी दौलत का स्वाद चखो। (सूरह तौब: - ३४, ३५)

## जकात के प्रबन्ध का यथार्थ :

जकात एक स्थाई एवं निश्चित कर्तव्य है जिसकी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि मनुष्य पर, उसकी इच्छा के अनुसार छोड़ दिया गया हो कि जिसे चाहें दें और जिसे चाहें धुतकार दें। अपितु यह एक सामुदायिक व्यवस्था है जिसका प्रबन्ध अच्छे ढंग से होना चाहिए। इस की पुष्टि इस से होती है कि अल्लाह ने इस व्यवस्था के संचालकों को *العاملين عليها* (जकात व्यवस्थित करने वालों) के नाम से याद किया है। और जकात के आठ उपयोग में से एक 'आमिलीन' के उपयोग को निश्चित कर के यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रबन्धिक खर्च को उसी जकात की धनराशि से पूरा किया जायेगा। जिस सूरह में जकात के उपभोग का वर्णन है उसी सूरह में यह भी वर्णन है कि :

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾

आप (ﷺ) उन के मालों में से जकात लीजिए, अर्थात् आप (ﷺ) को जकात वसूल करने का आदेश होता है।

अतः बुखारी एवं मुस्लिम में वर्णन है हजरत अब्दुल्लाह

बिन अब्बास رضي الله عنه कहते हैं कि नबी ﷺ ने जब हजरत मुआज बिन जबल رضي الله عنه को यमन भेजा तो उन को आदेश दिया :

«فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم،  
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك  
لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة  
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»

"कि हे मुआज, आप उन को बता दीजिएगा कि अल्लाह ने उन के धन-सम्पदा में उन पर जकात अनिवार्य किया है जो उन के धनवानों से प्राप्त कर के उन के निर्धनों में वितरित कर दी जायेगी। यदि वह आप की बात स्वीकार कर लें तो उन से जकात वसूल करना और उन के सर्वोत्तम माल से बचना तथा अत्याचार भोगियों (मजलूमों) के शाप (बद्दुआ) से डरना क्योंकि शाप और अल्लाह के मध्य कोई रूकावट (ओट) नहीं होती। अर्थात् अल्लाह ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना अति शीघ्र सुनता है।"

हदीस की पुस्तकों में आमिलीन (जकात व्यवस्था में

कार्यरत) का वर्णन है उनको दान एकत्र करने वाला भी कहा जाता है । नबी ﷺ अनेकों सहाबा को विभिन्न कबीलों के पास दान एकत्र करने के लिए भेजा करते थे ।

हदीस की पुस्तक अबू दाऊद में वर्णन है कि नबी ﷺ ने अबू मसऊद رضي الله عنه को साई (दान एकत्र करने वाला) बना कर भेजा था एक अन्य हदीस की पुस्तक 'मुसनद अहमद' में वर्णन है कि अबू जहम बिन होजैफा को मुसद्दिक (दान एकत्रक) बना कर भेजा । वलीद बिन उकबह को बनी मुसतलिक की ओर भेजा, मुहाजिर बिन अबी ओमय्या को "सनआ" की ओर, ज़ियाद बिन लबीद को हज़रामूत की ओर और हज़रत अली को नजरान की ओर भेजा (رضي الله عنه) । आप ﷺ इन लोगों को निर्देश देते तथा विनम्रता (शराफत) का व्यवहार करने की प्रेरणा देते थे।

अल्लामा इब्ने हज़म ने अपनी पुस्तक 'जवामिउ स्सियर' में लिखा है कि सदक्रात (दान) के सम्बन्ध में रसूलुल्लाह ﷺ के मुंशी हज़रत जुबैर बिन अब्वाम थे । यदि वह उपस्थित न होते तो जहम बिन सामित या हुजैफ़ा बिन यमान رضي الله عنه लिखने का कार्य करते थे ।

जकात के सम्बन्ध में रसूलुल्लाह ﷺ को स्पष्ट आदेश था कि आप ﷺ जकात की सीमा में आने वालों से, उन के धन सम्पदा की जकात वसूल कीजिए । प्रथम खलीफ़ा,

हजरत अबू बक्र सिद्दीक رضي الله عنه ने जकात नकारने वाले उन लोगों से जो अल्लाह के रसूल ﷺ के समय में, आप के पास जकात जमा करते थे, जकात रोकने पर युद्ध किया था। नबी ﷺ के समय में जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है जकात की लिखा-पढ़ी होती थी। अतः अबू बक्र رضي الله عنه ने स्पष्ट घोषणा की कि जो व्यक्ति ऊँट बाँधने की रस्सी या बकरी का बच्चा भी नबी ﷺ को दिया करता था अगर हमें नहीं देगा तो उस से युद्ध किया जायेगा।

जकात की व्यवस्था जो इस्लाम के मूल आधारों में से है यँही नहीं छोड़ दिया गया है कि आप अपनी इच्छानुसार जिसे चाहें दें, जिसे चाहें न दें। यह तो एक इबादत (उपासना) है यह तो और धन में एक अधिकार है जिसकी कुछ अनिवार्यतायें हैं, कुछ सीमायें हैं जिन के अन्दर रह कर ही हम उसे सम्पन्न कर सकते हैं। उन स्वेच्छा दान जैसी स्थिति नहीं है जिसे, अपनी इच्छा एवं पसन्द के अनुसार आवंटित किया जा सकता है तथा जिनकी पुण्य कार्य (नेकी) का फल अपनी आस्था एवं नीयत पर आधारित है। जिस में उत्तम दान वह है कि जिसे दानी और अल्लाह के अतिरिक्त कोई न जाने।

विचार कीजिए! अल्लाह अपने नबी ﷺ को आदेश देता है

कि **﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾** आप उन के धन-सम्पदा में से जकात लीजिए। और हजरत अबू बक्र رضي الله عنه ने जकात न देने वालों से युद्ध किया।

मुसनद अहमद, अबू दाऊद और नसाई (हदीस की पुस्तकों) में रसूलुल्लाह ﷺ द्वारा वर्णित है कि :

«من أعطاه مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإننا آخذوها وشطر

ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء»

अर्थात् (जो जकात को) पुण्य की नीयत से देगा उसको उसका पुण्य मिलेगा और जो नहीं देगा तो मैं उसको वसूल करूँगा और साथ ही साथ उसका आधा माल भी ले लूँगा। यह हमारे पालनहार की ओर से दण्ड है। (कोई यह न समझे कि मैं अपने स्वार्थ के लिए ले रहा हूँ) मुहम्मद ﷺ के कुटुम्ब (घर वालों) के लिए इसका एक दाना (कण) भी हलाल (वैध) नहीं है।

**भीख माँगने पर निषेध :**

इस्लाम धर्म में भीख माँगने से रोका गया है। इसलिए व्यवसायिक रूप से भीख माँगने वालों का उत्साहवर्धन नहीं करना चाहिए। परन्तु यह ध्यान रहे कि भीख माँगने

वाले से कठोर वचन न कहें, क्योंकि अल्लाह का आदेश है :

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾

अनाथ को कठोर बात न कहो और माँगने वाले को झिड़को नहीं । (अज्जोहा : ९,१०)

इस क्रम में जो हदीसों वर्णित हैं उन में से कुछ को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

बुखारी (हदीस की पुस्तक) में हजरत उरवह बिन जुबैर رضي الله عنه द्वारा वर्णित है, हकीम बिन हेजाम رضي الله عنه ने कहा कि मैंने रसूल ﷺ से कुछ माँगा, तो आप ﷺ ने मुझे दे दिया, मैंने पुनः माँगा, आप ﷺ ने दे दिया । पुनः माँगा, आप ﷺ ने पुनः दे दिया, उस के बाद आप ﷺ ने फ़रमाया :

«يا حكيم! إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذ بسخاوة  
نفس بورك له فيه ومن أخذ بإشراف نفس لم يبارك له  
فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد  
السفلى»

हे हकीम ! यह धन-सम्पदा बहुत सुन्दर एवं



आकर्षक वस्तु है । अस्तु जो इसे अपने हृदय की संतोष भावना से ले तो उस में उस के लिए बढ़ोत्तरी होगी और जो व्यक्ति लालच एवं तृष्णा से लेगा तो उस में उस के लिए वृद्धि नहीं होगी, उसकी दशा उस व्यक्ति जैसी होगी जो खाता तो है परन्तु संतुष्ट नहीं होता, (भूख नहीं मिटती) । (ध्यान रहे) ऊपर (देने) वाला हाथ, नीचे (लेने) वाले हाथ से अधिक उत्तम है ।

हकीम बिन हेजाम का कथन है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से शपथ पूर्वक कहा कि उस शक्ति की सौगन्ध! जिस ने आप ﷺ को सच्चाई के साथ रसूल बनाया, अब भविष्य में, मैं किसी से कोई याचना नहीं करूंगा । यहाँ तक कि मैं संसार से चल बसूँ । इतिहास साक्षी है कि यही हकीम हैं जिनको अबू बक्र رضي الله عنه ने कुछ दिया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया । हज़रत उमर رضي الله عنه ने भी कुछ दिया तो भी अस्वीकार कर दिया । यहाँ तक कि मालये फ़य (बिना युद्ध प्राप्त धन) से अपना अंश भी स्वीकार नहीं किया । अल्लाह उन से प्रसन्न हो ।

हज़रत जुबैर बिन अब्बास رضي الله عنه फ़रमाते हैं : नबी ﷺ ने कहा कि यदि तुम में से कोई अपनी रस्सी लेकर लकड़ी

का गट्ठा बांधे और अपनी पीठ पर लाद कर लाये और उसे बेचे और संसार का पालनहार उसका सम्मान सुरक्षित रखे तो यह उसके लिए, उस कार्य से अधिक श्रेष्ठ है कि वह लोगों से माँगता फिरे, लोग उसे दें या न दें । (बुखारी)

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه ने कहा कि नबी ﷺ का कथन है कि जो मनुष्य सदैव लोगों से माँगता रहता है कयामत के दिन वह इस प्रकार उठेगा कि उसके चेहरा पर तनिक भी माँस न रहेगा । (बुखारी)

हजरत अबू हुदैरह رضي الله عنه से वर्णित है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने कहा कि जो मनुष्य लोगों से धन की याचना (धन संग्रह की भावना से) अपनी आवश्यक आवश्यकता से अधिक करे, इसका तात्पर्य यह है कि वह लोगों से आग का अंगार माँग रहा है । अब चाहे वह कम माँगे या अधिक (यह उसकी अपनी इच्छा पर है ) (मुस्लिम)

हजरत अबू हुदैरह رضي الله عنه से नबी ﷺ का कथन वर्णन है, कहते हैं आप ﷺ ने कहा कि मिस्कीन (निर्धन आवश्यकता ग्रस्त) वह नहीं जिसे एकाध लुकमें (खाने की वस्तुयें) दें और वह प्रसन्न हो जाये । मिस्कीन तो वह है जिसकी आवश्यक आवश्यकता पूर्ति न हो और वह

याचना करने में लज्जा की अनुभूति करे तथा लोगों से बहुत लालाइट होकर याचना न करे। (बुखारी)

हजरत अब्दुल्लाह बिन अदी कहते हैं कि उन से दो व्यक्तियों ने वर्णन किया कि वह दोनों रसूलुल्लाह ﷺ के पास आये और आप ﷺ से दान-सम्पदा (सदका) में से कुछ माँगा। अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन दोनों पर दृष्टि डाली तो देखा कि दोनों स्वस्थ हैं। आप ﷺ ने कहा कि यदि तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी याचना पूरी कर दूँ (परन्तु ध्यान रहे) «ولا حَظٌّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» कि इस धन में किसी सम्पन्न व्यक्ति का या ऐसे समर्थ व्यक्ति का जो स्वयं कमाई कर सकता हो, कोई अधिकार नहीं है। (अहमद, अबू दाऊद, नेसाई)

हजरत मुआज رضي الله عنه से नबी ﷺ ने कहा था कि :

«تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»

उन के धनवानों से जकात प्राप्त कर के, उन के निर्धनों में वितरित कर दी जायेगी।

इस से ज्ञात होता है कि मुसलमानों की जकात की धनराशि, उन के आवश्यकता ग्रस्त भाई को ही दी जायेगी।

## जकात का उपयोग :

जकात का उपयोग सब के लिए उचित नहीं है। उस के अधिकारी कौन और कैसे लोग हैं ? और उसका उपयोग कहाँ हो सकता है ? इसका विवरण भी पवित्र कुरआन एवं हदीस में है। कुरआन शरीफ में अल्लाह ने जकात के आठ उपयोग वर्णित करके, इस के प्रति लोगों को तृष्णा एवं लालच का द्वार बन्द कर दिया है। सूरह तौब: आयत ५८ से ६० में अल्लाह का फरमान है :

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

(हे मुहम्मद ﷺ) (जकात) सद्कात (के बँटवारा) के सम्बन्ध में कुछ लोग आप पर आरोप लगाते हैं।

यदि उस में से उन को दिया जाता है तो प्रसन्न होते हैं और यदि उस में से उन को न दिया जाये तो अप्रसन्न होते हैं। काश ! अल्लाह और उसके रसूल जो कुछ उन्हें दें उस पर वह संतोष करें और यह कहें कि अल्लाह हमारे लिए पर्याप्त है, निश्चय ही अल्लाह और उस के रसूल अपनी कृपा से हमें लाभ पहुँचायेंगे । हम तो अल्लाह ही से उम्मीद रखते हैं । ध्यान रहे कि जकात (१) निर्धनों के लिए है (२) मिस्कीनों (आवश्यकता ग्रस्त लोगों) के लिए है (३) उन लोगों के लिए है जो जकात व्यवस्था में कार्यरत हैं (४) उन लोगों के लिए है जिनको उत्साहित करना है (अर्थात् नव मुस्लिम) (५) जकात का उपयोग होगा गर्दन छुड़ाने के लिए (६) असहाय कर्जदार का कर्ज चुकाने के लिए (७) अल्लाह की राह में (८) और संकट ग्रस्त यात्रियों के कष्ट निवारण के लिए । यह अल्लाह का निर्देश है, अल्लाह सर्वज्ञ एवं सर्व शक्तिमान है ।

१- لِلْفُقَرَاءِ उन व्यक्तियों के लिए जो निर्धन हों ।

२- وَالْمَسَاكِينِ उन व्यक्तियों को कहते हैं जिनकी आवश्यक आवश्यकतायें पूर्ण न होती हों ।

- ३- وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا उन व्यक्तियों को कहते हैं जो जकात एकत्र करने के लिए नियुक्त हों। इस में वह सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो जकात प्रबन्ध में लगे हों।
- ४- وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार किया हो और उसे अभी प्रोत्साहन की आवश्यकता हो।
- ५- وَفِي الرِّقَابِ मुसलमान गुलाम (स्त्री हो या पुरुष) को स्वतन्त्र कराना। इसी प्रकार युद्ध बन्दियों को स्वतन्त्र कराना जो असहाय हो गये हों।
- ६- وَالْغَارِمِينَ ऐसा असहाय व्यक्ति जो किसी आवश्यक आवश्यकता के समाधान में कर्जदार हो गया हो तथा उसके पास ऋण चुकाने का कोई सहारा न हो।
- ७- وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ सेनानी एवं योद्धा जो अल्लाह के प्रिय धर्म की श्रेष्ठता (सरबुलन्दी) के लिए समर्पित हो। जिस से कि अल्लाह का इच्छित धर्म श्रेष्ठता प्राप्त करे।
- ८- وَأَبْنِ السَّبِيلِ ऐसा यात्री जिस के पास अपने निवास

तक पहुँचने के लिए कोई संसाधन न हो तब उसे जकात से इतना धन दिया जा सकता है कि वह अपने निवास तक पहुँच सके, भले ही वह व्यक्ति अपने घर पर सम्पन्न ही क्यों न हो ।

जकात के उपरोक्त आठ उपभोग हैं, इस के अतिरिक्त जकात की धनराशि नहीं व्यय करनी चाहिए । मस्जिद निर्माण कुंआ वगैरह बनवाने में जकात का उपयोग निषिद्ध है ।

**क्या जकात अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित की जा सकती है ?**

इस्लाम मनुष्य के पथ-प्रदर्शन के लिए एक पूर्ण संदेश लेकर आया है । इसका उद्देश्य समाज को उन्नति एवं समृद्धि प्रदान करना है । वह धनवानों एवं निर्धनों के बीच का अन्तर मिटाना चाहता है । इसलिए जकात कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं अपितु एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित सामाजिक प्रबन्ध है । सहाबा के समय की परिस्थित इस के लिए स्पष्ट आदर्श है ।

हजरत मुआज्ज बिन जबल رضي الله عنه की घटना, हमारे लिए आदर्श होना चाहिए । जिनको अल्लाह के नबी ﷺ ने यमन भेजा था, आप यमन में ही रहे । जब हजरत उमर

फारूक رضي الله عنه का प्रबन्ध काल आता है तो सम्पन्नता एवं समृद्धि भी आती है, उस काल में हजरत मुआज ने जकात की एक तिहाई धनराशि यमन से मदीना हजरत उमर के पास भेज दिया। हजरत उमर رضي الله عنه ने यह कह कर उसे अस्वीकार कर दिया कि आप को टैक्स और जिजिया (एक विशेष टैक्स) के लिए नहीं भेजा गया अपितु इस लिए भेजा गया है कि धनवानों से जकात वसूल कर के उन्हीं लोगों के निर्धनों में वितरित कर दो। हजरत मुआज ने उत्तर दिया कि हम ने यहाँ किसी का अधिकार हनन नहीं किया है अपितु अवशेष धनराशि ही आप को भेज रहा हूँ।

इस से ज्ञात होता है कि प्राथमिकता के तौर पर जकात के अधिकारी वहीं के निर्धन होते हैं और यदि आवश्यकता पूर्ति से अधिक हो तो उसे अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जा सकता है। जैसा कि उपरोक्त घटना से स्पष्ट होता है।

### निकट सम्बन्धियों को जकात :

क्या जकात का माल अपने निकट सम्बन्धियों पर व्यय कर सकते हैं ? इमाम बुखारी ने अपनी पुस्तक सहीह बुखारी में एक अध्याय रखा है: «باب الزكاة على الأقارب»



और उस में अल्लाह के रसूल ﷺ का यह कथन लिखा है कि : «له اجران القرابة والصدقة» अर्थात् उसको दो गुना पुण्य प्राप्त होगा । एक तो सम्बन्ध जोड़ने का और दूसरा दान का । (यह बात आप ﷺ ने हजरत जैनब के सम्बन्ध में कही थी जो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه की पत्नी थीं)

दूसरी हदीस हजरत अबू हरैरह की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया :

«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول»

सर्वोत्तम दान वह है जिसे देने के उपरान्त भी मनुष्य धनवान रहे । दान पहले उन्हें दो जो तुम्हारे संरक्षण में हो । (यदि वह दान के पात्र हों) (बुखारी)

उपरोक्त हदीसों से स्पष्ट होता है कि अपने निकट सम्बन्धी यदि वह दान पात्र हैं तो सदका और जकात में से सर्वप्रथम उन्हीं का अधिकार है । क्योंकि ऐसे दानी को दो गुना पुण्य का शुभ संदेश सुनाया गया है ।

अतः अबू तल्हा अन्सारी رضي الله عنه जो मदीना में अपने खजूर के बागों की वजह से सब से अधिक धनवान थे तथा

'बैरहा बाग' जो नबी ﷺ के सम्मुख था, रसूलुल्लाह ﷺ उस में टहलने जाया करते थे और उस के कुएं का मधुर जल पिया करते थे, उनको सब से अधिक प्रिय था, जब पवित्र कुरआन की यह आयत अवतरित हुई कि :

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

तुम पुण्य उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी प्रिय वस्तु (अल्लाह की राह में) न खर्च कर दो। (आले इमरान : ९२)

तब अबू तलहा رضي الله عنه रसूलुल्लाह ﷺ की सेवा में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि हे रसूलुल्लाह ﷺ मुझे 'बैरहा बाग' सब से अधिक प्रिय है, इसलिए मैं उसे अल्लाह के लिए दान करता हूँ। मैं उसका पुण्य, परलोक में स्वयं के लिए सुरक्षित रहने की आशा करता हूँ। आप ﷺ जहाँ उचित समझें उपयोग करें। (अल्लाह के रसूल ﷺ ने अबू तलहा से जो कहा, ध्यान देने योग्य है), आप ﷺ ने कहा «بِخْ ذَلِكَ مَالِ رَابِحٍ ذَلِكَ مَالِ رَابِحٍ» अति उत्तम है, यह तो लाभप्रद है, यह तो बहुत आय वाला है। अबू तलहा जो तुम ने कहा मैंने सुना, मैं उचित समझता हूँ कि तुम उसे अपने निकट सम्बन्धियों को दे दो। अबू तलहा ने कहा, हे रसूलुल्लाह ﷺ मैं वैसा ही करूँगा। अतः उन्होंने उसे

अपने सम्बन्धियों एवं चचा के बेटों को दे दिया। (इस हदीस को भी इमाम बुखारी ने باب الزكوة على الأقراب में रखा है)

निकट सम्बन्धियों को देने में एक विशेषता यह भी है कि इससे धन में वृद्धि होती है। जैसे कि हजरत अनस رضي الله عنه से वर्णित है कि मैंने सुना, रसूलुल्लाह ﷺ कह रहे थे :

«من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأله في أثره فليصل

رحمه»

जो व्यक्ति अपनी आय में बढ़ोत्तरी चाहता हो या आयु वृद्धि चाहता हो तो उसे चाहिए कि अपने निकट सम्बन्धियों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार करे।

(باب من أحب البسط في الرزق, बुखारी)

निकट सम्बन्धियों को देते समय यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि जकात हम अपने सम्बन्धियों में उन्हीं को दे सकते हैं जिनकी आवश्यकता पूर्ति का दायित्व हम पर नहीं है। उदाहरण स्वरूप, माता-पिता, संतान और पत्नी को छोड़ कर कोई भी रिश्तेदार यदि जकात लेने का पात्र है तो उस पर जकात खर्च किया जा सकता है। बल्कि यदि पात्रता के आधार पर रिश्तेदार और अपरिचित

बराबर हों तो रिश्तादार को वरीयता देना उत्तम है ।

### जकात की सीमा :

अब प्रश्न यह है कि जकात किन-किन वस्तुओं में अनिवार्य है और कितना परिमाण अनिवार्य है? अल्लाह के नबी ﷺ ने इस तथ्य को भी स्पष्ट कर दिया है । हदीस में हजरत अबू सईद رضي الله عنه से वर्णित है कि नबी ﷺ ने हाथ की पाँच अंगुलियों से संकेत करके कहा ।

«ليس فيما دون أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود

صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة وأشار بيده»

अर्थात् पाँच ओकिया (एक विशेष पैमाना = 52½ तौला) से कम चाँदी में जकात नहीं है । पाँच ऊँट से कम में जकात नहीं है । और पाँच वसक (एक विशेष पैमाना) से कम अनाज में जकात नहीं है ।

उस समय में नाप तोल का जो पैमाना प्रचलित था उसी का वर्णन किया । एक ओकिया ४० दिरहम का होता था, अर्थात् जिस के पास दो सौ दिरहम से कम चाँदी हो उस पर जकात नहीं है । इसी प्रकार एक वसक ६० साअ का होता था अर्थात् तीन सौ साअ से कम अनाज हो तो उस पर जकात नहीं है । सीमा निर्धारण का स्पष्ट विवरण

आगे प्रस्तुत होगा ।

## इस्लाम, सरल एवं प्रकृति अनुकूल धर्म है :

इस्लाम एक प्रकृति अनुकूल धर्म है और उस ने प्रत्येक आदेश एवं निर्देश को सरल बनाया है कि कम पढ़ा-लिखा भी उसे आसानी से समझ सके । जैसा कि उपरोक्त हदीस में हाथ की पाँच अंगुलियों के संकेत से सीमा निर्धारित की गयी है । इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, पाँच ही के हिसाब पर जकात का अनुपात निश्चित किया गया है । उदाहरण स्वरूप वह धन जो मनुष्य को बिना किसी कठोर परिश्रम के प्राप्त हो, जैसे जमीन में छिपा कोई खजाना जिस को अरबी भाषा में 'रेकाज' कहते हैं, उस में पाँचवा हिस्सा जकात देना है । इसी प्रकार वह धन जो मनुष्य को परिश्रम से प्राप्त हो जैसे खेती और फल इत्यादि । इस में आकाशीय जल से सिचाई हुई हो तो इसका आधा अर्थात् दसवाँ हिस्सा जकात देना होगा और यदि आप ने परिश्रम से सींचा है तो इसका आधा अर्थात् बीसवाँ हिस्सा जकात है । परन्तु कुछ धन ऐसे हैं जिस की प्राप्ति में मनुष्य को कठोर परिश्रम करना पड़ता है, दौड़-धूप करनी पड़ती है, घाटे का भी भय रहता है, जैसे व्यापारिक वस्तुयें । ऐसे धन में बीसवाँ का आधा अर्थात् चालीसवाँ हिस्सा जकात है । यहाँ एक शर्त और है कि

एक वर्ष पूर्ण होने पर ही जकात अनिवार्य होगी ।

सोना और चाँदी की जकात इसी प्रकार चालीसवाँ हिस्सा है अर्थात् पाँच ओकिया चाँदी होने पर पाँच दिरहम जकात है । एक ओकिया चालीस दिरहम का होता है ।

### व्यापारिक माल पर जकात :

अल्लाह ने सोना-चाँदी एकत्र करने और उस पर जकात न देने पर कड़ी चेतावनी दी है । उस स्थिति की समीक्षा करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि मात्र सोना-चाँदी ही आपेक्षित नहीं है अपितु इस परिधि में वह सम्पूर्ण धन आते हैं जिस से किसी मनुष्य के धनवान या निर्धन होने का अनुमान होता है । आज हमारे पास सोना-चाँदी बहुत नहीं है लेकिन सिक्के और नोटें हैं, बैंक बैलेंस है जो हमारा मूल धन है जिस से हम अपना व्यवसाय चलाते हैं, उस समय यह सब सोने-चाँदी के रूप में थे । उस समय दो प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, चाँदी के दिरहम और सोने के दीनार । तब संसार में दो सुपर पावर (शक्तिशाली साम्राज्य) थे, एक फ़ारस दूसरा रोम । फ़ारस का सिक्का चाँदी का दिरहम था और रोम का सिक्का सोने का दीनार ।

चूँकि मक्का-मदीना में अधिकांश प्रचलन दिरहम का था, इसलिए स्थान-स्थान पर उसी का वर्णन मिलता है । वैसे

सोने की सीमा निर्धारण भी अल्लाह के नबी ﷺ द्वारा वर्णित है। बीस मिसकाल या बीस दीनार होने पर आधा मिसकाल या आधा दीनार जकात है।

एक दीनार या मिसकाल की तोल क्या थी? इस पर विद्वानों में मतभेद है। परन्तु सब से विश्वसनीय मार्ग यह है कि आज भी संसार के संग्राहलयों में प्राचीन काल के दीनार रखे हैं। अब्दुल मलिक बिन मरवान का दीनार भी है जो कि इस्लामी शासन काल का पहला दीनार है, इसकी तोल वर्तमान पैमाना से सवा चार ग्राम है। इस प्रकार बीस दीनार की तोल ८५ ग्राम होता है। इसलिए आज यदि किसी के पास ८५ ग्राम सोना हो और एक वर्ष पूर्ण हो गया हो तो उस पर जकात अनिवार्य है। और उसको उस में ढाई प्रतिशत अर्थात् चालीसवाँ हिस्सा जकात देनी चाहिए।

सहाबा से वर्णित है कि हम अल्लाह के नबी ﷺ के जमाने में उन सभी वस्तुओं में जकात निकालते थे जिन्हें हम व्यापार उद्देश्य से रखते थे।

अबू दाऊद में हजरत समुरह बिन जुन्दुब رضي الله عنه से वर्णन है :

«كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج صدقة مما نعد للبيع»

रसूलुल्लाह ﷺ का हम को आदेश था कि हम उन वस्तुओं में से जकात दें जिनको हम बेचने की नीयत रखते हों ।

निष्ठावर हो जाईये ऐसे रसूल उम्मी (अनपढ़) पर जिन के पवित्र मुख से हिक्मत के मोती बिखरा करते थे । विचार कीजिए ! **ممانع للبيع** में वह सब वस्तु सम्मिलित है जिसे मनुष्य लाभ प्राप्ति के लिए रखता है कि समय आने पर अच्छे भाव से बेचेगा । इस में वस्तु का विवरण नहीं है और न ही उसकी आवश्यकता है । प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिस के हृदय में अल्लाह का डर है उपरोक्त वाक्य का अर्थ समझ सकता है तथा स्वयं निर्णय ले सकता है ।

आज मनुष्य अपनी पूँजी को अनेको प्रकार से विभिन्न वस्तुओं में लगा रहा है, मूल रूप से उसकी नीयत क्या है यह वह मनुष्य और उसका अल्लाह ही जानता है कि उसने निजी आवश्यकता के लिए खरीदा है या व्यापार के लिए लाभ की नीयत से । यह तथ्य अल्लाह से छिपा नहीं है । महाप्रलय (क्रियामत) के दिन उस मनुष्य और अल्लाह के मध्य कोई ओट न होगी, और उसे अल्लाह ही के सम्मुख हिसाब देना होगा ।

इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपना हिसाब कर के उचित



जकात की धनराशि इस्लामी व्यवस्थानुसार उसके अधिकारियों तक पहुँचा देना चाहिए। किसी प्रकार झूठा तर्क या बहाना बनाकर वह हिस्सा उसे अपने धन-सम्पदा में सम्मिलित नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह अल्लाह की ओर से निश्चित किया गया कर्तव्य है। यदि किसी ने जकात अदा न किया अपने धन से अलग न किया या पूर्ण भुगतान न किया, मात्र कुछ देकर लोगों से झूठ बोल दिया कि जकात की धनराशि समाप्त हो गई है तो उसे यह विचार अवश्य करना चाहिए कि जकात की राशि उस के धन-सम्पदा में सम्मिलित है और वह स्वयं उस में से खा रहा है जो उसके लिए अवैध है तथा क़यामत के दिन उस अल्लाह के सम्मुख उपस्थित होना है जो हृदय के भेद को भली-भाँति जानता है तथा कण-कण का हिसाब चुका लेगा, क्या उत्तर देगा?

अल्लाह हम सब को उचित एवं वैध जीविका (हलाल रोजी) प्रदान करे और इस्लामी निर्देशानुसार जीवन व्यापन की क्षमता दे तथा क़यामत के दिन, अपमान से बचाए (अल्लाह यह प्रार्थना स्वीकार कर ले )

### जकात के सीमा निर्धारण की विस्तृत विवेचना :

जकात की सीमा का वर्णन प्रस्तुत है, आशा है कि यह

समझने के लिए पर्याप्त होगा ।

**१- चाँदी** : इसकी सीमा पाँच ओकिया है तथा एक वर्ष पूरा होना शर्त है । अर्थात् जिस व्यक्ति के पास पाँच ओकिया या उससे अधिक चाँदी गत एक वर्ष से हो तो उस पर जकात अनिवार्य है । एक ओकिया चालीस दिरहम का होता है, पाँच ओकिया दो सौ दिरहम के बराबर हुआ

Oncia यूनान का अविष्कार है जो एक विशेष परिमाण का नाम है । जब रोम वाले मिस्र पर अधिकार प्राप्त कर लिए तो वहाँ उसका प्रचलन हुआ, पुनः मिस्र और सीरिया से अरब व्यापारी मक्का और मदीना लाये । नबी ﷺ के समय में यही प्रचलित था । हदीस की पुस्तकों में नबी ﷺ की पत्नियों की 'मुहर' साढ़े बारह ओकिया बतायी गयी है । अर्थात्  $12.5 \times 40 = 500$  दिरहम ।

एक दिरहम की तोल 2.975 ग्रा॰ बताया गया है । इस प्रकार एक ओकिया का भार =  $40 \times 2.975$  ग्रा॰ = 119 ग्रा॰ हुआ ।

इसलिए चाँदी की सीमा =  $5 \times 119$  ग्रा॰ = 595 ग्रा॰ है यदि किसी व्यक्ति के पास 595 ग्रा॰ या उससे अधिक शुद्ध चाँदी हो और एक वर्ष बीत चुका हो तो उस पर ढाई

प्रतिशत या चालीसवाँ हिस्सा जकात है ।

उदाहरण स्वरूप यदि शुद्ध चाँदी का मूल्य (बाजार में) 8000/kg. इसलिए  $595 \text{ ग्र}^\circ = \text{Rs. } 8000 \times 595\% / 1000 = 4760/=$  हुआ । और इस मूल्य का ढाई प्रतिशत  $4760 / 2.5\% \times 100$  अर्थात् Rs. 119/= जकात की धनराशि होगी ।

और यही उपरोक्त परिभाषा, व्यापारिक वस्तुओं की जकात की भी सीमा है । अर्थात् जिसके पास 595 ग्र॰ शुद्ध चाँदी के मूल्य के बराबर पूँजी या धन हो और एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो तो उसके उस धन में ढाई प्रतिशत या चालीसवाँ हिस्सा जकात अनिवार्य है । जिसका विस्तृत विवरण आगे व्यापारिक माल में जकात की सीमा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

**सोना :** इस की सीमा बीस मिस्काल है और एक वर्ष पूर्ण होना शर्त है ।

मिस्काल अरबी भाषा का शब्द है और पवित्र कुरआन में यह शब्द अनेकों स्थान पर वर्णित है । यह शब्द एक विशेष परिमाण (भार) के लिए बोला जाता है, कैसर नैरूत ने इसी भार के बराबर शुद्ध सोना का सिक्का ढाला जिसका नाम Denarius Aurius रखा । यही सिक्का मिस्र, अफ्रीका, एशिया और अरब देशों में प्रचलित हुआ

तथा अरब देशों में दीनार के नाम से पुकारा गया। जिसकी तोल सवा चार ग्राम थी। नबी ﷺ ने इसी सिक्का को जो कि मक्का में प्रलचित था परिमाण बनाया।

अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने शासनकाल में दमिश्क में सिक्का ढालने का कारखाना बनवाया और जो पहला सिक्का ढलवा कर प्रचलित किया वह दीनार भी इसी तोल का था जो आज भी संग्रहालय में मौजूद है।

अतः सोना की सीमा बीस मिस्काल या बीस दीनार  
 $= 4.25 \times 20$  ग्राम = 85.00 ग्राम सोना होगा।

अतः यदि किसी के पास 85 ग्राम या उस से अधिक शुद्ध सोना हो और एक वर्ष पूर्ण हो गया हो तो उस पर ढाई प्रतिशत या चालीसवाँ हिस्सा जकात है।

### आभूषण पर जकात :

सोना और चाँदी के सम्बन्ध में यह तथ्य स्पष्ट जान लेना चाहिए कि यह धातुयें चाहे किसी भी रूप में हों जकात की सीमा में आने पर जकात अनिवार्य होगा। ऐसे आभूषण जिसे प्रयोग में नहीं लाते तथा ऐसे आभूषण जिसे प्रयोग में लाते हैं सब की गणना जकात निर्धारण के लिए आवश्यक है, क्योंकि अल्लाह के नबी ﷺ ने

स्त्रियों के हाथ में कंगन और छल्ले (कड़ा) के बारे में कहा कि यदि उनकी जकात नहीं दी जाती तो इसकी गणना कंज (खजाना) में होगी, जिस के सम्बन्ध में पवित्र कुरआन में कड़ी चेतावनी दी है ।

अबू दाऊद में अम्र बिन शोएब अन अबीह अन जद्देहि द्वारा वर्णन है कि एक स्त्री अपनी बच्ची के साथ रसूलुल्लाह ﷺ की सेवा में उपस्थित हुई, बच्ची के हाथ में सोने के कंगन थे, आप ﷺ ने पूछा :

«أعطين زكاة هذا؟ قالت لا، قال: أيسرك أن يسورك»

الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما

إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ورسوله»

क्या तुम इसकी जकात देती हो? उसने कहा नहीं, आप ﷺ ने कहा कि क्या तुम्हारी यह इच्छा होगी कि क़यामत के दिन इसके बदले में अल्लाह तुम्हें आग के दो कंगन पहनाये? यह सुन कर उस औरत ने वह दोनों कंगन उतार दिये तथा नबी ﷺ की सेवा में रख दिया, और कहा कि यह अल्लाह और उस के रसूल ﷺ के लिए है ।

दूसरी हदीस अबू दाऊद, दारे कुतनी, हाकिम और बैहिकी की है । हजरत आयेशा सिद्दीका رضي الله عنه कहती हैं कि

रसूलुल्लाह ﷺ मेरे पास आये तो देखा कि मेरे हाथ में चाँदी के छल्ले हैं, आप ﷺ ने पूछा कि आयेसा यह क्या है? हजरत आयेसा ने कहा कि हे रसूलुल्लाह ﷺ मैंने यह इसलिए पहना है ताकि आप को सुसज्जित दिखाई दूँ, इस पर आप ﷺ ने कहा :

«أتؤدين زكوتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله قال: هو

حسبك من النار»

क्या तुम इसकी जकात देती हो? हजरत आयेसा ने कहा नहीं, आप ﷺ ने कहा कि तब तो यह तुम्हें (जहन्नम की) आग के लिए पर्याप्त हैं ।

तीसरी हदीस अबू दाऊद की है, हजरत उम्मे सलमा رضي الله عنها कहती हैं कि मैं सोने का आभूषण पहन लिया करती थी, इस सम्बन्ध में मैंने रसूलुल्लाह से पूछा कि क्या यह कंज (खजाना) है? तो आप ﷺ ने फरमाया :

«ما بلغ أن تؤدى زكوته فزكي فليس بكنز»

जो जकात की सीमा में हो और उस पर जकात दे दी जाये वह कंज (खजाना) नहीं है ।

आशा है कि उपरोक्त तीन हदीसों समस्या के स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त होंगी ।

## जकात का भुगतान वस्तु के रूप में करना :

क्या जकात भुगतान के लिए उतने ही मूल्य की कोई वस्तु दी जा सकती है? इस सम्बन्ध में बुखारी का एक बाब है «باب العرض في الزكاة» इसमें हजरत मुआज رضي الله عنه के यमन जाने की घटना का वर्णन है, हजरत मुआज ने यमन वासियों से कहा था कि मुझे तुम जौ और ज्वार के बदले अन्य वस्तुयें अर्थात् खमीसह (धारीदार चादरें) या अन्य वस्त्र सदका (जकात) के भुगतान के लिए दे सकते हो जिस में तुम्हारे लिए भी आसानी होगी और मदीना में नबी ﷺ के असहाब के लिए उचित होगा, और नबी ﷺ ने (ईद के दिन औरतों से) कहा था «تصدقن ولو من حليكن» सदका (दान) करो चाहे तुम्हें अपने आभूषण ही क्यों न देने पड़ जायें। तो आप ﷺ ने यह नहीं वर्णन किया कि सामान का सदका उचित नहीं है। (बुखारी)

परन्तु वर्तमान युग में जब कि प्रत्येक वस्तु बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, नकद भुगतान अधिक उचित है, क्योंकि आवश्यकतायें भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं तथा सदका लेने वाला अपनी आवश्यक वस्तु बाजार में आसानी से खरीद सकता है।

मैंने यह वर्णन इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग

«تصدقن ولو من حليكن» से आभूषण में जकात के विरोध में तर्क स्थापित करते हैं, यद्यपि समस्या स्पष्ट है। यदि किसी के पास आभूषण की जकात के लिए अलग से धनराशि न हो और उस पर जकात अनिवार्य हो तो वह जकात के लिए आभूषण दे सकता है।

### व्यापारिक वस्तुओं में जकात :

इस की सीमा चाँदी की सीमा होनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में सिक्के चाँदी या सोने के होते थे तथा इसी की सीमा से जकात, दिरहम या दीनार में भुगतान किया जाता था। इस युग में व्यापार का लेन-देन नोट-सिक्कों से होता है। नोट-सिक्का का अस्तित्व मात्र यह है कि कागज पर एक शपथ है जो साधारण तौर से प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि सिक्का का मुआदला (परिवर्तन) सोना से होता है और चाँदी के सिक्का का मूल्य निश्चित करने में कोई सबूत नहीं है, यदि महत्व है तो सोना का है। अतः व्यापारिक वस्तु की जकात सीमा वही होनी चाहिए जो सोना की है, परन्तु यह तर्क विचारधीन है। क्योंकि :

१- जकात एक उपासना (इबादत) है, जिस प्रकार अन्य उपासना जैसे नमाज़, रोज़ा और हज्ज के विस्तृत



(तफसीली) आदेश हदीस में वर्णित हैं उसी प्रकार जकात के आदेश भी विस्तार से वर्णित हैं ।

२- इस्लाम का आधार पाँच स्तम्भों पर बताया गया है । जिसका तीसरा स्तम्भ जकात है, इसलिए इस महत्वपूर्ण उपासना (जकात) के सम्बन्ध में यह नहीं कल्पना की जा सकती है कि इस के आदेश समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं ।

कुरआन एवं हदीस के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह ने इबादत (उपासना) को अपने लिए विशेष कर रखा है तथा उनको सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं स्वरूपों से अपनी पवित्र किताब कुरआन एवं रसूल ﷺ की हदीस के माध्यम से मनुष्य को अवगत करा दिया । अब उस में किसी भी प्रकार से तनिक भी परिवर्तन सम्भव नहीं है और न ही (इस सम्बन्ध में) किसी के अपने विचार का कोई महत्व है ।

अतः पवित्र कुरआन में उपासना (इबादत) को शब्द 'निर्देश' का प्रयाय बना कर यह बता दिया गया है कि केवल वही उपासना अल्लाह को स्वीकार होगी एवं पुण्य कार्य माना जायेगा जो मूल श्रोतों से प्रमाणित है तथा जिस के करने का निर्देश कुरआन एवं हदीस से मिलता

है, जैसा कि सूरह यूसुफ की आयत ४० में वर्णित है ।

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

आदेश केवल अल्लाह का मान्य है, उसी ने आदेश दिया है कि उस (अल्लाह) के अतिरिक्त किसी की भी उपासना न करो ।

और सूरह आराफ की आयत २९ में वर्णन है :

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

आप (ﷺ) कह दीजिए कि मेरे पालनहार ने आदेश दिया है न्याय करने का और यह कि तुम प्रत्येक सज्दा (सिर टेकना) के समय अपने चेहरे को सीधी दिशा में रखो तथा अल्लाह की उपासना इस प्रकार करो कि यह उपासना मात्र उसी (अल्लाह) के लिए विशषे रहे ।

और सूरह मायेदा की आयत ११६ में वर्णन है कि हजरत ईसा عليه السلام से कयामत के दिन अल्लाह यह प्रश्न पूछेगा कि संसार में जो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की उपासना होती थी, तो क्या तुम ने वैसा करने का निर्देश दिया था?

हजरत ईसा عليه السلام उत्तर देंगे :

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي  
وَرَبَّكُمْ﴾

मैंने तो उन से और कुछ नहीं कहा था परन्तु उतना ही जो तूने मुझे कहने का आदेश दिया था कि उपासना करो केवल अल्लाह की, जो मेरा भी पालनहार है और तुम लोगों का भी। (अल-मायेदा : ११७)

उपरोक्त आयतों से पूर्णतः स्पष्ट है कि उपासना के लिए प्रमाणिक आदेश होना चाहिए, प्रमाणिक आदेश के बगैर उपासना का कोई भी स्वरूप अल्लाह को मान्य नहीं है।

और सूरह तौबः की आयत ३०-३१ में यहूदियों एवं ईसाईयों की गुमराही (पथभ्रष्टता) का यही मुख्य कारण बताया गया है कि वह उपासना के कार्य में अपने धर्मगुरुओं एवं संतों के इच्छानुसार कार्य करने लगे थे और यदि कोई उन्हें उन के पालनहार का आदेश सुनाता भी तो वह लोग उसकी बात, यह मानते हुए नकार देते कि उनके धर्म गुरु एवं संत सर्वोपरि हैं अर्थात् यही लोग उन के पालनहार हैं।

अल्लाह का कथन है :

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾

कि उन लोगों ने अल्लाह को उपेक्षित कर के अपने धर्मगुरुओं, संतों एवं मरियम के पुत्र मसीह को अपना पालनहार बना लिया, हालाँकि उन्हें मात्र एक अल्लाह की इबादत का आदेश दिया गया था। (सुरतुत तौबा : ३१)

और अल्लाह के नबी ﷺ ने फ़रमाया :

«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، «مَنْ أَحْدَثَ  
فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (بخاري، مسلم)

जो व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे जिसे करने के लिए हमारा आदेश नहीं या हमारे किसी निर्देश के सम्बन्ध में कोई ऐसा तथ्य आविष्कार करे जो उस निर्देश में न हो तो उसका यह कार्य अस्वीकृत एवं निरर्थक है।

पवित्र कुरआन एवं हदीस के उपरोक्त वर्णन से यह तथ्य सब की समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी उपासना

या कार्य जो कि पुण्य (नेकी) समझ कर किया जाये चाहे अपने स्वयं के लिए हो या दूसरों के इसाले सवाब के लिए हो, यदि उस का यह कार्य एवं उसका यह ढंग पवित्र कुरआन एवं हदीस से प्रमाणित नहीं तथा उसके करने का आदेश नहीं तो यह निरर्थक एवं घृणित होगा। उस पर पुण्य की आशा रखना उस 'मृगतृष्णा' (सराब) जैसा है कि जब प्यासा वहाँ जल की आस में पहुँचता है तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होता।

उपासना के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्य 'पूरक' के रूप में वर्णन कर दिया गया है जिस से कि उपासना का भावार्थ स्पष्ट हो जाये तथा जो नई-नई बातें पुण्य समझ कर वर्तमान युग में आविष्कार की जाती हैं उसकी वास्तविकता समझ में आ जाये।

अब जकात की समस्या जो एक उपासना है तो उस में हमें यह देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ﷺ द्वारा सोने चाँदी के सम्बन्ध में वर्णन क्या है तथा वर्तमान काल में करेंसी की जकात निकालते समय हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए।

बुखारी, मुस्लिम तथा हदीस की अन्य प्रमाणिक पुस्तकों के अनुसार अल्लाह के रसूल ﷺ द्वारा जहाँ भी जकात की

सीमा का वर्णन है वहाँ सोने एवं चाँदी के सम्बन्ध में अवाक का वर्णन है। अवाक शब्द ओकिया का बहुवचन है, ऊपर बताया जा चुका है कि एक ओकिया चालीस दिरहम का होता है। दिरहम चाँदी का सिक्का है, मुस्लिम शरीफ में हजरत जाबिर رضي الله عنه द्वारा यह शब्द वर्णित है :

«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة»

चाँदी पाँच ओकिया से कम होने पर जकात की सीमा में नहीं आती।

अब सोने (दीनार) की सीमा का प्रश्न है तो उसकी सीमा के सम्बन्ध में ऐसी ही ठोस हदीसों उपलब्ध नहीं हैं जैसी कि चाँदी के सम्बन्ध में।

नबी ﷺ के युग में जो दीनार एवं दिरहम प्रचलित थे उन के भारों का अनुपात ७:१० का था अर्थात् ७ दीनार का भार १० दिरहम का भार। तथा मूल्यों का अनुपात १ दीनार का मूल्य १० दिरहम का मूल्य। चूँकि मूल्य के आधार पर दिरहम छोटा सिक्का था इसलिए उसका भार समयानुसार बदलता रहा तथा भिन्न-भिन्न भार के दिरहम ढलते रहे, इस के विपरीत सोने के सिक्का में परिवर्तन कम हुआ। इसलिए शोध कर्ताओं ने चाँदी के

सीमा निर्धारण में सोने के भार से सहायता ली है, तदानुसार गणना करके  $8.25 \times 9/10 = 2.975$  ग्राम एक दिरहम का भार निश्चित किया है। अब रही मूल्य निश्चित करने की समस्या, तो हमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह जो इमाम दारूल हिजरह के नाम से प्रसिद्ध हैं, की पुस्तक 'मोअत्ता' में उनका कथन मिलता है जिस से हमारे तर्क की पुष्टि होती है।

इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं : एक व्यक्ति के पास कुल एक सौ साठ दिरहम हैं, उस के शहर में आठ दिरहम का एक दीनार मिलता है तो उस पर जकात अनिवार्य न होगी। क्योंकि जकात तब अनिवार्य होगी जब उस के पास बीस दीनार या दो सौ दिरहम पूर्ण हों, (यद्यपि उपरोक्त भाव से बीस दीनार के बराबर दिरहम हैं) इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि मेरी समझ में सर्वमान्य आदर्श (सुन्नत) यह है कि जकात जैसे दो सौ दिरहम पर देय है उसी प्रकार बीस दीनार पर भी, इस से स्पष्ट होता है कि सोने और चाँदी के सीमा निर्धारण में जो दीनार और दिरहम की संख्या निश्चित है अल्लाह के रसूल ﷺ के समय में उनका मूल्य बराबर था।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने अपनी पुस्तक

में इस समस्या के समाधान के लिए अर्थात् क्या सोने को चाँदी के साथ मिला कर सीमा निर्धारण किया जा सकता है? कुछ विद्वानों का विचार प्रस्तुत किया है। उन में से एक विचार यह है कि सोने को चाँदी के साथ मिला सकते हैं क्योंकि चाँदी मूल है और सोना उसका अनुगामी।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नकदी या व्यापारिक वस्तुओं की जकात निकालते समय चाँदी की सीमा को आदर्श मानना चाहिए और अपनी पूँजी की गणना कर के उस के मूल्य का आंकलन करना चाहिए, यदि उसका मूल्य चाँदी की जकात सीमा में आ जाता है तब उस पर जकात अनिवार्य है। यहाँ भी जकात प्रतिबद्धता वही होगी जो चाँदी के लिए वर्णित है, अर्थात् एक वर्ष पूर्ण होने पर कुल पूँजी का ढाई प्रतिशत जकात देय (वाजिब) होगा। ध्यान रहे, व्यापार में अपने निजी धन पर ही जकात देय है। आज कल व्यापार उधार लेन-देन पर भी चलता है, ऐसी दशा में दूसरे की पूँजी भी, अपन पूँजी के साथ सम्मिलित होती है, जकात की गणना करते समय उसे पृथक रखना होगा।

मिसाल के तौर पर आप ने कुछ रूपये से व्यापार आरम्भ किया उस से कुछ मिला खरीदा और साथ ही



साथ कुछ उधार माल भी ले आये, पुनः कुछ माल ग्राहक को बेच दिया ग्राहक से आप को आंशिक भुगतान मिला उस से आप ने माल खरीदा और बेच दिया । इसी प्रकार क्रय-विक्रय चलता रहा । एक वर्ष पूर्ण होने पर जब जकात निकालने का समय आया तो समस्या उत्पन्न हुई कि कितना जकात देय है?

इस के समाधान के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है । उदाहरण :

१. आप के पास कुछ संग्रह (स्टाक) है Rs. 30,000/-  
जिसका मूल्य :
२. कुछ माल नष्ट हो गया है, विक्रय की आशा नहीं है : Rs. 10,000/-
३. कुछ माल छतिग्रस्त हो गया (घटे मूल्य में बिकेगा) Rs. 4000/-
४. ग्राहक को माल बेचा है (भुगतान नहीं मिला है) Rs. 1,70,000/-
५. कुछ ग्राहक धोखा देना चाहते हैं (भुगतान डूबने की आशा है) Rs. 10,000/-
६. अन्य से उधार माल लिया है (भुगतान देना है) Rs. 1,000,000/-
७. अपने पास नकद है । Rs. 2000/-
८. कुछ बैंक बैलेंस है । Rs. 10,000/-

९. कुछ भुगतान बैंक चेक के रूप में है Rs. 25,000/-  
(पेमेन्ट डेट अभी दूर है)
१०. कुछ धनराशि उधार दी गई है। Rs. 5000/-
११. कुछ अन्य की पूंजी भी अपनी पूंजी के साथ सम्मिलित है। Rs. 40,000/-
१२. अपनी पूंजी अन्य के व्यापार में सम्मिलित है। Rs. 30,000/-

उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों को दो भागों में बाँटा जायेगा, एक भाग लेना अर्थात् वह जो हमारा है या हमें मिलना है, दूसरा भाग देना अर्थात् वह जो दूसरे का है या हमें चुकाना है। दोनों के अन्तर अर्थात् बचत पर जकात का निर्धारण होगा।

पुनः उपरोक्त विवरण सीरियल नम्बर के अनुसार लिख रहा हूँ जिस से कि समझने में आसानी हो :

**लेना :**

१. कुल स्टॉक (शुद्ध व अशुद्ध मिलाकर) Rs. 30,000/=
४. ग्राहक से भुगतान प्राप्त होना है Rs. 1,70,000/=
७. नकद विद्यमान (मौजूद) Rs. 2000/=
८. बैंक बैलेन्स Rs. 10,000/=
९. चेक द्वारा प्राप्त राशि जिसकी भुगतान Rs. 25,000/=

तारीख भविष्य में है (Post dated cheque)

१०. उधार दी गई धनराशि	Rs. 5000/=
१२. वह धनराशि जो अन्यत्र लगी है	Rs. 30,000/=
<b>योग :</b>	<b>Rs. 272000/=</b>

**देना :**

२. रद्दी स्टॉक जो विक्रय योग्य नहीं है	Rs. 10,000/=
३. खराब माल में घाटा, जो चार हजार का माल एक हजार में बिकेगा, इसलिए 3000 का घाटा होगा।	Rs. 3000/=
५. ग्राहक के यहाँ फंस गई धनराशि	Rs. 10,000/=
६. दूसरों को भुगतान करना है	Rs. 1,00,000/=
११. दूसरे का धन जो अपने व्यवसाय में लगा है।	Rs. 40,000/=

**योग : Rs. 163,000/=**

लेना और देना का अन्तर Rs. 2,72,000/= - Rs. 1,63,000/=  
Rs. 1,09,000/=

जिस पर 2.5% (ढाई फीसद) =Rs. 2725/= जकात देय होगा।

**नोट:** जो धनराशि ग्राहक के यहाँ फंस गई थी और दो तीन वर्ष के बाद प्राप्त हो तो सम्बन्धित वर्ष की जकात

निकालते समय इस धनराशि को भी अपने मूलधन में सम्मिलित करके उसी वर्ष की जकात देंगे। दरमियान के वर्ष (वक़फ़ के साल) की जकात देय नहीं है। क्योंकि वह राशि हमारे अधिकार में न थी।

### संयुक्त व्यवसाय में जकात :

एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कुछ लोग एक साथ मिल कर व्यापार कर रहे हों तो वह जकात किस प्रकार भुगतान करें? इस समस्या के समाधान के लिए हमें उस निर्देश पत्र का अध्ययन करना चाहिए जिसे हजरत अबू बक्र رضي الله عنه ने अपने (जकात एवं अन्य दान एकत्र करने वाले) कार्यकर्ताओं को नबी ﷺ के आदेशानुसार लिखा था :

«لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع»

किसी दो (पृथक-पृथक व्यक्ति) को एक साथ जकात के लिए नहीं सम्मिलित किया जायेगा और यदि सम्मिलित व्यापार हो तो जकात की गणना पृथक-पृथक नहीं की जायेगी।

यह भी लिखा था कि :

«وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»

यदि दो व्यक्ति साझीदार हों तो जकात की राशि हिस्सानुसार आपस में चुका लें। (बुखारी)

### कृषि उपज पर जकात सीमा :

इसकी सीमा पाँच वसक है तथा फसल प्राप्ति पर ही अनिवार्य है। अर्थात् यदि कृषि उपज पाँच वसक या उससे अधिक है तब उस में जकात निकालना आवश्यक है, तथा एक बात यह भी है कि फसल प्राप्त होते ही जकात निकालना आवश्यक है। इस में जकात का अनुपात निम्नवत है :

- १- दस प्रतिशत या दसवाँ भाग (जिसको अरबी भाषा में उश्र कहते हैं) उस फसल में जो आकाशीय जल वृष्टि द्वारा सिंचित हो।
- २- पाँच प्रतिशत या बीसवाँ भाग (जिसको अरबी भाषा में निस्फ उश्र कहते हैं) उस फसल में जो मनुष्य के अपने परिश्रम द्वारा सिंचित हो।

वसक एक पैमाना है, एक वसक साठ साअ के बराबर होता है। अतः एक वसक = ३०० साअ

साअ की विस्तृत विवेचना आगे 'सदक्रये फितर' में की जायेगी । सामान्यतः एक साअ बराबर ढाई किलोग्राम बताया जाता है । इस गणनानुसार पाँच वसक = ३०० साअ = ७५० किलोग्राम होता है ।

### कृषि उपज में जिन वस्तुओं पर जकात वाजिब है:

कृषि उपज में वह सब अनाज सम्मिलित हैं जिनका संग्रह किया जा सकता है । अल्लाह के नबी ﷺ के समय में "الحنطة، والشعير، والتمر" अर्थात् गेहूँ, जौ, खजूर और किसमिश में जकात ली जाती थी । इन के अतिरिक्त "خضراوات" हरी सब्जियों में जकात नहीं ली जाती थी ।

इस समस्या में धार्मिक विद्वान एक मत नहीं हैं कि किन वस्तुओं में जकात देय है और किन में नहीं । जो लोग कुछ विशेष वस्तुओं ही में जकात देय के पक्षधर हैं उनका तर्क वह हदीसों हैं जिन में उन विशेष वस्तुओं का विवरण है तथा वह वस्तुयें जो हदीस में स्पष्ट वर्णित नहीं हैं उन में जकात देय के सहमत नहीं हैं । बहुमत «خضراوات» हरी सब्जियों में जकात का पक्षधर नहीं है । परन्तु वह वस्तुयें जिन में स्थायित्व है और जिनका संग्रह हो सकता है अर्थात् प्राकृतिक रूप से जिसे कुछ लम्बे समय तक

सुरक्षित रखा जा सके। (आधुनिक वैज्ञानिक ढंग आशय नहीं) तब हदीस की व्यापकता यह तर्क प्रस्तुत करती है कि उन पर जकात होना चाहिए।

अल्लाह के नबी ﷺ द्वारा जकात के सम्बन्ध में जो वर्णन पूर्व पृष्ठों पर उल्लिखित हैं उन से यही ज्ञात होता है कि उन से मुराद सामान्य वस्तु है न कि वस्तु विशेष। आप ﷺ ने बताया कि «ليس فيما دون خمس أوسق صدقة» अथवा «فيما سقت السماء العشر» अर्थात् पाँच वसक से कम उपज में जकात नहीं है या जो आकाशीय वृष्टि से सिंचित हो उस में दसवाँ भाग जकात है। उस आदेश में सभी कृषि उपज सम्मिलित हैं। कुछ उपज ऐसी भी हैं जिसका छिलका उतार कर उपभोग करते हैं, जैसे धान इस में जकात की गणना, धान साफ करने के उपरान्त चावल में की जायेगी। हाँ यदि कोई किसान फसल प्राप्त होते ही जकात देना चाहे और जकात एकत्रक स्वीकार कर ले तो कोई आपत्ति नहीं।

### चरने वाले पालतू पशुओं पर जकात सीमा :

चरने वाले पशुओं के लिए अलग-अलग जकात सीमा है। परन्तु वर्ष पूर्ण होने की शर्त सब के लिए समान है। विवरण निम्नवत है :

**ऊंट :**

ऊंट के लिए जकात सीमा पांच ऊंट है, पांच ऊंट से कम पर जकात नहीं है ।

(अ) पांच से नौ ऊंट तक एक बकरी ।

(ब) दस ऊंट से चौदह ऊंट तक दो बकरी ।

(स) पन्द्रह ऊंट से उन्नीस ऊंट तीन बकरी ।

(द) बीस ऊंट से चौबीस ऊंट चार बकरी ।

पच्चीस से पैतीस ऊंट - ऊंट का एक वर्षीय एक मादा बच्चा जिसको अरबी में बिनते मखाज (بنت مخاض) कहते हैं ।

अथवा द्विवर्षीय एक नर बच्चा जिसको अरबी में (ابن) (ابن) इब्न लबून कहते हैं ।

छत्तीस से पैतालीस ऊंट : (بنت لبون) दो वर्षीय मादा एक बच्चा ।

छियालीस से साठ ऊंट : (حقه) त्रीयवर्षीय एक ऊंट जिसको अरबी भाषा में (हिक्का) कहते हैं ।



इक्सठ से पचहत्तर ऊँट : (جذعه) चार वर्षीय एक ऊँट

छिहत्तर से नब्बे ऊँट : (دوبنت لبون) द्विवर्षीय दो मादा बच्चा ऊँट

इककानवे से एक सौ बीस ऊँट : (دو حقه) त्रियवर्षीय दो ऊँट ।

१२० से अधिक ऊँट होने पर प्रत्येक चालीस पर ऊँट का एक द्विवर्षीय मादा बच्चा (بنت لبون) तथा प्रत्येक ५० ऊँट पर एक (حقه) देना होगा ।

यदि जकात सीमा में आने पर जकात में देने के लिए आपेक्षित पशु सुलभ न हो तो निम्नलिखित प्रकार से जकात का भुगतान होगा ।

अगर पशुधन स्वामी पर (جذعه) चार वर्षीय ऊँट जकात देय हुआ और उस के पास त्रियवर्षीय ऊँट (حقه) है तो वह (حقه) ले लिया जायेगा तथा उस के अतिरिक्त दो बकरियाँ भी ली जायेंगी अथवा बीस दिरहम अथवा (उसका मूल्य)

अर्थात् यदि जकात में देय आपेक्षित पशु नहीं है अपितु उस से कम मूल्य का पशु विद्यमान है तो मूल्य के द्वारा उस की पूर्ति की जायेगी ।

इसी प्रकार यदि आपेक्षित पशु नहीं है परन्तु उस से अधिक मूल्यवान पशु विद्यमान है तो जकात एकत्रक वह अतिरिक्त मूल्य, स्वामी को वापस करेगा ।

अपेक्षित पशु और विद्यमान पशु के अन्तर का समाधान (नबी ﷺ द्वारा निर्धारित) मूल्य द्वारा (आदान-प्रदान) किया जायेगा ।

यदि स्वामी के पास मात्र चार ऊँट है तो उस पर जकात देय नहीं है । यदि स्वामी स्वेच्छा से दे रहा है तो स्वीकार किया जायेगा ।

**गाय :**

तीस अथवा उस से अधिक गाय होने पर जकात अनिवार्य होगा । इस से कम पर जकात देय नहीं है । विवरण निम्नवत है :

३०-३९ गायों पर एक वर्षीय एक भेंड़ देना होगा (नर या मादा की कोई शर्त नहीं) जिस को अरबी में तबी अथवा तबी: (تبيع یا تبیعة) कहते हैं ।

४०-५९ गायों पर एक द्विवर्षीय भेड़ देना होगा। जिसको अरबी भाषा में मुसिन्ना (مسنة) कहते हैं।

६०-६९ गायों पर दो वर्षीय दो मादा बच्चा।

७०-७९ गायों पर एक मुसिन्ना और एक तबी:।

८०-८९ गायों पर दो मुसिन्ना।

९०-९९ गायों पर तीन तबी:।

१००-१०९ गायों पर एक मुसिन्ना और दो तबी:।

११०-११९ गायों पर दो मुसिन्ना और एक तबी:।

१२० गायों पर तीन मुसिन्ना या चार तबी:

१२० गायों से अधिक होने पर प्रति तीस गाय पर एक तबी: तथा प्रति चालीस गाय पर एक मुसिन्ना देय होगा।

**भेड़ बकरियाँ :**

बकरियों के लिए जकात की सीमा चालीस बकरी हैं। इस से कम पर जकात अनिवार्य नहीं है। विवरण निम्नवत है :

४०-१२० बकरियों पर एक बकरी है।

१२१-२०० बकरियों पर दो बकरी है।

२०१-३०० बकरियों पर तीन बकरी है ।

इसी प्रकार प्रत्येक सौ (१००) बकरियों पर एक बकरी जकात देय है ।

और यदि चालीस बकरी से कम हो तो उस पर जकात देय नहीं होगा परन्तु यदि धन स्वामी खुशी से देना चाहे तो स्वीकार किया जायेगा ।

## सदक़ये फ़ित्र या जकातये फ़ित्र

यह विशेष दान है जो रमज़ान महीने के रोज़ा ख़त्म होने पर ईदुल फ़ित्र की नमाज़ से पहले दिया जाता है। सदक़ये फ़ित्र हिज़रत (नबी ﷺ के मक्का से मदीना जाने) के दूसरे वर्ष अनिवार्य हुआ जिस वर्ष से रमज़ान मास का रोज़ा अनिवार्य हुआ है, इसका उद्देश्य यह है कि रोज़ादार को इस के द्वारा, रोज़ा सम्बन्धी भूल-चूक से शुद्धि प्राप्त हो और यह कि निर्धन एवं असहायों को भी ईद की खुशी प्राप्त हो। यदि इसका उचित इस्तेमाल हो तो ईदुल फ़ित्र के दिन भीख माँगने वाले भी संतुष्ट हो कर ईद की खुशी मना सकते हैं।

### सदक़ये फ़ित्र के लिए धन की सीमा नहीं :

इस विशेष दान तथा जकात में मूल अन्तर यह है कि यह सर्व साधारण अफ़राद पर लागू होता है जब कि जकात, निश्चित धन सीमा पर लागू होता है। इसीलिए सदक़ये फ़ित्र के लिए धन की सीमा निर्धारित नहीं है।

बुखारी एवं मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर द्वारा वर्णन है कि :

«أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»

रसूलुल्लाह ﷺ ने रमजान का सदकये फित्र एक साअ खजूर या एक साअ जौ प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य किया है। चाहे वह स्वाधीन (आजाद) या पराधीन (गुलाम) स्त्री हो या पुरूष, (इस में छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सब सम्मिलित हैं जैसा कि अन्य हदीसों से सिद्ध होता है। अतः परिवार के संपूर्ण सदस्यों जहाँ तक कि छोटे बच्चों एवं आश्रितों सब की ओर से एक साअ प्रति सदस्य सदकये फित्र निकालना चाहिए)

हजरत अबू सईद खुदरी رضي الله عنه द्वारा वर्णित है कि :

«كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب»

हम सदकये फित्र एक साअ अनाज या एक साअ खजूर या एक साअ किशमिश या एक साअ पनीर

निकाला करते थे (बुखारी व मुस्लिम)

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنه की हदीस में इसकी रहस्यता (हिक्मत) का बयान है। उनका कथन है कि :

«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين»

रसूलुल्लाह ﷺ ने सदकये फित्र को अनिवार्य किया है कि यह विशेष दान, रोजादार के लिए तत्सम्बन्धी भूल-चूक से शुद्धि तथा मिस्कीनों (लाचारों) के लिए खाद्यान्न है। (अबू दाऊद)

उपरोक्त सभी खाद्यान्नों में से नबी ﷺ के समय में एक साअ प्रति व्यक्ति की ओर से (एक विशेष दान) निकाला जाता था। हजरत मुआविया رضي الله عنه ने अपने शासनकाल में गेहूँ, आधा साअ सदकये फित्र निश्चित किया था जैसा कि 'बुखारी' में हजरत अबू सईद खुदरी رضي الله عنه द्वारा वर्णन है, जिनका प्रबन्धकाल (४१-६० हि०) है। क्योंकि गेहूँ, खजूर की अपेक्षा मँहगा था, परन्तु विचार कीजिए नबी ﷺ के समय में, कई खाद्यान्नों को सदकये फित्र में दिया जाता था जिन के मूल्य समान नहीं होते थे परन्तु परिमाण निर्धारण में सबको समान रखा गया था, अर्थात्

सब के लिए एक साअ निश्चित था। अतः खाद्यान्नों के सस्ता या महंगा होने का कोई प्रभाव नहीं है। हमें नबी ﷺ के व्यवहार को आदर्श मानते हुए एक साअ सदकये फित्र देना चाहिए।

### सदकये फित्र मुद्रा के रूप में :

क्या इस विशेष दान का मूल्य निकाल कर मुद्रा के रूप में दान किया जा सकता है? तीन महान धर्म विद्वान इस उचित नहीं मानते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतु० से सदकये फित्र में दिरहम (तत्कालीन सिक्का) देने के सम्बन्ध में पूछा गया, आप ने उत्तर दिया कि यह हमारे आदर्श (नबी ﷺ के ढंग) के विपरीत है तथा यह सम्भव है कि इस से सदका का उद्देश्य पूर्ण न हो। उन से कहा गया कि कुछ लोगों का कथन है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतु० मूल्य स्वीकार करते थे। इमाम अहमद रहिमहु० ने उत्तर दिया कि लोग रसूलुल्लाह ﷺ के कथन को उपेक्षित करते हैं और कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का यह कथन है जब कि इब्ने उमर की हदीस है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अमुक-अमुक वस्तुयें (खाद्यान्न) सदकये फित्र के लिए निश्चित किया है। और अल्लाह का आदेश है कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करो तथा रसूल ﷺ की आज्ञा का पालन करो।



हाँ आपात स्थिति में उसका विकल्प (मुद्रा रूप में) दिया जा सकता है।

### सदकये फ़ित्र देने का समय :

यह सदका ईदगाह जाने से पहले चुका देना चाहिए।  
अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه द्वारा वर्णन है :

«إن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل  
خروج الناس إلى الصلاة»

अल्लाह के रसूल ﷺ ने आदेश दिया है कि जकातये  
फ़ित्र ईद की नमाज़ के लिए जाने से पूर्व ही दे  
दिया जाये। (बुखारी और मुस्लिम)

और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنه के वर्णन में  
यह शब्द है कि :

«فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها  
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»

जो व्यक्ति ईद की नमाज़ से पहले इस विशेष दान को  
चुका दे तो उसको इसका उद्देश्य प्राप्त होगा वह स्वीकृत  
है तथा जो व्यक्ति नमाज़ के बाद भुगतान करेगा उसे

उस विशेष दान का उद्देश्य नहीं बल्कि सामान्य दान का फल प्राप्त होगा।

**सदक्रये फित्र की मात्रा एक साअ (खाद्यान्न) है :**

साअ : अनाज नापने का एक पैमाना होता था जो प्राचीन काल में प्रचलित था। हजरत यूसुफ عليه السلام की घटना में भी इसका वर्णन है। मदीना में जो साअ प्रचलित था रसूलुल्लाह ﷺ ने उसी को प्रमाणिक माना है। एक साअ बराबर चार मुद होता था। इस बात पर सभी विद्वान एक मत हैं। परन्तु एक मुद का पैमाना क्या था, इस में मतभेद है। अतः इसका कुछ विस्तार से वर्णन किया जाता है जिस से कि तथ्य स्पष्ट हो जाये।

अहनाफ़ (एक विशेष मतानुयायी मुसलमान) एक मुद को दो रतल के बराबर मानते हैं। इस प्रकार उन के मतानुसार एक साअ आठ रतल के बराबर होता है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल के अनुयायी एक मुद बराबर १.१/३ रतल अर्थात् एक मुद= एक रतल और एक तिहाई रतल को मानते थे। और उन के अनुसार एक साअ पाँच रतल और एक तिहाई रतल बगदादी का माना गया है।

रतल एक यंत्र का नाम है जिसका शाब्दिक अर्थ 'हाथ से

उठा कर भार मालूम करना' है। यह रोम की सभ्यता का अविष्कार है। उसकी एक विशेष पद्धति है, पूर्व इस्लाम इसका उपयोग तरल पदार्थों को नापने के लिए किया जाता था तथा भार ज्ञात करने में भी इस्तेमाल था। इस्लामी शासन में भिन्न-भिन्न प्रकार के रतल प्रयुक्त होते थे, इस्लामी फिक्रह की पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है, जैसा कि रतल बगदादी, रतल दमिश्की, रतल मिस्री, रतल हलबी इत्यादि। परन्तु धार्मिक कार्यों में रतल बगदादी का महत्व था। यह बारह के अंक से विभाजित होता था, अर्थात् १२ ओकिया = एक रतल।

रतल के भार के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। ग्राम में जो रतल का भार निश्चित किया गया है वह लगभग ४०८ ग्राम है। क्योंकि ओकिया (धारिता मापने वाला) का भार लगभग ३४ ग्राम होता है।

अनुमानतः मध्यम श्रेणी की हथेली से (दोनों हाथ मिला कर) भर कर उठाया जाये तो एक रतल के बराबर होगा। इस प्रकार लगभग साढ़े पाँच (५.५) हथेली का एक साअ होगा।

एक रतल बगदादी का भार = ४०८ ग्राम माना गया है।

अतः तीन महान विद्वानों के मतानुसार एक साअ का भार

५.५ x ४०८ ग्राम = २१७६ ग्राम, यही सर्वमान्य पैमाना है।

इस्लामी नीतिशास्त्र (फिक्रह) की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक प्रसिद्ध कथा का वर्णन मिलता है कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद (१७०-१९३ हि०) और इमाम अबू हनीफा रहमु० के शिष्य (शार्गिद) इमाम यूसुफ रहम० साथ-साथ 'हज्ज यात्रा' पर गये थे। जब मदीना पहुँचे तो इमाम मालिक रहम० से भी मुलाकात हुई। उस अवसर पर इमाम यूसुफ ने इमाम मालिक रहमहोमु० से साअ के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। इमाम मालिक रह० ने कहा कि एक साअ बराबर पाँच रतल और एक तिहाई रतल (५.१/३ रतल) का होता है। इमाम यूसुफ ने, इस तथ्य को नकार दिया, क्योंकि उन कई गुरु इमाम अबू हनीफा एक साअ बराबर आठ रतल का मानते थे। जब इस समस्या पर तर्क वितर्क आरम्भ हुआ तो इमाम मालिक रहमु० ने कहा कि इसका निर्णय कल होगा। जब दूसरा दिन आया तो लगभग पचास विद्वान जो मुहाजिर और अन्सार की संतान थे अपने साथ अपना-अपना साअ छिपा कर लाये, प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा कि यह साअ मुझे विरासत में मिला है और लोग नबी ﷺ के समय में इसी से नाप कर सदकये फित्र दिया करते थे।

इमाम यूसुफ ने उन सबको नाप डाला सब के सब लगभग (५.१/३) रतल के बराबर थे। इमाम यूसुफ रह० कहते हैं कि इस से मुझे एक ठोस दलील प्राप्त हुई और मैंने अपने गुरु इमाम अबू हनीफ़ा के कथन (क़ौल) में संशोधन (इस्लाह) कर लिया।

अतः इमाम यूसुफ रहमहु० ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया तथा मदीना वालों से सहमत हो गये।

साअ के सम्बन्ध में यह अवश्य जान लेना चाहिए कि यह तोलने का नहीं अपितु नापने का पैमान है। चूँकि विभिन्न खाद्यान्नों की नाप और तोल का अनुपात समान नहीं हो सकता, इसलिए आजकल उस के भार को २.५ किलोग्राम प्रमाण (मेयार) माना गया है। उसी को व्यवहार में लाना चाहिए।

यह जकात एवं सदका का संक्षिप्त वर्णन है जिसे इस छोटी सी पुस्तक में एकत्र करने का प्रयास किया गया है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखा गया है कि शुद्ध एवं यथार्थ वर्णन प्रस्तुत हो। यह कदापि सम्भव नहीं कि त्रुटियाँ न हों। यदि किसी सज्जन को कोई तथ्य संशोधन योग्य प्रतीत हो तो अवश्य अवगत करायें। किसी भी प्रकार का परामर्श, सादर एवं साभार स्वीकार किया जायेगा।

मेरी प्रार्थना है कि अल्लाह मेरे इस कार्य को स्वीकार कर ले और इसे मुसलमानों के लिए कल्याणकारी बनाये ।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على  
خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم.

अब्दुल्लाह सऊद

प्रथम रमजान सन् १४२० हि०



مطبعة النرجس التجارية

NARJIS PRINTING PRESS

تلفون : ٢٣١٦٦٥٤ / ٢٣١٦٦٥٣

فاكس : ٢٣١٦٨٦٦ الرياض

# الزكاة

## في ضوء الكتاب والسنة

تأليف  
عبدالله سعود بن عبد الوحيد

ترجمة  
أحمد حسين

هندي

ردمك ٩٩٦٠-٨٧١-١٩-٣

الكتاب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسطاطنة  
الرياض - صندوق البريد ١٩٠١٠ - هاتف ٤٤٤٤٤٤٤٤



# नक़द धन की ज़कात की गणना का तरीक़ा

[ हिन्दी – Hindi – هندی ]

इफ़ता की स्थायी समिति

अनुवाद: अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2013 - 1434

IslamHouse.com

# كيفية حساب زكاة النقدين

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2013 - 1434

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،  
وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

## नक़द धन की ज़कात की गणना का तरीका

### प्रश्न:

कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन नक़दी धनों में ज़कात अनिवार्य है उन का निसाब (यानी ज़कात के अनिवार्य होने की न्यूनतम मात्रा) यह है कि वह 56 (छप्पन) सऊदी रियाल के बराबर हो जाए। किंतु कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यह निसाब एक ऐसे समय में निर्धारित किया गया था जब लोगों के हाथों में मुद्रा कम थी, लेकिन आज सोने और चाँदी की कीमत बदल गई है, जबकि ज्ञात रहे कि अतीत में 56 रियाल आजकल के दो हज़ार सऊदी रियाल (2000) के बराबर हैं, तो इस मुद्दे में निर्णायक हुक़म क्या है ?

### उत्तर:

अल्लाह तआला ने ही अपने संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा, और

आपकी शरीअत को मानवजाति के लिए एक सर्वसामान्य और परलोक के दिन तक बाक़ी रहने वाली संपूर्ण शरीअत बनाया है, और अल्लाह सर्वशक्तिमान जानता है जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है कि किस तरह लोगों की स्थितियों, और नक़दी के मूल्यों में परिवर्तन और बदलाव आयेगा, लोगों को उनकी कितनी आवश्यकता होगी और लोग उनसे किस तरह लाभान्वित होंगे, यहाँ तक कि दुनिया समाप्त हो जायेगी, और अल्लाह सर्वशक्तिमान ने ही अपने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर वहय (प्रकाशना) कर धनों की ज़कात के निसाब को निर्धारित किया है, तथा इस बात को निर्धारित किया है कि उससे निकाली जाने वाली ज़कात की मात्रा को उसके हक़दारों (लाभार्थियों) को भुगतान किया जायेगा, और वह अल्लाह तआला के इस कथन में है :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة : 60]

“खैरात (ज़कात) तो केवल फकीरों का हक़ है और मिसकीनों का और उस (ज़कात) के कर्मचारियों का और जिनके दिल परचाये जा रहे हों और गुलाम के आज़ाद करने में और कर्जदारों के लिए और अल्लाह के मार्ग (जिहाद) में और मुसाफिरों के लिए, ये हुक्क़ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर (निर्धारित) किए हुए हैं और अल्लाह तआला बड़ा जानकार हिकमत वाला है।”

(सूरतुत्तौबा : 60)

यदि निसाब और धन की ज़कात के तौर पर निकाली जाने वाली मात्रा, समय और लोगों की स्थितियों के बदलने और धनों के मूल्यों में परिवर्तन के साथ बदलने वाली होती तो अल्लाह सर्वशक्तिमान अपने बंदों पर दया करते हुए उसे अवश्य स्पष्ट करता, और अपने पैगंबर की ओर विभिन्न प्रकार के नियमों

की वहय (प्रकाशना) करता जो उन परिस्थितियों के अनुकूल होते, जिनके उपस्थित होने की अवस्था में उन्हें उनपर लागू किया जाता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया जबकि वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, बड़ा तत्वदर्शी व बुद्धिमान और अत्यंत दयालु व कृपालु है। यह इस बात को इंगित करता है कि ज़कात का निसाब, उसकी मात्रा, ज़कात में निकाली जाने वाली मात्रा और ज़कात के लाभार्थियों का शरीअत के द्वारा किया गया निर्धारण, क्रियामत कायम होने तक, समय के बीतने के साथ परिवर्तित नहीं होगा।

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दया और शांति अवतरित करे।

इफ़ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अब्दुल्लाह बिन क़ऊद (सदस्य)

अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी (उपाध्यक्ष)

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (अध्यक्ष)





□ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء  
 □ تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  
 اہلسا اسلامیك سینٹر  
 2022-اھلسا-31982-فون:03-5866672-0509402066

## ईद की सारी खुशयाँ आप सबको मुबारक हों ईद के कुछ आदाब

इस्लाम धर्म में केवल दो ईद है, एक ईदुल्फ़ितर जो रमज़ान के बाद एक शव्वाल को होती है दूसरी ईदुल्अज़हा(बकरईद) जो दस ज़िल्हिज्जह को है। इसके अतिरिक्त इस्लाम में कोई अन्य ईद नहीं है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनह मुनव्वरह आये तो आप ने देखा कि मदीनह वाले दो दिन खेल कूद करते हैं तो आप ने पूछा (यह दो दिन कैसे हैं ? लोगों ने उत्तर दिया कि हम लोग जाहिलियत के समय में इन दिनों में खेला करते थे, जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : अल्लाह ने तुम लोगों को इसके बदले इस से उत्तम तथा महान दिन दिया है, ईदुल्अज़हा का दिन तथा ईदुल्फ़ितर का दिन) (सही सुनन अबूदाऊद:1134)

अतः इन दोनों ईदों के अतिरिक्त कुछ मुसलमानों ने दूसरे धर्म वालों से प्रभावित होकर नाना प्रकार की ईदें गढ़ ली हैं उदाहरणतः ईद मीलादे नबी, ईद वफ़ाते नबी, ईद मेअराजे नबी, ईद शबेबरात आदि। जब कि इन ईदों का इस्लाम धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस लिये मुसलमानों को इस से बचना चाहिए।

**हम निम्न में ईद के कुछ आदाब लिख रहे हैं समस्त मुसलमानों से निवेदन है कि इसे अपनायें !**

1- ईद का चाँद देखने के बाद अधिक से अधिक तक्बीर कहनी चाहिये, तक्बीर के शब्द यह हैं :

**अल्लाहु अक़्बर अल्लाहु अक़्बर लाइलाहु इल्लल्लाहु वल्लाहुअक़्बर अल्लाहुअक़्बर वलिल्लाहिल् हम्द** (इरवाउलग़लील-3-125)

2- ईद के दिन स्नान करना, धर्म अनुसार बनाव सिंगार करना, बिना दुरुपयोग(फुजूल खर्ची) अच्छे से अच्छे कपडे पहनना (पुरुषों का कपड़ा टखने के ऊपर रहेगा) पुरुषों का सुगंध तथा खुशबू लगाना सुन्नत से साबित है। (सही बुखारी-948)

3- ईदुल्फ़ितर के दिन खुजूर खा कर ईदगाह जाना सुन्नत है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि : (अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कुछ खुजूर खाये नहीं निकलते थे) तथा दूसरी हदीस में है कि (आप ताक़ खाते थे यानी 3-5-9 अदि) (सही बुखारी-953)

और ईदुल् अज़हा के दिन ईदगाह से वापस आकर खाना सुन्नत है, बुरैदह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि (कुर्बानी के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय तक नहीं खाते थे जब तक - ईदगाह - से वापस न आजाते थे (सही सुनने इब्ने माजह-1434)

4- ईद के दिन धर्म अनुसार खुशी मनाना धर्म की निशानी है अतः उस दिन उचित खुशियाँ मनाना, जायज़ खेल कूद करना, इस्लामी लोरियाँ तथा गीतें पढ़ना, इस्लामी गीतों का मुशाइरह करना, अपने बच्चों के लिए जायज़ एवं मनमोहक खेल कूद का प्रबन्ध करना जायज़ है ।

5- ईद के दिन ईदगाह पैदल जाना अना चाहिये तथा ईद की सलात (नमाज़) मैदान-ईदगाह- में पढ़ना चाहिये, अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं : (नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल्फित्त्र तथा ईदुल्अज़हा में ईदगाह जाते थे। (सही बुखारी व मसिलम-)

हाँ ज़रूरत के समय मस्जिद में भी ईद की सलात पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबित है , इसी प्रकार इस्लामी प्रदह का प्रबन्ध करके ओरतों को ईदगाह ले जाने का आदेश दिया है चाहे वे हैज़ की हालत में ही क्यों न हों वे सलात से अलग रहेंगी तथा मुसलमानों की दुआ में शामिल रहेंगी । इसी प्रकार किसी बाधा के समय सवारी से भी जा सकते हैं ।

6- ईद के दिन सुबह तड़के निकलना चाहिये अबू उमैर बिन अनस ने बयान किया है कि (कुछ लोगों ने चाँद देखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप ने उन्हें दिन चढ़ने के बाद कुछ खाने और सुबह तड़के ईद के लिए निकलने का निर्देश दिया । (सही सुनन नसई-1556)

7- ईदगाह में ईद की सलात से पहले कोई सलात नहीं है , अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं: (नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल्फित्त्र के दिन निकले और ईद की सलात दो रकअत अदा की उस से पहले या उस के बाद कोई सलात न पढ़ी (मुत्तफ़क़ अलैह ) हाँ अगर ईद की सलात मस्जिद में पढ़ने के लिए गये हैं तो तहिय्यतुल् मस्जिद पढ़लेंगे ।

8- दोनों ईद की सलात के लिये अज़ान तथा इक़ामत नहीं है जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि: (नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबह से पहले बिना अज़ान तथा इक़ामत के सलात पढ़ाई (सही सुनन नसई-615561)

9- ईद का समय चाशत (सूरज ऊपर होने) के समय तक है । यज़ीद बिन हूमैर रहबी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन बुस्र लोगों के साथ ईदुल्फित्त्र या ईदुल्अज़हा में निकले तो उन्होंने ने इमाम के देर से आने को नापसन्द किया तथा कहा कि हम लोग इस समय ईद की सलात पढ़ चुके होते थे और वह समय (कराहत का समय निकलने के बाद) नफ़ली सलाह का समय था । (सही सुनन अबूदाऊद-1135)

**10-** ईद की सालात ईद के खुतबह से पहले पढ़ी जायेगी, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि : (अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बक्र, उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों ईद की सालत खुतबह से पहले पढ़ते थे (सही सुनन नसई -1563 )

**11-** दोनों ईद की सलात केवल दो रकअत है (सही सुनन नसई-1565)

### **ईद की सलात इस प्रकार पढ़ी जायेगी!**

इमाम तक्बीर तहरीमह (पहली बार अल्लाहु अक्बर कहना) के बाद पहली रकअत में दुआयेसना फिर सात बार अल्लाहु अक्बर कहे और पीछे वाले भी उस के साथ कहते रहें फिर इमाम आवाज़ के साथ सूरह फातिहा पढ़ें और पीछे वाले भी धीरे धीरे बिना आवाज़ के उसके साथ सूरह फातिहा पढ़ें , फिर इमाम ऊँची आवाज़ के साथ सूरह अज़ला पढ़ें फिर रुकूअ तथा सजदे करे , फिर दूसरी रकअत के लिए खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ने से पहले पाँच बार अल्लाहु अक्बर कहे, फिर सूरह फातिहा और सूरह गाशियह पढ़ें फिर रुकूअ, सजदह और तशहहुद के बाद दोनों ओर सलाम फेरे । ईद की सलात में पहली रकअत में सात बार और दूसरी रकअत में पाँच बार तक्बीर ज़वायद है तथा पहली रकअत में सूरह अज़ला या सूरह काफ़ और दूसरी रकअत में सूरह गाशियह या सूरह इक्तरवत पढ़ना सुन्नत है (सही सुनन इब्ने माजह-1063)

**12-** दोनों ईद का खुतबह ईद की सलात के बाद होगा, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि : (मैं गवाही देता हूँ कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद में हाज़िर हुवा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सलात अदा की फिर खुतबह दिया-सही सुनन नसई -1568)

**13-** दोनों ईद में केवल एक खुतबह देना सुन्नत है । तथा ईद का खुतबह सुनना सुन्नत है अनिवार्य नहीं, अब्दुल्लाह बिन साइब बयान करते हैं कि: (नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की सलात पढ़ाई और फरमाया: जो जाना चाहे जासकता है और जो रुकना चाहे रुक सकता है । (सही सुनन नसई-1570)

**14-** ईद का खुतबह देने वाले के लिए धर्म अनुसार बनाव सिंगार करना, अच्छे से अच्छा कपडे पहनना सुन्नत है । अबू रमसह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबह देते हुए देखा आप के मुबारक शरीर पर दो हरी चादरें थीं (सही सुनन नसई-1571)

**15-** इमाम को दोनों ईद का खुतबह खड़े हो कर लोगों के ओर मुंह करके देना चाहिए, इसी प्रकार ज़रूरत के समय किसी आदमी पर टेक भी लगा सकता है । खुतबह में सब से पहले अल्लाह की परशंसा रसूल पर दरूद फिर लोगों को दीन की बात बताये , अल्लाह तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम की अनुसरण करने का शौक दिलाये अतः विशेष रूप से महिलाओं को भी सम्बोधित करे उन्हें अल्लाह से डरने, अल्लाह एवं रसूल की अनुसरण करने पर उभारते हुये दान एवं खैरात करने पर उभारे ।(सही सुनन नसई-1573-1574-1575)

**16-** अगर ईद का दिन जुमा के दिन पड़ जाये तो जुमा के बारे में इजाज़त है चाहे जुमा की सलात पढ़े या न पढ़े (सही सुनन नसई-1590)

हाँ अगर जुमा की सलाह नहीं पढ़ी है तो जुहर की सलाह चार रकअत पढ़ना ज़रूरी है और अगर कोई मुतअय्यन खतीब है तो उसे खुतबह देना होगा सिवाये इसके कि कोई भी जुमा की सलात पढ़ने न आये ।

**17-** ईद के लिए एक मार्ग से जाना तथा दूसरे मार्ग से वापस आना सुन्नत है । (सही सुनन नसई-1082)

**18-** ईद से वापसी के बाद घर में दो रकअत सलात पढ़ना सुन्नत है, अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि: (रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद से पहले कोई सलात नहीं पढ़ते थे और जब घर वापस आते तो दो रकअत सलात पढ़ते-सही (सही सुनन इब्ने माजाह-1293)

**19-** ईद की मुबारक बादी देना उचित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी एक दूसरे को **तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका**(अल्लाह पाक हमारी तथा तुम्हारी उपासना स्वीकार करे) कहा करते थे ।(फ़तहूल बारी भाग-2-446)

**20-** अगर किसी गाँव के बासी केवल तीन मुसलमान हों तो उन लोगों को ईद की सलाह पढ़नी चाहिये ।(शरहूल मुमतअ-इब्ने उसैमीन- भाग-5-170)

**21-** यात्री के लिये ईद की सलात नहीं है क्यों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कह विजय करते समय मक्कह पधारे तथा एक शव्वाल तक वहाँ रहे प्रन्तु आपने ईद की सलाह नहीं पढ़ी क्यों कि आप यात्री थे।(सुगनी भाग-3-287)

**22-** अगर किसी की ईद की सलात छूट जाए तो ईद की सलात के प्रकार दो रकअत पढ़ सकता है क्यों कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाहु ने मुअल्लक हदीस बयान किया है कि (अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सेवक इब्ने अबी उत्बह को ज़ावियह(जो बसरह देश से दो कोस दूरी पर था)में आदेश दिया तो उन्होंने ने अपने घर वालों को जमा किया तथा नागरिकियों के ईद की सलात के प्रकार ईद की सलात पढ़ाई)(सही बुखारी)

## ईद की ग़लतियाँ!

हर मुसलमान को अल्लाह पाक की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने सारे धार्मिक कामों में मात्र अल्लाह पाक तथा उसके अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज्ञापालन करें प्रन्तु कुछ लोगों ने अपनी ओर से बहुत कुछ गढ़ लिया तथा उसे धर्म समझ कर करने लगे इसी कारण उचित होगा कि हम कुछ ऐसे कामों को भी बता दें जो लोग ईद में

करते हैं जबकि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित एवं साबित नहीं है ।

**1-** ईद की पूरी रात ईबादत तथा उपासना में बिताना । इस का कारण कुछ ज़ईफ हदीसों हैं ।

जैसे यह हदीस कि (जिसने अल्लाह पाक के लिये सवाब चाहते हुए दोनों ईद की रातों को तहज्जुद पढ़ा तो उसका दिल उस दिन मुरदह नहीं होगा जिस दिन सारे दिल मुरदह होजायेंगे) (यह हदीस ज़ईफ है, देखें ज़ईफुल् जामिअ-अल्बानी -5742)

चुनांचे सारी रातों में से दोनों ईदों की रातों को इबादत के लिये जागने की कोई सही हदीस नहीं है, हाँ अगर कोई तहज्जुद की सलात रोजाना पढ़ता है तो इन रातों में भी पढ़ सकता है मगर केवल दोनों ईदों की रातों में तहज्जुद पढ़ना या कोई खास इबादत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है ।

**2-** दिन तथा रात के पाँच समय की सलात छोड़ कर केवल ईद की सलात का इहतिमाम करना बे मुनासिब बात है जबकि बहुत सारे मुसलमान केवल जुमा और ईद की सलात ही पढ़ते हैं, यह बहुत बड़ा गुनाह तथा पाप है बल्कि बहुत सारे उलमा ने ऐसे आदमी को काफिर कहा है ।

**3-** ईद के दिन ईद की सलात के बाद मुरदों की ज़ियारत के लिये क़ब्रस्तान जाना बिदअत है क्यों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा किराम से साबित नहीं है जबकि सहाबा हर भलाई के कामों के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे ।

**4-** लोगों का एक ही समय तथा एक आवाज़ , एक लय में ईद की तक्बीर कहना हदीस से साबित नहीं है, इसी लिए इसे उलमा किराम ने ईद की बिदअतों में गिना है, हर आदमी अकेले अकेले खुद तक्बीर कहे, लोगों के साथ एक आवाज़ में न कहे क्योंकि ऐसा करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा सहाबासे से साबित नहीं है ।

**5-** ईद के दिन औरतों और बच्चों को ईदगाह न लेजाना । जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर देकर इन्हें ले जाने का आज्ञा दिया है, यहाँ तक कि अगर औरतें हैज़ यानी माहवारी में हों तब भी, वह ईद की सलात नहीं पढ़ेंगी केवल मुसलमानों की दुआ में भागीदार रहेंगी । हाँ जरूरी है कि औरत इस्लामी परदे के साथ ईदगाह जाये और उनके लिए ईदगाह में अलग बैठने के लिये प्रबन्ध किया जाये ।

अल्लाह तआला सभी मुसलमानों को दीन की समझ दे, और अपने ईमान तथा अमल के बचाव का अवसर दे आमीन ।

आप का शुभेच्छुक  
अताउर्रहमान सईदी